खण्ड-435, अंक-3
बुधवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1922
(10 मई, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

[redacted]

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–90
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	90
जनपद फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्रान्तर्गत भरेरा नाला एवं आवानाला की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के ग्राम रामपुर कतेहपुर में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
मेरठ महानगर के सूर्य कुण्ड के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु धन स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद हरदोई के मल्लावां के क्षेत्रान्तर्गत अधिसंख्य ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91–92
जनपद बागपत के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत देहाती क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92–93
प्रदेश में नर्सिंग होम एवं सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का निपटान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) स्थित भदोही उलेन मिल के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	93–94
पंचायती राज विभाग के बजट साहित्य में प्रदर्शित जिला योजना का प्रारूप सदन में की गयी घोषणा के विपरीत होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	94
नियम–56 और 51 के अन्तर्गत ध्यानाकृष्ट सूचनाओं पर "उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा० अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश" के निदेश संख्या–19 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	95
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी में क्षेत्र निधि न बनाये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना का नियम–51 में परिवर्तन ...	95
प्रथम सत्र वर्ष 2000 के सातवें सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–36 से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न	96
उत्तर प्रदेश मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन आयल तथा अदर्स टैक्स विधेयक (संशोधन) विधेयक, 2000 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	96
जनपद गाजीपुर के जखनियां तहसील में मंगई नदी पर चौपा सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भृगुनाथ राम आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	96

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम कटघरा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री त्रिभुवन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	97
जनपद मथुरा की "बृज चौरासी" की परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करते हुए अवैध कब्जों को हटाये जाने विषयक श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	97
जनपद सन्त रविदास नगर में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अहमदपुर फलबरिया योजना में शासनादेश के विरुद्ध 82 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने विषयक श्री रामवृक्ष पासी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	97
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में पिपरिस ग्राम के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा या भूमि दिलाये जाने विषयक डा० जय सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	97
जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड विजयीपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा में एक सरकारी इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री कुलदीप कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	97
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	98–101
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	101–121
बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक सीटों में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विनोद मणि तथा श्री राम नरेश यादव द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	122
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ...	123–173
प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलाने तथा जाली नोटों के प्रचलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी) ...	173
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	173–175
प्रदेश में यू० जी० सी० द्वारा पी० एच० डी० धारकों को "नेट" परीक्षा से छूट प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	176
प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा हजारों मजदूरों को बन्धक बनाकर उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य	176–177

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी नगर के मदनपुरा क्षेत्र में पूर्ण क्षमतायुक्त थाना खोलने तथा गलियों में "पिकेट ड्यूटी" सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	177
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	178
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में डाइंग प्लान्टों से निकलने वाले जहरीले पानी से प्रदूषित हो रहे भू-गर्भ जल स्तर को सुरक्षित रखे जाने व जनजीवन को हो रहीं गम्भीर असुविधाओं के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	178–179
प्रदेश में विशेषतः जनपद आजमगढ़ में निरन्तर हो रहे अग्निकाण्ड के पीड़ितों को समुचित राजकीय सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	179
जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के अन्तर्गत काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में पूर्व से संचालित बी० एड० की कक्षायें बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	179–180
उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी तथा एक्सरे टेक्नीशियन के चयन में कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री दीपलाल भारती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	180
जनपद मथुरा में रमन प्लांटेशन एवं फाइनेन्स कम्पनी लि० द्वारा जालसाजी किये जाने तथा अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	180–182
जनपद बहराइच में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था न होने तथा कतिपय स्थानों पर फायर सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182–183

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 10 मई, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
अनिल कुमार, श्री	बलिया	मंडलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	मुन्ना चौहान,श्री	देहरादून
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मुश्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
गंगा सिंह चौहान, श्री	हरदोई	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	राम आसरे कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तर काशी	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
दयाशंकर, श्री	जालौन	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
बाबू खां, श्री	हरदोई	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
		होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

Page Proof

बुधवार, दिनांक 10 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री रामजग–

मान्यवर, चार लोगों की हरदोई में हत्या हो गई.....

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में यह पहली सूचना है मैंने कल ही निर्देश दे दिये थे इसको नियम–56 में पहले ले लिया जायेगा ।

प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अंश के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की जानकारी

**1.—श्री लालजी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अंश के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के अधूरे कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों, जो पूर्व में स्वीकृत थे को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की अवशेष धनराशि तथा सुनिश्चित रोजगार योजना की धनराशि से पूर्ण कराये जाने हेतु जनपदों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने यह सवाल किया था कि ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दो तरह की धनराशि एक तो अभिकरण की धनराशि 20 प्रतिशत होती थी और दूसरी 80 प्रतिशत, सीधे ग्राम सभाओं को जाती थी ? माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो अधूरे कार्य थे उनके लिये कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की अवशेष धनराशि तथा सुनिश्चित रोजगार योजना की धनराशि से पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं मैं जानना चाहता हूं कि अभिकरण अंश के जो अधूरे कार्य हैं जो अलग-अलग गांव को जोड़ने का काम करते हैं उनको कैसे पूरा करवायेंगे और क्या उस निर्देश की कापी पटल पर रखेंगे जो दिये गये हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जवाहर रोजगार योजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अंश के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के अधूरे कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? तो जब जवाहर रोजगार योजना रह ही नहीं गई तो योजना बनाने का क्या मतलब है ? पंचायतों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जो अधूरे कार्य हैं उनको योजना बनाकर पूरा कर सकते हैं इसके लिए निर्देश 3-11-99 को जारी कर दिये गये हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही आपके माध्यम से कहा ग्राम्य पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं यह स्वायत्तशासी संस्थाये हैं मैंने यह पूछा कि ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत जो सड़कों का चयन किया गया वह विभिन्न ग्रामों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग थे। ऐसी स्थिति में उन कार्यों के लिये ग्राम पंचायतें कितना धन स्वीकृत करेंगी ? इसलिये कि उनकी आवश्यकता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि किसी नयी योजना के तहत उन अधूरे कामों में जिसमें काफी धन खर्च किया जा चुका है, कोई ऐसी योजना जैसे सुनिश्चित रोजगार योजना के आधार पर धन आवंटन करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो हमने आदेश जारी किये हैं अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिये माननीय सदस्य जो बता रहे हैं वास्तव में सुनिश्चित रोजगार योजना का लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाय। भारत सरकार की गाइडलाइन्स के आधार पर हम कार्य करते हैं। उसमें यह है कि अधिक से अधिक रोजगार दिये जायें। उन्होने अपने परिपत्र में दिया है भारत सरकार के पत्र संख्या–बी 24011/15/99 जे०जी०एस०वाई० दिनांक 10-9-1999 के क्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास के परिपत्र संख्या–आर-2-4236 दिनांक 3-11-99 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवशेष दायित्वों की पूर्ति जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अवशेष धनराशि से की जा सकती है। उपर्युक्त फण्ड के इस्तेमाल करने के बाद भी यदि कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं तो उन जनपदों द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि में से कार्यों को पूर्ण कराया जा सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न से बहुत स्पष्ट है लेकिन माननीय मंत्री जी कदाचित या तो उस प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न को समझने में कठिनाई हो रही है क्योंकि सभी सदस्यों की जिज्ञासा यह है कि आज सुनिश्चित रोजगार योजना का 70 प्रतिशत धन गांव सभाओं को दिया जा रहा है और 30 प्रतिशत धन पंचायत क्षेत्र को दिया जा रहा है। इसी तरह से जे०आर०वाई० है। तो जो काम पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं उन अवशेष कामों की स्वीकृति हो चुकी है, वह कोई नये काम नहीं है, उन अवशेष कामों को पूर्ण करने के लिये क्या माननीय मंत्री जी किसी चुनी हुई क्षेत्र पंचायत कि अमुक कार्य करना है, इस तरह के निर्देश दे सकते हैं ? जो भी चुनी हुई संस्थाएं हैं वह अपने कामों की प्राथमिकता स्वयं तय करेंगी यह है। शासन के पास यह व्यवस्था है कि वह कितना धन दे। इसलिये मैं, माननीय मंत्री जी नें जो उत्तर दिया है कि हमने निर्देश दे दिये हैं क्षेत्र पंचायतें उसको पूर्ण करेंगी उससे कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो जो पूर्व में स्वीकृत कार्य हैं ऐसे अवशेष कार्यों की जिनकी स्वीकृति हो चुकी है उसके लिये वह अवशेष धन की व्यवस्था करके पूर्ण करायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, पिछली बार यह निर्देश थे कि जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा किया जाय। किसी भी जिले में, एक आध जिलों को छोड़कर जहां थोड़े अधूरे कार्य थे, नये कार्य स्वीकृत नहीं हुए सब अधूरे कार्य ही पूरे हुए। नये कार्यों की स्वीकृति अब होगी। मान्यवर, मैंने कल एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि जब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के स्तर पर भी अब विधायकों की सहमति के आधार पर ही वहां योजनायें बनेंगी। पंचायतों को अलग से निर्देश जारी करने का आशय नहीं है।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जे०आर०वाई० और एस०आर०वाई० के द्वारा सड़कों के और अन्य कार्य जो होते हैं उनसे पहले प्रारम्भिक आगणन और बाद में अंतिम आगणन बनता है तो जो बाद में पैसा बचता है उस बचत के पैसे से अवशेष कार्य पूर्ण करने के लिये आदेश करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय विधायकगण वहां सदस्य हैं अगर उस स्तर पर यह लोग तय कर लें कि जो भी बचत का पैसा है उससे इन कार्यों को सुदृढ़ करायेंगे तो शासन को इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, हर दो-तीन साल पर मिट्टी का कार्य होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है जो अधूरे कार्य हैं वह अधूरे रह जाते हैं। जो 60 और 40 का रेशियो है, मिट्टी का कार्य होता है, 40 प्रतिशत पक्का कार्य है, खड़ंजा लगाया जाय जिस पर मिट्टी का कार्य हुआ है, इसमें केन्द्र द्वारा या अपने द्वारा प्रयत्न करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इसमें तो जो गाइडलाइंस हैं वह मान्य होंगी। भारत सरकार से ऐसी वार्ता कर व्यवस्था हो सके तो अच्छी बात होगी।

श्री रामऔतार शाक्य–

मान्यवर, क्षेत्र समिति के सदस्य बहुत होते हैं विधायक एक होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक शासनादेश जारी करेंगे जिससे बाध्यता हो जाय कि अधूरे कार्य ही पूरे किये जायेंगे तब उसके बाद नये कार्य लिये जायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, ऐसा करके पंचायतों के कार्यों में सीधे-सीधे अतिक्रमण करेंगे अगर यहां से कोई निर्देश भेज दें। इसलिये आदेश जारी करना संभव नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा०–

मान्यवर, मंत्री जी ने पंचायतों के कार्यों में अतिक्रमण न करने की बात कही। तो क्या कोई ऐसे अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगे जिससे अधूरे कार्य पूरे किये जा सकें ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अतिरिक्त धन की घोषणा किया जाना इस समय सम्भव नहीं है। वैसे मैंने यह जरूर निवेदन किया है कि पिछले जितने भी अधूरे कार्य थे उन सभी को पूरा करने का निर्देश शासन के द्वारा गया था और जिलों में वही हुआ था और नये कार्य कोई स्वीकृत नहीं हुए हैं।

श्री नारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुनिश्चित रोजगार योजना में राज्य सरकार जो अंशदान देती है उसमें से क्या माननीय मंत्री जी छूटे हुए कार्यों को पूरा कराने का विधायकों को अधिकार देंगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय विधायक की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए 75 और 25 का जो रेशियो है, भारत सरकार ने माननीय सांसदों की सहमति जरूरी की है यहां पर विधायकों के अधिकार का हनन हो रहा था। हमने 25 प्रतिशत का फायदा उठाते हुए किया है कि सांसदों के साथ-साथ माननीय विधायकों की सहमति आवश्यक होगी, बिना इसके कोई योजना नहीं बनेगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार जिला पंचायत के अंश में जो माननीय सांसदों के साथ विधायकों की सहमति अनिवार्य किया है क्या उसी तरह से क्षेत्र पंचायतों में भी करेंगे जिससे कि यह अधूरे काम पूरे हो सके तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र पंचायत के अंश में माननीय विधायकों की सहमति की आवश्यकता अनिवार्य करेंगे एंस०आर०वाई० में ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय वर्मा जी ने कदाचित ध्यान नहीं दिया मैंने पहले कहा था, कल एक अल्पसूचित प्रश्न था उसमें जवाब दिया है मान्यवर, मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि क्षेत्र पंचायत में विधायकों की सहमति के आधार पर होगा इसका निर्देश आज कल में जारी हो जायेगा।

रासायनिक खाद, कृषि उपकरण तथा कीटनाशक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में कृषि फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानकारी

**2—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि रासायनिक खाद, कृषि उपकरण तथा कीटनाशक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ? क्या यह भी सत्य है कि कृषि उपज के लागत व्यय में भी वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि फसलों के समर्थन मूल्य में भी उसी अनुपात में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

रासायनिक खाद के मूल्यों में वृद्धि हुई है। परन्तु कृषि उपकरण एवं कीटनाशक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है।

जी हां।

विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तो क्या उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग भी जो कृषि उपज में लागत व्यय पड़ता है उसके सापेक्ष में भारत सरकार से अपने प्रदेश के कृषि फसलों के बारे में समर्थन मूल्य तय करने में कोई संस्तुति करती है कि नहीं ? संस्तुति हो तो विभिन्न फसलों के लागत मूल्य क्या है और संस्तुति क्या है यह बता दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, भारत सरकार की एग्रीकल्चर कास्ट एण्ड प्राइसेज कमेटी है वह हिन्दुस्तान के पूरे प्रदेशों से संस्तुति मांगती है और उनकी अपनी संस्थाएं हैं जिसकी आख्या लेती हैं कि कितनी उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि हुई है, उसके आधार पर वह निश्चित करती है। उत्तर प्रदेश से भी समय-समय पर सुझाव मांगे गये हैं। मेरे पास इस समय धान और गेहूं के जो सुझाव दिये गये हैं वह उपलब्ध है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार से जो समर्थन मूल्य मांगते हैं और जो संस्तुति करते हैं, हमने इस सदन में गतवर्ष भी बताया था कि हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि उसको बढ़ाकर मांगा जाये ताकि अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके और उत्तर प्रदेश सरकार ने 99-2000 के लिये धान का समर्थन मूल्य 580 रुपये संस्तुत किया था। भारत सरकार द्वारा 490 रुपये घोषित किया गया था। इसी प्रकार श्रीमन्, गेहूं के मूल्य की उत्तर प्रदेश सरकार ने 650 रुपये की संस्तुति भेजी थी, भारत सरकार ने इसे 550 रुपये स्वीकृत किया था। इस वर्ष जब गेहूं खरीदा जा रहा है, उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 680 रुपये की संस्तुति की थी और भारत सरकार ने 580 रुपये घोषित किया है।

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि रासायनिक खादों का दाम बढ़ा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खेती के विकास के लिए, सरकार खादों के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की घोषणा करेगी और दूसरी बात, खादों के दाम पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा करेगी। दूसरी चीज, सरकार समर्थन मूल्य की बात कर रही है, उसकी जगह किसान को लाभकारी मूल्य देने की घोषणा करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जहां तक माननीय सदस्य का प्रथम प्रश्न है। खाद के बढ़े हुए मूल्य को घटाना या उसमें सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है। जहां तक लाभकारी मूल्य देने का प्रश्न है। यह मूल्य भारत सरकार का कास्ट एंड प्राइसेस कमीशन तय करता है और वह हमेशा लाभकारी मूल्य ही तय करता है। जो उत्पादन लागत आती है, उससे बढ़ाकर ही मूल्य तय वह करते हैं।

श्री राम जग–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। किसान के हित को देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश सरकार रासायनिक खादों के मूल्य में कमी करने की नीयत से खाद में सब्सिडी देगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सम्भव नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 680 गेहूं का और 580 धान का, दो मूल्य बताये। मैं जानना चाहता हूं कि कृषि फार्म जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उन फार्मों पर एक किलो गेहूं को पैदा करने में कितनी लागत आती है और जो कृषि फार्म, कृषि विश्वविद्यालय के हैं, वहां एक किलो गेहूं पैदा करने में कितना व्यय आता है। क्या इस चीज को भी अपनी संस्तुति देते वक्त ध्यान में रखा गया था। जो नीतिगत फैसला है, मूल्य सूचकांक के सापेक्ष और नीतिगत रूप से आगे आने वाले फसलों के मूल्य तय होंगे, क्या इस सिद्धान्त पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 6.80 पैसे प्रति किलो होना चाहिए ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जो हम समर्थन मूल्य संस्तुत करते हैं, वह न तो कृषि फार्मों के लिये है, न विश्वविद्यालय के फार्मों के लिये है बल्कि प्रदेश के किसानों के गेहूं का उत्पादन होता है, मान्यवर, किसानों की फसल के उत्पादन में जो लागत आती है उसको देखते हुए हम समर्थन मूल्य संस्तुत

करते हैं हम उसके मैक्सिमम प्राइज को संस्तुत नहीं करते हैं हम संस्तुति करते हैं कि इतनी लागत है, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों की भी संस्तुतियां आती हैं। हम जब संस्तुति करते हैं, जब हमारा कास्ट इन्डेक्स बढ़ता है, उसको ध्यान में रखते हैं और भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है तो वह भी कास्ट इन्डेक्स को देखकर ही समर्थन मूल्य घोषित करती है और इसका एक कालम ही अलग होता है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से गेहूं और धान की लागत बढ़ी है, चाहे उर्वरकों के दाम बढ़ने से या बिजली के या डीजल के दाम बढ़ने से लागत मूल्य बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन लागत क्या है, प्रति कुन्तल और प्रदेश में इसका लाभकारी मूल्य देने के लिये, लाभकारी मूल्य जो निर्धारित किया है वह कितना है ? मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि जो उत्पादन लागत है और प्रदेश सरकार ने जो लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है, उसके बीच का जो गैप है क्या प्रदेश सरकार सब्सिडी के रूप में कृषकों को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न यह किया है कि उत्पादन मूल्य क्या है। श्रीमन्, वर्ष 1999-2000 के लिए प्रोजेक्टेड कास्ट आफ प्रेडक्शन, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्चुअल कास्ट आफ प्रोडक्शन लिया जाता है, बुवाई से लेकर, बल्कि पलेवा से लेकर मड़ाई के बाद बिक्रय तक के जितने व्यय अनुमानित होते हैं, उन सब को जोड़ करके एक्चुअल कास्ट आफ प्रोडक्शन निकलता है। इसलिए जब हम संस्तुति करते हैं तो प्रोजेक्टेड कास्ट आफ प्रोडक्शन पर संस्तुति करते हैं। जो बुवाई के समय निवेश की सीमा होती है वह एक्चुअल जोड़ा जाता है। इसके साथ-साथ जितना गत वर्ष से पिछले 5 वर्षों में प्राइज इन्डेक्स इन्क्रीज होता है, उसका औसत जोड़ा जाता है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट हार्वेस्ट प्राइज भी लिया जाता है इसे सी-2 डैस् के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1999-2000 में प्रोजेक्टेड अनुमान में गेहूं 473 रुपये 49 पैसे है और 500 रुपये रेट फिक्स किया गया है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, धान का भी उत्पादन लागत बता दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इसकी फीगर हम दे देंगे, गेहूं की जो संस्तुति की है वह गेहूं के लिये 473 रुपये 49 पैसे, जौ चना के लिए 842 रुपये 8 पैसे, लाही और सरसों के 966 रुपये है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्वाइंटेड सवाल है, क्या सब्सिडी देंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, 473 रुपये 49 पैसे पर 500 रुपये मूल्य दिया गया है, अतः किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है।

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, एक गेहूं जो सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलता है दूसरा जो बाजार में गेहूं मिलता है आज बाजार में गेहूं के आटे की 10 किलो की थैली 100 से 110 रुपये के बीच मिलता है और जो गेहूं

का सरकारी मूल्य है वह 5.80 रुपये है। 5.80 रुपये और 10-11 रुपये के बीच का यह गैप बीच के बिचौलियों को चला जाता है। इस बारे में भी विचार करते हुए किसान को इसका लाभ दिया जाय न कि बिचौलियों को ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह आवश्यक वस्तु निगम से सम्बन्धित है। श्रीमन्, इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न था।

श्री डी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि प्रोजेक्टेड कास्ट कैसे निकाला जाता है तथा उत्पादन लागत कैसे निकालते हैं। अभी जो माननीय मंत्री जी ने बताया वह एक्चुअल लागत नहीं होती है वह अनुमानित होती है। किसान के यहां जो उत्पादन होता है वह अनुमानित लागत होती है। इनके कृषि फार्मों पर जिस पर यह पैसा खर्च करते हैं, उस पर उत्पादन लागत क्या आती है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी क्या आपके पास आंकड़े हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कृषि फार्मों पर उत्पादन लागत की सूचना मैं नहीं लाया हूं लेकिन जो कमेटी बैठती है वह इसका निर्णय करती है कि प्रोजेक्टेड कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या होगा ? इसमें तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के एग्रीकल्चर एकोनामिस्ट हैं, उनकी राय रहती है, राजस्व विभाग के आंकड़े रहते हैं कि अनुमानित उपज प्रति हेक्टेयर क्या है। सभी आंकड़ों को लेते हुए इन्फ्लेशन रेट के आधार पर रेट तय करते हैं।

श्री डी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि कृषि फार्मों की जो उत्पादन लागत है 473 रुपये बना रहे हैं उसमें ज्यादा खर्च कृषि फार्मों पर आता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके कृषि फार्म हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर भी खेती होती है और प्रतिवर्ष कृषि विश्वविद्यालय अपना उत्पादन चार्ट प्रकाशित करता है। उसमें जो अंक है इस साल 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो उत्पादन व्यय आया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि एक तो कृषि फार्म और कृषि विश्वविद्यालय के फार्म दूसरे किसान इन दोनों में से जो आपने आंकड़ा लगाया है उसमें कितनी भिन्नता है ? क्या इस भिन्नता को दूर करने के लिये आप भारत सरकार से संस्तुति करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न उठाया है और जिस गेहूं की लागत की बात कर रहे हैं "ब्रीडर और फाउण्डेशन सीड्स" जो बीज पैदा किया जाता है उससे संबंधित है। फाउण्डेशन से

एफ–1 से एफ–2 और ब्रीडर से एफ–1 पैदा होता है। साधारण मूल्य से बीच का मूल्य तिगुना होता है। उसमें जो रोगिंग की जाती है बीज पैदा करने में जो खर्च होता है उसमें और साधारण खेती करने में जो खर्च होता है उसमें मिनिमम 30 प्रतिशत का अन्तर होता है। बीज जब पैदा किया जाता है उसका मूल्य भी भिन्न होता है बीज पैदा करके जब मार्केट में बेचा जाता है वह 580 रुपये में नहीं बेचा जाता उसका मूल्य अलग होता है। किसान जो नार्मल फसल पैदा करता है वह उपभोक्ताओं के लिए जाता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में निजी नर्सिंग होम में सरकारी डाक्टरों की सेवा की रोकथाम के सम्बन्ध में जानकारी

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में निजी नर्सिंग होम की संख्या में लगातर वृद्धि हो रही है ? क्या यह सही है कि इन निजी नर्सिंग होम में सरकारी अस्पतालों के डाक्टर अनौपचारिक रूप से विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा प्रस्तुत करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

जी हां।

राजकीय चिकित्सकों के निजी नर्सिंग होम में अपनी विशेषज्ञ सेवा देने/प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

इस हेतु निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी नियमावली "दि उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट डाक्टर्स (एलोपैथिक रिस्ट्रिक्शन आन प्राइवेट प्रैक्टिस (एलोपैथिक) रूल्स 1983 पूर्व से प्रभावी है, जिसे और कड़ाई से लागू किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

आज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगरीय क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति बनती जा रही है और जो नये-नये नर्सिंग होम खुलते जा रहे हैं उससे गांव में रहने वाले दीन-हीन और असहाय रोगी हैं उनको सही व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1983 से पूर्व जो व्यवस्था लगी हुई है उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? कितने लोगों को सूची बद्ध किया गया कितनों को नोटिस दी गई ? क्या इसे कड़ाई से लागू करने हेतु नियम में कोई परिवर्तन कर रहे हैं ? या नई व्यवस्था दे रहे हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

1987 से पूर्व क्या हुआ उसकी सूची के बारे में मैं नहीं बताना चाहता लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हमने बड़ी गम्भीरता से इस मामले को लिया है अब तक 41 चिकित्सकों को चिन्हित किया है उनके विरूद्ध आरोप-पत्र के उपरान्त जांच शुरू करा दी है आठ प्रकरणों में अन्तिम निर्णय लिया है एक चिकित्साधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। 7 के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि और चेतावनी अभी दी गई है। समय-समय पर हम निरीक्षण करते रहते हैं और ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है उस पर कार्यवाही करते रहते हैं। माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई प्रकरण हो उसको अवगत करा दें हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

डा० वकार अहमद शाह–

मैं माननीय मंत्री जी से दो तीन बातें पूछना चाहता हूं। जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज सारे के सारे करीब नर्सिंग होम में बदल गये हैं जो भी मरीज सरकारी अस्पतालों में जाता है उसको किसी न किसी तरह से नर्सिंग होम भेज दिया जाता है। नर्सिंग होम बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आपने कहा कि निजी प्रैक्टिस बन्द कर दी है लेकिन सारे के सारे नर्सिंग होम सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के बल पर चल रहे हैं। कहीं कोई हाई कोर्ट से स्टे ले आया आपके विभाग के पैथालाजिस्ट, रेडियोलाजिस्ट नर्सिंग होमों में बैठकर काम करते हैं। हमारे यहां जिला अस्पताल बहराइच के चारों तरफ कम से कम 10 पैथालाजी, अल्ट्रासाउंड व एक्स रे की मशीनें लगी हैं और उसमें सरकारी डाक्टर बैठते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर रोक लगाने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण कराया है कि कितने ऐसे डाक्टर इस तरह का काम कर रहे हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

सरकार समय-समय पर निरीक्षण करती है। जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं उसको सरकार बन्द नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी हम यह चिन्हित करेंगे कि कौन से नर्सिंग होम हैं जिनमें डाक्टर जो सरकारी डाक्टर हैं वे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यहां दो-तीन चिकित्सक मौजूद हैं पहले डंग साहब, फिर बाजपेयी जी फिर वर्मा जी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सरकारी चिकित्सकों का नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के पीछे कारण यह है कि कई सरकारी चिकित्सक ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर 20–15 वर्षों तक जमे रहते हैं। प्राइवेट प्रेक्टिस रूल 1983 में परिभाषा क्या है और इस परिभाषा की मंशा क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि जो 5 वर्ष से अधिक किसी स्थान पर तैनात हैं उन्हें जिले से बाहर भेजा जायगा ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, हमने पूर्व में भी बताया था और हम कहना चाहते हैं कि समय-समय पर स्थानान्तरण भी करते रहते हैं यदि आगे ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आयेगा तो हम कार्यवाही करेंगे। रूल के तहत प्रादेशिक चिकित्सा सेवा, प्रादेशिक दन्त चिकित्सा सेवा, आयुर्वेद, होम्योपैथ चिकित्सा सेवा में किसी पद पर या अध्यापक के पद पर या सरकारी सेवा में किसी संवर्ग के डाक्टर से हैं। और यदि वे कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो कार्यवाही होगी। जहां तक पांच वर्ष के बाद स्थानान्तरण की बात है तो हम परीक्षण करा रहे हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं चिकित्सक हैं और उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि वे अपने पेशे से अपनी बिरादरी को कुछ दबी इच्छा में संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। कई-कई जगह कई-कई डाक्टर 19-19 साल से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं मात्र दो-तीन माह के लिये बाहर जाते हैं। वे कोई समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के जनपद में ही उन्हें ज्यादा मालूम होगा। मैं केवल माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि अभी जो नियम 1983 का हवाला दिया गया मैं अपने जनपद मेरठ की बात करता हूं वहां कितने प्रकरण जिलाधिकारी ने प्राइवेट प्रैक्टिस के शासन को संदर्भित किये हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई। हमारे यहां 6 लोग 12 साल से एक ही जगह तैनात

हैं। क्या उनके पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरण पर विचार करेंगे ? जिससे उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस का समूल नाश हो जाय।

डा० राम बाबू हरित–

मैं चिकित्सक हूं लेकिन इससे पहले मैं सरकार का एक अंग हूं। यह सरकार का दृढ संकल्प है मैं पूर्व की सरकारों की बात नहीं करता। बाजपेई जी अपने जनपद की बात कह रहे हैं वे विस्तृत रूप से जानकारी दे दें मैं परीक्षण कराकर कार्यवाही करूंगा।

डा० कौशल किशोर–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सदर में जो नर्सिंग होम हैं वहां सरकारी चिकित्सक कार्य कर रहे हैं और मरीजों को नर्सिंग होम में जाने को विवश करते हैं। इसके लिये माननीय मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं उनमें हमारे चिकित्सक जा रहे हैं और जो चिकित्सक नहीं जाते हैं उन्हें ही हम चिन्हित करते हैं और उनका वेतन रोकते हैं। मैंने जो 41 लोगों का विवरण दिया, वह ऐसे ही लोग हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई बात है तो उससे वह हमें अवगत करा दें हम जांच करके उनके खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिये दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को व्यक्त किया है परन्तु पूरे उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है कि जो विभिन्न नर्सिंग होम हैं वहां पर बोर्ड पर राजकीय चिकित्सकों के नाम लिखे गये हैं कि फलां डाक्टर इस नर्सिंग होम में अपनी सेवा दे रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी कोई एक ऐसा दल गठित करके इन नर्सिंग होमों की जांच करायेंगे तथा उनकी मान्यता को समाप्त किया जायेगा और साथ ही ऐसे डाक्टरों के ऊपर कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि लाख प्रयत्नों के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए डाक्टर लोगों का जो समय है, 5 और 6 घण्टा सरकारी सेवा के लिये सुरक्षित करके शेष समय के लिये उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस पर छूट देने पर सरकार विचार करेगी ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम किसी भी चिकित्सक को प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये परमीशन नहीं देंगे, यदि माननीय वर्मा जी के संज्ञान में किसी ऐसे नर्सिंग होम का नाम हो जहां पर सरकारी चिकित्सक का बोर्ड में नाम लिखा हो उससे वह हमें अवगत करा दें हम जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी ने यह जानना चाहा है कि क्या कोई एक ऐसा दल गठित करके नर्सिंग होमों का सर्वे करायेंगे जहां पर नाम पट्टिका में सरकारी चिकित्सक का नाम अंकित है ? और ऐसे

डाक्टरों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे और दूसरा उन्होंने यह पूछा था कि एक निश्चित समय डाक्टरों का निर्धारित करके शेष समय के लिये प्राइवेट प्रैक्टिस हेतु छूट देने पर विचार करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि नर्सिंग होमों पर नियंत्रण करने के लिए जो हमारे लोकल बाडीज हैं उनके माध्यम से व्यवस्था करायी जा रही है और जो चिकित्सकों का समय कार्य करने का निर्धारित है उतने समय तो उन्हें कार्य करना है ही । कभी-कभी आकस्मिक स्थिति में भी उन चिकित्सकों की सेवा ली जाती है । किसी तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट नहीं है ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज, अम्बेडकर नगर में एक डाक्टर 15 साल से पड़ा हुआ है । मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में पी० एच० सी० पर कोई भी डाक्टर नहीं है जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है । इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कमलापुर में पी० एच० सी० बनी हुई है वहां पर कोई डाक्टर नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी वहां पर तत्काल डाक्टरों की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप इसका संज्ञान ले लीजिए ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सरकार के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वह नर्सिंग होमों पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने से डाक्टरों को रोक सके तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे डाक्टर जो प्राइवेट नर्सिंग होमों में प्रैक्टिस करते हैं उनकी जो आय होती है क्या उसका 50 प्रतिशत राजस्व उनसे प्राप्त कर राजकोष में जमा करायेंगे जिससे गरीबों को मुफ्त दवा मिल सके ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता ही दिया है कि सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट नहीं दी जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किन्हीं भी परिस्थिति में अपने विशेषज्ञ डाक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट नहीं देंगे ? आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि आज कई डाक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स भी प्राप्त कर रहे हैं । मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज इस मद में कितना रुपया प्रदेश सरकार व्यय कर रही है ? क्या शासन इस धनराशि की बचत के लिए कोई आप्शन ओपेन रखेंगे कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन्हें नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं पाल साहब को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 70 लाख रुपये नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स के रूप में सरकार का जा रहा है चूंकि सरकार यह दृढ़ संकल्पित है कि जो भी चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े चिकित्सीय अधिकारी हैं उनसे जनता को स्वास्थ्य सेवायें दिलायेंगे । प्राइवेट प्रैक्टिस की कोई छूट नहीं दी है । पूरे प्रदेश के लोगों को अपने चिकित्सकों द्वारा स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे । एन० पी० ए० की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु क्या प्रभावी कदम हैं ? आज भी ऐसे चिकित्सक हैं जो 10, 12 साल एक ही स्थान पर नियुक्त होने के बाद अगल-बगल के चिकित्सालयों में स्थानान्तरण

करा लेते हैं और स्थाई रूप से मकान बनाकर या सरकारी आवास उन्हें जो आवंटित हैं उसी में रहकर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं । क्या ऐसे चिकित्सकों को दण्डित करेंगे जो स्थानान्तरण होने के बाद भी उसी चिकित्सालय में जहां वो पूर्व में रह रहे थे आवास को खाली न करके इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

माननीय सदन को अवगत कराया है कि जो भी प्रकरण इस तरह के संज्ञान में आ रहे हैं उस पर कार्यवाही की जा रही है । माननीय सदस्य के संज्ञान में इस तरह का कोई प्रकरण हो तो बतायें हम उस पर कार्यवाही करेंगे । प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट देने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

*2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम से निकलने वाले गन्दे कचरे के निस्तारण की जानकारी

*3—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम से निकलने वाला गन्दा कचरा जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ? यदि हां, तो इसके स्थायी निस्तारण हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० राम बाबू हरित–

जी हां ।

जी हां ।

राजकीय चिकित्सालयों में हास्पिटल वेस्ट प्रबन्धन किये जाने हेतु बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हैन्डलिंग अधिनियम, 1998 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा-साधा पर्यावरण और जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मैंने जानना चाहा था कि यह जो सरकारी अस्पताल हैं और जो निजी अस्पताल हैं और नर्सिंग होम हैं, उनसे जो बहुत बड़ी मात्रा में अस्पतालीय कचरा निकलता है वह जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये बहुत गम्भीर खतरा बनता जा रहा है । इसके निस्तारण हेतु सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? इन्होंने अपने उत्तर के अन्तिम पैरा में यह बताया कि 98 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 98 के जो प्राविधान हैं, वह क्या हैं ? इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने एक अंश का उत्तर दिया कि सरकारी अस्पतालों में 98 के प्राविधानों को लागू किया गया है वह भी उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राविधान क्या हैं और उन प्राविधानों को सरकारी अस्पतालों में लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि एक तरफ सरकारी अस्पताल बहुत सीमित संख्या में हैं दूसरी तरफ हर जिले में हर नगर में बहुत बड़ी संख्या में नर्सिंग होम खुले हैं और लगातार खुलते जा रहे हैं उनसे भी बहुत बड़ी मात्रा में इसी तरह से कचरा निकलता है । आपने इसके लिये क्या व्यवस्था की है कि इस तरह के कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह 98 का अधिनियम है उसके अन्तर्गत भण्डारण, परिवहन, पैकेजिंग उपचार एवं निस्तारण हेतु कार्य करते हैं। इसको हमने श्रेणियों में बांटा हुआ है जैसे जैविक टिश्यू और शारीरिक अंग इसी तरह से श्रेणी दी है इसमें जानवर वेस्ट है इसमें एनीमल टिश्यू, आर्गन शारीरिक अंग हैं इसको इन्सिनिरेटर से जलाकर उसकी राख को गहरा गड्ढा खोदकर दबाया जाता है। तीसरी श्रेणी जो है इसमें माइक्रोबायोलोजी एवं बायोटेक्नोलोजी वेस्ट पैथोलाजिक लेबोरेटरी से निकला संक्रमित कचरा है उसको आटो क्लैविंग/माइक्रोवेविंग एवं इन्सिनिरेटर से समाप्त करते हैं। श्रेणी चार मे वेस्ट शार्प, निडिल, सिरिंज ब्लेड आदि जो है इसको केमीकल ट्रीटमेंट से विसंक्रमित कर आटो क्लैविंग माइक्रोवेव तथा तत्पश्चात् उनकी तुड़ाई करके समाप्त करते हैं। श्रेणी पांच में कालातीत तथा टौक्सिक दवायें हैं इसको इन्सिनिरेशन एवं इस प्रकार की दवाओं के जर्मीन में गाड़कर नष्ट करते हैं। श्रेणी छ है इसमें मेडिकल वेस्ट है इसको आटो क्लेविंग माइक्रोवेविंग से समाप्त करते हैं। श्रेणी सात है इसमें खून से लगे काटन, ड्रेसिंग प्लास्टर, गाज वेन्डेज, ट्यूबकैथेटर आदि आई०बी० सेट इसको भी आटो क्लेविंग माइक्रोवेविंग से समाप्त किया जाता है। श्रेणी आठ में लिक्विड वेस्ट, लेबोरेटरी से निकले तरल कचड़े, धुलाई तथा सफाई से निकले कपड़े हैं इसका रसायनिक उपचार कर नाली में बहाया जाता है। श्रेणी नौ है इसमें इन्सीनिरेशन की राख आती है इसको गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। श्रेणी दस में रसायनिक वेस्ट आते हैं इसको रसायनिक उपचार कर गहरे गड्ढे में डाल देते हैं। इसी तरह से पांच सौ शैय्या युक्त अस्पतालों में इन्सीनिरेटर की व्यवस्था की गई है। बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ एवं यू०एच०एम० चिकित्सालय कानपुर 500 शैय्या से अधिक के चिकित्सालय हैं इन दोनों में इन्सीनिरेटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ नर्सिंग होम के संदर्भ में कहा गया मान्यवर, नगर निगम में एक इन्सीनिरेटर लगाया गया है। नगर निगम की बैठक हुई थी उसमें तय नहीं हो पाया। जो कचरा नगर निगम समाप्त करेगा उसमें 26 लाख का प्रोजेक्ट लगा है। नगर निगम 386 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 10 नर्सिंग होम का चालान किया गया है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं पांच सौ शैय्या के ऐसे कितने अस्पताल हैं प्रदेश में, जिनमें आपके द्वारा इन्सीनिरेटर की व्यवस्था की गई है और कहां पर व्यवस्था करना बाकी है। जो व्यवस्था लखनऊ नगर निगम में की जा रही है प्रदेश के सभी महानगरों में ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मैंने अवगत कराया कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ और कानपुर अस्पताल 500 शैय्या से अधिक है यहां व्यवस्था कर दी गई है। उच्च न्यायालय का आदेश आया है इसमें मथुरा को इन्सीनिरेटर की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे तब इसको सुनिश्चित कर लेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या प्रदेश सरकार अन्य नगर निगमों में भी जिस प्रकार से लखनऊ नगर निगम में व्यवस्था है, अन्य महानगरों में भी व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए हम व्यवस्था करेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि जिस प्रकार से लखनऊ नगर निगम में है उसी प्रकार से अन्य नगरों में, पैसा तो नगर निगम लगावेगा, तो क्या हमारे मेरठ में भी लगानें पर विचार करेगी पैसा तो हम जुटा ही लेंगे ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों से निकलने वाला कचरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसके लिए हम अधिनियम में व्यवस्था कर रहे हैं । हमारे एस०एन०मेडिकल कालेज, आगरा का जो कचरा है, उन्होने व्यवस्था की है, माननीय मंत्री जी ने निरीक्षण भी किया था और चिकित्सा अधिकारी ने बताया था कि नगर निगम से करार किया गया हैं और प्रतिदिन वहां पर वाहन आता है बिना किसी प्रक्रिया अपनाये हुए क्योंकि हानिकारक है तो सीधा उसमें डाल दिया जाता है । तो न डाला जाय इसके लिये कोई व्यवस्था करायेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, जो वह सरकार के संज्ञान में लाये हुए हैं इसका परीक्षण कराकर जो भी वित्तीय संसाधन होंगे उसको देखते हुए कार्यवाही की जायेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, शासकीय चिकित्सालयों में तो वित्तीय संसाधनों की कमी हो सकती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि नर्सिंग होम के लिये भी क्या यह कम्पलसरी करायेंगे कि उसके लिए इन्सूलेटर का होना आवश्यक है । जो वेस्टेज हैं उसको हटाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, पर्यावरण विभाग के द्वारा इसको सुनिश्चित कराया जाता है। नर्सिंग होम का नियंत्रण के लिए हम विचार कर रहे हैं जो भी कार्यवाही होगी वह हम करेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पर्यावरण इसमें कहां से आ गया । इन्होंने अभी कहा कि हम कठोरता से नियम बनाने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

प्रदेश के अन्दर हर अस्पताल के अन्दर बहुत गन्दगी फैली हुई है और क्या अस्पतालों के अन्दर पान, बीड़ी, सिगरेट को बन्द कराने तथा इसे संज्ञेय अपराध घोषित करने पर विचार करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इस पर हम विचार कर रहे हैं । जरूरत होगी तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अस्पताल हैं या नर्सिंग होम हैं जो कचड़ा फेंक देते हैं उसको क्लेक्ट करने का कौन सा उपाय किया है या ऐसी कोई योजना बनायी है जिसमें वे नगर निगम द्वारा व्यवस्था में कचड़ा जमा करें या नगर निगम अपने स्तर से वह कलेक्ट करायें ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, लखनऊ में यह व्यवस्था हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं । जैसा वित्तीय संसाधन की स्थिति सरकार की होगी उसके अनुसार हम व्यवस्था करायेंगे । नगर निगम द्वारा चालान आदि के भी व्यवस्था करते हैं जिससे गन्दगी बाहर न फैले ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में हैजा एवं मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों के बचाव हेतु कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हैजा एवं मलेरिया के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों के बचाव हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस बारे में कोई स्थायी कार्यक्रम बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसकी रूपरेखा क्या है ?

डा० राम बाबू हरित–

जी हां ।

हैजा एवं मलेरिया के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों के बचाव हेतु उठाये जा रहे प्रभावी कदम का विवरण निम्नवत् है :–

1—हैजा की रोकथाम हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें नगर विकास, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक की जाती है ।

2—कार्य योजना के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी समन्वय समितियों का गठन किया जाता है तथा राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर चौबीस घन्टे कार्यरत रहने वाले नियंत्रण कक्षों की स्थापना की जाती है ।

3—मलेरिया रोग से बचाव हेतु सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पाक्षिक अन्तराल पर भ्रमण कर ज्वर रोगियों की रक्त पट्टिकायें माह मार्च, 99 तक बनायी जाती थी, अब यह कार्य ग्राम पंचायतों के ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा औषधि वितरण कर पूर्ण किया जा रहा है ।

4—चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वा० केन्द्रों के मलेरिया क्लीनिक में भी ज्वर रोगियों की रक्त पट्टिकायें बनायी जाती हैं, जिनको सम्भावित मलेरिया का रोगी समझा जाता है, उन्हें तथा इस ज्वर रोगियों को मलेरिया का प्रिजम्पटिव उपचार प्रदान किया जाता है ।

5—मलेरिया रोग वाहक मच्छरों के काटने से बचने, इनके प्रजनन स्थानों को कम करने, ज्वर होने पर तत्काल उपचार करने और कीटनाशक छिड़काव आदि में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है ।

6—भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण करने वाले मलेरिया संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में डी०टी०टी०/मैलथियान/सिन्थेटिक पाइरीथ्राइट कीटनाशक का छिड़काव माह मई से अक्टूबर तक कराया जाता है ।

7—हैजा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में तथा सम्पूर्ण प्रदेश में हैजा से बचाव के लिए जन-मानस को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नियमित रूप से कुओं के विसंक्रमण के अतिरिक्त जल निगम/जल संस्थान द्वारा क्लोरीनेशन किया जाता है । पेयजल की गुणवत्ता बनी रहे, इस हेतु नियमित रूप से ओ०टी० टेस्ट किये जाते हैं ।

8—राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, पाइप लाइन की लीकेज में मरम्मत, सफाई व्यवस्था बनाये रखे जाने पर बल दिया जाता है तथा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

9—हैजा धनात्मक रोगियों की पहचान होने पर उस क्षेत्र में युद्धस्तर पर कार्यवाही कर रोग के प्रसार को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे स्थानों पर वृहद् रूप से ट्रेटासाइक्लीन आदि औषधियों का वितरण किया जाता है, तथा नियमित सर्वेक्षण कर नये रोगियों की खोज एवं उपचार कर नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर हैजा एवं मुलेरिया नियंत्रण हेतु कार्यक्रम चल रहा है एवं उन्हीं निर्देशों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अतः राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई स्थायी कार्यक्रम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, उत्तर काफी लम्बा है पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मुझे स्मरण आ रहा है कि माननीय सदस्यों ने अन्य नियमों में भी सूचना दी हुई है, हैजा एवं मलेरिया के प्रकोप से सम्बन्धित। इसलिये इसमें एक घण्टे की चर्चा परसों के लिए स्वीकृत कर लेते हैं। यह उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश में कृषि उपज बढ़ाने हेतु "बौछार सिंचाई परियोजना" लागू होने वाले जनपदों एवं वांछित लक्ष्य सम्बन्धी जानकारी

*2—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि उपज बढ़ाने एवं पानी की बचत के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा विगत वर्ष 1998 में प्राप्त "बौछार सिंचाई परियोजना" किन-किन जनपदों में लागू की गयी है ? क्या उक्त योजना का वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिव शंकर सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

सूचना एकत्र की जा रही है, यह उत्तर आया है तो यह तो स्थगित हो जायेगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा नवम्बर का प्रश्न है मेरा आरोप है सरकार जानबूझ कर उत्तर देना टाल रही है इसे इसी सत्र में दिलायें।

श्री शिव शंकर सिंह–

मान्यवर, यह कृषि से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि इसमें पर्याप्त समय हो गया है, इसे जल्दी मंगवा लें मंत्री जी।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में शिक्षण हेतु सीट (संख्या) बढ़ाने की जानकारी

*3—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में बढ़ती जनसंख्या एवं प्रतिभाशाली छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल कालेजों में शिक्षण हेतु सीट (संख्या) बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब नक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिजवी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या एम० सी० आई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखी जा सकती है। वर्तमान में राजकीय मेडिकल कालेजों में उपलब्ध संसाधन/व्यवस्था पहले से निर्धारित सीटों के लिये ही एम० सी० आई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त नहीं है। अतः सम्प्रति सीटों की संख्या बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एम० सी० आई० के मानक क्या हैं ? दूसरे यह बताया गया है कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं मेडिकल कालेज में तो यह उपलब्ध न होने के लिये कौन जिम्मेदार है ? तीसरा सवाल यह है कि जब यह मेडिकल कालेज 6 प्रदेश के और एक केन्द्र का, 7 मेडिकल कालेज बने तब उत्तर प्रदेश की आबादी 8–10 करोड़ रही होगी, अब 16 करोड़ हो गयी, छात्रों की संख्या भी बढ़ गयी और नये-नये अस्पताल खुलते जा रहे हैं, सीटें बढ़ाना नहीं चाहती हैं तो जब सीटें बढ़ेंगी नहीं, डाक्टर बनेंगे नहीं तो इस प्रदेश के मरीजों का क्या हाल होगा, उनको कहां से चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के लिये इतना जरूर कहना चाहती हूं कि ये सम्मानित सदस्य हैं लेकिन मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि शायद माननीय सदस्य शार्ट मेमोरी रखते हैं क्योंकि कल ही रात में स्वयं इनकी बजट में उनकी संस्तुति के साथ ही बजट पारित किया गया और उसमें बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने इस पर चर्चा की थी, मान्यवर, एम० सी० आई० के मानकों के बारे में जरूर चर्चा नहीं हुई थी लेकिन सीटों के कम होने के बारे में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया था। एम० सी० आई० के मानक, एम० सी० आई० एक्ट–1956 के तहत कुछ मानक निर्धारित किये गये थे। माननीय सदस्य चाहेंगे तो विस्तार से आपके माध्यम से उन तक पहुंचा दूंगी। यह पूरा का पूरा पम्फलेट अंग्रेजी में है। संक्षेप में मैं इतना जरूर बता सकती हूं कि कुछ मेडिकल कालेज ऐसे थे जहां पर संख्या के बारे में वहां के जो इम्पलाइज हैं उनके बारे में जो संख्या निर्धारित की गयी थी, एम० सी० आई० उन्हीं मानकों के तहत वह मानक पूरा नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से 1995 और 97 में कुछ कालेजेज में एम० सी० आई० ने यह आदेश पारित किया कि सीटों की संख्या घटा दी जाये जब तक उनके मानक पूरे नहीं हो जाते। ऐसा केवल इस वर्ष किया है हमारा प्रयास है कि राज्य सरकार पूरी तौर से इसमें चिंतित है जल्द से जल्द वह मानक पूरा कर लिया जाये, निर्धारित इन रिक्त सीटों की संख्या पूरी कर ली जाये जो पूर्व में रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं आया । एम० सी० आई० के मानक के अनुरूप मेडिकल कालेज में उपलब्धता नहीं है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मेरा तीसरा सवाल था कि आबादी इतनी बढ़ गयी है और विशेषज्ञों डाक्टरों की संख्या घट रही है तो लोगों को कैसे चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, राज्य सरकार पूरी तौर से चिन्तित है कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाया जा सके । पूर्व की राज्य सरकारें इसके लिये जिम्मेदार हैं जो पूरा नहीं करती रही हैं । एम० सी० आई० के मानक बाकी और कालेजेज पर पूरी तौर से लागू होते हैं जहां वह पूरा कर रहे हैं । केन्द्र सरकार और हमारा ऐसा प्रयास है कि किस हद तक इसको सार्थक बना सकते हैं । केन्द्र सरकार जो मानक उसमें निर्धारित हैं आबादी के लिहाज से, केन्द्र सरकार से हम वह प्रयास कर रहे हैं जो बात माननीय सदस्य ने कही है राज्य सरकार पहले ही इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि केन्द्र इसके बारे में हमें सहयोग कर सके और हमारी इस समस्या का समाधान हो सके ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शासन को निर्देशित किया है कि आगरा के मेडिकल टीचर्स एसोसियेशन की याचिका में वह 10 सप्ताह के अन्दर लोक सेवा आयोग की जितनी रिक्तियां हैं उनकी जानकारी दे । 10 सप्ताह के स्थान पर 20 सप्ताह हो गये हैं, तो क्या इस मानक को पूरा करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए, लोक सेवा आयोग को रिक्तियां भेज दी गयी हैं या नहीं । इसके अतिरिक्त लखनऊ की खंड पीठ ने जूनियर डाक्टर्स के मामले में आज से 10 साल पहले यही निर्देश दिया था । मैं मानता हूं कि वर्तमान सरकार दोषी नहीं है, लेकिन यह सरकार भी काफी समय से है । यह बता दें कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में लोक सेवा आयोग को सूचना भेजी गयी अथवा नहीं ?

डा० शीमा रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि उनकी शंका का पहले ही आंकलन कर लिया गया था और इस बारे में प्रक्रिया चल रही है । एम० सी० आई० को पूरी तरह से जानकारी भेजी जा चुकी है । जैसा कल माननीय मंत्री जी ने कहा भी था । निकट भविष्य में हमारा प्रयास यह है कि लगभग 4 महीने में यह चीज पूरी कर ली जाय ।

श्री अध्यक्ष–

उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में क्या सरकार ने सूची लोक सेवा आयोग को भेजी ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, उसकी प्रक्रिया जारी है । जो उच्च न्यायालय का निर्देश था, उससे एम० सी० आई० को अवगत करा दिया गया है । रिक्त पदों की पूर्ति के लिये प्रक्रिया चल रही है ।

(श्री केशो मेहरा के पुनः खड़े होने पर)

श्री

उत्तर आ गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

हमारी सरकार लोक कल्याणकारी और संवेदनशील सरकार है । ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में सजकीय मेडिकल कालेजों से शिक्षा प्राप्त करके चिकित्सक नौकरी करने नहीं जाते हैं, इसी

प्रकार प्राइवेट कालेजों में जो पढ़ कर निकल रहे हैं, वह भी नहीं जायेंगे । क्या सरकार इस बात की चिन्ता करके, कि आगामी आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सक उपलब्ध होते रहें, एम० सी० आई० के साथ कोई युद्धस्तर पर प्रयास किया है । दूसरी बात जानना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन लोक सेवा आयोग को अधियाचन किस दिनांक को भेजा गया और कितने पदों का भेजा गया है ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, मूल प्रश्न से बहुत जुड़ा हुआ यह प्रश्न नहीं है लेकिन इतना अवश्य है कि कल विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है, इसलिये माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, वह हमारे पास है, यदि वह पुनः विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आगे उनको उपलब्ध करा दी जायेगी ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, कल माननीय मंत्री जी ने बताया और बजट में भी लिखा हुआ है कि एम० सी० आई० की जो रिपोर्ट है, मेरठ और झांसी के जो मेडिकल कालेजेज हैं, उनका स्तर इतना निम्न हो गया है कि वहां पर पढ़ाई न के बराबर है और एम० सी० आई० ने घोषणा की है, कि इनको बन्द कर दिया जाय । ऐसी स्थिति में इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे आगे शिक्षित डाक्टर निकल सकें, इसके लिये क्या नीति बनाई गई है ? पिछली बार भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इन आश्वासनों से हमारी छवि धूमिल हो रही है । मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र जगतारी में चिकित्सालय का भवन बना हुआ है और उसका 3 साल से उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि वहां पर पूरी तरह से डाक्टरों की कमी है । ऐसी स्थिति में हम जनता के बीच कैसे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी केवल इतना बतायें कि जिन दो मेडिकल कालेजों के बारे में एम० सी० आई० ने रिपोर्ट दी है कि वहां शिक्षा, स्तर के अनुरूप नहीं हो रही है । और उन्हें बन्द करने की बात कही है । केवल इतना बता दें । मेरठ मेडिकल कालेज के बन्द होने की बात एम० सी० आई० के द्वारा कही गयी है ।

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, दो मेडिकल कालेज के बारे में माननीय सदस्या ने चिन्ता व्यक्त की है, वहां पर शिक्षकों की संख्या में कमी थी और कुछ संसाधनों की कमी थी, संयंत्रों की कमी थी । इन संयंत्रों की कमी और शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कल माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से इसके ऊपर बताया है और आगामी कुछ दिनों में उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली जायेगी और संसाधनों की उपलब्धता के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिससे मेडिकल कालेज को पूरी तरह से आज के युग से जोड़ा जा सके ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज जिसमें सीटें आधी कर दी गयी हैं, पी० जी० समाप्त कर दी गयी है, इस संबंध में बता दें ।

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, बहुत जल्द इस ओर प्रयास किया जा रहा है और अगले संत्र में सीटों की संख्या उतनी ही होगी जितनी पूर्व में थी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

जनपद लखनऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी चिकित्साधिकारियों की संख्या की जानकारी

*4—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ में कितने ऐसे चिकित्साधिकारी हैं जो सरकारी सेवा में रहते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? क्या सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या है ? क्या सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्साधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जनपद लखनऊ में तैनात एवं प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त चिकित्साधिकारियों की संख्या शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला योजनान्तर्गत हैण्डपम्पों के स्थल चयन में विधायकों की सहमति अनिवार्य करने की मांग

*5—श्री राम ललित चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल की समस्या के हल के लिये लगाये जा रहे इण्डिया मार्क हैण्डपम्पों के स्थल चयन में क्या मा० विधायकों की सहमति ली जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों के स्थल चयन में मा० विधायकों की सहमति अनिवार्य करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत दिनांक 6-8-99 को शासन द्वारा यह उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया है कि जिला योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित किये जा रहे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के स्थल चयन ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त माननीय विधायकों की संस्तुति के आधार पर 50-50 हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है।

जी नहीं।

पंचायती राज संस्थाओं को सक्षम बनाकर स्थानीय व्यक्तियों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की नीति है। अतः स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं का आंकलन उन्हीं के स्तर से किया जाना अधिक उपयोगी होगा।

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु चिकित्सालय खोलने सम्बन्धी जानकारी

*6–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिये चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

कुष्ठ रोग के प्रारम्भिक लक्षणों के आधार पर कुष्ठरोग से पीड़ित व्यक्तियों को खोजकर उन्हें उनके निवास के निकट संचालित औषधि वितरण केन्द्र पर कुष्ठ निरोधक औषधियां दी जाती हैं। उक्त के अतिरिक्त सामान्य राजकीय चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी कुष्ठ रोग के परीक्षण एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पृथक से कुष्ठ चिकित्सालय स्थापित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

नोट :–नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*7–डा० ज्ञानवती सिंह–

[दिनांक 3-5-2000 को अता०प्र०सं०–110 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में बाढ़ से तबाही हेतु कार्य योजना तथा विभिन्न जनपदों में व्यय धनराशि की जानकारी

*8–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999 में प्रदेश में बाढ़ से तबाही हुई है ? क्या सरकार वर्ष 2000 में प्रदेश में बाढ़ से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या और उस पर विभिन्न जनपदों में कितना-कितना धन व्यय किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं । बाढ़ से हुई तबाही का लेखा जोखा राजस्व विभाग से सम्बन्धित है । वर्ष 1999 में सामान्य स्तर की बाढ़ आयी थी । वर्ष 2000 में बाढ़ विभीषिका से निपटने हेतु जिला स्तरीय स्टेयरिंग ग्रुप का गठन, सिंचाई सलाहकार समिति का गठन, बाढ़ कक्षों की स्थापना, जनपद/मण्डल स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित करना, बाढ़ सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु टेलीफोन/वायरलेस संयंत्रों की स्थापना की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करायी जायेगी । उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत संवेदनशील बाढ़ कार्यों के निर्माण/अनुरक्षण की कार्यवाही मानसून से पूर्व कराये जाने वाले कार्यों हेतु धन की व्यवस्था कर ली गयी है । विभिन्न जनपदों में कुल रु० 4518.23 लाख निर्माण मद में तथा रु० 2240.00 लाख अनुरक्षण मद में व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण हेतु नीति तथा पूर्वांचल में बाढ़ की रोकथाम सम्बन्धी कार्य योजना की जानकारी

*9–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ नियंत्रण हेतु सरकार की क्या नीति है ? वर्ष 1999 में प्रदेश के पूर्वांचल में आई भीषण बाढ़ की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? इसके लिये कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य जल नीति में बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बाढ़ प्रबन्धन एवं जल निकास को जल संसाधन विकास का अभिन्न अंग सुनिश्चित करने की नीति घोषित की गयी है । वर्ष 99 में पूर्वांचल में सामान्य स्तर की बाढ़ आयी थी । बाढ़ एक दैवी आपदा है । उपलब्ध संसाधनों से इसके दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में 50-50 हैण्डपम्प लगाये जाने संबंधी निर्णय का अनुपालन करने की मांग

*10–श्री जोखूलाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल हेतु 50-50 हैण्डपम्प लगाये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय का वित्तीय वर्ष 1999-2000 वर्ष में अनुपालन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत धन के दुरुपयोग पर रोक सम्बन्धी सुझाव की जानकारी

*11–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चलायी जा रही जवाहर रोजगार योजना के धन के उपयोग में अनियमितता किये जाने के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर रोक लगाने हेतु सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई सुझाव भेजा है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के स्वरूप को बदल कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारम्भ की गयी है। अब इसके अन्तर्गत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे हैं। अतः यह पूर्ण आशा है कि स्थानीय निर्णय व पारदर्शिता के कारण अब अनियमिततायें नहीं होंगी।

जनपद बलिया, विकास खण्ड गड़वार में दस लाख कूप योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितता की शिकायत

*12–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री बिन्दु लाल, श्री तेजभान सिंह तथा श्री सुशील शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के अन्तर्गत विकास खण्ड गडवार में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में स्वीकृत रुपया 69,71,800–00 की धनराशि में से रुपया पैंसठ लाख बिना कार्य कराये ही आहरित कर लिये जाने के संबंध में श्री एस०आर० लाखा, आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल ने अर्ध-शासकीय पत्र संख्या–734/वैस०/99–200 दिनांक 18-11-99 मुख्य सचिव को भेजकर जिलाधिकारी, बलिया मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाने एवं धनराशि की वसूली करने की कार्यवाही के संबंध में अनुमति मांगी गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराने के लिए शासन स्तर से मुख्य विकास अधिकारी, बलिया को निर्देशित किया गया है तथा अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समितियों का कार्यकाल समाप्त होने तथा उनके निर्वाचन की जानकारी

*13–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समितियों का कार्य काल समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उनके चुनाव कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हां। दिनांक 10 जुलाई, 1998 को गन्ना समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया।

चुनाव कराये जाने की प्रक्रिया चल रही है।
प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में तदर्थ रूप में कार्यरत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण की मांग

*14–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 12 वर्षों से तदर्थ रूप से कार्यरत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

कार्मिक विभाग की वर्तमान नीति के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 1986 तक तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी ही विनियमितीकरण हेतु पात्र हैं तथा उक्त तिथि के पश्चात् तदर्थ नियुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के विनियमितीकरण का प्रकरण परीक्षणाधीन है।

*15–डा० ज्ञानवती सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों के वस्त्रों को क्रय किये जाने संबंधी योजना की जानकारी

*16–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार बुनकरों के कल्याण हेतु उनके द्वारा उत्पादित हथकरघा वस्त्रों को उ० प्र० हथकरघा निगम द्वारा क्रय कराने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

वित्तीय संसाधनों के अभाव में ऐसी कोई योजना बनाने पर अभी विचार नहीं हो रहा है। उ० प्र० हथकरघा निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सीमित कार्यशील पूंजी से ही बुनकरों से वस्त्र क्रय किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रि-परिषद् में निर्णय के अनुसार शासकीय क्रय हेतु प्राविधानित अन्य विभागों सहित वस्त्र निगम के माध्यम से बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय किये जाने की ही योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान समय में निगम कार्यशील पूंजी के अभाव तथा आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है। अतः किसी नई योजना पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

*17–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[5वें शुक्रवार में ता० प्र० सं०–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*18–श्री विजय पाल सिंह–

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ को प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हस्तान्तरित करने तथा आरक्षण जारी रहने सम्बन्धी जानकारी

*19–श्री इलम सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय गोबिन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ को प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हस्तान्तरित

किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस पालीटेक्निक में वर्तमान में लागू 85 प्रतिशत का आरक्षण हस्तान्तरण के पश्चात् जारी रहेगा ? उक्त हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने का क्या कारण है ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

उपरोक्तानुसार ।

आर्थिक सर्वेक्षण की सूची बनाने तथा कम्प्यूटरीकृत करने की जानकारी

*20–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का आर्थिक सर्वेक्षण कराकर क्या इसकी सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो किन वर्षों में ? क्या सरकार पुनः सर्वेक्षण कराकर इसकी सूची को कम्प्यूटरीकृत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 1998-99 में पूर्ण किया गया था ।

जी नहीं ।

सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में किया जाता है । अभी इसकी आवश्यकता नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये सिंचाई विभाग को गैर योजनागत खर्च हेतु आवंटित धनराशि तथा उत्तरांचल के लिए आवंटित धनराशि की जानकारी

1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए सिंचाई विभाग को गैर योजनागत खर्च के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? उक्त आवंटित राशि में से कितना खर्च कर दिया गया है तथा कितना शेष है ? उक्त आवंटित राशि में से उत्तरांचल के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये सिंचाई विभाग को गैर योजनागत खर्च के लिए रु० 20360 लाख आवंटित हुआ, जिसमें से मार्च, 2000 तक रु० 18793.95 लाख खर्च किया गया तथा रु० 1566.05 लाख शेष रहा ।

उक्त आवंटित राशि में से उत्तरांचल के लिए रु० 419.06 लाख की धनराशि आवंटित की गयी ।

राष्ट्रीय अन्धता निवारण हेतु उपलब्ध धन तथा नेत्र रोग के निदान हेतु विशेष कैम्प अभियान आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के अधीन अन्धता निवारण हेतु वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए कितने धन की व्यवस्था की गयी है ? क्या विश्व बैंक अथवा विश्व

स्वास्थ्य संगठन से भी उक्त कार्यक्रम के लिए कोई सहायता राशि दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या नेत्र रोग के निदान के लिए विशेष कैम्प लगाकर कोई अभियान शुरू किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में आयोजनागत पक्ष में रु० 536.04 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु० 1017.26 लाख की व्यवस्था की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 13 से 17 नवम्बर, 1999 तथा 30 जनवरी से 4 फरवरी, 2000 तक आई० ओ० एल० (इन्ट्रा आकुलर लेन्स) विधि के आपरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभियान संचालित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा निवासी श्री मुरारीलाल ठेकेदार द्वारा सिंचाई विभाग में कराये गये कार्यों का भुगतान विषयक पत्र

3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुरारीलाल ठेकेदार निवासी आगरा द्वारा सिंचाई विभाग में कराये गये कार्यों का भुगतान किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/ वि०को/एम–2/27469/मथुरा/99. दिनांक 6-11-99 प्रमुख सचिव एवं सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुरारीलाल ठेकेदार द्वारा लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा के प्रथम/द्वितीय उपखण्डों में कराये गये कार्यों का अवशेष धनराशि में से रु० 29,651.00 का भुगतान कर दिया गया है ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम रजबहा तथा निजामपुर माइनर की खुदाई-सफाई की मांग

4—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के बिलग्राम रजबहा के निजामपुर माइनर की पूर्ण सफाई न होने से उसकी टेल तक पानी नहीं पहुंचने के कारण ग्राम निजामपुर, जरौली, शेरपुर, मगरौली, ऊंची व नीची मंगरौली, गुजरई, बेरौरी, वेहरी खुर्द, अलमापुर, हीरापुर, सदरपुर के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की खुदाई सफाई के आदेश निर्गत कर कृषकों की समस्या का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, निजामपुर माइनर नाम की कोई नहर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत बिलग्राम रजबहा की सफाई की मांग

5—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बिलग्राम रजबहा की पूर्ण सफाई न होने के कारण मोना माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने के कारण ग्राम बलेन्दा, जरौलीशेरपुर, अकबरपुर, पसनामऊ, बारेपुरवा तकिया, अधर्रा इत्यादि ग्रामों की जनता को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

सफाई का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6—श्री सौलत अली एडवोकेट–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब की ग्राम सभाओं के गैर अम्बेडकर गांवों को इन्दिरा आवास देने हेतु चयन आदि की जानकारी

7—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब की ग्राम सभाओं को गैर अम्बेडकर ग्रामों को इन्दिरा आवास देने हेतु वर्ष 1999–2000 में ग्राम नवीकोट नन्दना, बेहटा, बनौगा, रजौली, पैकरामऊ, अकड़रिया कला, बरगदी मंगठ, रुदही, गोहनाकला, भाखामऊ, बाहरगांव, अस्ती को किस शासनादेश व मानक के आधार पर उपरोक्त गैर अम्बेडकर ग्रामों को इन्दिरा आवास देने हेतु चयन किया गया है ? क्या इन्दिरा आवासों का चयन दो श्रेणियों में किया गया है ? यदि हां, तो क्या दो श्रेणियों के मानक व शासनादेश से अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि 133 लाभार्थियों को 20 हजार रुपया प्रति लाभार्थी तथा 276 लाभार्थियों को 10 हजार रुपया प्रति लाभार्थी देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो चयनित लाभार्थियों का चयन शासनादेश की श्रेणी के अनुसार हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विकास खण्ड बख्शी का तालाब के अन्तर्गत गैर अम्बेडकर ग्रामों का शासनादेश संख्या–2569/38-5-99-654/99, दिनांक 17-6-99 के क्रम में वर्ष 99-2000 में जनपद के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्रामों (पूर्व में प्राथमिकता वाले ग्रामों को छोड़ते हुए) चयन किया गया है ।

जी हां ।

प्रस्तर–क के अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह सही है कि 133 आवास विहीन लाभार्थियों को निर्माण हेतु रु० 20,000/- प्रति लाभार्थी तथा 269 लाभार्थियों को स्तर उन्नयन हेतु रु० 10,000/- प्रति लाभार्थी देने का निर्णय लिया गया है।

निधारित लक्ष्य के सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी द्वारा चयन की कार्यवाही शासनादेश के अनुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

४—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का गठन रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 1860 के तहत किया गया है, उ० प्र० राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 अभिकरण कर्मियों पर लागू नहीं है।

नगरपालिका परिषद्, जिला पंचायत के कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं ग्रेच्युटी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों को दिये जाने की मांग

५—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद्, जिला पंचायत के कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं ग्रेच्युटी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मचारियों को देने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

भारत सरकार से अभिमत/परामर्श प्राप्त किया जा रहा है तदोपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

10—श्री सौलत अली एडवोकेट

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा के ग्राम सेहा, पो० कोसी खुर्द के निवासियों का नहर पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक पत्र

11—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेहा, पो० कोसी खुर्द, जनपद मथुरा के निवासियों का पत्र जो नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक है विधायक कोष्ठक के पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22927/मथुरा/99, दिनांक 29-4-1999 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा स्थित वेस्टन डिपरेशन ड्रेन की खुदाई विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित वेस्टन डिपरेशन ड्रेन की खुदाई के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम/वि०को०/एम–2/22920/मथुरा/99, दिनांक 29-4-1999 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के ब्लाक फरह के ग्राम खेस्ट में सिंचाई व्यवस्था न होने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक फरह के ग्राम खेस्ट में सिंचाई की व्यवस्था न होने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22929/मथुरा/99, दिनांक 29-4-99 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के सरकारी चीनी मिलों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने विषयक पत्र

14—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० की सरकारी चीनी मिलों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28-5-1999 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी०एम/वि०को०/ एम–1/27333/हरदोई/99, दिनांक 1-11-1999 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

वर्ष 1998 में सहकारी चीनी मिलों में अवैधानिक हड़ताल में भाग लेने वाले 126 नियमित कर्मचारियों को चीनी मिल की सेवा से हटा दिया गया था । आन्दोलन से सम्बन्धित कर्मचारियों के तत्समय क्रियाकलापों एवं गतिविधियों की आवश्यक संवीक्षा के उपरान्त पुनः सेवा में लिये जाने हेतु निर्देश संघ स्तर से प्रधान प्रबन्धकों को जारी कर दिये गये हैं ।

सुल्तानपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजनान्तर्गत नियुक्त एवं छटनीशुदा कार्यकत्रियों के समायोजन की मांग

15—श्री सूर्यभान सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत नियुक्त कार्यकत्रियों की छंटनी की जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या इन कार्यकत्रियों के समायोजन की भी कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी हां।

बाल विकास परियोजना, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत केन्द्रों के सापेक्ष सात ग्राम सभा में स्वीकृत केन्द्र से आठ अधिक कार्यकत्रियां नियुक्त होने के कारण।

जी नहीं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद के लिए अभ्यर्थिनी को सम्बन्धित ग्रामसभा की स्थायी निवासिनी होना चाहिए। अतः इनका अन्यत्र ग्राम सभा में समायोजन सम्भव नहीं है।

पल्स पोलियो में कर्मचारियों को कम धनराशि वितरित करने की जांच के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-11-1999 जो पल्स पोलियो में कर्मचारियों को कम धनराशि वितरित करने की जांच के संबंध में है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र पर मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली से जांच कराई गयी। जांचोपरान्त पल्स पोलियो अभियान में कर्मचारियों को धनराशि वितरण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में तहसीलदार द्वारा संस्तुत सभी विधवा पेंशन फार्मों के लाभार्थियों को पेंशन देने की मांग

17—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर को उपजिलाधिकारी तिलहर, पुवायां, जलालाबाद, सदर की संस्तुति से दि० 1-7-1997 से दि० 1-12-1997 तक कितने फार्म विधवा पेंशन हेतु प्राप्त हुए तथा कितनी विधवाओं को उपरोक्त अवधि से पेंशन दी जा रही है ? कितने स्वीकृत फार्म कार्यालय में लम्बित हैं ? क्या सरकार उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार की संस्तुति वाले लम्बित सभी विधवा पेंशन फार्मों के लाभार्थियों को पेंशन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

उप जिलाधिकारी से नहीं, बल्कि तहसीलदार की संस्तुति से 643 फार्म विधवा पेंशन हेतु प्राप्त हुए।

किसी को नहीं।

कार्यालय में कोई भी स्वीकृत फार्म लम्बित नहीं है।

सम्प्रति सम्भव नहीं है।

किसी नवीन लक्ष्य के स्वीकृत न होने तथा वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण समस्त पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाना, फिलहाल सम्भव नहीं है।

औषधि निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध अध्यक्ष, केमिस्ट एसोसियेशन तिलहर, जनपद शाहजहांपुर का पत्र

18—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पीर मोहम्मद अन्सारी अध्यक्ष, केमिस्ट एसोसियेशन तिलहर, जनपद शाहजहांपुर का दि० 10-12-98 का रजिस्टर्ड पत्र प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, महा औषधि नियंत्रक तथा उन्हें प्राप्त हुआ हैं जो औषधि निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत पडरी की बैठक में समिति द्वारा इन्दिरा आवासों के पात्र व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी जानकारी

19—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक चित्रकूट की ग्राम पंचायत पडरी में दि० 11-9-1999 की खुली बैठक में समिति द्वारा इन्दिरा आवासों के पात्र व्यक्तियों को चयन करके प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ? क्या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त पात्र लाभार्थियों के खाते खोलने के आदेश दिये गये थे ? क्या जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट ने चेक देने पर रोक लगा दी है ? क्या पंचायती राज व्यवस्था में जिला विकास अधिकारी को इन्दिरा आवास प्रस्तावित करने या पात्रों को चयनित करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं । दिनांक 11-9-99 को ग्राम पंचायत पडरी की समिति की बैठक नहीं हुई थी, अपितु ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई, जिसमें इन्दिरा आवास योजना में निर्धारित 20 व्यक्तियों के लक्ष्य के विपरीत 81 व्यक्तियों के चयन का प्रस्ताव किया गया है ।

जी नहीं । खण्ड विकास अधिकारी, चित्रकूट द्वारा नियमों के विपरीत बिना जांच किये 20 व्यक्तियों के खाते खोलने के आदेश दिये गये थे । जिसमें से जांचोपरान्त अपात्र पाये गये 15 लाभार्थियों के चेक निर्गत करने पर रोक लगा दी गयी है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां । दोषी पाये गये खण्ड विकास अधिकारी, चित्रकूट के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम को 158 ग्रामों में टेल तक पानी न पहुंचने एवं सींचपालों द्वारा फर्जी सिंचाई दर्ज की जांच विषयक पत्र

20—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के 158 ग्रामों में टेल तक पानी न पहुंचने एवं सींचपालों द्वारा फ़र्जी सिंचाई दर्ज किये जाने की जांच कराये जाने

विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी०एम/वि०को०/एम–2/26888/हरदोई, दिनांक 8-9-1999 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई कार्यशाला खण्ड कालागढ़, गढ़वाल में वरिष्ठ कार्य पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत श्री राम सनेही लाल शर्मा के मरणोपरान्त उनकी विधवा को उनके समस्त देयों के भुगतान की मांग

21—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री राम सनेही लाल शर्मा, वरिष्ठ कार्य पर्यवेक्षक के पद पर सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कालागढ़, गढ़वाल में सेवारत थे ? क्या यह सही है कि दिनांक 16-6-1999 को सेवाकाल के दौरान श्री राम सनेही लाल शर्मा की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उनकी विधवा को जी० पी० एफ० तथा अन्य देयों का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

स्व० श्री शर्मा की विधवा को पुराने वेतनमान के अनुसार देयकों का भुगतान किया जा चुका है तथा नवीन वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतन उपादान (ग्रेच्युटी) का अन्तर एवं वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित बोनस के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

राम गंगा बांध परियोजना, कालागढ़, गढ़वाल में फिटर के पद पर कार्यरत श्री हफीजुर्रहमान की सेवाकाल में हुई मृत्यु के उपरान्त उनके देयों के भुगतान की मांग

22—श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री हफीजुर्रहमान वर्ष 1975 में राम गंगा बांध परियोजना, कालागढ़, गढ़वाल में ई०डी०–3 में फिटर के पद पर सेवारत थे ? क्या यह सत्य है कि सेवाकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रित को उनके देयों का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृतक का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, कार्य प्रभारित फिटर के पद पर सेवारत थे ।

जी नहीं ।

भुगतान की पुष्टि करायी जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मथुरा के गन्ना किसानों के बकाये धन के भुगतान की मांग

23—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि वर्ष 1998-99 के जनपद मथुरा के गन्ना किसानों के बकाया धन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मथुरा जनपद की छाता चीनी मिल का वर्ष 1998-99 का कोई भी गन्ना मूल्य शेष नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा स्थित लोअर कैनाल एवं अपर कैनाल सिंचाई क्षेत्रों को एक दूसरे में सम्मिलित किये जाने की जानकारी

24–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा स्थित लोअर कैनाल एवं अपर कैनाल सिंचाई क्षेत्रों को एक दूसरे में सम्मिलित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ की इकाइयों में कार्यरत श्रम कल्याण अधिकारियों को विभागाध्यक्षों की भांति आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

25—श्री राकेश सोनकर–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ की इकाइयों में कार्यरत श्रम कल्याण अधिकारियों को शासनादेश संख्या 226 /डब्लू ओ० फरवरी, 1990 के नियम 8 के अनुरूप विभागाध्यक्षों की भांति आवासीय सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सुविधा उन्हें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

संघ की 13 इकाइयों में कार्यरत श्रम कल्याण अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप विभागाध्यक्षों की भांति आवासीय सुविधा एक इकाई को छोड़कर अन्य इकाइयों में उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है । यद्यपि इकाइयों में इन्हें आवासीय सुविधा प्रदान की गयी है ।

सभी इकाइयों में मानक आवास उपलब्ध न होने के कारण श्रम कल्याण अधिकारियों को मानक के अनुरूप आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है ।

उपलब्धता के आधार पर सभी श्रम कल्याण अधिकारियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी है ।

26—श्री श्याम सुन्दर–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

27—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 29-3-2000 को अता०प्र०सं०–97 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के बिलग्राम रजबहा की सफाई हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

28—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/26889/हरदोई/99 जो हरदोई जनपद के बिलग्राम रजबहा जिसकी लम्बाई 28 कि०मी० है की सफाई हेतु धनराशि आवंटित करने के संबंध में है, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अपर कैनाल आगरा के कोसी रजबहा के मील नं० 23 पर रेगुलेटर लगवाने के संबंध में जानकारी

29—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर कैनाल आगरा के कोसी रजबहा के मील नम्बर–23 पर रेगुलेटर लगवाये जाने संबंधी प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को दण्डात्मक अधिकार देने सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी

30—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतावेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को दण्डात्मक अधिकार देने सम्बन्धी कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पर शासन द्वारा कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं, सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निधि हेतु प्रस्तावित कार्यों पर जिलाधिकारी, बांदा द्वारा समस्त धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करने की मांग

31—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निधि वर्ष 1999–2000 हेतु प्रस्तावित कार्यों पर जिलाधिकारी, बांदा द्वारा वित्तीय वर्ष के 3 माह शेष बचने के कारण समस्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं । स्वीकृत कार्यों के लिए प्रथम किस्त अवमुक्त की गयी है ।

प्रथम किस्त के उपभोग के पश्चात् शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्राविधान है ।

जनपद हरदोई में बिलग्राम–रजबहा की सफाई हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

32—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर संख्या–सी 1882/887 पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/126887/99 जो बिलग्राम–रजबहा जिसकी लम्बाई 28 कि०मी० है की सफाई कराने के संबंध में है मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड चित्रकूट व विकास खण्ड पहाड़ी में क्रमशः ग्राम पंचायत नारायनपुर व टेहरूबमाफी में दो सामुदायिक सिंचाई लघु लिफ्ट निर्माण सम्बन्धी जानकारी

33—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड चित्रकूट व विकास खण्ड पहाड़ी में क्रमशः ग्राम पंचायत नारायनपुर व टेहबरूबमाफी में वित्तीय वर्ष 1997-98 में डी० आर० डी० ए० चित्रकूट की बैठक में एस०आर०वाई० (सुनिश्चित रोजगार योजना) से दो सामुदायिक सिंचाई लघु लिफ्ट निर्माण हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्यों हेतु कितना-कितना धन दिया गया है और अब तक कितना कार्य हो चुका है ? अवशेष कार्य पूर्ण कराने हेतु शेष धन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

सुनिश्चित रोजगार योजना से श्रमांश मद की धनराशि क्रमशः ग्राम नारायनपुर को रु० 1.75 लाख एवं ग्राम टेहरूवमाफी को रु० 1.50 लाख दी गयी है ।

पाइप तथा पम्प हाउस का कार्य किया गया है ।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । अवशेष राशि बुन्देलखण्ड विकास निधि से माननीय क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, गोण्डा द्वारा कालातीत दर अनुबन्ध से सामानों के क्रय करने की शिकायत

34—श्री राम प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कालातीत दर अनुबन्ध से सामानों की खरीद की जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्या मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, गोण्डा ने दर अनुबन्ध जो दिनांक 30-9-99 को समाप्त हो गयी थी उसी दर अनुबन्ध पर आवरन/गुड्स की आपूर्ति हेतु एम० एस०बी०वी०एन० इण्टरप्राइजेज, लखनऊ से माह दिसम्बर, 1999 में आपूर्ति हेतु मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार सी०एम०एस० के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद श्रावस्ती में "विपिन मेडिकल्स" दुकान बिना लाइसेन्स और फार्मेसिस्ट के चलने की शिकायत

35—श्री राम प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि पयागपुर बस स्टेशन, जनपद श्रावस्ती में "विपिन मेडिकल्स" एलोपैथिक दवाओं की फुटकर बिक्री की दुकान बिना वांछित लाइसेंस और फार्मेसिस्ट के चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं। "विपिन मेडिकल्स" को ड्रग एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट-1940 के प्राविधान अन्तर्गत फार्म–20 एवं फार्म–21 पर क्रमशः लाइसेन्स संख्या–56/98 एवं 97-98 स्वीकृत है। क्वालिफाइड परसन/रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट के रूप में श्री हरेन्द्र प्रसाद शुक्ल का नाम अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, माधोगंज तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुरसठ में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की मांग

36—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, माधौगंज तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकि० कुरसठ, जनपद हरदोई में विगत कई वर्षों से चिकित्साधिकारी नियुक्त नहीं हैं ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, माधोगंज (हरदोई) में डा० गजेन्द्र सिंह तैनात थे जिन्ह तैनाती कतिपय कारणों से अक्टूबर, 1999 में निरस्त कर दी गयी थी। राजकीय आयुर्वेदि चिकित्सालय, कुरसठ (हरदोई) में डा० शशिकान्त दुबे चिकित्साधिकारी तैनात हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, माधोगंज, हरदोई में स्थानान्तरण सत्र में किर चिकित्साधिकारी की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में सण्डीला स्थित इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

37—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि संडीला, जनपद हरदोई स्थित इंडस्ट्रियल कोआपरेटि स्टोर की करोड़ों रुपये की भूमि पर स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो व सरकार उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी हां।

भूमि का स्वामित्व सहकारी समिति का है तथा अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध समिति सिविल कोर्ट हरदोई में वाद दायर किया है। इस प्रकार वर्तमान में यह विवाद मा० न्यायालय के समः विचाराधीन है।

जनपद हरदोई में स्व० शिवरतन लाल टाटधारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधौगंज में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

38—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० शिवरतन लाल टाटधारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधौगंज, जनपद हरदोई में बाल रोग विशेषज्ञ, दन्त रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, पैथोलाजिस्ट व कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन पर नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्व० शिवरतन लाल टाटधारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधौगंज, जनपद हरदोई में बाल रोग विशेषज्ञ, पैथोलाजिस्ट व कनिष्ठ लिपिक का पद स्वीकृत नहीं है; परन्तु स्त्री रोग विषेषज्ञ, डयोलाजिस्ट व दन्त चिकित्सक का पद स्वीकृत है जो वर्तमान में रिक्त हैं।

लोक सेवा आयोग मे चयनित अभ्यर्थी/चिकित्सक उपलब्ध होने पर शीघ्र ही नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई में रूपापुर चीनी मिल के अन्तर्गत पुसेड़ा गन्ना क्रय केन्द्र पुनः खोले जाने की जानकारी

५–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुसेड़ा गन्ना क्रय केन्द्र बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार गन्ना किसानों के हित में जनपद हरदोई में रूपापुर चीनी मिल के अन्तर्गत पुसेड़ा गन्ना क्रय केन्द्र पुनः खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद हरदोई में पुसेड़ा गन्ना क्रय केन्द्र को बन्द नहीं किया गया है बल्कि यहां पर गन्ने की उपलब्धता कम होने के कारण इसे क्रय केन्द्र मलिहामऊ पर सम्बद्ध करके संचालित किया गया है और वहां पर उपलब्ध गन्ने की खरीद की जा रही है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद एवं आगरा में चूहरपुर नाला के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

६–श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चूहरपुर नाला, जिला फिरोजाबाद आगरा के निर्माण हेतु वर्ष 1974 में अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा उसके कास्तकारों को दे दिया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा उसके कास्तकारों को कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चुहरपुर नाले के निर्माण हेतु जनपद फिरोजाबाद की कोई जमीन अधिग्रहीत नहीं की गयी। जनपद आगरा की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में जिलेदार के रिक्त पदों तथा आजमगढ़ में रिक्त सींच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जानकारी

७–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में जिलेदार के कितने पद सृजित तथा कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या जिलेदारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति उक्त रिक्त पदों पर की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चतुर्थ मण्डल सिंचाई कार्य, आजमगढ़ में विगत 3 वर्षों से सींच पर्यवेक्षक पद का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की पद स्थापना अभी तक नहीं हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों? जिलेदार पद पर प्रोन्नत के फलस्वरूप रिक्त सींच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग में जिलेदार के कुल 631 पद सृजित हैं जिनमें 603 पद मैदानी संवर्ग में तथा 28 पद पर्वतीय उपसंवर्ग में सृजित हैं। मैदानी संवर्ग में 52 पद रिक्त हैं।

अन्यथा अर्ह पाये जाने पर ज्येष्ठता क्रम में रिक्ति की उपलब्धता पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ में चतुर्दशम मण्डल, सिंचाई कार्य स्थित है न कि चतुर्थ मण्डल, सिंचाई कार्य। उक्त मण्डल में विगत दस वर्षों में मात्र कार्यप्रभारित अधिष्ठान के 05 अभ्यर्थियों को सींच पर्यवेक्षक पद का प्रशिक्षण दिया गया, परन्तु उनका धारणाधिकार नलकूप मण्डल, आजमगढ़ में होने के कारण इनकी सींच पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति इस मण्डल द्वारा नहीं की जानी है क्योंकि पद खंडीय स्तर का है। उक्त मण्डलान्तर्गत शारदा सहायक खण्ड–30 में सींच पर्यवेक्षक पद का प्रशिक्षण प्राप्त एक मात्र उपलब्ध अभ्यर्थी की नियुक्ति खण्ड में पद रिक्त न होने के कारण नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार पद रिक्त होने पर सींच पर्यवेक्षकों के पद पर नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर में 25 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

42—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर में शासन द्वारा दिये गये 25 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों में अनियमितताओं के संबंध में था प्राप्त हुआ है ? क्या यह सच है कि मंत्री जी ने उपरोक्त पत्र जांच के लिये दि० 26-3-1999 को अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, शाहजहांपुर को आदेशित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

जी नहीं अपितु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा दि० 26-03-99 को मा० विधायक का पत्र जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, शाहजहांपुर को भेजा गया था। विधान सभा क्षेत्र तिलहर में अधिष्ठापित कराये गये 25 हैण्डपम्पों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ से करायी गयी एवं प्राथमिक जांच के आधार पर दो सहायक अभियन्ता एवं दो जूनियर इंजीनियरों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच का निर्णय लिया गया है। जांच रिपोर्ट की विवेचना की जा रही है। विवेचना के पश्चात् दोषी कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डादेश पारित किये जायेंगे।

जनपद बाराबंकी, विकास खण्ड देवा की ग्राम पंचायत टौली खुर्द में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की जांच की मांग

43—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत विकास खण्ड देवा की ग्राम पंचायत टौली खुर्द को वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कुल कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत प्रदान की गयी ? प्रदत्त धनराशि से कुल कितने मीटर खड़ंजा निर्माण, पुलिया निर्माण कराया

गया तथा निर्माण कार्य में कुल कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या यह सही है कि ग्राम–प्रधान द्वारा उक्त कार्य न कराकर फर्जी मस्टर रोल, बिल बाउचर लगाकर भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच कराकर दोषी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विकास खण्ड देवा में टौली खुर्द नाम से कोई ग्राम पंचायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद औरैया, विकास खण्ड भाग्यनगर की ग्राम पंचायत मुडैना राम दत्त में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच की मांग

44—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद औरैया अन्तर्गत विकास खण्ड भाग्यनगर की ग्राम पंचायत मुडैना राम दल को वर्ष 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में कुल कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत प्रदान की गई ? प्रदत्त धनराशि से कुल कितने मीटर खड़न्जा निर्माण, पुलिया निर्माण कराया गया है ? निर्माण कार्य में कुल कितने मानव दिवस सृजित किये गये थे ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा मौके पर कार्य न कराकर फर्जी मस्टर रोल बिल बाउचर लगाकर भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच कराकर दोषी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद औरैया अन्तर्गत विकास खण्ड भाग्यनगर की ग्राम पंचायत मुडैना रामदत्त को वर्ष 1996-97 में रु० 38005/- वर्ष 1997-98 में रु० 35219/- एवं वर्ष 1998-99 में रु० 44277/- कुल रु० 117501/- की धनराशि जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्रदान की गयी।

प्रदत्त धनराशि से ग्राम पंचायत द्वारा 207 मी० खड़ंजा/पड़ंजा तथा 1071 मीटर सम्पर्क मार्ग एक कूप मरम्मत एवं 3012 पौधे खरीद कर ग्रामवासियों को निःशुल्क वितरित किये गये। उक्त अवधि में कुल 951 मानव दिवस सृजित किये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

45—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 29-3-2000 को अता०प्र०सं०–115 द्वारा उत्तरित]

46—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 27-4-2000 को अता० प्र० सं०–56 द्वारा उत्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद में निर्मित डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

47—श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–फर्रुखाबाद में निर्मित 300 शैय्याओं के डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल 300 शैय्या का निर्माण कराया गया था ? क्या उसमें अभी तक आवश्यक सुविधायें मरीजों को नहीं दी जा रही हैं ? क्या सरकार उक्त अस्पताल में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं, प्रश्नगत चिकित्सालय 300 शैय्याओं का बनाया जाना है जिसके ओ० पी० डी० ब्लाक तथा इमरजेंसी ब्लाक पूर्ण हो चुके हैं और इसे क्रियाशील भी कर दिया गया है। वार्ड ब्लाक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जी नहीं, ओ० पी० डी० एवं इमरजेंसी के मरीजों को आवश्यक सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में नये चिकित्सालय खोलने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में प्रभारी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध न कराने से स्वीकृत धनराशि राज्यसात होने पर कार्यवाही की मांग

48–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला योजना वर्ष 1999-2000 जनपद मिर्जापुर में नये चिकित्सालय खोलने हेतु छः लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? क्या यह सही है कि प्रभारी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा समय से वांछित सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण स्वीकृत धनराशि राज्यसात हो गयी ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1999-2000 में रु० 6 लाख की वित्तीय स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी थी बल्कि जिला योजना के अन्तर्गत रु० 6 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया था।

सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त हुआ लेकिन आय-व्ययक प्राविधान के माध्यम से धनराशि स्वीकृत नहीं थी, अतएव उसके राज्यसात होने का प्रश्न नहीं है।

नई मांगों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी। इसके लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अंतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कारगिल शहीदों की याद में विधायक निधि से स्मारक बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारगिल के शहीदों की याद में विधायक निधि से स्मारक बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सी०एम०/वि०को०/एम/3705/99(85) मैनपुरी दिनांक

30-11-99 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

विधायक निधि का मूल उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य कराया जाना है । शहीद स्मारक का निर्माण ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है । इस हेतु एक अलग सांस्कृतिक कार्य विभाग है । इसी विषय से सम्बन्धित नियम–51 के अन्तर्गत मा० विधायक द्वारा दी गयी सूचना से सम्बन्धित वक्तव्य 5 जनवरी, 2000 को दिया जा चुका है ।

तदैव ।

50—श्री विश्वनाथ–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, फैजाबाद द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फैजाबाद से सम्बन्धित मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना .–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री के जनपद–फैजाबाद में दिनांक 12 दिसम्बर, 1999 को आगमन पर जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल, फैजाबाद द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फैजाबाद से सम्बन्धित पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रेमण्डल–लखनऊ से करवायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत रुड़की में जीप दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने की मांग

52–श्री विजेन्द्र आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत रुड़की में दिनांक 20–8–88 को जीप दुर्घटना में किन-किन कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी ? क्या उन कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दुर्घटना में निम्न तीन कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी :—

(1) श्री आर० पी० अग्रवाल, अवर अभियन्ता, ऊपरी गंगा नहर, आधु० खण्ड–प्रथम, रुड़की।

(2) श्री बी० आर० वार्ष्णेय, अवर अभियन्ता, ऊपरी गंगा नहर आधु० खण्ड–प्रथम, रुड़की।

(3) श्री हरवीर सिंह, चालक, ऊपरी गंगा नहर आधु० खण्ड–प्रथम रुड़की ।

क्रमांक–1 व 2 पर अंकित कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा सेवा में रखे जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके आश्रितों को सेवा में नहीं रखा गया तथा क्रमांक–3 पर अंकित कर्मचारी की पत्नी श्रीमती राजेश्वरी देवी को उनकी शैक्षिक योग्यतानुसार मृतक आश्रित के रूप में सेवा में रखा गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनलालगंज, लखनऊ के उच्च न्यायालय में चल रहे वादों की पैरवी का कार्य फील्ड वर्कर से कराये जाने की शिकायत

53–श्री राम औतार मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जनाकारी है कि सामुदायिक स्वा० केन्द्र, मोहनलालगंज, लखनऊ पर दो वरिष्ठ लिपिक एवं दो कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति होने के उपरान्त भी अधिष्ठान का समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य एवं माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे वादों की पैरवी का कार्य जून, 1996 से जनवरी, 1999 तक फील्ड वर्कर (स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष) से कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिये तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ से इसकी अनुमति प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण में दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत में कुष्ठ रोग चिकित्सालय खोले जाने की मांग

54—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनपद बागपत में कुष्ठ रोग चिकित्सालय खोला जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुष्ठ रोग के प्रारम्भिक लक्षणों के आधार पर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को खोजकर उसे उसके निवास के निकट संचालित औषधि वितरण केन्द्र पर कुष्ठ निरोधक औषधियां दी जाती हैं । सामान्य राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुष्ठ परीक्षण एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं । भारत सरकार द्वारा पृथक कुष्ठ चिकित्सालय स्थापित किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

मथुरा तथा वाराणसी जनपदों में भिक्षुक गृह बनाने की मांग

55—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा तथा वाराणसी जनपदों में भिखारियों एवं भिखारिनों के रहने के लिए कोई आवास या धर्मशाला बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वर्तमान में जनपद मथुरा, वाराणसी में एक-एक भिक्षुक गृह संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में उपचारिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

56–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में उपचारिकाओं के कितने पद रिक्त हैं? उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तरांचल क्षेत्र में उपचारिकाओं के कुल 151 पद आरक्षित श्रेणी के अर्ह प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त हैं।

आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में लोअर एवं अपर कैनाल आगरा से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने विषयक पत्र

57–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र मथुरा में किसानों को लोअर कैनाल, आगरा एवं अपर कैनाल, आगरा से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को/एम–1/27964/मथुरा/99, दिनांक 2-12-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

कथित पत्र में मुख्यतः विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने का उल्लेख है, जो जल मांग के अनुसार उपलब्ध कराया गया है।

उत्तरांचल में चयनित प्रतीक्षा सूची की नीति एवं उपचारिकाओं की नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से किये जाने की जानकारी

58–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1999 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–57 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में चयनित प्रतीक्षा सूची के लिये क्या कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या उत्तरांचल में उपचारिकाओं की नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुरूप प्रतीक्षा सूची बनायी गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामो, सुल्तानपुर से बी० एच० डब्लू० के पद से सेवा निवृत्त हुए श्री गयादीन के समस्त देयों के भुगतान की मांग

59–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री गयादीन पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जामो, सुल्तानपुर से बी०एच०डब्लू० के पद से दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 को सेवा मुक्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी पेन्शन, ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ०, बीमा का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी हां।

पेंशन, ग्रेच्युटी, 50% जी० पी० एफ० तथा बीमा का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई में ग्राम राजेपुर निवासी कालिका प्रसाद को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की मांग

60–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम राजेपुर निवासी कालिका प्रसाद पुत्र देवी प्रसाद रैदास को वृद्धावस्था पेंशन अगस्त, 1998 के उपरान्त नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त को शेष अवधि की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद हरदोई में 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम राजेपुर के निवासी कालिका प्रसाद पुत्र देवी प्रसाद की वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन के प्रकरण की करायी गयी जांच के अनुसार श्री कालिका प्रसाद पुत्र श्री देवी प्रसाद अपात्र पाये गये तद्नुसार इनकी पेंशन निरस्त कर दी गयी।

अपात्र होने के कारण पेंशन निरस्त की जा चुकी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के बिलग्राम रजबहा की सफाई हेतु आवंटित धनराशि विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम रजबहा की सफाई हेतु धनराशि आवंटित कराने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को/एम–

2/26889/हरदोई/99, दिनांक 8-9-1999 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज के अन्तर्गत कुरसथ भजेहटा मार्ग से समखा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण विषयक पत्र

62–श्री विनोद मणि–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 15 मार्च, 1999 जो जनपद-हरदोई के ब्लाक–माधोगंज के अन्तर्गत कुरसथ भजेहटा मार्ग से समखा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में था, मंत्री जी तथा सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पत्र में वर्णित सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने हेतु धनराशि स्वीकृति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जलिहापुर तक सम्पर्क मार्ग पर पूर्व में ही खड़न्जा लगाया जा चुका है तथा जलिहापुर से समुखा सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन है ।

शासन द्वारा पुराने कार्यों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक पत्र

63–श्री विनोद मणि–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राज कुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1999 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 7 जनवरी, 2000 जो जनपद–हरदोई के ब्लाक माधोगंज के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में था, मंत्री जी तथा सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी, हां ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष से सुनिश्चित रोजगार योजना का कार्यान्वयन नवीन भारत सरकार के नये निर्देशानुसार किया जाना है जिसमें 70 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को 30 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत को अवमुक्त की जाती है । अतः शासन स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के बुनकरों को दस हजार तक ऋण माफी के विरुद्ध आर० सी० जारी करा कर उत्पीड़ित किये जाने की शिकायत

64–श्री राजेन्द्र यादव––

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–2214/आर०सी०/1990–1–5–89 दिनांक 30 मई, 1990 तथा शासनादेश संख्या–2888/52/1990/3 द्वारा प्रदेश के बुनकरों के 10,000/-

(दस हजार) तक के ऋण माफ कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन जनपद गाजीपुर में किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त दस हजार तक ऋण के विरुद्ध आर० सी० जारी कराकर जनपद गाजीपुर के बुनकरों को उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश के अन्तर्गत बुनकरों के ऋण की अदायगी से सम्बन्धित आर० सी० न काटने के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी, हां ।

शासन द्वारा शहरी/अर्द्ध शहरी क्षेत्र के बुनकरों को ऋण में राहत दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 7-10-93 द्वारा ऋण राहत योजना लागू की गयी । योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की 17 समितियों के 208 हथकरघा बुनकरों के ऋण रु० 9,39,831.87 माफ किये गये ।

योजना के अन्तर्गत मूलधन एवं ब्याज की निर्धारित सीमा तक आने वाले गाजीपुर के बुनकरों के विरुद्ध आर० सी० जारी करने व उत्पीड़न की कार्यवाही की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों के रिक्त चल रहे पदों को समाप्त करने की मांग

65–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–2400/60–एक–99–1/(13)/(59)/99, दिनांक 16 अगस्त, 1999 के क्रम में क्या दिनांक 31-3-1998 से पूर्व रिक्त चल रहे विभिन्न 123 पदों को समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों के दिनांक 31-3-1998 से पूर्व रिक्त चल रहे पदों को भी समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी नहीं ।

उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के पद मण्डल स्तरीय पदोन्नति के पद हैं जिनकी उपादेयता है ।

चित्रकूट में गुप्ता बांध में साइफन गेट के पास लगी बालू की बोरियां बह जाने से जल से प्रभावित डेढ़ दर्जन गांव के निवासियों को मुआवजा देने की मांग

66–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि चित्रकूट में गत 1 दिसम्बर, 1999 को चालू किये गये गुप्ता बांध में साइफन गेट के पास लगी बालू की बोरियां बह जाने से करीब डेढ़ दर्जन गांव में बाढ़ आ जाने के कारण सैकड़ों बीघा खड़ी फसल जलमग्न होकर नष्ट हो गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त बाढ़ से रैपुरा, धान, सीबो, सिंहपुर, अकरपुर, घूरेहटा आदि डेढ़ दर्जन गांव में भी जन हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव के निवासियों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण योजना में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

67–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण की योजना में सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा नयी जानकारी (शपथ-पत्र) प्रेषित किये जाने के बाद क्या शसान ने प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन में कोई संशोधन किया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? आगरा बैराज योजना पर अब तक शासन द्वारा स्टाफ, वेतन एवं अन्य व्यवस्थाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा बैराज योजना पर स्टाफ के वेतन एवं अन्य व्यवस्थाओं पर लगभग 3.91 करोड़ रु० व्यय किया गया है । तथा सर्वे माडल-स्टडी एवं अनुसंधान आदि पर रु० 65.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

जौनपुर के क्षेत्र सदर में लगे खराब इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने की मांग

68–श्री अफजाल अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सदर, जौनपुर में लगे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प आये दिन खराब रहते हैं ? उक्त विधान सभा क्षेत्र में लगे हैण्डपम्पों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने खराब हैं ? क्या सरकार उनकी मरम्मत कर ठीक करायेगी तथा सुचारु पेयजल व्यवस्था हेतु 500 अतिरिक्त हैण्ड पम्प उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

निरन्तर प्रयोग के कारण साधारण मरम्मत योग्य कुछ हैण्डपम्प खराब रहते हैं, जिनकी मरम्मत समय-समय पर करायी जाती रही है । उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 2110 हैण्डपम्प लगाये गये हैं, जिनमें से 117 नग हैण्डपम्प साधारण मरम्मत योग्य तथा 33 नग हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं । शेष चालू हालत में हैं ।

विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा तथा नगरी क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत स्थानीय निकाय द्वारा की जानी है । जहां तक 500 हैण्डपम्प लगाये जाने का प्रश्न है, भारत सरकार की गाइड लाइन एवं मानक के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा पर तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा घोटाले की जांच कराने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री अफजाल अहमद–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा पर तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव द्वारा किये जा रहे घोटाले की जांच कराने संबंधी श्री रामतेज यादव व अन्य विधायकों का पत्र माह नवम्बर, 1999 में मुख्य मंत्री, सचिव, महिला कल्याण व महिला कल्याण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई । जांच आख्या के अनुसार शिकायतें निराधार एवं तथ्यहीन पाई गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोनों चलाये जाने की शिकायत

70–श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री राम सेवक सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोनों ही चलाये जा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि शसनादेश संख्या : 3501/पांच–6–97–एस०एन०डी०–5/97 दिनांक 31 मार्च, 1998 के अनुसार एक ही स्थान/ब्लाक में एक ही स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत रह सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या–3501/पांच-6-97-एस०एन०डी०–5/97. दिनांक 31 मार्च, 1998 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला स्वीकृत है, अतः उसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

71—श्री विनोद मणि–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मऊ की तहसील सदर में मुसाफिर हरिजन प्राथमिक विद्यालय मलपुर लोहराई शिक्षा क्षेत्र रतनपुरा को अनुदान सूची में सम्मिलित करने की मांग

72—श्री चेतराम–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मुसाफिर हरिजन प्राथमिक विद्यालय मलपुर लोहराई शिक्षा क्षेत्र रतनपुरा, तहसील सदर, जनपद मऊ" को अनुदान सूची में कब तक शामिल कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

किसी विद्यालय विशेष के बारे में यह बता पाना कि यह अनुदान सूची में कब तक शामिल कर लिया जायेगा, सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में विकास खण्ड कैम्पस की मिट्टी पटाई का कार्य सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत मानक व गुणवत्ता के अनुसार न कराने की जांच की मांग

73–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्त गंज में वर्ष 1998-99 में विकास खण्ड कैम्पस की मिट्टी पटाई का कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न कराये जाने की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रश्नगत कराया गया कार्य मानक के अनुसार तथा संतोषजनक है । अतः टी० ए० सी० जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त के निर्माण कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप द्वितीय किश्त के भुगतान का औचित्य

74–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्री दत्तगंज में वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराए गये निर्माण कार्यों को द्वितीय किश्त मिलने के पूर्व कार्य पूर्ण करा दिया गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य प्रथम किश्त में पूर्ण करा लिये जाने के बाद द्वितीय किश्त के भुगतान का औचित्य क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं,

विकास खण्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों पर अवमुक्त धनराशि की सीमा तक ही कराया गया तथा द्वितीय किश्त प्राप्त होने पर शेष कार्य पूर्ण कराये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत पीलीभीत-उतरौला मार्ग पर मिट्टी, पुलिया खड़न्जा आदि के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

75–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत पीलीभीत-उतरौला मार्ग पर दरीचौरा से किढूरा तक मिट्टी, पुलिया, खड़न्जा का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम इन्देमऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

76–श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इन्देमऊ, ब्लाक बीघापुर, जनपद उन्नाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु भवन बनाकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो उक्त भवन में चिकित्सालय की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्थान पर निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकती है।

जनपद उन्नाव के ग्राम इन्देमऊ में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

77–श्री हरवंश कपूर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इन्देमऊ, ब्लाक–बीघापुर, जनपद–उन्नाव में कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प किस-किस तिथि को लगाये गये हैं ? क्या उक्त सभी हैण्डपम्प में से अधिकतर नल लगाये जाने के बाद से ही खराब हैं ? यदि हां, तो खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

ग्राम इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर में कुल 14 हैण्डपम्प निम्न तिथियों में लगाये गये हैं:–

31-3-89	3 नग
25-3-95	1 नग
20-6-96	1 नग
29-2-96	1 नग
22-12-97	2 नग
25-5-98	1 नग
28-12-99	1 नग
31-12-99	1 नग
मार्च-99	1 नग
मार्च-99	1 नग
फरवरी-98	1 नग
योग :–	14 नग

जी नहीं । वर्तमान में 8 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं तथा 2 नग स्थायी रूप से तथा 4 नग अस्थायी रूप से खराब हैं । विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत वर्तमान में हैण्डपम्पों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है । रिबोर योग्य हैण्डपम्प जिला योजना में उपलब्ध धनराशि से करावे जायेंगे ।

जनपद सिद्धार्थनगर से डा० विनोद कुमार मिश्रा एवं डा० शीला मिश्रा के अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग

78–श्री बनारसी दास चांदना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा० विनोद कुमार मिश्रा एवं डा० शीला मिश्रा दम्पत्ति संयुक्त चिकित्सालय, बेंवा, सिद्धार्थनगर का स्थानान्तरण होने के बावजूद स्थानान्तरण रुकवा लिया है ? क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध अपर निदेशक, स्वास्थ्य, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा जांच के दौरान 30 रुपया फीस लेकर आउट डोर में मरीज देखना, अपने घर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगाना तथा डा० शीला मिश्रा को नशे के इंजेक्शन का स्वयं उपभोग करना सत्य पाया गया था ? क्या उसकी रिपोर्ट शासन में मौजूद है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका स्थानान्तरण अन्यत्र करके इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

डा० विनोद कुमार मिश्रा एवं डा० (श्रीमती) शीला मिश्रा, दम्पत्ति चिकित्सक का जनपद सिद्धार्थनगर से जनपद हमीरपुर किया गया स्थानान्तरण जनहित में निरस्त किया गया है ।

अपर निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सौंपी गयी जांच केवल प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में थी, जो इन दम्पत्ति चिकित्सा अधिकारियों पर सिद्ध पाया गया । इसके लिये दण्ड प्रस्तावित करते हुए लोक सेवा आयोग का अनुमोदन मांगा गया है ।

इनका स्थानान्तरण तत्समय कर दिया गया था ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित एवं निरस्त करने के संबंध में निर्धारित मानक की जानकारी

79–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने तथा गन्ना क्रय केन्द्र निरस्त करने का कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह मानक क्या है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

क्रय केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित हैं :—

(1) चीनी मिल गेट क्षेत्र में कोई क्रय केन्द्र नहीं खोला जायेगा ।

(2) पांच किलोमीटर की दूरी के अन्दर दूसरा क्रय केन्द्र सामान्य परिस्थितियों में नहीं खोला जायेगा, किन्तु मार्गों की स्थिति, मार्ग की अनुपलब्धता, नदियों के कारण कटाव/बहाव अथवा अन्य उचित कारण को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों के हित में पांच किलोमीटर क्षेत्र के अन्तर्गत भी दूसरे क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने के आदेश दिये जा सकते हैं ।

(3) शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के विकास, उसके 85 प्रतिशत उत्पादन तथा गन्ना आपूर्ति की सुविधा तथा उन्नत गन्ना प्रजाति सम्वर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सन्तुलित प्रजातीय विकास को बढ़ावा देने हेतु उन स्थानों पर नये क्रय केन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा सकते हैं, जहां पर भविष्य हेतु अच्छा गन्ना क्षेत्र विकसित होने की सम्भावना है ।

(4) किसी नये क्षेत्र में गन्ना विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये चीनी मिलें स्वयं भी उपरोक्त मापदण्डों से भिन्न अतिरिक्त क्रय केन्द्रों को स्थापित करने के आवेदन गन्ना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है ।

जिन क्रय केन्द्रों को स्वीकृत एवं संचालित किया जा चुका है, उन्हें पेराई सत्र के मध्य में बिना गन्ना आयुक्त की पूर्व अनुमति के किसी भी दशा में बन्द नहीं किया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ में सठियांव चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्रों पर कम गन्ना क्रय करने की जांच कराये जाने की मांग

80–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सठियांव चीनी मिल, जनपद आजमगढ़ में सत्र, 1997-98 में कुल कितने गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ने की खरीद की गयी थी तथा सत्र, 1999-2000 में अब तक कुल कितने गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ना की खरीद की गयी है ? क्या सरकार सठियांव चीनी मिल (आजमगढ़) के गन्ना क्रय केन्द्रों पर कम गन्ना क्रय करने के प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सठियांव, आजमगढ़ द्वारा पेराई सत्र 1997-98 में मिल गेट सहित कुल 34 क्रय केन्द्र संचालित किये गये थे तथा पेराई सत्र 1999-2000 में मिल गेट सहित कुल 30 क्रय केन्द्र संचालित कर गन्ने की खरीद की गयी थी । इसके अतिरिक्त 4 क्रय केन्द्र, जहां की गन्ना परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, क्रय केन्द्र मदनापार को क्रय केन्द्र परशुरामपुर पर आबद्ध कर; मेहनाजपुर को पल्हना, लोहडीह को खुरोसो रोड एवं बनगांव को ठेकमा व सिकरौर पर आबद्ध कर गन्ने की खरीद की गयी थी । दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सठियांव, आजमगढ़ द्वारा अपने संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों से बेसिक कोटा के अनुरूप गन्ने की खरीद की गयी है । चीनी मिल द्वारा क्रय केन्द्रों से आपूर्ति होने वाले उपलब्ध समस्त गन्ने की खरीद कर ली गयी है । अतः इसमें किसी अधिकारी को दण्डित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना उत्पादन बढ़ाने की योजना पर जानकारी

81–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में गन्ना उत्पादन घटा है ? यदि हां, तो गन्ने की पैदावार में कमी के कारण क्या हैं ? क्या सरकार गन्ना उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गन्ना उत्पादकता के वर्तमान स्तर को बढाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य व जिला सेक्टर के अन्तर्गत कई गन्ना विकास की योजनायें तथा केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना भी कार्यान्वित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल द्वारा वर्षवार गन्ना क्रय करने का विवरण

82–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में जनपद आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय केन्द्र जिवली, पल्हना, देवगांव तथा मेहनाजपुर द्वारा कुल कितना गन्ना वर्षवार क्रय किया गया ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सठियांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा क्रय केन्द्र जिवली, पल्हना, देवगांव तथा मेहनाजपुर से वर्ष 96-97, 97-98 एवं 98-99 में क्रय किये गये गन्ने का विवरण निम्नवत् है :–

(हजार क्विंटल में)

क्र०सं०	नाम क्रय केन्द्र	1996-97	97-98	98-99
1	जिवली	0.13	0.09	0.06
2	पल्हना	0.08	0.087	0.05
3	देवगांव	0.03	0.02	0.03
4	मेहनाजपुर	0.05	0.02	0.01

जनपद आजमगढ़ में गन्ना उत्पादन घटने के कारणों की जांच की मांग

83–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सठियांव चीनी मिल, जनपद आजमगढ़ के घाटे का मुख्य कारण क्षेत्र में गन्ना उत्पादन की कमी होना है ? यदि हां, तो क्या सरकार आजमगढ़ जनपद में प्रति वर्ष घटते हुए गन्ना उत्पादन के कारणों की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सठियांव, आजमगढ़ के घाटे का मुख्य कारण गन्ने की कमी होने के साथ-साथ चीनी मिल की जीर्ण-शीर्ण अवस्था होना तथा गन्ना मूल्य भुगतान समयान्तर्गत न होना मुख्य कारण है। गन्ना मूल्य प्रति वर्ष काफी अवशेष रह जाता है, जिसे बाद में राज्य सरकार से प्राप्त सहायता से भुगतान किया जाता है। किसानों को समय से गन्ना मूल्य न मिलने के कारण गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने में किसानों को रुचि पैदा नहीं हो रही है। गन्ने की कमी का एक कारण यह भी है कि इस जनपद के किसान छोटी जोत के हैं तथा वे अपना गन्ना अति शीघ्र चीनी मिल में आपूर्ति कर खाली खेतों में गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं जिसके कारण गन्ना अन्य स्रोतों जैसे गुड़ एवं खाण्डसारी में खपत कर देते हैं। अधिक समय तक गन्ना खेतों में नहीं रोकते हैं।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत डामर रोड बनवाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री जय प्रकाश–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-1-1998 को राज्य मंत्री लघु सिंचाई का पत्र जो जनपद लखनऊ स्थित ग्राम बरावन कलां में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पक्की डामर रोड बनवाने के सम्बन्ध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरिया में जल एवं विद्युत व्यवस्था की मांग

*85-श्री भरत सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विगत दस वर्षों से जनपद बलिया में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैरिया में अभी तक जल एवं विद्युत की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैरिया कार्यरत है । यहां विद्युत आपूर्ति व्यवस्था है तथा जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल एवं ओवरहेड टैंक की व्यवस्था है, परन्तु टंकी से आवासीय एवं अनावासीय भवनों तक पाइप लाइन नहीं बिछाये जाने से जलापूर्ति की व्यवस्था 3 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प के माध्यम से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में ग्राम मझौवां के पास गंगा नदी पर पक्के ठोकर का निर्माण कराने की मांग

*86–श्री भरत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में ग्राम मझौवां के पास जहां गंगा नदी की दूरी बलिया बैरिया बांध से मात्र 40 मीटर है, वहां बन्धा एवं राष्ट्रीय मार्ग के बचाव हेतु शासन से नाबार्ड द्वारा पोषित्र योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से पक्के ठोकर का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । बलिया बैरिया बांध से गंगा नदी की दूरी कि०मी० 23.800 से 25.600 के बीच 38 मीटर रह गयी है । इस स्थल पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बन्धे के बचाव हेतु रु० 511.23 लाख की योजना तकनीकी सलाहकार समिति तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से स्वीकृत है । ठोकर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त उपचारिकाओं की नियुक्ति तथा आरक्षण पूर्ण करने की जानकारी

*87–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 की प्रशिक्षण प्राप्त उपचारिकाओं की नियुक्तियां निदेशालय में लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1999 की प्रशिक्षण प्राप्त उपचारिकाओं की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी और इसका औचित्य क्या है ? क्या वर्ष 1999 में की गयी नियुक्तियों में आरक्षण पूर्ण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1998 की प्रशिक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति की उपचारिकाओं की नियुक्तियां लम्बित नहीं हैं।

सामान्य श्रेणी एवं पिछड़े वर्ग की प्रशिक्षण प्राप्त उपचारिकाओं की नियुक्तियां पद रिक्त न होने के कारण लम्बित हैं।

वर्ष 1999 की प्रशिक्षण प्राप्त केवल अनुसूचित जाति/जनजाति की चयनित उपचारिकाओं की नियुक्ति की गयी।

केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के उपलब्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति आरक्षण अधिनियम के अधीन की गयी।

जी नहीं।

विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूर्ण नहीं किया गया है।

मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में उपचारिकाओं की नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची का विवरण

88–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में उपचारिकाओं की नियुक्ति हेतु कोई प्रतीक्षा सूची बनायी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

मैदानी क्षेत्र की प्रतीक्षा सूची में सामान्य श्रेणी के 145 अभ्यर्थी तथा ओ० बी० सी० श्रेणी के कुल 43 अभ्यर्थी हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में कुल 52 अभ्यर्थी हैं।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में श्री दीनानाथ अधिशासी अभियन्ता की नियम विरुद्ध प्रोन्नति की जानकारी

89–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि दीनानाथ, अधिशासी अभियन्ता की मूल नियुक्ति भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में चीफ ड्राफ्ट मैन के पद पर हुई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 24-5-1980 को सहायक अभियन्ता पद पर उनकी प्रोन्नति की गयी ? क्या सहायक अभियन्ता एवं संगणक पद के लिये दस वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रोन्नति नियम विरुद्ध की गई है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रकरण विशेष में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। परामर्श प्राप्त होने के बाद ही अग्रेतर निर्णय/कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम खण्डौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

90–श्री विनोद मणि–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम खण्डौरा, विकास खण्ड–पवई, तहसील फूलपुर, जनपद–आजमगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विगत 5 वर्षों से चिकित्सक नियुक्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी जनहित में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रदेश में चिकित्सकों के अभाव के कारण तैनाती नहीं हो पायी थी।

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर दिनांक 6-4-2000 को चिकित्सक की तैनाती कर दी गयी है।

डा० मोहिब्बुल सिद्दीकी अर्थोपेडिक सर्जन संयुक्त चिकित्सालय, बेवा, सिद्धार्थनगर द्वारा की गयी अनियमितता की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

91—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० मोहिब्बुल सिद्दीकी, अर्थोपेडिक सर्जन, संयुक्त चिकित्सालय, बेवा, सिद्धार्थनगर द्वारा अपनी पत्नी के नाम से बेवा में ही एक एक्स–रे प्लान्ट लगाकर आउटडोर में मरीजों से प्राइवेट एक्सरे कराने हेतु लिख कर 30 रु० फीस ली जा रही है ? क्या अपर चिकित्सा निदेशक, गोरखपुर द्वारा जांच में उक्त तथ्य सही पाये जाने पर इसकी सूचना शासन को भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा इस संबंध में कोई सूचना शासन को नहीं भेजी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में 10 वर्षों से कार्यरत श्री अम्बुज श्याम श्रीवास्तव स्टोरकीपर के स्थानान्तरण की मांग

92–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री अम्बुज श्याम श्रीवास्तव, स्टोरकीपर, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उसका स्थानान्तरण न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार उसको अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र० के आदेश संख्या–4फ/ए/स्टोर कीपर/209/70/3623-26, दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा इनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

93–श्री दीपलाल भारती तथा श्री नरेन्द्र सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपदों में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के पदों पर कार्यकारी चिकित्साधिकारियों का जनपदवार विवरण एवं कार्यभार देने सम्बन्धी मापदण्ड की जानकारी

94–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदों में आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के पदों पर चिकित्साधिकारियों को कार्यकारी कार्यभार दिये जाने के क्या मापदण्ड हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन मापदण्डों के अन्तर्गत कौन-कौन से जनपदों में कार्यभार दिया गया है ? क्या शेष जनपदों में भी उक्त मापदण्ड के अनुसार कार्यभार दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सामान्यतया जनपद के वरिष्ठतम एवं उपयुक्त चिकित्साधिकारी को ही कार्यवाहक रूप में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

जनपद खीरी में नियमित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तैनात है । शेष 56 क्षेत्रों में रिक्ति के समय वरिष्ठतम/उपयुक्त चिकित्साधिकारी को मूल रूप में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्य देखने के आदेश दिये गये हैं ।

सभी क्षेत्रों में कार्यवाहक व्यवस्था की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में ग्राम पंचायत इन्देमऊ को जवाहर रोजगार योजना हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

95–श्री हरवंश कपूर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत इन्देमऊ, ब्लाक–बीघापुर, जनपद–उन्नाव को वर्ष 1997-98, 1998-99 व 1999-2000 के लिये कितना धन जवाहर रोजगार योजना हेतु आवंटित किया गया था ? क्या आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर की ग्राम पंचायत इन्देमऊ को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 में रु० 53,431/-, वर्ष 1998-99 में रु० 62,256/- एवं वर्ष 1999-2000 में रु० 28,876/- की धनराशि आवंटित की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

96–श्री उबैदुर्रहमान–

[दिनांक 27-4-2000 को अता० प्र० सं०–55 द्वारा उत्तरित]

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय द्वारा उपचारिकाओं के रिक्त पदों हेतु चयनित एवं प्रतीक्षा सूची की उपचारिकाओं को नियुक्ति पत्र जारी करने की जानकारी

97–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा द्वारा उपचारिकाओं के रिक्त 977 पदों हेतु 10 अगस्त, 1998 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था ? यदि हां, तो क्या

चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची की उपचारिकाओं को नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा ? यदि हां, नो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां । नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

९४–डा० ज्ञानवती सिंह–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उ० प्र० लखनऊ पर राजकीय नर्सेस संघ द्वारा धरना देने तथा उनकी मुख्य मांगों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

९९–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि दिसम्बर, 1998 में निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पर राजकीय नर्सेस संघ द्वारा धरना दिया गया था तथा उक्त संघ द्वारा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को मांग पत्र भी दिया गया था ? यदि हां, तो मांग पत्र की मुख्य मांगे क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में शासनादेश के विरुद्ध अवकाश यात्रा (एल०टी० सी०) की सुविधा दिलाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

100–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (एल०टी०सी०) अवकाश यात्रा की स्वीकृति हेतु जारी शासनादेश संख्या–4–161(1)/दस–98–604/92, दिनांक 28 फरवरी, 1998 का अनुपालन डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में कार्यरत कर्मियों द्वारा किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि माह जनवरी, 1998 से मार्च, 1999 तक एल०टी०सी० हेतु उक्त अस्पताल में जो सूची जारी की गयी है, उसमें से कुछ कर्मचारियों द्वारा यात्रा करने के पश्चात् कार्यालय को यात्रा सम्बन्धी जो पेपर प्रस्तुत किए गये हैं, वह उक्त शासनादेश के अन्तर्गत नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम तथा पद क्या हैं ? क्या सरकार उपरोक्त शासनादेश के विरुद्ध यात्रा करने वाले कर्मचारियों तथा पूर्ण भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

इस प्रकरण की विस्तृत जांच अपर निदेशक स्तर के अधिकारी से कराने का निर्णय किया गया है । जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना के विकास हेतु संस्थान/फार्म की संख्या तथा जौनपुर में गन्ना संस्थान खोलने संबंधी जानकारी

101–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना की उन्नतशील प्रजातियों के विकास हेतु कितने संस्थान/फार्म हैं ? उनसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होते हैं ? क्या जौनपुर जनपद में कोई संस्थान खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना की उन्नतशील प्रजातियों के विकास हेतु निम्नलिखित पांच गन्ना बीज सम्बर्धन संस्थान/केन्द्र विद्यमान हैं :–

1—गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, सेवरही (कुशीनगर) ।

2—गन्ना शोध केन्द्र–गोरखपुर ।

3—गन्ना बीज सम्बर्धन केन्द्र, लक्ष्मीपुर (कुशीनगर) ।

4—गन्ना बीज सम्बर्धन केन्द्र,–कटया-सादात, जनपद गाजीपुर ।

5—गन्ना बीज सम्बर्धन केन्द्र–अमहट, जनपद–सुल्तानपुर ।

इनसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुल 24 जिले लाभान्वित होते हैं .

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

निकटवर्ती जनपद गाजीपुर के कटया–सादात एवं जनपद सुल्तानपुर के अमहट में गन्ना बीज सम्बर्धन केन्द्र कार्यरत है ।

जनपद आजमगढ़ में लालगंज तथा टीकरगढ़ रजवहा एवं उससे निकलने वाली माइनरों की खुदाई एवं सफाई में व्यय धन की जानकारी

102–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–23 के लालगंज रजवाहा तथा टीकरगढ़ रजवाहा तथा इन दोनों रजवाहों से निकलने वाले माइनरों की सफाई तथा खुदाई पर धन व्यय किया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

लालगंज रजवहा तथा टीकरगढ़ रजवहा एवं उससे निकलने वाली माइनरों के सफाई तथा खुदाई पर वर्ष 1998-99 में रु० 2,71,167.00 तथा वर्ष 1999-2000 में रुपये 5,74,380.00 व्यय हुआ है ।

103–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

104–श्री उबैदुर्रहमान–

[5वें गुरुवार में अता० प्र० सं०–83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से दुग्ध संग्रह भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की जानकारी

105–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामुर के विकास खण्ड श्री दत्तगंज में सुनिश्चित रोजगार योजना से वर्ष 1998-99 में स्वीकृत धनराशि से दुग्ध समितियों के दुग्ध संग्रह भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

जनपद मैनपुरी की शासी निकाय की बैठक में गलत तरीके से लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की अधिष्ठापना के सत्यापन सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी की दिनांक 1-11-99 को जनपद मैनपुरी की शासी निकाय की बैठक में गलत तरीके से लगाये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की अधिष्ठापना के सत्यापन के लिये प्रश्नकर्ता का पत्र क–2 नं०–034343, दिनांक 19-1-2000, जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

कार्यदायी संस्थाएं यू० पी० स्टेट एग्रो तथा नलकूप निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची सत्यापन हेतु गठित 5 सदस्यीय टीम के सदस्यों, अधीक्षण अभियन्ता (टी० ए० सी०), उ० प्र० जल निगम तथा प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को उपलब्ध करा दी गयी है । सत्यापन रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

107–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी को प्रश्नकर्ता का पत्र ख–2 नं०–537250, दिनांक 17-12-1999 बावत इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों की सत्यापन हेतु मांगी गई सूचनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

कार्यदायी संस्थाएं यू० पी० स्टेट एग्रो तथा नलकूप निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची सत्यापन हेतु गठित 5 सदस्यीय टीम के सदस्यों, अधीक्षण अभियन्ता (टी० ए० सी०), उ० प्र० जल निगम तथा प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को उपलब्ध करा दी गयी है । सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली में कार्यरत श्री राम सागर के अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग

108–श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1999 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली में कार्यरत श्री राम सागर के अन्यत्र स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी, हां ।

श्री राम सागर का स्थानान्तरण विकास खण्ड–मवई, जनपद फैजाबाद के लिए कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनलालगंज में 15 वर्षों से कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला) के स्थानान्तरण की मांग

109–श्री राम अवतार मिश्रा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनलालगंज पर वर्तमान समय में कितनी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) ऐसी हैं, जो विगत 15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसी सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थानान्तरण जनपद के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां, एक महिला कर्मी कार्यरत है ।

दिनांक 14-3-2000 को अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय नहरों की सफाई की मांग

110–श्री जोखूलाल यादव–

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड–39 से सम्बद्ध प्रतापपुर माईनर, वारी रजवाहा, रसूलाहां माईनर तथा रामपुर रजवहा आदि नहरों की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो उक्त नहरों की सफाई का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, टेल पर पानी पहुंचने में कठिनाई है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत सहिनवा ड्रेन की खुदाई एवं सफाई की मांग

111–श्री जोखूलाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत सहिनवा ड्रेन की विधिवत खुदाई न होने के कारण कई गांवों के किसानों की हजारों एकड़

जमीन हर वर्ष जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खुदाई एवं सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत सहिनवा ड्रेन के नाम से कोई ड्रेन नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में सहनुवां ताल ड्रेन स्थित है।

विगत ढाई वर्षों से धनाभाव के कारण इस ड्रेन की खुदाई/सफाई का कार्य नहीं कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्रश्नगत कार्य को कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

लखनऊ स्थित पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग केन्द्र में विकलांग रोग के विभागों तथा केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी

112–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग केन्द्र में विकलांग रोग से सम्बन्धित कितने विभाग हैं। विकलांगों के पुनर्वास हेतु उक्त केन्द्र में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ? क्या यह सच है कि वर्तमान में उक्त केन्द्र की वित्तीय हालत जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र को स्वायत्तता प्रदान किए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग केन्द्र, लखनऊ में विकलांग रोग से संबंधित 5 इकाइयां हैं।

विकलांगों के पुनर्वास हेतु केन्द्र में चिकित्सकीय जांच, इलाज, शल्क क्रिया, वोकेशनल काउंसलिंग प्रशिक्षण एवं कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वामी भगवानदास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह, विद्या मन्दिर, जाहिदपुर, हरदोई के प्रधान अध्यापक के द्वारा किये गये छात्रवृत्ति के गबन की जांच

113–श्री अफजाल अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वामी भगवान दास ब्रह्मचारी कालीदीन सिंह विद्यामंदिर, जाहिदपुर, हरदोई के प्रधान अध्यापक के विरुद्ध अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 1996-97 व 1997-98 के गबन की जांच सुपरवाइजर, समाज कल्याण विभाग, सण्डीला, हरदोई द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने आदेश पत्र संख्या–410. दिनांक 22 मई, 1999 के माध्यम से उक्त प्रधान अध्यापक के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार प्रकरण में मा० श्री ओम प्रकाश यादव, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 12-8-99 के क्रम में जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा गठित समिति द्वारा प्रकरण की जांच की गयी। जिलाधिकारी, हरदोई के पत्रांक 22/शि०लि० जांच शासन/99, दिनांक 25-11-99 द्वारा जांच संयुक्त रूप से मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में उपजिलाधिकारी, सण्डीला, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई एवं उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा मौके पर जाकर अभिलेखों की विस्तृत जांच एवं मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने के पश्चात् संयुक्त रूप से भेजी गई जांच आख्या के अनुसार प्रधानाध्यापक श्री दया शंकर सिंह के विरुद्ध छात्रवृत्ति गबन के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। इसलिए संस्था के प्रधानाचार्य के विरुद्ध एफ० आई० आर० नहीं लिखाई गई।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, टिकैतराय तालाब, लखनऊ के कैशियर से लुटेरों द्वारा लूटी गयी धनराशि से सम्बन्धित व्यक्तियों के भुगतान की मांग

114–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 10 मई, 1999 को राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, टिकैतराय तालाब, लखनऊ के कैशियर से के० डी० सिंह बाबू स्टेडियम के पास रुपया–54000 लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि श्री जयराम फार्मासिस्ट तथा श्री जफर अली, श्रमिक एवं अमर सिंह श्रमिक के जी० पी०एफ० अग्रिम के भुगतान सम्बन्धी थी ? यदि हां, तो क्या उन व्यक्तियों को भुगतान कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

लूटी गई कथित धनराशि के पुनर्आहरण के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। तदोपरान्त ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

महिला कल्याण निगम द्वारा चलायी जा रही योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी

115–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण निगम द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं ? उनकी उपलब्धियां क्या हैं ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

1—कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना।

2—उत्तरांचल की समन्वित महिला विकास योजना।

3—नोराड प्रशिक्षण योजना।

4—नोराड अग्रसारण एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन।

5—एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना।

6—मार्जिन-मनी ऋण योजना।

7—स्वशक्ति परियोजना।

1—कौशल सुधार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वर्ष 1988 से फरवरी, 2000 तक 9195 महिलाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया ।

2—समनवित महिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1997 से फरवरी, 2000 तक 507 महिलाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया ।

3—नोराड योजनान्तर्गत :—

(अ) विभिन्न जनपदों में 3841 महिलाओं को विभिन्न ट्रेडों में वर्ष 1999 से फरवरी, 2000 तक प्रशिक्षित किया गया ।

(ब) विभिन्न ट्रेडों में 300 महिलायें विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षणरत हैं ।

4—नोराड अग्रसारण एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाओं के विभिन्न ट्रेडों में वर्ष 1999 से फरवरी, 2000 तक 232 प्रस्तावों के रु० 750.01 लाख का अग्रसारण भारत सरकार को किया जा चुका है जिसके सापेक्ष विभिन्न जनपदों की 95 स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न ट्रेडों हेतु रु० 288.88 लाख की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्राप्त हो चुकी है ।

5—एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के लिये 10 महिला आवासों की स्वीकृति के सापेक्ष 08 महिला आवासों का निर्माण कराया जा चुका है जिसमें से लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, हल्द्वानी (नैनीताल) आवासों में 161 महिलायें निवासरत हैं । आगरा, अल्मोड़ा, कानपुर तथा वाराणसी हास्टल भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण ।

6—स्वशक्ति परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के संकलित लक्ष्य 1570 स्वयं सहायता समूहों के सापेक्ष 1499 समूहों का गठन विभिन्न जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है ।

7—मार्जिन मनी ऋण योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ।

महिला कल्याण निगम की स्थापना पर निगम की अंश पूंजी तथा वर्तमान पूंजी सम्बन्धी जानकारी

116–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण निगम की स्थापना पर निगम की अंश पूंजी कितनी थी ? निगम के पास वर्तमान में कितनी पूंजी है ? क्या उक्त पूंजी में कमी आयी है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

अधिकृत अंशपूंजी रु० 500 लाख, चुकता, अंश पूंजी रु० 40 लाख ।

चुकता अंशपूंजी रु० 109.03 लाख ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में दैनिक वेतन पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

117–श्री अफजाल अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में दैनिक वेतन पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का गत कई माह का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान वित्त विभाग से धनराशि उपलब्ध होने के बाद ही किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश के नव जनपदों/मण्डलों में महिला एवं बाल विकास विभाग में कतिपय पदों का सृजन एवं उन पर की गयी नियुक्तियों की जानकारी

118–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नये सृजित जनपदों/मण्डलों में महिला एवं बाल विकास विभाग में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी/प्रोवेशन अधिकारी के पदों का सृजन करके उन पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वर्तमान अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए मितव्ययता की दृष्टि से नये पदों के सृजन की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी।

जनपद प्रतापगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढिबुई के भवन निर्माण की मांग

119–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के अता० प्रश्न सं०–146 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढिबुई के भवन निर्माण जो शासन के विचाराधीन था, का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

120—डा० ज्ञानवती सिंह–

[दिनांक 3-5-2000 को अता० प्र० सं० 110 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

121–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपचारिकाओं के कुल कितने पद पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र में रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर कोई विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

आरक्षित श्रेणी के केवल अर्ह प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में कुल 151 तथा मैदानी क्षेत्र में कुल 261 पद उपचारिकाओं के रिक्त हैं।

अगस्त, 1998 के विज्ञापन के सापेक्ष सभी वर्ग के रिक्त पदों पर जून, 1999 में चयन किया गया। सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई, जिनकी नियुक्ति सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष की जा चुकी है। ओ० बी० सी० एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे।

आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षित अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक (निर्माण) के सम्बन्ध में जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

122–श्री विश्वनाथ, श्री संजय गर्ग तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1989 में समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक (निर्माण) के विरुद्ध सतर्कता जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

जांच आख्या अभी तक सतर्कता विभाग से प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

123–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया क्या है ? शिक्षा सत्र के बीच किस अवधि तक प्रवेश पाने वाले छात्रों की सूची बनायी जाती है ? निर्धारित सूची बनने के बाद प्रवेश होने की दशा में छात्रवृत्ति के वितरण की क्या प्रक्रिया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा–1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु बिना आय सीमा के प्रतिबन्ध के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। इससे ऊपर की कक्षाओं में निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को कक्षा–1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा वितरण विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, उसकी ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा करने की प्रक्रिया लागू है। नगर क्षेत्र में सभी श्रेणी की छात्रवृत्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा–9 तथा इससे ऊपर की कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृति तथा वितरण प्रत्येक विद्यालय में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को कक्षा–3 से 8 तक नगरीय क्षेत्र में विद्यालय के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निधि के माध्यम से कक्षा–9 व 10 में विद्यालय के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरित की जाती है । पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय छात्र के लिए रु० 500/- तथा छात्रा के लिए रु० 750/- तक हो, को उपलब्ध धनराशि की सीमा तक रु० 54/- प्रति छात्र प्रति माह दशमोत्तर छात्रवृत्ति विद्यालय के माध्यम से वितरित की जाती है । प्राप्त सूचनानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु शिक्षा सत्र में 30 सितम्बर तक प्रवेश पाने वाले की सूची बनाई जाती है एवं पिछड़ी जाति में छात्रवृत्ति मानक निर्धारित होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है । अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है । उसी के अनुसार उपरिलिखित आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है । पिछड़ी जाति में छात्रवृत्ति का मानक निर्धारित होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है ।

कार्यालय निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ० प्र० द्वारा की गयी आरक्षित आठवीं नियुक्ति पर अनारक्षित श्रेणी के व्यक्ति की नियुक्ति करने की मांग

124–श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० शासन के कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना सं०–481/का–1–94–1–1994. दिनांक 29 मार्च, 1994 में प्रदत्त प्राविधान के अनुसार आठवीं नियुक्ति अनारक्षित श्रेणी के व्यक्ति की होनी चाहिये ? क्या यह सही है कि कार्यालय निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ० प्र० द्वारा वर्ष 1996 में लिये गये साक्षात्कार में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों में से आठवीं नियुक्ति आरक्षित (अनुसूचित जाति) श्रेणी से की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त श्रेणी के व्यक्ति की नियुक्ति कर उसे न्याय प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां । आठवीं नियुक्ति रिट याचिका सं०–2153/एस०एस०/97 राम औतार बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में श्री राम औतार की गई है ।

जी नहीं, आठवीं नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई थी ।

प्रश्न पैदा नहीं होता ।

125–श्री जगदीश नारायण राय–

[दिनांक 29-3-2000 को अता० प्र० सं० 72 द्वारा उत्तरित]

126–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 9-5-2000 को अता० प्र० सं० 176 द्वारा उत्तरित]

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में वरिष्ठ सहायक श्री वी० पी० त्रिपाठी की अवैध प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

127–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी सदस्य, विधान सभा के पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–2/224074/एटा/99 दिनांक 31-5-1999 दिनांक 8-8-99 एवं 31-12-99 जो कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में वरिष्ठ सहायक श्री वी० पी० त्रिपाठी

की अवैध प्रतिनियुक्ति कर आर्थिक अनियमितता किये जाने के संबंध में है, मुख्य मंत्री तथा सी० ओ०, खादी बोर्ड को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डे)–

जी हां।

प्रकरण में जांच कराई गयी और अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

128–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लोहाघाट जनपद चम्पावत में कोई राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर उक्त अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत लोहाघाट जनपद चम्पावत में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों के पदोन्नति की मांग

129—श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना कब से लागू है ? उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतिरक्षण अधिकारी का कार्य किससे लिया जा रहा है तथा प्रतिरक्षण अधिकारी का क्या दायित्व है ? क्या उक्त योजना के कार्यरत कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों को पदोन्नति का अवसर उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता योजना दिनांक 23 जुलाई, 1981 से लागू है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतिरक्षण अधिकारी का कोई पदनाम नहीं है, शेष का प्रश्न नहीं उठता। उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर्मियों की सेवा नियमावली में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के पदों पर प्रोन्नति का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

130–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चरगांवा, गोरखपुर द्वारा विकास कार्यों में किये गये लाखों रुपये के घपले की शिकायत

131–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चरगांवा, गोरेंखपुर द्वारा विकास कार्यों में किये गये लाखों रुपये के घपले की शिकायत विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/28196/मैनपुरी/99 दिनांक 6-12-99 सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132–श्री पीतम राम–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद मैनपुरी के ग्राम बागपुर के प्रधान द्वारा विकास कार्यों में लाखों रुपये के दुरुपयोग विषयक पत्र

133–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बागपुर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी के ग्रामीणों का उक्त ग्राम के प्रधान द्वारा विकास कार्यों को न कराकर लाखों रुपये सरकारी धन के दुरुपयोग करने विषयक पत्र संख्या 1067 जिलाधिकारी मैनपुरी को दिनांक 19-1-2000 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा में नालों की खुदाई में घोटाले के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

134–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नालों की खुदाई में नाला लालपुर व छोटी कोसी की डी०आर०डी०ए० योजना से कराये गये कार्यों में हुये घोटाले के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–/29793/ मथुरा/00 दिनांक 3-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में नंदौली ड्रेन के निर्माण व सफाई में व्यय धनराशि आदि के सम्बन्ध में जानकारी

135–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नंदौली ड्रेन जनपद फैजाबाद के निर्माण में कितनी चौड़ाई व गहराई का प्रस्ताव था और मौके पर कितनी गहराई व चौड़ाई से ड्रेन बनाई गई है ? उक्त ड्रेन के निर्माण व सफाई में अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? क्या यह भी सही है कि

क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों बीघे भूमि जलमग्न रहती है तथा उसमें बुवाई नहीं हो पाती है फिर भी उनसे सिंचाई की वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों का कोई शिकायती पत्र जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को माह मई से जुलाई 1999 के मध्य प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज में 8.6 कि०मी० लम्बी नंदौली ड्रेन है जिसका शीर्ष डिस्चार्ज 95 क्यूसेक है, ड्रेन के टेल रिच में तली की चौड़ाई 2.5 मीटर व वाटर डेप्थ 0.45 मीटर तथा शीर्ष रिच में तली की चौड़ाई 4 मीटर तथा वाटर डेप्थ 0.95 मीटर है । तद्नुसार उक्त ड्रेन का निर्माण कराया गया था । इस ड्रेन के निर्माण में कुल रु० 4.59 लाख का व्यय किया गया तथा ड्रेन की सफाई में रु० 1.34 लाख का व्यय किया गया । इस ड्रेन से वर्षा ऋतु में ग्राम नंदौली कछोई व भीखापुरवा में जल भराव होता है । वर्षा के बाद जो क्षेत्र जल भराव से मुक्त हो जाता है उसमें ही बुआई होती है एवं सिंचाई किये जाने की स्थिति में सींच कर लगता है । मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के कार्यालय में इस ड्रेन की सफाई कराने हेतु माह जुलाई, 99 से सितम्बर, 99 के मध्य जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुए थे । सिंचाई वसूली से संबंधित कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ;

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद अन्तर्गत कतिपय स्वीकृत सम्पर्क मार्गों पर व्यय धनराशि की जानकारी तथा कार्य समय से पूर्ण न कराने की शिकायत

136–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद अन्तर्गत स्वीकृत अभावा सूफी रायपट्टी गद्दोपुर, डीलीं सरैया व किठावा से इब्राहीमपुर के सम्पर्क मार्गों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का कार्य समय से पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

कुल 42.28 लाख की धनराशि व्यय की गयी ।

जी हां । धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य समय से पूरा नहीं हो सका ।

प्रकरण में कोई दोषी नहीं है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी सहायता की जानकारी

137–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के कारण जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 1999 के मध्य जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग

द्वारा कितने लोगों को आर्थिक सहायता दी गयी है और कितने व्यक्तियों के प्रकरण लम्बित हैं तथा लम्बित लोगों को कब तक सहायता दे दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में 1998 से दिसम्बर, 1999 के मध्य अनुसूचित जाति उत्पीड़न की संसूचित समस्त 59 घटनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ।

वर्तमान कोई प्रकरण उक्त अवधि का लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेवर शाखा पर पड़ने वाले मैनपुरी जनपद के क्षेत्र को मैनपुरी खण्ड निचली गंगा नहर में वापस करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेवर शाखा पर पड़ने वाले मैनपुरी जनपद के क्षेत्र को मैनपुरी खण्ड निचली गंगा नहर में वापस करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम/वि०को०/ एम–2/24599/मैनपुरी/99 दिनांक 21-6-99 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (राम गंगा) कानपुर की आख्या प्राप्त की गयी, आख्या के अनुसार निचली गंगा नहर प्रणाली जिसके अन्तर्गत बेवर शाखा भी आती है, का पुनर्गठन समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र के कृषकों को समानुपातिक रूप से जल उपलब्ध कराने के लिये किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम खणडैरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत की मांग

139–श्री विनोद मणि–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम–खणडैरा, विकास खण्ड पवई, जनपद–आजमगढ़ में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सरकारी भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो चुका है ? क्या सरकार उक्त भवन का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवन तकनीकी दृष्टि से मरम्मत योग्य नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ के लीलापुर होम्यो चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस किये जाने के संबंध में शिकायती-पत्र

140–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के लीलापुर, होम्यो चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक जनपद सुल्तानपुर में निजी प्रैक्टिस भी करते हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय व्यक्तियों द्वारा कोई पत्र वर्ष 1999 में भेजा गया है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी निजी प्रैक्टिस में लिप्त उक्त चिकित्साधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के दिनांक 22-7-99 के निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय से अनुपस्थित पाये जाने पर डा० ओम प्रकाश त्रिपाठी, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, लीलापुर, प्रतापगढ़ को शासनादेश संख्या–3055/सेक–4/इकहत्तर/99, दिनांक 16-12-99 द्वारा प्रशासनिक आधार पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, गजरौला, पीलीभीत स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

जनपद सुल्तानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितावनपुर एवं बाबूगंज के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

141–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितावनपुर एवं बाबूगंज मीरानपुर के भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध होने के उपरान्त भी अभी तक उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है ? उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनावनपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबूगंज मीरानपुर में अनावासीय एवं आवासीय भवन पूर्ण हैं तथा ट्यूबवेल बोरिंग, चहारदीवारी निर्माण तथा विद्युत संयोजन का कार्य शेष है ।

अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर में इन्दिरा आवास हेतु पैसा लेने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती बच्ची, पत्नी लाल मोहम्मद, ग्राम–लालपुर, ब्लाक–जामो, जनपद–सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र सहित दिनांक 21-1-2000 जो इन्दिरा आवास में पैसा लेने की शिकायत के संबंध में है मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

श्रीमती बच्ची पत्नी लाल मोहम्मद के शिकायती पत्र पर जांच जिला विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 18-02-2000 को की गयी है । जांच में शिकायत निराधार पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री अजय कुमार पोइवा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बाराबंकी के देवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में यात्रा भत्तों हेतु निर्गत चेक के भुगतान आदि की जानकारी

144–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के देवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में यात्रा भत्तों के जो चेक माह मार्च, 1999 में आहरित हेतु निर्गत किये गये थे उनका भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घुंघतेर बाराबंकी के प्रभारी चिकित्साधिकारी ने अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के यात्रा भत्तों को अपने स्वास्थ्य केन्द्र के यात्रा भत्तों के साथ भुगतान आहरित कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोषागार द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी, घुंघतेर, बाराबंकी के पक्ष में दिनांक 31-3-99 को रु० 21.115/- का चेक निर्गत किया गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुंघतेर के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आहरित किया गया, जिसमें रु० 2685/- की धनराशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाटा बरौली की थी, तथा रु० 18.430/- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घुंघतेर की थी । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाटा बरौली को रु० 2685/- की धनराशि प्राप्त करा दी गयी है तथा सम्बन्धित कार्मिक को उसका भुगतान भी किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में ग्राम पंचायत घुघेरा के पूर्व प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत धनराशि के गबन की जांच रिपोर्ट

145–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत घुघेरा विकास खण्ड बेंहदर तहसील सण्डीला जनपद हरदोई के पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि रुपया 82615/- के गबन की जांच रिपोर्ट जो खण्ड विकास अधिकारी बेंहदर के पत्रांक संख्या–812. दिनांक 31-7-97 द्वारा जिलाधिकारी हरदोई को भेजी गई थी, उन्हें प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये धन की वसूली कर ली गयी है ? यदि हां. तो कब तक ? यदि नहीं, नो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रकरण की जांच कराई गई जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान के विरुद्ध रु० 82615/- की धनराशि के गबन की पुष्टि हुई । धनराशि की वसूली के संबंध में संबंधित को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है ।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला, हरदोई हेतु सृजित पदों एवं उन पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

146–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला हरदोई हेतु कौन-कौन पद सृजित है एवं किन-किन पदों पर अभी तक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या उक्त चिकित्सालय हेतु चिकित्सा अधीक्षक पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सा अधीक्षक पद पर नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला, जनपद हरदोई हेतु दंत चिकित्सक तथा डेन्टल हाईजनिस्ट के एक-एक पद का समायोजन करते हुए निम्नलिखित पद सृजित किये गये हैं :—

फिजीशियन–1. शल्यक–1. स्त्रीरोग विशेषज्ञ–1. बाल रोग विशेषज्ञ–1. रेडियोलाजिस्ट–1. पैथोलोजिस्ट–1, स्टाफ नर्स–3. एक्सरे टेक्नीशियन–1. फार्मासिस्ट–1. वरिष्ठ लिपिक–1. प्रयोगशाला प्राविधिक–1. डार्करूम सहायक–1. ड्राइवर–1. चतुर्थ श्रेणी–8. (वार्ड आया–1. वार्ड ब्वाय–1. कुक–1. क्लीनर कम अटेन्डेन्ट–1. धोबी–1, स्वीपर–3)

उक्त में से निम्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है :—

स्त्रीरोग विशेषज्ञ–1. रेडियोलाजिस्ट–1. स्टाफ नर्स–2. पैथालोजिस्ट–1, डार्करूम सहायक–1, वार्ड आया–1. कुक–1. क्लीनर कम अटेन्डेन्ट–1. धोबी–1. स्वीपर–2. वरिष्ठ लिपिक–1 ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के श्री शंकर दत्त जोशी सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, ग्वीरा के वेतन एवं एरियर के भुगतान की मांग

147–श्री विश्वनाथ–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर दत्त जोशी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, ग्वीरा, पिथौरागढ़ को समाज कल्याण विभाग ने मार्च, 1993 से 5-12-97 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या निदेशक, समाज कल्याण विभाग उ० प्र० को जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक सं०–269–71/स०क०/समा०/98-99/दिनांक 6-5-98 एवं पत्रांक सं०–1820/स०क०/वे०एरि०/98-99 दिनांक 23-11-98 द्वारा श्री जोशी के वेतन एवं एरियर का भुगतान करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

श्री शंकर दत्त जोशी, सहायक अध्यापक की नियुक्ति दिनांक 1-1-86 को अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, ग्वीरा, पिथौरागढ़ में की गयी थी । श्री जोशी अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला ग्वीरा से त्याग-पत्र देकर अनुसूचित जनजाति प्राथमिक पाठशाला किमकोला (धारचूला) में चले गये थे । श्री जोशी द्वारा दिनांक 10-7-87 को जनजाति प्राइमरी पाठशाला, किमकोला में कार्यभार ग्रहण किया गया था, किन्तु कुछ समय बाद जनजाति प्राथमिक पाठशालाओं का संचालन शासन द्वारा वर्ष 1993 में समाप्त कर दिया गया, जिससे श्री जोशी की सेवायें स्वतः समाप्त हो गई । श्री जोशी मार्च, 1993 से 5-12-97 तक किसी भी विद्यालय में कार्यरत नहीं रहे हैं । उक्त अवधि में वह स्वयं अपने घर पर कृषि का कार्य करते थे, इस प्रकार सेवा समाप्त होने के पश्चात् श्री जोशी को मार्च, 1993 से 5-12-97 तक की अवधि का वेतन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा । वर्ष 1997 में तत्कालीन

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा श्री जोशी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला, ग्वीरा में दिनांक 6-12-97 को जिला समाज कल्याण अधिकारी से नियुक्त कराया गया।

जी नहीं। निदेशक, समाज कल्याण, उ० प्र० को सम्बोधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ के संदर्भित पत्र दिनांक 6-5-98 व 23-11-98 द्वारा श्री शंकर दत्त जोशी को मार्च, 1993 से 5-12-97 तक की अवधि का वेतन भुगतान हेतु स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश मांगे गये थे, आदेश नहीं दिये गये थे।

चूंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्देश मांगे गये थे, आदेश नहीं दिये गये थे अतः पालन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में ग्राम गोपालपुर की श्रीमती रामबेटी के नाम गन्ना ग्राम सेवक व अन्य कर्मचारियों द्वारा गलत ऋण लगाने व गबन सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148. श्री मुंशी लाल गंगवार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी बरेली का प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2000 जो श्रीमती रामबेटी पत्नी श्री चन्द्रसेन निवासी गोपालपुर के नाम गन्ना ग्राम सेवक व अन्य कर्मचारियों ने मिलकर गलत ऋण लगाकर रु० 4880 का गबन करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

जिला गन्ना अधिकारी, बरेली के स्तर से जांच कर फर्जी ऋण वितरण हेतु दोषी पाये गये श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा, गन्ना पर्यवेक्षक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से उक्त धनराशि उनके वेतन से कटौती कर लिये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा दण्ड हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

149—श्री हरीशंकर माहौर–

[दिनांक 30-3-2000 को अता० प्र० सं०–178 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में जानकारी

150–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1996 से 1999-2000 तक सरकार द्वारा कुल कितना धन उद्यमियों को प्रतिवर्ष वितरित किया गया ? वर्तमान में राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कितनी संस्थायें अस्तित्व में हैं ? उनमें से कितनी मैदानी क्षेत्र में और कितने पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित हैं ?

श्री राजा राम पाण्डेय–

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1996 से 1999-2000 तक उद्यमियों को वर्षवार निम्नानुसार धनराशि विनरित की गयी :—

क्रम सं०	वर्ष	धनराशि (लाख रु० में)
1	1996-97	2450.749
2	1997-98	2250.944
3	1998-99	2240.938
4	1999-2000	1442.190
	योग	8384.821

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त 1391 संस्थाएं अस्तित्व में हैं।

मैदानी क्षेत्र में 1353 संस्थाएं तथा पर्वतीय क्षेत्र में 38 संस्थाएं स्थापित हैं।

जनपद बस्ती के श्री अनिल कुमार दुबे को अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं खण्ड बस्ती को सेवा से पृथक किये जाने सम्बन्धी जानकारी

151–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–16 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण पर जांच अधिकारी द्वारा छानबीन आरम्भ करने के पूर्व दिनांक 25-1-2000 को श्री अनिल कुमार दुबे को अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें खण्ड बस्ती द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन ने ऐसा कोई आदेश जारी किया था ? यदि नहीं, तो सेवा से पृथक किये जाने का आधार क्या है ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

श्री दुबे से सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–बस्ती के कार्यालय आदेश दिनांक 20-1-2000 द्वारा श्री दुबे की योगदान आख्या निरस्त कर दी ।

जी नहीं।

मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19-2-99 में याची श्री अनिल कुमार दुबे को रिट याचिका संख्या–8148/99 में पारित निर्णयों का लाभ अनुमन्य कराये जाने के आदेश दिये हैं। याची श्री दुबे से सम्बन्धित अभिलेख/पत्रावलियों का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि याची ने बारह कैलेण्डर माह में निर्धारित 240 दिन की अवधि तक कार्य नहीं किया है। अतः 240 दिन तक कार्य न करने के कारण याची का योगदान आख्या अधिशासी अभियन्ता, बस्ती द्वारा निरस्त कर दी गयी।

152–श्री राम चन्द्र यादव–

15वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद बरेली में ग्राम महमूदपुर का गन्ना क्रय केन्द्र हेतु ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा बन्द गन्ना क्रय केन्द्र को चालू करने की मांग

153–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 99 जो ग्राम महमूदापुर तहसील नवाबगंज का गन्ना क्रय केन्द्र ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा बन्द करने एवं उससे उत्पन्न असन्तोष के संबंध में था जिला गन्ना अधिकारी बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गन्ना क्रय केन्द्र कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

क्रय केन्द्र महमूदापुर का विभाजन कर दो नये क्रय केन्द्र खपरिया व मऊआ बाजार की स्थापना पेराई सत्र 1999-2000 में की गयी है, जिन्हें ओसवाल ओवरसीज लि० द्वारा संचालित किया

गया । उक्त क्रय केन्द्र का विभाजन सुरक्षण बैठक में कृषकों व चीनी मिल की मांग पर विचार कर किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर सदर में खराब इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

154-श्री अफजाल अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर में अधिकतर इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में अधिष्ठापित कुल 2110 हैण्ड पम्पों में से 117 हण्डपम्प साधारण मरम्मत योग्य तथा 33 हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं । शेष चालू हालत में हैं । विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपंम्पों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया है । अतएव उनकी मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाना है । रिबोर योग्य हैण्डपम्पों को शीघ्र रिबोर कराया जायेगा ।

155–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

15वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के सफल संचालन हेतु विभागीय विस्तृत नियमावली बनाये जाने की मांग

156-श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का ही भुगतान विभाग द्वारा दिया जाता है ? यदि हां, तो विद्यालय के अन्य खर्चों जैसे भवन निर्माण, मरम्मत, बिजली, फर्नीचर, स्टेशनरी, शैक्षिक उपकरण, खेल सामग्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये विभाग ने कौन से संसाधन निर्धारित किये हैं ? इस संबंध में क्या शासन स्तर पर कोई नीति विचाराधीन है ? क्या इन विद्यालयों के सफल संचालन के लिये विभाग द्वारा कोई विस्तृत नियमावली बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां, समाज कल्याण विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित केवल उन प्राथमिक पाठशालाओं को, जोकि आवर्तक अनुदान सूची पर 31-3-94 तक लिये गये हैं, में अध्यापकों की अनुमन्य संख्या हेतु विभाग द्वारा इनके लिए निर्धारित किये गये वेतन के अनुसार प्रबन्धकों को वेतन समतुल्य अनुदान दिया जाता है ।

विद्यालयों के संचालनार्थ अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना विद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का दायित्व है ।

जी नहीं ।

यह विद्यालय निजी क्षेत्र के हैं और शासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों में शिक्षण को प्रोत्साहन देने की नीति के अन्तर्गत केवल अध्यापकों की अनुमन्य संख्या के आधार पर वेतन समतुल्य अनुदान दिया जाता है शासन स्तर से नियमावली बनाने का औचित्य नहीं है ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालय शिक्षण संस्थाओं को नया वेतनमान देने की मांग

157–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालय शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-1007/दस–17जी०–98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 का प्रस्तर 8 के अन्तर्गत नया वेतनमान किन-किन जनपदों में दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो अनुदानित विद्यालयों को कब तक नया वेतनमान दे दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी, हां ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नगत शासनादेश अनुदानित विद्यालयों के संबंध में अभी तक लागू नहीं किय गय ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को नियमित वेतन देने तथा वेतनवृद्धि पर लगी रोक हटाने की मांग

158–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को नियमित रूप से प्रत्येक माह वेतन नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि दिनांक 8 मार्च, 1999 को शासन द्वारा इन विद्यालयों के अध्यापकों की वेतनवृद्धि की अनुदान राशि पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त रोक समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

आवर्तक अनुदान पर अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन समतुल्य अनुदान सीधे नहीं दिया जाता है वरन् यह अनुदान विद्यालयों के प्रबन्धकों को दिया जाता है । नियमित रूप से प्रत्येक माह वेतन देने का दायित्व प्रबन्धतंत्र/प्रबन्धक का है क्योंकि विद्यालय निजी क्षेत्र के हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों का राजकीय कर्मचारियों की भांति उनके वेतन से फण्ड की कटौती के प्रस्ताव की जानकारी

159–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय कर्मचारियों की भांति उनके वेतन से फण्ड की कटौती का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि यह संस्थाएं निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा संचालित हैं अतः इनके राजकीय कर्मचारियों की भांति वेतन से फण्ड की कटौती आदि का कोई औचित्य नहीं है ।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में कार्यरत उपचारिकाओं एवं सिस्टर्स के आवास आवंटन के संबंध में जानकारी

160–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों को आवास आवंटन हेतु क्या मानक निर्धारित है ? डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में कार्यरत कितनी उपचारिकाओं एवं सिस्टर्स के आवास आवंटन हेतु 1 जनवरी, 1995 से 31 जनवरी, 2000 तक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितनी उपचारिकाओं/सिस्टरों को आवास आवंटित किए गये हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

राजकीय कर्मचारियों को आवास आवंटन के मानक राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में कोई राजकीय आवास निर्मित नहीं है । केवल एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसे राज्य सम्पत्ति विभाग को अग्रसारित किया गया है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग से आवंटन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रदेश में सिस्टर के पद पर प्रोन्नत सिस्टर्स को सहायक मैटर्न के पद पर प्रोन्नति की मांग

161–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1973 से 1975 बैच में सिस्टर के पद पर प्रोन्नत सिस्टर्स को सहायक मैटर्न के पद पर प्रोन्नति किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उनकी प्रोन्नति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रोन्नत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र में तैनात उपचारिकाओं की सिस्टर के पद पर प्रोन्नति की मांग

162–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र में तैनात वर्ष 1977-78 बैच की उपचारिकाओं को अभी तक सिस्टर के पद पर प्रोन्नत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक प्रोन्नति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

पर्वतीय उपसंवर्ग सेवा नियमावली, 1992 में दिये गये प्राविधानों के अधीन पर्वतीय उप संवर्ग की दिनांक 24-11-1981 तक नियुक्त उपचारिकाओं की प्रोन्नति सिस्टर के पद पर कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय जनपदों में उपचारिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

163–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में उपचारिकाओं के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि रिक्त पदों हेतु अभी हाल ही में चयन किया गया था ? यदि हां, तो क्या चयन की प्रतीक्षा सूची से रिक्त पदों को भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

पर्वतीय जनपदों में आरक्षित श्रेणी के उपचारिकाओं के कुल 151 पद अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त हैं ।

जी हां ।

अगस्त, 1998 के विज्ञापन के सापेक्ष सभी वर्ग के रिक्त पदों पर जून, 1999 में चयन किया गया था ।

जी हां, भरा जा चुका है ।

पर्वतीय क्षेत्र के लिये केवल सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी थी जिनकी नियुक्ति सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष की जा चुकी है । ओ० बी० सी० एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आरक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं ।

शाहजहांपुर में गौहावर सूरजपुर मार्ग से मगनपुर तक कराये गये मिट्टी कार्य की जांच रिपोर्ट

164—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 4-2-99 उनको प्राप्त हुआ है जो वर्ष 1998-99 में माह नवम्बर, 98 तक कराये गये गौहावर सूरजपुर मार्ग से मगनपुर तक मिट्टी कार्य की जांच कराने के संबंध में था ? क्या यह सही है कि उन्होंने दि० 4-2-99 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को जांच के लिए आदेशित किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं । अपितु इसी आशय का पत्र दिनांक 20-1-99 को प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच में कार्य की मात्रा माप पुस्तिका के अनुरूप पाई गई व गुणवत्ता की स्थिति संतोषजनक है।

सिंचाई बन्धु की बैठकों में विधायकों से अध्यक्षता न कराकर अधिकारियों से कराये जाने के संबंध में पत्र

165–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-2-99 जो सिंचाई बन्धु की 13-10-98 मीटिंग में उपस्थित मा० विधायकों को बैठक की अध्यक्षता न कराकर अधिकारियों की

अध्यक्षता करने तथा उ० प्र० प्रोटोकाल का उल्लंघन किये जाने की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने दि० 17-2-99 को मंत्री जी को जांच के लिए आदेशित किया है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

166–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[दिनांक 26-4-2000 को अता० प्र० सं०-69 द्वारा उत्तरित]

शाहजहांपुर में सहकारी चीनी मिल तिलहर के गन्ना क्रय केन्द्रों के केन गार्डों से चौबीस घण्टे ड्यूटी लेने के सम्बन्ध में जांच की मांग

167–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर के गन्ना क्रय केन्द्रों के केन गार्डों से चौबीस घण्टे ड्यूटी ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं। केन यार्ड पर तैनात गार्डों से दिन में तौल के समय ड्यूटी ली जाती है जो आठ घण्टे या इससे कम होती है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में सहकारी चीनी मिल तिलहर के मजदूरों की कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

168–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो सहकारी चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के मजदूरों की कतिपय समस्याओं के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने दि० 5-2-99 को प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ को उपरोक्त पत्र की जांच के लिए आदेशित किया था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

जी हां।

उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) से जांच करायी जा रही है।

169–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[दिनांक 26-4-2000 को अता० प्र० सं०-34 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र के लिये किसानों को सिंचाई हेतु लोअर कैनाल आगरा द्वारा पानी उपलब्ध कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

170–श्री अजय कुमार पोद्दा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के लिये किसानों को सिंचाई हेतु लोअर कैनाल आगरा द्वारा पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/2060/मथुरा/99, दिनांक 29-12-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा जनपद के चिकित्सालयों के भवनों/कार्यालयों के रख-रखाव एवं लघु निर्माण संबंधी कार्य टेण्डर आमंत्रित न करके ठेकेदारों से कराने की जांच की मांग

171–श्री बचनू राम पटेल तथा श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर के नियंत्रणाधीन जिला चिकित्सालय तथा जनपद के अन्य चिकित्सालयों के भवनों/कार्यालयों के रख-रखाव एवं लघु निर्माण संबंधी कार्यों को कराये जाने हेतु वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में टेण्डर आमंत्रित न करके एक ही ठेकेदार से सम्पूर्ण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मानक से 30 प्रतिशत अधिक के रेट से कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के नियंत्रणाधीन चिकित्सालयों/कार्यालयों के भवन के रख-रखाव एवं लघु निर्माण कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी और न्यूनतम निविदादाता के कार्य आवंटित किये गये थे । वर्ष 1997-98 में लोक निर्माण विभाग के वर्तमान दरों के सापेक्ष 6% अधिक तथा वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग के प्रभावी दरों के सापेक्ष 12% अधिक पर कार्य कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अस्पताल, गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आवास आदि का अवैध रूप से कब्जा करके उपयोग करने की जांच की मांग

172–श्री बचनू राम पटेल तथा श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला अस्पताल गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आवास, गैराज तथा नर्सेज आवास के दो कक्षों को एक ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करोकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी० डी० ओ० कार्यालय फैजाबाद के लिपिक श्री लालता प्रसाद मिश्र के विरुद्ध वसूली पदावनति और पूर्व वेतन में कटौती सम्बन्धी प्रकरण की जांच एवं उक्त कर्मचारी को सूचित करने की जानकारी

173–श्री सीताराम निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी०डी०ओ० कार्यालय फैजाबाद के लिपिक लालता प्रसाद मिश्र को पत्रांक 3859/दिनांक 20-9-84 द्वारा आरोपित करके, उसके विरुद्ध वसूली पदावनति और पूर्व वेतन में 1/4 कटौती करने संबंधी दण्डादेश पत्रांक 24/दिनांक 10 फरवरी, 1993 जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच के संबंध में उक्त कर्मचारी को सूचित किया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच के संबंध में श्री लालता प्रसाद मिश्र को तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के आदेश संख्या–1694/स्था०लि०(2)/83-84 , दिनांक 19 अप्रैल, 1983 द्वारा सूचित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा विभाग में कार्यरत स्टोर कीपर संवर्ग कम लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने तथा तदर्थ प्रोन्नति करने की जानकारी

174–श्री चेतराम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–137 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत स्टोर कीपर संवर्ग कम लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त वेतन विसंगति दूर होने तक स्टोर कीपर तथा लिपिकों की तदर्थ प्रोन्नति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । चिकित्सा विभाग में स्टोर कीपर कम लिपिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों की विसंगतियों को दूर करने का प्रकरण विचाराधीन है । महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० से अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी । तदर्थ प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के कारण इनकी तदर्थ प्रोन्नति पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को मेडिकल कालेज का दर्जा दिये जाने की मांग

175–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग द्वारा स्थापित न्यास द्वारा संचालित सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को मेडिकल कालेज का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव सरकार के

विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल को कब तक मेडिकल कालेज का दर्जा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उत्तर प्रदेश वन चिकित्सालय ट्रस्ट, हल्द्वानी को मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शासकीय पत्रांक–199/एकहत्तर–3-99-110/96, दिनांक 16-2-99 द्वारा आवश्यकता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है । प्रस्तावित मेडिकल कालेज के लिये डा० सुशीला तिवारी मेमोरियल फारेस्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित है ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था मेडिकल कालेज चलाने हेतु तभी अर्ह होती है जब एम० सी० आई० की संस्तुति पर उसे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की अनौपचारिक अनुमति प्राप्त हो जाती है । चूंकि उ० प्र० वन चिकित्सालय ट्रस्ट हल्द्वानी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं दी गयी है और आगे की कार्यवाही शेष है । अतः समय अवधि इंगित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की जनपदों में तैनाती की मांग

176–श्री राम सिंह सैनी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1999 में चयनित 104 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को जनपदों में तैनात कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक जनपदों में तैनात कर दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संस्तुत अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होते ही उनके नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ।

जनपद उन्नाव में ग्राम पंचायत इन्देमऊ में इन्दिरा आवास योजना में आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

177—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत इन्देमऊ, ब्लाक–बीघापुर, जनपद–उन्नाव में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 1997-98, 1998-99 व 1999-2000 हेतु कितना धन आवंटित किया गया था तथा इस आवंटित धन में कितने तथा किसको-किसको लाभान्वित किया गया ? क्या मंत्री जी इन्दिरा आवास योजना में आवंटित धन के दुरुपयोग की जांच कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

ग्राम पंचायत इन्देमऊ, ब्लाक-बीघापुर, जनपद उन्नाव में इन्दिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए निम्न प्रकार धन आवंटित किया गया है :–

वर्ष–1997-98	—
वर्ष–1998-99	रु० 60,00,000
वर्ष–1999-2000	—

लाभार्थियों का विवरण निम्न है :–

1. श्री बोकई पुत्र श्री बिन्दा, अनु० जाति ।

2. श्री राम संजीवन पुत्र श्री बिन्दा, अनु० जाति ।

3. श्री कल्लू पुत्र श्री राजाराम, अनु० जाति ।

जी नहीं । धन के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर में नलकूप खण्ड/विभाग में कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

178-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी शाहजहांपुर को नलकूप खण्ड/विभाग में कराये गये कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हा, तो क्या यह सच है कि जिला अधिकारी ने दि० 26-3-99 को उपरोक्त पत्र की जांच के लिए अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर को आदेशित किया था ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मा० विधायक के पत्र में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में दोषी अभियंताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शाहजहांपुर में नलकूप विभाग के उप खण्ड तिलहर के एस० डी० ओ० एवं अवर अभियन्ता के हेड-क्वार्टर, तिलहर में बनाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

179–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी शाहजहांपुर को नलकूप विभाग के उपखण्ड तिलहर पर नियुक्त एस०डी०ओ० एवं अवर अभियन्ता के हेडक्वार्टर तिलहर में बनाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दि० 26-3-99 को उपरोक्त पत्र की जांच के लिए अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर को आदेशित किया था ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता ने उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मा० विधायक की वांछनानुसार उपखण्ड का मुख्यालय तिलहर स्थापित किया जा चुका है । वर्तमान में तिलहर उपखण्ड में दि० 6-4-2000 के आदेश से स्वतंत्र सहायक अभियन्ता की पदस्थापना की जा चुकी है । दो अवर अभियन्ताओं का मुख्यालय पूर्व से ही तिलहर में स्थापित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम अचिन्तपुर में स्वीकृत इन्दिरा आवास के निर्माण के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, जैतीपुर द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

180–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 30-3-99 जो इन्दिरा आवास स्वीकृत तथा निर्माण के संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी जैतीपुर ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार उपरोक्त पत्र के बिन्दुओं की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

मा० विधायक के पत्र दि० 30-3-99 के साथ संलग्न प्रार्थीगण ग्राम अचिन्तपुर विकास खण्ड जैतीपुर के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित 4 व्यक्तियों के आवास निर्माण कराने का अनुरोध किया गया था । लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत को करना था । ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दि० 17-1-99 द्वारा 27 व्यक्तियों की सूची आवास आवंटन हेतु प्रेषित की गयी । जिसमें पत्र में अंकित व्यक्तियों के नाम प्रस्ताव की सूची में सम्मिलित नहीं हैं । अतः इनके आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवंटन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया है अतः जांच की आवश्यकता नहीं है ।

हरदोई रोड, लखनऊ स्थित ग्राम बरावन कलां में सड़क निर्माण की मांग

181–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई रोड, लखनऊ पर स्थित ग्राम बरावन कलां में श्री शिव कुमार वर्मा के मकान से श्री राम चन्द्र नाई के मकान तक सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1998 में ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री के आदेशों के उपरान्त भी उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सड़क का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

प्रश्नांकित मार्ग का निर्माण कार्य न तो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को स्वीकृत है और न ही इस पर इस विभाग द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में ट्यूबवेल की पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कराने की मांग

182–श्री राम चन्द्र यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–170 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में पीने के पानी की मूलभूत समस्या के निराकरण हेतु ट्यूबवेल की पाइप लाइन

बिछाने हेतु वित्तीय संसाधन की व्यवस्था कर ली गई है ? यदि हां, तो कब तक पाइप लाइन का कार्य पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के खराब नलों को ठीक कराने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

183–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 3-8-99 जो जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में खराब नालों को ठीक कराये जाने के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मुख्य मंत्री जी ने उपरोक्त पत्र दि० 4-8-1999 को उन्होंने आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

मद्य निषेध प्रचारक गढ़वाल मण्डल, नशाबन्दी परिषद् के अध्यक्ष श्री जगमोहन भारद्वाज, एडवोकेट को सम्मानित करने की मांग

184–श्री स्वामी ओइमूवेश–

क्या समाज़ कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा मद्यनिषेध का प्रचार, प्रसार करने के लिये आज तक कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है ? क्या सरकार आजीवन मद्य निषेध का प्रचार करने वाले गढ़वाल मण्डल नशाबन्दी परिषद् के अध्यक्ष श्री जगमोहन भारद्वाज एडवोकेट को सम्मानित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मद्यनिषेध विभाग द्वारा अभी तक मद्यनिषेध का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया है ।

गढ़वाल मंडल के नशाबंदी परिषद् के अध्यक्ष श्री जगमोहन भारद्वाज को सम्मानित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर के ग्राम पिपरौली के प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग की जांच सम्बन्धी शिकायती-पत्र

185–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूंगा लाल, उप प्रधान, ग्राम पंचायत पिपरौली, ब्लाक ददरौल, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर के शपथ-पत्र सहित संलग्न शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-2-2000 बाबत ग्राम प्रधान पिपरौली, विकास क्षेत्र ददरौल, तहसील सदर, शाहजहांपुर

द्वारा अपने ग्राम प्रधान के कार्यकाल में आहरित किये गये धन के दुरुपयोग की जांच के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं । अपितु शिकायती-पत्र दिनांक 18-2-2000 को प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र के आधार पर जांच कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरसों के तेल के लिये गये नमूने तथा मिलावट सम्बन्धी मामले की जानकारी

186–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ में जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 तक सरसों के तेल के कितने नमूने लिये गये तथा मिलावट के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

कुल 14 नमूने ।

उक्त 14 नमूनों में से परीक्षणोपरान्त नमूने अधोमानक/अपमिश्रित पाये गये । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 सपठित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार सक्षम न्यायालय में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें संस्थित किये गये ।

जनपद बस्ती के गन्ना सहकारी समिति, वाल्टरगंज तथा बस्ती द्वारा पास बुक तथा कम्प्यूटर खर्च के नाम पर गन्ना किसानों से की गयी कटौतियों को वापस दिलाने की मांग

187–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती के गन्ना सहकारी समिति, वाल्टरगंज तथा बस्ती द्वारा पास बुक तथा कम्प्यूटर खर्च के नाम पर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य से कटौतियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो कटौतियां किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार गन्ना मूल्य से की गई कटौतियों को गन्ना किसानों को वापस दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

गन्ना समिति, वाल्टरगंज एवं बस्ती की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण कृषकों से पास बुक व कम्प्यूटर से कलेण्डर निकाल कर कृषकों को वितरित करने हेतु पांच गाड़ी से नीचे रु० 8/-, पांच गाड़ी से दस गाड़ी तक रु० 10/-, ग्यारह से पच्चीस गाड़ी तक रु० 15/-, पच्चीस गाड़ी से ऊपर रु० 25/- की दर से कटौती की गयी, जो बहुत ही नगण्य है तथा कृषकों के हित में है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर के राजकीय चिकित्सालयों में एम० डी० (चेस्ट) उपाधि प्राप्त चिकित्सकों के विशेष योग्यता का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

188–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर के राजकीय चिकित्सालयों में एम० डी० (चेस्ट) उपाधि प्राप्त कितने चिकित्सक हैं एवं उनकी नियुक्तियां कहां-कहां की गई हैं ? क्या सरकार उनकी इस विशेष योग्यता का लाभ सीने के रोग से संबंधित मरीजों और क्षय रोग के मरीजों के चिकित्सालयों में प्राप्त कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के राजकीय चिकित्सालयों में एम०डी० (चेस्ट) उपाधि प्राप्त तीन चिकित्सक है, जो नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोदीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डासना और टी०बी० क्लीनिक, गाजियाबाद तथा जिला क्षय रोग अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पद पर कार्यरत हैं।

एम०डी० (चेस्ट) उपाधि की विशेष योग्यता के एक चिकित्सक का लाभ मरीजों और चिकित्सालयों में प्राप्त हो रहा है और अन्य दो चिकित्सकों की विशेष योग्यता का लाभ एम०डी० (चेस्ट) योग्यता का पद रिक्त न होने के कारण नहीं लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

189–श्री धर्मराज निषाद–

[छठे मंगलवार में अता० प्र० सं०–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

190–श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

[दिनांक 29-3-2000 को अता० प्र० सं०–45 द्वारा उत्तरित]

जनपद पड़रौना में ग्राम बसन्तपुर (शिवपुर) निवासी रामचन्द्र के नाम का इन्दिरा आवास निजामुद्दीन द्वारा बनाये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

191–श्री दीप लाल भारती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पड़रौना (कुशीनगर) के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम बसन्तपुर (शिवपुर) निवासी राम चन्द्र पुत्र भोज (मुसहर–अ०जा०) द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, पड़रौना को दिनांक 23-1-95 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि दलित परिवार के नाम का इन्दिरा आवास निज़ामुद्दीन पुत्र श्री इस्लाम ने बना लिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं। श्री राम चन्द्र पुत्र भोज द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, पड़रौना को दिनांक 23-1-95 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यालयों में "मृतक कर्मचारी आश्रित" कर्मचारियों की संख्या तथा उनके द्वारा पुनर्विवाह के उपरान्त पेंशन भुगतान प्राप्त करने की जानकारी

192–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में स्थित सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यालयों में "मृतक कर्मचारी आश्रित" के रूप में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?. क्या इनमें से कुछ कर्मचारियों द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों द्वारा पुनर्विवाह के उपरान्त भी पेंशन का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

298

जी हां 6 कर्मचारियों द्वारा पुनर्विवाह किया गया है।

इन कर्मचारियों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा पेंशन प्राप्त नहीं की जा रही है।

जनपद संत रविदासनगर, ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर लेपन कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

193–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1997-98 में कराये जा रहे भदोही से जाजपुर, जंगीगंज से बड़ागांव, बीरमपुर से लोकमनपुर, गिरई कलाशय से रेलवे लाइन सीतागढ़ी में गेस्ट हाउस निर्माण, लालानगर से बड़काडांड से जी०टी० रोड जगन्नाथपुर से अलमऊहाल्ट तक के लेपन कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि कुछ कार्यों हेतु धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

उल्लिखित कार्यों में से एक कार्य भवन निर्माण का, तीन कार्य खड़ंजा का, शेष तीन कार्य लेपन स्तर के हैं । जो स्थानीय विवाद के कारण पूर्ण नहीं हो पाये हैं ।

जी हां ।

धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । दिनांक 15-5-2000 तक पूर्ण कराये जाने का प्रयास है ।

194–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1996-97 में ज्ञानपुर रमईपुर से बयांव तीन कि० मी० लेपन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त लेपन कार्य हेतु धन अवमुक्त किया जा चुका है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । रु० 14.74 लाख अवमुक्त किया जा चुका है ।

शिकायत प्राप्त होने पर मण्डलीय तकनीकी आडिट सेल से जांच कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

195–डा० ज्ञानवती सिंह–

[दिनांक 26-4-2000 को अता० प्र० सं०–176 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में मार्ग निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

196–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में वर्ष 1997-98 में पी० डब्लू० डी० मुख्य मार्ग से श्रीदत्तगंज प्राइमरी पाठशाला होते हुए श्रीदत्तगंज गुमड़ी मार्ग तक अधूरा निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 850 मी० मिट्टी कार्य एवं पुलियों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा खड़न्जा कार्य प्रगति में है जिसे जून 2000 तक पूर्ण कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से क्रमांक के आधार पर अग्रक्रय को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

जनपद फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्रान्तर्गत भरैरा नाला एवं आवा नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर सिंह–

| महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जसराना, जनपद फिरोजाबाद में दो नाले भरैरा नाला व आवा नाला पड़ते हैं। बरसात में ये दोनों नाले बहुत ही विकराल रूप ले लेते हैं और हजारों एकड़ कृषि फसलों को बर्बाद कर देते हैं, नालों की सफाई न होने के कारण प्रत्येक वर्ष किसानों की तबाही हो रही है। आवा नाला की लम्बाई 40 किमी० है। इसमें 30 किमी० तक की सफाई भोगनीपुर प्रखण्ड इटावा द्वारा कराई जा रही है परन्तु शेष 10 किमी० की सफाई सिंचाई खण्ड फिरोजाबाद द्वारा अभी तक नहीं कराई जा रही है। भरैरा नाला की सफाई नहीं हो रही है। तत्काल भोगनीपुर प्रखण्ड इटावा को प्राक्कलन स्वीकृत कर इसकी सफाई वर्षात के पूर्व होना बहुत जरूरी है अन्यथा किसानों को दुर्गति से नहीं बचाया जा सकता है।

अतः मैं सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों नालों की तत्काल सफाई कराकर किसानों की हजारों एकड़ भूमि को बर्बाद होने से बचाने का कष्ट करें।|

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के ग्राम रामपुर फतेहपुर में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर–

| महोदय, जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा के गांव रामपुर फतेहपुर के पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति नोएडा पावर कम्पनी द्वारा दिनांक 28-4-2000 को गांव के कुछ उपभोक्ताओं पर बिल बकाया होने के कारण काट दी गयी है, जिससे गांव के उन उपभोक्ताओं में जिनके बिल अदा हैं और फिर भी वो विद्युत आपूर्ति से वंचित हैं व भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा पावर कम्पनी व शासन के प्रति गांव की जनता में भारी आक्रोश व असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय व निश्चित मत विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।|

| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ महानगर के सूर्य कुण्ड के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

| मान्यवर, उ० प्र० शासन ने कर्ण के कुण्डलदान के प्रकरण से सम्बन्धित सूर्यकुण्ड के विकास का निर्णय लिया था।

गॉसन द्वारा विकसित करने हेतु 25 लाख रुपया का अनुदान दिया गया था। आवंटित राशि समाप्त हो गयी है। कार्य अधूरा रह गया है।

प्रदेश के पार्कों का सारा धन लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में व्यय किया जाने के कारण कार्य को पूर्ण करने की आवश्यक धनराशि 25 लाख रुपया ही मिल पा रहा है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शेष 25 लाख रुपया स्वीकृत कर बचे कार्य को पूर्ण कराने का मांग करता हूं। |

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत अधिसंख्य ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

| महोदय, निवेदन करना है कि जनपद हरदोई में व मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित खण्डों के ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने हेतु उनके विपरीत अंकित ग्रामों के लिये आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि स्वीकृत करके धन उपलब्ध करा दिया था, उसका विवरण भी अंकित कर रहा हूं। इस संदर्भ में तमाम लिखा पढ़ी के उपरान्त भी आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण न ही किया गया है जिससे जनता में आक्रोश है। इस सम्बन्ध में कई बार प्रश्नों के माध्यम से विधान सभा में भी मामला उठाया है और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा परन्तु कोई समुचित उत्तर नहीं मिला विधान सभा में कई ग्रामों की याचिका विचाराधीन है।

क्र०सं०	वि० ख० का नाम	ग्रामों कीं संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत वर्ष
1	मल्लावां	37	5959000	1987
2	बिलग्राम	22	5453000	1987
3	माधोगंज	57	6217000	1987
	कुल	116	17629000	

इस प्रकार 116 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार ने आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत एक करोड़ छियत्तर लाख उन्तीस हजार रुपये (1.76.29.000) रु० वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया था परन्तु उक्त धनराशि से विद्युतीकरण कराने में बराबर लापरवाही बरती जाती रही जिससे ग्रामीण जनता को आर० ई० सी० स्कीम का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसका उल्लेख निम्नवत् किया जा रहा है।

विकास खण्ड मल्लावां :–बेरिया, नजीरपुर, साहिमपुर, हर्रेया, शाहपुर, कोडरमऊ, कोकटमऊ, मानीमऊ, दाउदपुर, मेंहनेपुर, भूलभवानीपुर, मीननगर, तेजीपुर, खरैद्दीपुर, सुनासी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहाबुद्दीनपुर, नसीरपुर. भड़तल, नेवादा महसूद, तरहेटिया, दसराइंचमऊ, नेकपुर, मुर्तजा कुल्लीपुर, सरसइया, पूरनमऊ, तखोरा, भसूडा, नेवादा परस, सुल्तानपुर कोट अटवारा, चक्कोला, औसानपुर, हजरतपुर, कुशरियापुर, नेवादा इब्राहीमपुर कटिया, भिखारीपुर इत्यादि ।

विकास खण्ड माधोगंज :–बड़नपुर, ख्वाजापुर, नौमलिकपुर, फतेहपुर, पनेडरा, बढ़नवा, खन्धेरिया खनजहोनपुर, शेखनपुर, भैसीखेड़ा, उसरहा, बरहस, पिलखना, टेढ़िया, फिरोजपुर, नेवादा गंभी शहव्दा, गौतरा कुरसठ खुर्द, कुरसठ बुजुर्ग, समुखा परनखा डकौली, खुदार्गदारपुर, खरैयावेलवार, खुर्रमपुर, सेखवापुर, भिठाई, सुआपुर, जेहदीपुर, नीभामऊ, हसनपुर, ज्योली, सरायमऊ, इन्दलापुर, मुडियाखेड़ा, काल्हामऊ, फतेहपुर चौगना, इकाई, तौकलबाद, रहीमपुर, लोनारी, लेखाकुल्ली, मगरहा, बेलहरा कमालनगर, हरपुरा, नरायनमऊ करवा, मोहब्बतपुर नेवादा (राधोपुर) साहिब पुर तथा मबैया इत्यादि ।

विकास खण्ड बिलग्राम– –कैफरिया वसहर, बलेन्दा, विधौरी नेवादा, कोइलर, अलियापुर, कोई दिवाली, नर्वापुर, बरगांवा वाण, कटरी, करेहका, करेहका, चौगवां, पैदापुर चोलियापुर, कटरी जरसेनामऊ, नौरंगपुर कटरी, बिछुइया, कटरी महदेवा, कटरी दिबरामऊ, सांपखेड़ा महसोनामऊ, कटरीजफरपुर, कटरी अजमत नगर, गनीपुर, हबीत नगर, कटरी परसोला बेहटीखुर्द इत्यादि ।

महोदय, उपरोक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु दर्शित धनराशि जो भारत सरकार द्वारा आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत उ० प्र० सरकार को वर्ष 1987 में उपलब्ध करायी थी, उसी के आधार पर ग्रामों का विद्यतुकरण होना था परन्तु सरकार की लचर नीति के कारण उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण न करके जनता को विद्युत लाभ से वंचित कर अन्याय किया गया है ।

यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है जिसे सदन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है । जिससे उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और क्षेत्र के उपरोक्त ग्रामों की जनता को विद्युत का लाभ प्राप्त हो सके ।]

जनपद बागपत के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत देहाती क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और प्रदेश सरकार का ध्यान देश की राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे अपने विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा की जर्जर विद्युत व्यवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । महोदय, खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र दो जनपदों–बागपत और गाजियाबाद के नियंत्रणाधीन है । इस विधान सभा क्षेत्र का लोनी ब्लाक गाजियाबाद में तथा खेकड़ा व आधा पिलाना ब्लाक बागपत जनपद में पड़ता है । लोनी ब्लाक का लगभग 70 प्रतिशत भाग पर तेजी से आबादी बसी है । नई-नई कालोनियां अनाधिकृत रूप से बनी है । इसके साथ ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं उ० प्र० आवास विकास परिषद् ने भी काफी बड़ा भू-भाग आवासीय कालोनियों के लिए अपने नियंत्रणाधीन कर कालोनियां बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है । प्रदेश का चर्चित ट्रानिका सिटी भी इसी ब्लाक में विकसित की जा रही है । इस पूरे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह जर्जर है । रात्रि में बिजली न के बराबर मिल रही है जिस कारण इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । दिल्ली सीमा से जुड़ा होने के कारण असामाजिक व अपराधी तत्व बिजली न होने का लाभ उठाकर चोरी, डकैती, हत्या कर पुलिस की नजरों से बच कर भाग निकलते हैं । दूसरी ओर दिल्ली से जुड़े भाग

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गौतमबुद्ध नगर के नोएडा व गाजियाबाद शहर में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है । आश्चर्यजनक है कि उक्त क्षेत्रों को दिल्ली के समीप का लाभ देकर विद्युत व्यवस्था एकदम ठीक है । दूसरे लोनी ब्लाक जो गौतमबुद्ध नगर की तरह दिल्ली सीमा से जुड़ा है, उसे इस सुविधा से वंचित रखा गया है । एक जैसी स्थिति में दोहरा माप दण्ड विद्युत विभाग द्वारा अपनाया जाना अनुचित है । यहां पर पुराने और जर्जर तारों का बदला जाना भी आवश्यक है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि लौनी खेकड़ा पिलाना ब्लाक में ठेका प्रथा समाप्त कर मीटर लगाकर देहाती क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिये जाये ताकि दिल्ली सीमा से जुड़े इस क्षेत्र के लोग अनियमित विद्युत पूर्ति के कारण नारकीय जीवन न जीने पर मजबूर हो तथा इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था में सुधार होकर शान्ति व्यवस्था कायम हो सके ।]

प्रदेश के नर्सिंग होम एवं सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का निपटान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान प्रदेश में स्थित नर्सिंग होम तथा सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का निपटान न होने की वजह से प्रदेश में संक्रामक रोग फैलने का भय व्याप्त है । लेकिन यह खेद का विषय है कि उक्त नर्सिंग होम व सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे निपटान के लिए कोई भी सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई । जिससे संक्रामक रोग फैल रहे ।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार को उक्त मामले में निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) स्थित भदोही उलेन मिल के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही पूरे विश्व में कालीन नगरी के नाम से विख्यात है तथा प्रति वर्ष दो हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा कालीन के जरिये इस देश प्रदेश को प्रदान करता है । कालीन की बढ़ती हुई मांग व बढ़ते हुए निर्यात को ध्यान में रख कर सरकार द्वारा कालीन के लिए ऊनी धागा तैयार करने के लिए वर्ष 1976 में भदोही उलेन मिल स्थापित किया गया जिसमें लगभग 323 कर्मचारी कार्यरत हैं । अधिकारियों की लापरवाही के कारण धीरे-धीरे मिल घाटे में जाने लगी । कई बार इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने पर भी प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से निरन्तर घाटे में चल रही मिल के कर्मचारियों को 1994 से वेतन मिलना बंद हो गया जिसके लिए कई बार हड़ताल, चक्का जाम, धरना, प्रदर्शन के जरिये मिल कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग की गयी लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला बल्कि भुखमरी के कगार पर पहुंचे । मजदूरों की अनदेखी कर वर्ष 1996 में मिल बंद कर दी गयी । तब से लेकर अब तक 323 मजदूर दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं तथा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है । इनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः कृपया गरीब मजदूरों की आर्थिक विपन्नता, उनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर जनहित में जनपद सन्त रविदास नगर भदोही स्थित भदोही उलेन मिल के 323 कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित करने एवं उनके बकाया वेतन के भुगतान हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करें। |

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार है श्री अजय कुमार पोइया, श्री विजय पाल सिंह, श्री राम ललित चौधरी, श्री उदय राज यादव तथा श्री श्रीराम पाल। आज दिनांक 10 मई, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना डॉ० लक्ष्मीकांत बाजपेयी की है।

पंचायती राज विभाग के बजट साहित्य में प्रदर्शित जिला योजना का प्रारूप, सदन में की गयी घोषणा के विपरीत होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डॉ० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, 3 मई को पंचायती राज का बजट था जो साहित्य उपलब्ध कराया गया उसमें जिला योजना का प्रारूप सदन में की गयी घोषणा के विपरीत है। इसके पूर्व 7.4 को संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य जो उनके हस्ताक्षर से था, उसके विपरीत है, जिसमें जिला योजना में पूर्व की व्यवस्था है जिसमें माननीय विधायकों की सहभागिता थी। 29.4 को राज्य योजना आयोग के सचिव या सचिव नियोजन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को लागू करने की सूचना दे दी गयी थी और इसके बावजूद भी 27 दिन बाद पंचायत राज विभाग का बजट आता है और बजट में जो साहित्य दिया जाता है उसमें वही पूर्व व्यवस्था छपी होती है। अगर वह पूर्व का छपा हुआ है तो 27 दिन में परिवर्तन होकर या इनेक्जर लगकर आना चाहिए। जब बजट था, उसमें पंचायती राज मंत्री उपस्थित नहीं थे। मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं। उस दिन माननीय मंत्री जी की उपस्थिति सदन में आवश्यक थी। कल चिकित्सा, शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग का बजट था, माननीय मंत्री जी सुबह से बैठे रहे। पंचायती राज मंत्री जी इस सदन में नहीं थे। दूसरे जो संबंधित अधिकारी हैं, सदन के प्रति उनकी क्या गम्भीरता है, उसको आपके समक्ष रखते हुए आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय डॉ० बाजपेयी जी बड़े जागरूक सदस्य हैं, कभी-कभी चूक हो जाती है. आपसे भी हो गयी, कोई बात नहीं। जिस रोज यह बजट साहित्य बंटा जिसका आपने संदर्भ दिया है। माननीय पंचायती राज मंत्री जी की जानकारी में स्वयं यह बात आ गयी थी, वह स्वयं आये और 3 तारीख को शुद्धि पत्र जारी किया। यह शुद्धि-पत्र है, यदि अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं।

डॉ० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, शुद्धि-पत्र अगले दिन पिजियन होल में मिला है।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी सूचना में लिखा है कि 3 तारीख को मिला है।

श्री हुकुम सिंह–

कभी-कभी जागरूक सदस्य से भी चूक हो जाती है। कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना का निस्तारण कर रहा हूं।

नियम–56 और 51 के अन्तर्गत ध्यानाकृष्ट सूचनाओं पर "उ० प्र० विधान सभा के मा० अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश" के निदेश संख्या–19 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री ददूदू प्रसाद की है।

श्री ददूदू प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम–56 और 51 के तहत जो सूचना देते हैं, उसमें आप नियम–56 में प्रथम 5 सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुनते हैं और 5 पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। इसी प्रकार नियम 51 की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। इसमें प्राविधान है कि निदेश संख्या–19 के तहत यथाशीघ्र की गयी कार्यवाही से सदन को और सम्बन्धित सदस्य को सूचित करेंगे। बहुधा क्या हमेशा ऐसा होता है कि नियम–51 और 56 की जो सूचनायें ध्यानाकृष्ट के लिये चली जाती हैं। समस्या चाहे जितनी गम्भीर हो या विकराल समस्या हो, न तो सदन को अवगत कराया जाता है, न माननीय सदस्य को। यथाशीघ्र की बात तो दूर, कभी भी नहीं कराया जाता है। मैंने 6 अप्रैल, 2000 को पेयजल की समस्या के संदर्भ में नियम–51 मे सूचना लगायी थी और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद चित्रकूट में राजस्थान और गुजरात जैसी सूखे की स्थिति है। पेयजल की विकट समस्या है। "हिन्दुस्तान" अखबार ने जो छापा है वह सटीक खबर है। पूरी जनता त्राहि-त्राहि चिल्ला रही है, प्राकृतिक संसाधन कुंएं, तालाब सब सूख चुके हैं। ग्राम टिकुरी में राम सजीवन कोल की पत्नी प्रेमिया प्यास के कारण मर गयी। 16 मार्च को उसने शपथ-पत्र दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो ध्यानाकर्षण की सूचनायें देते हैं, उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी। हम आपका संरक्षण चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि खासतौर से जब बुन्देलखण्ड का क्षेत्र पेयजल की समस्या से तड़प रहा है, मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम ऐसी समस्याओं पर शासन संज्ञान लेकर तुरन्त कार्यवाही करा दे। ग्राम्य विकास मंत्री जी का वक्तव्य आया वह तथ्य से परे झूठा वक्तव्य दिया है। मैने निदेश संख्या 165 के तहत 3 मई, 2000 को लिखकर भी दिया है। मैं चाहता हूं कि निदेश संख्या–19 की अपेक्षा के अनुसार यथाशीघ्र के बजाय समयबद्ध कर दें तो ज्यादा उचित रहेगा। इससे जन समस्याओं के प्रति आपके इस सदन की संवेदना प्रकट होगी, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

वैसे तो यह आपने कृपापूर्वक 3 तारीख को स्वीकार किया था और 4 को भी स्वीकार किया था फिर भी आपने यह सूचना सुनी है। मैं इसकी जानकारी कर लूंगा और जानकारी करने के बाद अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का इतना कहना है कि जिन सूचनाओं पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है उस पर कार्यवाही नहीं की गयी है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सूचना दी है उसमें समय लगता है, पता करके हम बता देंगे।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी में क्षेत्र निधि न बनाये जाने संबंधी सूचना का नियम–51 में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष–

श्री जगदीश नारायण राय एवं श्री राम औतर शाक्य जी की सूचना अस्वीकृत हुई। श्री जगदीश नारायण राय की सूचना नियम–51 में परिवर्तित करके उस पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

प्रथम सत्र वर्ष 2000 के सातवें सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–36 से संबंधित औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य जी आपने निदेश संख्या–165-166 में भी इसी विषय पर सूचना दी है, उसका परीक्षण हो रहा है, उसके बाद अब औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मैंने एक सूचना नियम 56 में दी थी 8-3-99 को । जिसमें यह कहा था कि एक सिरकटी महिला की लाश बह रही है। पुलिस ने कब्जे में नहीं लिया । संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि यह महिला की लाश न होकर सुअर की लाश बह रही है । क्या सुअर के साथ बलात्कार हो सकता है और इससे उस दिन मुझे सदन में अपमानित होना पड़ा था । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में सूचना देता हूं । लेकिन उस दिन संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि एस० पी० मौके पर गये और उन्होंने वहां सुअर की लाश पाई । उसके बाद मैंने प्रमुख सचिव गृह को निवेदन किया । उन्होंने जांच कराई और आई०जी० कानपुर जोन ने यह रिपोर्ट दी कि वह सुअर की लाश न होकर सिर कटी महिला की लाश थी । इसके बाद में सदन में यह मामला चलता रहा । यह निश्चित रूप से गम्भीर बात थी । शासन की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री की तरफ से सदन को गुमराह किया जाये । निश्चित रूप से इसमें उस अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए था जिंसने गलत सूचना दी । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जिस सूचना का आपने उल्लेख किया है, इस संबंध में 165-166 के अन्तर्गत आपने सूचना दी है, वह विचाराधीन है । उस संबंध में जो निर्णय होगा इसके अनुरूप कार्यवाही की जावेगी ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मई, 2000 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 4मई, 2000 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मई, 2000 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 4 में कुछ नहीं है ।

जनपद गाजीपुर के जखनियां तहसील में मघई नदी पर चौजा सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भृगुनाथ राम आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विजय कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर के जखनियां तहसील में मघई नदी पर चौजा सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भृगुनाथ राम तथा श्री ग्रीस सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ ।

नोट :– † लायी नहीं गयी ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम कटघरा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापना कराये जाने विषयक श्री त्रिभुवन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विजय कुमार –

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम कटघरा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री त्रिभुवन सिंह तथा श्री कपिल देव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा की "बृज चौरासी" की परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करते हुए अवैध कब्जों को हटाये जाने विषयक श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा की बृज चौरासी की परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करते हुए अवैध कब्जों को हटाये जाने विषयक श्री दिलीप कुमार यादव, निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अहमदपुर फलवरिया योजना में शासनादेश के विरुद्ध 82 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने विषयक श्री राम वृक्ष पासी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सन्त रविदास नगर में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अहमदपुर फलवरिया योजना में शासनादेश के विरुद्ध 82 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने विषयक श्री राम वृक्ष पासी तथा श्री मोलई राम, निवासीगण जनपद संत रविदास नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर भदोही में पिपरिस ग्राम के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा या भूमि दिलाये जाने विषयक डा० जयसिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद संत रविदास नगर भदोही के रजबहा में पिपरिस ग्राम के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा या भूमि दिलाये जाने विषयक डा० जयसिंह तथा श्री शारदा प्रसाद सिंह, निवासीगण जनपद संत रविदासनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड विजयीपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा में एक सरकारी इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री कुलदीप कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री मुरलीधर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड विजयीपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा में एक सरकारी इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री कुलदीप कुमार तथा श्री राम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है।

---

† छापी नहीं गई।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक ५ मई, 2000 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 10 मई से 26 मई, 2000 तक के कार्यक्रम को निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :—

मई, 2000

10 बुधवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

11 गुरुवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी एवं श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्यगण, विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न ला इलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबंदी लगाई जाय ।"

12 शुक्रवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

3—"ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ।

13 शनिवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"कानपुर जिले के बाजिदपुर पेबन्दी शेषपुर, मोतीपुर, ओलापुर, सुखनीपुर आदि गांवों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से कृषि उपज एवं पेयजल की गम्भीर समस्या" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घंटे की चर्चा ।

मई, 2000

3—"प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयंसेवी संस्था 'सहयोग' द्वारा प्रकाशित 'एड्स और हम' नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

4—"कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद का सृजन किये जाने" के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

5—"उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही की वजह से हज यात्रियों को हुई असुविधा" के संबंध में श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

6—नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा, श्री बी० आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव एवं अग्रतर चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय ।"

7—"प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट एवं श्री राजेन्द्र यादव, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

8—उक्त उपवेशन में नियम–56 एवं नियम–51 की सूचनायें न ली जायं।

14 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

15 सोमवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

3—नियम–103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थाई समिति गठित की जाय ।"

मई, 2000

4—"प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

5—नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

16 मंगलवार	1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2—नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा– "इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करे ।"
17 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
18 गुरुवार	(बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश)
19 शुक्रवार	
20 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
21 रविवार	
22 सोमवार	
23 मंगलवार	(महावीर जी के मेले का अवकाश)
24 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 गुरुवार	
26 शुक्रवार	1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2—4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि मैंने कहा था, कल जो नियम-56 के अन्तर्गत सूचनाएं आयी थीं, उन्हें आज के लिए रख लिया गया है । पहली सूचना सर्वश्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी तथा श्री जगदीश नारायण राय जी की है । इसी विषय पर माननीय श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की भी सूचना है, उनका भी नाम मैं इसमें जोड़ लेता हूं । यदि किसी अन्य माननीय सदस्य की सूचना भी इसी विषय पर होगी तो उनका नाम भी मैं इस पर जोड़ लूंगा । दूसरी सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री संजय गर्ग, स्वामी ओइमवेश तथा श्री परवेज हलीम खां की है । तीसरी सूचना श्री मुन्ना चौहान जी की है । चौथी सूचना श्री उदयराज यादव जी की है । पांचवीं सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह जी तथा श्री अम्बरीष कुमार जी की है । छठी सूचना श्री राम सिंह सैनी जी की है । सातवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, डा० अम्मार रिजवी जी की तथा श्री राम नरेश यादव जी की है । आठवीं सूचना श्री श्रीरामपाल जी की है । अब मैं पहली सूचना ले रहा हूं ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं । आज उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून-व्यवस्था पर.....

श्री अध्यक्ष–

मैं एक अनुरोध करूंगा । नियम–56 के अन्तर्गत सारी सूचनायें यदि 2 बजकर 30 मिनट तक समाप्त नहीं होती हैं तो हम उसे वहीं पर स्थगित कर देंगे और 2.30 बजे पर कार्य सूची की अगली मद ले लेंगे और जो सूचनाएं शेष रह जायेंगी, उन्हें कल ले लेंगे । क्योंकि कल 12.00 बज गये थे ।

*श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, बिगड़ी कानून-व्यवस्था के चलते दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, उनकी हत्यायें हो रही हैं, बलात्कार की घटनायें हो रही हैं ।आपने ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । टूण्डला में 4 दलितों की हत्यायें कर दी गई, अभी उसकी आग बुझी भी न थी कि इसी बीच हरदोई में 4 दलितों की हत्या हो गयी । सवर्ण लोगों ने घर में घुसकर दिन-दहाड़े 4 दलितों को गोलियों से भून दिया । मान्यवर, हरदोई जनपद में सदर कोतवाली के अन्तर्गत परिया का पुरवा में शहर के बीचों बीच राम नाथ सिंह जो ठाकुर जाति के हैं । राम नाथ सिंह की लड़की प्रिया सिंह ने पड़ोस के रुस्तम लाल के लड़के साथ राम नाथ सिंह की मर्जी के खिलाफ 26 जनवरी, 2000 को शादी कर ली जिससे राम नाथ सिंह नाराज थे, आक्रोश में थे क्योंकि रुस्तम लाल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का लड़का जो अनुसूचित जाति का है, [× × ×] जाति का है। राम सिंह ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि अगर पुलिस ने घटिया हरकत न की होती। बी० जे० पी० की सरकार में और ऐसे शासनकाल में दलितों के जान माल को खतरा पूरे प्रदेश में बना हुआ है। प्रिया सिंह ने शादी के बाद एक पत्र लिखा था, एस० पी०, डी० एम०, डी० जी०पी०, स्थानीय चौकी पुलिस को यह गुहार लगाते हुए कि हमारे पिता हमारी मर्जी के बिना हमको हमारे पति से अलग कर देंगे। हमारे पति और परिवारजन के साथ घटना हो सकती है लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की।

मैं चिट्ठी पढ़ देता हूं जो कि प्रिया सिंह की तरफ से है। (इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।) शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संरक्षण एवं जानमाल की सुरक्षा के संबंध में लिखी हुई है। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रिया सिंह उम्र 24 वर्ष पढ़ी लिखी, सुशिक्षित पूर्ण बालिग महिला हूं। मेरे पिता श्री राम नाथ सिंह (निलम्बित, दरोगा) निवासी मोहल्ला सुभाषनगर म० नं० 371 थाना कोतवाली सदर, हरदोई ने मेरी इच्छा के विरुद्ध एक शराबी, जुआरी व बहुत अधिक उम्र वाले व्यक्ति से मेरी शादी तय कर दी थी जिससे मुझे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दिया। तब मैंने सोच समझ कर एक योग्य और हम उम्र सच्चे साथी बृजराज किशोर पुत्र श्री रुस्तम लाल निवासी मोहल्ला–कौशलपुर म० नं० 217 थाना कोतवाली सदर, हरदोई से अपनी स्वेच्छा व पूर्ण होशो हवाश में बिना किसी दबाव के दिनांक 26-1-2000 को आर्य समाज मंदिर, लखनऊ में आर्य समाज के रीति रिवाज से अन्तर्जातीय विवाह कर लिया और अपने पति के साथ बतौर पत्नी रहने लगी। चूंकि पूर्ण बालिग, शिक्षित व समझदार भारत का नागरिक होने के नाते मुझे स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सरकार भी अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता एवं वरीयता देती है। फिर भी विवाहोपरान्त मेरे पिता श्री रामनाथ सिंह व भाई श्री ओंकार सिंह एवं प्रदीप सिंह ने मेरे निवास पर आकर अपनी लाइसेंसी बन्दूक व अन्य नाजायज बन्दूक व धारदार हथियारों से कातिलाना हमला किया और मेरी व मेरे परिवार की बेइज्जती करते हुए जान से मारने का प्रयास किया व धमकाते हुए कहा कि तूने निम्न जाति [× × ×] से शादी करके समस्त सवर्ण जाति को कलंकित किया है। मैं तेरे साथ-साथ तेरे पूरे परिवार को जान से मार कर मकान कब्जा कर लूंगा। इस घटना से आतंकित व भयभीत होकर किसी तरह जान बचाकर मेरे परिवार के लोग अपने पैतृक गांव मझरेता, पो० सकतपुर, जिला हरदोई चले आये लेकिन यहां भी मेरे पिता व भाइयों ने आकर जान से मारने की धमकियां देते हुए मेरे सास ससुर की बहुत बेइज्जती कर हंगामा मचाया। तब से मैं, मेरे पति व परिवार के लोग जान बचाकर इधर-उधर मारे-मारे घूम रहे हैं। अतः श्रीमन् जी से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा प्रार्थना-पत्र रिपोर्ट समझ कर मेरे साथ हो रहे शोषण व स्वतंत्रता के मूल अधिकार को सुरक्षित करते हुए कानूनी कार्यवाही कर मेरी, मेरे पति एवं मेरे पूरे परिवार की जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर, इस पत्र के बाद भी स्थानीय पुलिस ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे प्रिया सिंह, उनके पिता या उनके परिवार को बचाया जा सकता। मान्यवर, एक साजिश थी जिसके तहत रामनाथ सिंह, मुल्जिम ने अपने पड़ोस के एक रिटायर सिपाही श्री मुलायम सिंह को श्री रुस्तम के गांव भेजा, जहां वह रहता था कि अब कोई बात नहीं है और गांव चलो। मान्यवर, श्री रुस्तम और उसका परिवार डरा था इसलिए अपने गांव को छोड़कर जहां पहले रहता था वहां चला गया था। मान्यवर, यह बड़ी दुखद घटना है। श्री मुलायम के कहने पर श्री रुस्तम और उसके परिवार के लोग अपने गांव आ गये। सात तारीख को लगभग साढ़े 11 बजे दिन में रामनाथ सिंह और

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसके परिवार के लोग बन्दूक लेकर श्री रुस्तम के घर घुस गये और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलायी जिससे रुस्तम, राजेश, पुत्तू, और विजयपाल मौके पर गोलियों के शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गयी तथा कुछ लोग घायल हुए। इतनी बड़ी घटना हो गयी जिसे बचाया जा सकता था। लेकिन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून-व्यवस्था बिगड़ी है और पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है पुलिस इसको बचा सकती थी। लेकिन पुलिस के निकम्मेपन के कारण यह घटना घटी है।

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसी तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और दलितों की सामूहिक हत्यायें हो रही हैं। मान्यवर, सहारनपुर में देवबन्द में बलात्कार की घटना हुई। वहां दो औरतों को इनके पति और पिता के साथ जंगल ले गये जहां उनके साथ बलात्कार किया गया। इसी तरह बाराबंकी में घटना घटी। मान्यवर, आये दिन बलात्कार और दलितों के साथ अत्याचार की घटनायें हो रही हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जब प्रिया सिंह ने पहले से पुलिस को सचेत कर दिया था तो पुलिस के जिन कर्मियों और अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गयी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं चाहूंगा कि हरदोई के एस० पी० और डी० एम० को भी निलम्बित किया जाय। मैं यह भी चाहूंगा कि मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाय तथा प्रिया सिंह, उसके पति और श्री रुस्तम के परिवार के जो लोग बचे हैं, जो गवाह हैं, उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाय।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हरदोई की घटना के पहले टूण्डला काण्ड हुआ और 1/2 की रात में चार दलितों को स्थानीय पुलिस ने गोलियों से भून दिया लेकिन उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। श्री बी० के० गुप्ता जो वहां डी० एम० थे वह इस घटना के पहले भी वहां पूर्व में जब डी० एम० थे तो 4-5 दलितों को मरवा दिया था किन्तु फिर इन्हीं को यहां तैनात किया गया और टूण्डला में यह घटना घटी। श्री बी० के० गुप्ता, डी० एम० ने मृतकों के परिवार वालों से कहा कि हम मृतकों की लाशें नहीं ले जाने देंगे। चाहे हमें दुबारा गोली चलाना पड़े।

मान्यवर, इस पर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और केवल उनका स्थानान्तरण किया गया। इसलिए भाजपा सरकार के निकम्मेपन प्रशासन के कारण आज दलित मारे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्यायें की जा रही हैं और बलात्कार की घटनायें उनके साथ हो रही हैं। इसलिए यह गम्भीर विषय है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टूण्डला क़ाण्ड के मृतक आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपया आप मुआवजा दिलायें। मैं यह भी चाहूंगा कि श्री बी० के० गुप्ता, डी० एम० को मुअत्तल किया जाय। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में दलितों के जान की सुरक्षा नहीं है और भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस अपराधियों से मिली हुई है इसलिए ऐसी घटनायें करायी जा रही हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसे विषय को यहां उठाने का अवसर दिया जिससे पूरा प्रदेश चिंतित है। मान्यवर, चाहे टूण्डला की घटना हो या मुजफ्फरनगर की घटना हो अथवा हरदोई की घटना हो, हर जगह एक चीज उभर कर सामने आ रही है कि अपराधियों में भय नहीं रह गया है और वातावरण इस प्रकार का बन गया है कि अपराधी समझ रहे हैं कि ऐसा स्वछन्द अवसर नहीं मिल सकता है जैसा कि इस कमजोर सरकार के समय में मिल रहा है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चूंकि सरकार पूरी तरह से कानून का राज स्थापित करने में अक्षम हो रही है और यहां जंगल का राज कायम हो गया है। मान्यवर, टूण्डला में चिताओं की आग अभी ठण्डी नहीं हो पायी थी कि हरदोई में दलितों के साथ घटना हो गयी जिसके सम्बन्ध में श्री आर० के० चौधरी जी ने अभी यहां सदन में बताया जिसका मैं समर्थन करता हूं और उसे दोहराना नहीं चाहता हूं।

मान्यवर, दो बातों की ओर मैं विशेष रूप से यहां कहना चाहता हू। यह सही है कि भुक्तभोगी श्री राम नाथ सिंह जिसकी लड़की थी, उसने अपनी जान के खतरे को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। उसके साथ एक दलित युवक ने शादी किया था इसलिए हो सकता है कि हमला हो और हरदोई कोतवाली के अन्तर्गत यह घटना हुई, तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां के पुलिस अधिकारियों ने श्री रुस्तम के परिवार की सुरक्षा क्यों नहीं किया था ? शायद संघर्ष हो इसलिए इसे देखते हुए जिसके बारे में पुलिस को पहले बता दिया गया था और प्रार्थना-पत्र दिया गया था, आशंका थी तो क्यों नहीं दलित परिवार की सुरक्षा की गयी ? यदि सुरक्षा नहीं की गयी, तो इसे गम्भीर घटना मानते हुए मैं कहना चाहूंगा, इसमें लापरवाही बरती गयी है और अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी जिससे उन्होंने सुरक्षा के कदम नहीं उठाये और पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों में अवश्य ही ढिलाई की है, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मान्यवर, गरीबों पर वर्षों से अत्याचार हो रहे हैं। मान्यवर, आज प्रदेश में बड़ा ही कमजोर प्रशासन है। आज प्रदेश में न मुख्य मंत्री हैं और न महत्वपूर्ण मंत्री हैं। यह बात समाचार पत्रों में आयी है और यह भी बात आयी है कि शायद नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है इसलिए दिल्ली में बुलाया गया है। प्रदेश नहीं बचाना चाहते हैं कुर्सी बचाने के लिए सम्बद्ध पद के दावेदार दिल्ली में पड़े हैं जो बनाना चाहते हैं। वह अपनी लाबी करने गये हुए हैं। प्रदेश को कोई देखने वाला नहीं है। यह वातावरण क्यों सृजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी यह भूल गई कि गांधी जी ने कहा था कि समाज में समरसता स्थापित करनी चाहिए। जातिगत बंधनों को तोड़ कर विवाह होने चाहिए, समाज में समरसता होनी चाहिए। लेकिन समाज में समरसता के बजाए इन्होंने वैमनस्यता लोगों के बीच में भर दी है। यह गांधीवादी लोग हैं। मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो पुलिस में भर्ती है, पुलिस का सिपाही है, दरोगा है या हेड कांस्टेबिल है, फैजाबाद के अस्पताल में भर्ती है। वह घटना को अंजाम देने आता है, अस्पताल में भर्ती है और फैजाबाद से एक-दो दिन के लिए यहां चला आया और उसकी सूचना फैजाबाद में नहीं है। वह पुलिस सिपाही फैजाबाद से आता है और घटना को अंजाम देकर फिर अस्पताल में चला जाता है तो यह तो पूर्व नियोजित घटना थी। जो व्यक्ति चला गया। उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अखबार आदि का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन कल जब मैं टी० वी० देख रहा था। उसमें देखा किस तरह से दोनों बेटों के साथ जिस सहूलियत के साथ पुलिस व्यवहार कर रही थी जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा था उससे यह लग रहा था कि वह अपराधी नहीं हैं पुलिस के ही लोग हैं। जिस तरह से उन्होंने साक्षात्कार दिया उसमें वह अपराधी नहीं लग रहे थे। लग रहा था जैसे पुलिस वालों के साथ पुलिस वाले खड़े हों। यह घटना बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व की है। मान्यवर, मैं तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पूर्व में सूचना देने के बाद हरदोई की पुलिस ने सुरक्षा की क्या व्यवस्था की ? जातीय संघर्ष चार पर रुक गया है लेकिन क्या दोष था ? तीसरी बात मान्यवर, यह जानना चाहता हूं मुख्य रूप से जो अपराधी हैं उसके साथ सहयोगी हैं तो हत्या के अलावा क्या गैंगस्टर एन० एस० ए० की कार्यवाही भी की गई ? मृतक को डेढ़ लाख मुआवजा दिया गया है, यह तो दलितों को यूं भी मिलने वाला था वह इसलिए क्योंकि जब अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मारा जाता है, या उसकी हत्या होती है तो उसको डेढ़ लाख मिल जाता है तो सरकार की तरफ से तो एक पैसा भी नहीं मिला है। वह शिक्षक था, प्रधान अध्यापक था उसके परिवार को पांच-पांच लाख

मुआवजा दिया जाए । जो लोग बचे हैं उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर, जातीय वैमनस्य के प्रश्न पर चर्चा करायी जाने की मांग करता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है । श्रीमन्, आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है । श्रेष्ठ अभिशासन और विधि का राज स्थापित करने की जो प्रदेश सरकार की घोषणा है, उसकी पोल विगत दिनों प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की जो घटनायें हुईं तथा दूसरी जो अपराधिक घटनाएं हुई हैं, वे खोलती हैं । श्रीमन्, अभी कुछ दिनों पूर्व टूण्डला की घटना में चार दलितों की हत्या पुलिस द्वारा की गयी । अभी तक उनके आश्रितों को सरकार ने पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया है । उस पर सम्पूर्ण विपक्ष ने एक मांग की थी कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाय जिसे सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया । उक्त टूण्डला काण्ड में जो पुलिस कर्मी हत्या में सम्मिलित थे, उनके विरुद्ध अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ । तभी दूसरी घटना जनपद हरदोई में 7 मई, 2000 को घटित हो गयी ।

श्रीमन्, यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है । श्री रुस्तम लाल जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे, उनके लड़के का पुलिस सब इंस्पेक्टर राम नाथ सिंह की लड़की से सम्बन्ध था । अप्रैल महीने में दोनों ने शाहजहांपुर में शादी कर ली । इससे वे कुपित हो गये और 7 मई को चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी । हत्या करने के बाद दोबारा बेखौफ हमलावर उनकी मकान के छत पर चढ़ गये और उनके परिवार में जो बचे हुए लोग थे उनको भी जान से मारने का प्रयास किया । परिणाम यह हुआ कि तीन लोगों को गोली लगी, उनमें से एक की हालत चिन्ताजनक है । श्रीमन्, मेरा यह कहना कि जब अप्रैल के महीने में उक्त अध्यापक के लड़के ने कोर्ट मैरिज की थी और वे दोनों लखनऊ में रहने लगे थे । उसके परिवार के लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि उनके जीवन को खतरा है फिर भी स्थानीय पुलिस अध्यापक के परिवार की हिफाजत का इंतजाम नहीं कर पायी और जिसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस की लापरवाही के चलते चार लोगों की जान चली गयी। जो अब तक प्रदेश सरकार ने मुआवजा दिया है वह अत्यन्त कम है । सरकार से मेरी मांग है कि पर्याप्त मात्रा में कम से कम पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस पूरी घटना में जो प्रशासन और पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गयी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए । मान्यवर, मैं दो तीन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहना चाहूंगा कि चुस्त-दुरुस्त जो कानून और व्यवस्था का ढिंढोरा यह सरकार पीटती है । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केवल आठ घंटों में तीन लोगों की हत्या हुई है तथा दिन दहाड़े एक महिला को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया । मान्यवर, 8 मई को लखनऊ में तीन आदमियों की हत्या हो गई । अपराध रोक पाने में पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है । मान्यवर, जो हमारी सामाजिक संरचना है उसमें दलित सबसे असहाय व्यक्ति हैं आज उन्हीं पर हमला हो रहा है। मान्यवर, सदन के समस्त कार्यों को स्थगित करते हुए इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें।

* श्री राम जग–

मान्यवर, अभी टूण्डला की घटना सबके सामने है । हरदोई में चार दलितों की हत्या हो गई । एक ही परिवार के वे थे । मान्यवर, वे व्यक्ति जबकि सिपाही था लेकिन गांव में अपने को दरोगा कहता था । मान्यवर, उसकी लड़की ने एक दलित लड़के से विवाह किया था । इस अन्तर्जातीय विवाह के लिये इनाम भी मिला था लेकिन बड़े ही सुनियोजित ढंग से वह सिपाही फैजाबाद अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर उस दलित परिवार की हत्या कर दी । मान्यवर, आज इस प्रदेश सरकार के रहते प्रदेश में कानून

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । दलितों की हर जिले में थोक के भाव में हत्यायें हो रही हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है । यह सरकार इतनी कमजोर हो गयी है कि दलितों की और कमजोर लोगों की रक्षा करने में फेल हो गयी है । मैं मांग करूंगा कि पीड़ित परिवार को कम से कम 5 लाख का मुआवजा दें और उन पीड़ित परिवार की रक्षा करें । मान्यवर, नैतिकता के आधार पर मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए । इस सरकार को अगर वे दलितों की रक्षा करने में असफल है तो सरकार में रहने का कोई हक नहीं है आप निर्देश दें कि पूरे प्रदेश में सरकार दलितों की सुरक्षा के लिये कड़े कमद उठाये । इस विषय पर चर्चा कराई जाये ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आज फिर सदन में कानून व्यवस्था का सवाल उठा है कि क्या सरकार की कोई धमक बाकी है या इन्होंने सब कुछ सौंप दिया है पुलिस को । पुलिस गुण्डों की शक्ल अख्तियार करके निर्दोष लोगों की हत्यायें कर रही हैं । टूण्डला में 7 आदमियों की पुलिस हत्या कराती है । आज मान्यवर, यहां हरदोई में 7 मई को 4 आदमियों की हत्या हुई मुझे नहीं मालूम है कि सरकार इसे कौन सा रूप दे रही है । मैं कहना चाहता हूं कि यह भी पुलिस ने ही करवाया है । वह सब इंस्पेक्टर पुलिस का था और वह फैजाबाद में अस्पताल में भर्ती था । वह 5 गुण्डे लेकर आया, पता नहीं वह गुण्डे थे या उसके साथ के सिपाही थे या क्या थे । वहां हरदोई में उसने 4 आदमियों की, लड़का-लड़की मिले नहीं उसने उनके खानदान वालों की जानकारों की हत्या कर दी तो यह एक और पुलिस ने हत्या करवाई । यह सरकार कहती है कि वह सबकी हिफाजत करेगी । सवाल यह उठता है कि उस लड़की ने बाकायदा डी० एम० और एस० पी० हरदोई को लिखकर दिया कि मुझे और मेरे पति को जान का खतरा है, तो यह सरकार बहुत संवेदनशील है । वह गरीब आदमियों की बड़ी रक्षा करती है तो जिनको सुरक्षा इन्होंने अपने मंत्रियों को दे रखी है हर एक के पास 4-4, 6-6 गनर हैं तो यह सुरक्षा गरीब को न देने का रिजल्ट यह हुआ कि उनकी हत्या हुई और एलानिया हुई, पुलिस ने करवाई और सरकार ने सहयोग दिया । तो मैं आपके माध्यम से कहनां चाहता हूं कि इनको जो डेढ़ लाख रुपया दे रहे हैं तो वह तो इनको मिल ही जाता । इनको कम से कम 5 लाख रुपये मिलने चाहिए । मान्यवर, 4 आदमियों की हत्या हुई और 3 आदमी बुरी तरह से घायल हैं तो यह सरकार यह बात तय करे । अगर इनसे यह सरकार नहीं चल पा रही है क्योंकि गत 3 दिनों से बाकायदा इस सदन में कानून व्यवस्था की चर्चा हो रही है । मुख्य मंत्री गायब हैं । मुख्य मंत्री हों, गृह मंत्री हों, कोई तो जवाब दे । मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो और उनको 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये ।

श्री शिव प्रसाद–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है । इसमें 4 हत्यायें तो आन स्पाट हुई हैं और एक रास्ते में हुई । 4 मर चुके हैं और पांचवां श्री पाल सन आफ सुक्खा के बारे में हीरालाल डाक्टर ने सूचना दी है कि वह भी खत्म हो चुका है । इस तरह से पांच हत्यायें हुई हैं । यह हरदोई में ही क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार जो भी करा दे, दलितों/अति पिछड़ों मुसलमानों पर वह कम है । मान्यवर, मैं उसी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनके 3 पुत्र अभी जिन्दा हैं, उनकी सुरक्षा करायी जाये और अभी उनके लड़के मानसिंह ने टेलीफोन किया है, वह यहीं से एम० एस० सी० कर रहा है उस पर वहां हरदोई की पुलिस आकर गजब ढा रही है, परेशान कर रही है, उसकी सुरक्षा कराई जाये और इसकी जांच कराई जाये । डेढ़ लाख रुपया पेनाल्टी दी जाती है लेकिन चूंकि यह योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गयी है इसलिए मेरी मांग है कि इसमें 5-5 लाख रुपये दिये जायें । जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हरदोई जनपद

में हैं, उनकी जांच कराकर उनको वहां से तत्काल हटाया जाये और उनके परिवार की सुरक्षा की जाये । उनके तीन लड़के जिन्दा हैं एक अरविन्द कुमार जो शाहजहांपुर जी० आई० सी० में मास्टर है और दूसरा मानसिंह लड़का, यहां लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० एस-सी० कर रहा है और तीसरा लड़का, येह बृजराज है, जो लखनऊ में ही कहीं अपनी जान बचाकर छिपा हुआ है । मेरी मांग है इनकी सुरक्षा की जाये और इनको शैडो/गनर तथा पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाये । इनकी सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी होगी ।

* श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझसे पहले जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गये हैं, यहां टूण्डला पर चर्चा हुई, उसके बाद हरदोई की घटना घटी और गत 7 मई को वहां 4 लोगों की हत्यायें हुईं, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि पांचवें ने भी यहां लखनऊ में दम तोड़ दिया ।

मान्यवर, सबसे दुखद पहलू यह है कि सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक नागरिक की जानमाल की हिफाजत करे, लेकिन हिफाजत करना तो दूर, यदि कोई व्यक्ति डी० एम०, एस० एस० पी० को लिखित शिकायत करता है तो उसको या उसके परिवार को जान का खतरा है तो उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है । यह सरकार जानबूझकर हत्यायें करवा रही है । आज उत्तर प्रदेश के अन्दर अराजकता फैल रही है, चारों तरफ जंगलराज कायम हो गया है । उन लड़का-लड़की ने शादी की और हरदोई के डी० एम०, एस० एस० पी० को लिखित सूचना दी कि मुझे और मेरे पति को जान का खतरा है, इस पर पुलिस ने कुछ नहीं किया और उसका नतीजा यह हुआ कि 5 लोगों की हत्यायें हो गयीं । यहीं लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे प्रतिदिन 4-5 लोगों की हत्यायें हो रही हैं । जहां पर पूरी सरकार है, डी० जी०, आई० जी०, डी० आई० जी०, पूरी पुलिस फोर्स लगी है लेकिन पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने में नाकाम है । अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि अभी गत दिनों पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस के सिपाही और दरोगा पर हमला कर अपराधी खुले आम भागकर निकल गये । कानून व्यवस्था पर इस सरकार का कोई अंकुश नहीं है और प्रदेश के अन्दर किसी भी नागरिक की सुरक्षा करने में सरकार सक्षम नहीं है ।

इस सरकार ने नागरिकों को अपराधियों की दया दृष्टि पर छोड़ दिया है, अपराधी जिसे चाहे तो उसको मार दें और चाहें तो उसकी जान बख्श दें । यदि पुलिस की विफलता के खिलाफ, सरकार की विफलता के खिलाफ कोई अपनी आवाज उठाता है, लोग शान्तिपूर्वक धरना-प्रदर्शन करते हैं तो वहां पर पुलिस अपनी पूरी सक्रियता दिखाती है और लाठी, गोली चलाने में भी कोई कोताही नहीं करती है, रोज ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं । जनप्रतिनिधियों पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है । कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार द्वारा जो पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है, वह बहुत कम है, उसे बढ़ा कर 5 लाख किया जाय । टूंडला में 4 लोगों को मुआवजे की जो घोषणा सरकार ने की है, इसके साथ ही जो 3 अल्पसंख्यक मारे गये थे, उनको मुआवजे की घोषणा नहीं की गयी है, उनको भी मुआवजे की 5 लाख की राशि प्रति व्यक्ति दी जाय ।

तीसरी बात अभी माननीय सदस्य ने बताया कि हरदोई में उस परिवार के लोगों की जान को खतरा है, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं । सरकार इस बात का इन्तजाम करे कि भविष्य में हरदोई में उस परिवार के साथ आगे कोई घटना न होने पाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे पूरे सदन के लोग भिज्ञ हैं, कानून व्यवस्था को लेकर रोज चर्चा करते हैं, यह बात छिपी भी नहीं है कि कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है, सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर चाहे आज करा लें, या कल करा लें सदन का काम रोक कर चर्चा करा लें जिससे सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आ जायें और सरकार को सद्बुद्धि आये और कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार कोई कदम उठा सके।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री।

(श्री बी० आर० वर्मा, श्री लालजी वर्मा, श्री श्रीराम पाल, श्री ददूद प्रसाद और कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

विषय आ गया है, उसी की आप पुनरावृत्ति करेंगे, इस पर कितने लोग बोलेंगे ? जिस माननीय सदस्य के क्षेत्र का यह विषय था, उसको भी सुन लिया है। आप सहयोग करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें जिनके हस्ताक्षर हैं, उन्हें सुन लें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कई सदस्य खड़े हैं, उनको भी बोलना है, हमें भी कुछ अलग आर्गूमेंट करना है कि किस तरह यह कार्य-स्थगन में आती है। हमारी बात अनसुनी कर दी जाये, यह उचित नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप हमें सजेस्ट न कीजिए, आप बैठें। हमें राय नहीं दीजिए। मौर्य जी, आप मेरी मदद कीजिए।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें 20 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, तो कुछ तो अनुपात बना लें कि कितने सदस्यों को अवसर देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर माननीय मौर्य जी का था, चौधरी साहब का था, लालजी वर्मा का था, जगदीश नारायण राय जी का था.....

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप नोटिस देखें, यह शायद कल वाली नोटिस देख रहे हैं। आज की नोटिस को देखने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो कल वाली नोटिस है, उसको आज उन्होंने डिसअप्रूव किया है, उसको सूचीबद्ध किया है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि माननीय वर्मा जी, माननीय मौर्य जी आप तय कर दें और बता दें, वैसा हो जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, श्री श्रीराम पाल जी हैं, ये हमारे श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी जी हैं, ये लोग बोलना चाह रहे हैं.....

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप देख लीजिए जो सूचना प्रमोद कुमार की है, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है, उसमें मेरे भी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दीजिए ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आप नकली पाल को अवसर दे रहे हैं और असली पाल को नहीं दे रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक कहानी है.....

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आप असली पाल को बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । श्री श्रीराम पाल का कहना है कि आप नकली पाल साहब श्री जगदम्बिका पाल को बोलने दे रहे हैं और असली पाल को बोलने नहीं दे रहे हैं तो इनमें असली पाल कौन है इसका भेद कर दीजिये तथा स्पष्ट करें कि इन दोनों में असली पाल कौन है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मैं दोनों लोगों पर छोड़ता हूं । आपस में तय कर लें कि असली पाल कौन है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं । विगत दिनों बदायूं में उप चुनाव हो रहा था तो माननीय भोला शंकर मौर्य के समर्थन में श्री श्रीराम पाल और माननीय रामशंकर पाल चुनाव प्रचार में गये थे । यह लोग जब गांव में प्रचार के लिये जाते थे और कहते थे कि प्रदेश के नेता और पूर्व मंत्री श्री श्रीराम पाल तथा श्री राम शंकर पाल हैं तो गांव की जनता कहती थी कि हम लोग तो उत्तर प्रदेश में एक ही पाल को जानते हैं और वह हैं जगदम्बिका पाल । हम किसी राम शंकर पाल और श्री श्रीराम पाल को जानते नहीं हैं । मान्यवर, मैं यह बात हलफ लेकर कहता हूं । अगर श्री श्रीराम पाल कह दें कि यह बात गलत है, तो वह असली पाल हैं और यदि यह कह दें कि यह घटना सही है तो असली पाल मैं हूं ।

श्री रामशंकर पाल–

मान्यवर, यह कई वर्षों से प्रदेश को गुमराह करते रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर,मैं भी एक किस्सा इस बारे में बता दूं.। जब पाल साहब थोड़ी देर के लिये मुख्य मंत्री बने हालांकि माने नहीं गये तो हमारे क्षेत्र के कुछ लोग हमारे पास आये और उन्होंने कहा कि हमारे नेता तो जगदम्बिका पाल हैं । आपको उनसे कोई काम हो तो बता दीजियेगा, हमने कहा पाल साहब तो ठाकुर हैं । अब मान्यवर, अगर पाल साहब ठाकुर हैं तो असली पाल कौन है यह तो निर्णय हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब एक तरफ तो श्रीराम हैं और दूसरी तरफ माता जगदम्बा हैं तो मैं इसका निर्णय किस प्रकार करूं ।

*ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, इतिहास में एक अनंग पाल भी हुए हैं । अब पाल साहब बता दें कि वह अनंग पाल हैं या अंगपाल हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुझे खुशी है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब पाल लोगों का बहुमत होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब आप भाषण शुरू करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह पहला बजट सत्र है जिसमें प्रतिदिन कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन आ रहे हैं । पहले हम लोग सदन में महंगाई, बुनकरों की समस्याओं, गन्ना मूल्य का भुगतान, विद्युत कटौती के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाते थे लेकिन अब प्रतिदिन ऐसी घटनायें हो रही हैं कि हम चाह कर भी अन्य विषयों पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं ला पा रहे हैं । मान्यवर, पूर्वांचल में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है । केंन्द्र के गृह मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसका संबंध आई० एस० आई० की गतिविधियों से हो लेकिन फिर भी बस्ती, संत कबीर नगर के मौलाना अतीकुर्रहमान जो एक चैरिटेबिल ट्रस्ट चलाते हैं, हास्पिटल चलाते हैं और जो दीनी तालीमी मदरसे चलाते हैं उनको पुलिस ने पकड़ कर बंद कर दिया ।

श्री रामशंकर पाल–

हरदोई में ठाकुर ने हत्यायें की हैं, पाल साहब हरदोई की घटना के बारे में नहीं बता रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सरकार का निकम्मापन होगा कि वह हत्याओं को रोक नहीं पा रही है । हत्यारों की कोई जाति नहीं होती है । कानून व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि सबमें समरसता रहे । अगर कहीं पर दलित उत्पीड़न या अत्याचार होता है तो कोई दलित हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो या सवर्ण हो अगर कोई अत्याचार होता है तो वह सम्पूर्ण मानवता पर अत्याचार है, ऐसा मैं मानता हूं । ऐसी घटनायें सभ्य समाज के ऊपर कलंक का टीका है । हरदोई हो या प्रदेश की राजधानी हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है । अभी सुबाष जी कह रहे थे, मान्यवर, 8 घंटे में 3 हत्यायें हुई हैं जिसमें से एक महिला की हत्या हुई है । प्रदेश की राजधानी थर्राई हुई है । जिस समाचार पत्र को सत्तारूढ़ दल का समाचार-पत्र कहा जा रहा है, यह उसकी ख़बर है । मेरे पास पत्र मौजूद है, चाहेंगे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा । प्रदेश के मुख्य मंत्री जी कल गोमती नगर में मेयो हास्पिटल में गये । पुलिस के इंस्पेक्टर और आरक्षी को देखने, इंस्पेक्टर प्रमेश शुक्ल को देखने गये । उन्नाव से अपहरणकर्ता अपहरण करते हैं और कार से लखनऊ आते हैं । अगर पुलिस कार को रोकने

का प्रयास करती है तो वह पुलिस को गोली मार देते हैं। आज प्रदेश की राजधानी की कोई सड़क निरापद नहीं है और अपहरणकर्ता पुलिस को गोली मार कर निकल जाते हैं। टैनरी के मालिक को अपहरणकर्ता ले जाते हैं और लखनऊ में गोमती नगर बैराज पर जब पुलिस बल के लोग रोकने का प्रयास करते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। जब प्रदेश की राजधानी की कानून व्यवस्था का हाल यह है तो आप खुद ही विचार करें कि अन्य जगहों पर क्या स्थिति होगी ? अगर आंकड़ों से यह साबित करना संसदीय कार्य मंत्री जी चाहेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है तो यह साबित कर देंगे लेकिन असल में स्थिति कुछ और ही है।

आज सरकार का इकबाल नहीं रह गया है। जब सरकार का इकबाल नहीं रहता है तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहती। मान्यवर, टूण्डला में जिस तरह की घटना हुई,जिस तरह से शाम को मजदूर कमा कर लौट रहे थे उनकी पत्नियां सुहाग की थाल सजाये उनका इंतजार कर रही थी लेकिन उनका सुहाग घर नहीं पहुंचा और वह लोग अपने खून पसीने की कमाई को अपने घर न ले जा सके और उनकी जगह पर उनकी लाश उनके दरवाजे पर पहुंची। आज ऐसी घटनाओं की जब न्यायिक जांच की मांग होती है तो वह नहीं मानी जाती है। जब मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग होती है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग होती है तो उसको नहीं माना जाता है। आज पुलिस को इस बात का डर नहीं रह गया कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। आज दलित या किसी वर्ग का कोई व्यक्ति हो,कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। पुलिस जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो जनता के मन में यह भावना उठ रही है कि वह हमारी सुरक्षा क्या कर सकेगी। इससे ज्यादा अविलम्बनीय और लोकमहत्व का और तात्कालिक प्रश्न कोई और नहीं होगा। इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

एक मा० सदस्य–

हरदोई की घटना के संबंध में एक सूचना थी। पाल साहब ने पूरे प्रदेश की तमाम घटनाओं के बारे में बताया लेकिन हरदोई की घटना का जिक्र नहीं किया इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। पहले कौन बोलेगा और बाद में कौन बोलेगा आप यह बता दें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सरोज जी घटनास्थल पर गये हुए थे और सूचना पर इनके हस्ताक्षर भी हैं इसलिए पहले यह बोल लें।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं विधान सभा का सदस्य होने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कितने दिन के लिए।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

लम्बे समय के लिये हूं। आप जैसा पाला मैं नहीं बदलता। मान्यवर, 1/2 की रात में घटना हुई। मैं बसई गांव गया। बसई गांव जब पहुंचा तो जो दलित परिवार के लोग मारे गये थे, उनके परिवार वालों से घटना की जानकारी ली। उसमें यह पता चला कि मृतक विजय सिंह, जयपाल सिंह, सत्यवीर सिंह एवं सुग्रीव दलित परिवार के हैं और निहायत कमजोर तबके के आदमी हैं, खेती बाड़ी

नहीं है और पल्लेदारी करके रोजी-रोटी चलाते हैं । 1/2 मई की रात को टूण्डला चौराहे पर मजदूरी की तलाश में गये थे । एक ट्रक आलू लेने आता है, वह बैठाकर उन्हें ले गये । मजदूरों ने आलू लाद दिया । उसके बाद पुनः उन्हें टुण्डला चौराहे पर छोड़ दिया । यहीं पर वह लोग जो पैसा पाये थे । आपस में बांट रहे थे । उसी समय टूण्डला की पुलिस आ गयी और उसने चारों को पकड़ लिया और उनको पकड़ने के बाद थाने ले गयी । एक को बिजली का करेण्ट लगाया व मारा-पीटा गया । जिससे वह मर गया तो उसकी लाश को लादकर और तीन लोगों को पकड़कर यह कहते हुए अब भेद खुल जायेगा तीनों को लाकर गोली मार दी गयी और चारों लाशों को बसई गांव की तरफ पुलिस ले आयी और एक खेत में डाल दिया । उन लाशों के नीचे पुलिस की टोपी भी मिली है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक आग्रह है केवल कार्य-स्थगन के रूप में सारे विषय लिये जा रहे हैं और विशेष रूप से हरदोई की घटना का उल्लेख किया गया । कुछ माननीय सदस्यगण ने अनेक घटनाओं का उल्लेख किया । अगर प्रदेश की सारी घटनाओं का इतने विस्तार से वर्णन होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहां तक बात जायेगी । आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारी बातें सामने आ गयी हैं । मान्यवर, मैं आपके पेशेन्स की प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, बिन्दु पर आ जायं तो अच्छा रहेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो नोटिस हम लोगों ने दी है उसमें 3-4 घटनाओं का जिक्र है, अनुसूचित जाति की हत्या, बलात्कार आदि की बाबत है । आपने जब अनुमति दी है, स्वीकार कर लिया है तो क्या दिक्कत है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, पुलिस वालों ने लाश को वहां छोड़ दिया । सन्तोष नामक व्यक्ति जो जाट बिरादरी का है उसने लाश को डालते देख लिया तो उसे भी गोली मार दी गयी । यह गोयल नर्सिंग होम आगरा में भर्ती है । जब सुबह गांव वालों ने देखा कि 4-4 लाशें पड़ी हैं तो लोग इकट्ठा हुए । डी० एम० और एस० पी० को बुलाया गया और कहा गया कि तत्काल इसका पता लगाइये और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करिये तथा मुआवजा दिया जाये । डी० एम० तैयार नहीं हुए तो लोक आक्रोशित हुए और धरना प्रदर्शन करने लगे । जब जबरदस्ती लाश लिये जा रहे थे तो औरतें लिपट गयीं । डी० एम० ने फिर गोलियां चलवायीं और राम प्रकाश जाट नामक आदमी मौके पर मारा गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके परिवारों को जो दो-दो लाख रुपये दिये गये हैं यह बहुत कम हैं । दो लाख रुपये जब एस० सी० का आदमी मारा जाता है तो नियम कानून के अनुसार उसके परिवार को दिये जाते हैं । मैं राम प्रकाश जाट के घर गया था तथा संतोष जाट दोनों के परिवारों को एक पैसा भी नहीं दिया गया । इस पूरे प्रकरण में पुलिस के अधिकारी और डी० एम० दोषी हैं । यह बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजाय जब लोक सभा में बहन मायावती जी ने इस प्रश्न को लोक सभा में उठाया तो श्री लाल कृष्ण अडवानी ने इस पर सी० बी० आई० जांच के आदेश दिये । उत्तर प्रदेश सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की । दूसरी घटना हरदोई में हुई । वहां 7 तारीख को चार दलित मारे गये । पांचवां अभी मर गया । यह प्रिया सिंह और बृजराज दोनों पढ़े लिखे हैं । एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है, पुरस्कार दिया जाता है ।

लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो [× × ×] इन लोगों ने वहां पर [× × ×] को बढ़ावा दिया है वहां के स्थानीय मंत्री सब लोगों ने ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाया है । जिसके तहत यह

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

काण्ड हुआ है । यह पहले से पता था प्रिया सिंह ने पहले से कहा था कि मेरा बाप धमकी दे रहा है कि पूरे परिवार को मार डालेगा । उन्होंने डी० एम०, एस० पी०, आई० जी०, डी० आई० जी०, डी० जी०, मुख्य मंत्री, राज्यपाल सबको पत्र लिखे । लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । परिणामस्वरूप यह घटना घटित हुई । मैं इनके घर वालों से मिला था । लड़का अरविन्द कुमार, शाहजहांपुर में अध्यापक है। उमाशंकर जो एम० ए० कर रहे हैं, बृजराज इन लोगों ने कहा है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था दी जाये। हमने एस० पी० से बात की तो उन्होंने कहा कि हम घर की सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं । बाहर की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है । आप शासन से कहें कि वह सुरक्षा व्यवस्था करे । मेरी मांग है कि पूरे परिवार को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए एवं जो डेढ़ लाख रुपये दिये गये । उसकी जगह पांच-पांच लाख रुपये दिये जायें एवं बदमाशों की गोली से वहां जो घायल हैं, उनको भी कम से कम दो-दो लाख रुपये दिये जायें । धन्यवाद ।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, टूण्डला में दलितों की हत्या की चिता की राख ठण्डी नहीं हुई थी कि हरदोई में घटना घटित हो गई । इस घटना का जिक्र हमारे साथियों ने किया है मैं उसको दुहराना नहीं चाहता । इसकी ग्राह्यता के जो बिन्दु हैं कि सरकार की ओर से जो एक राष्ट्रीय एकीकरण विभाग है उसमें मिनिस्टर हैं, अधिकारी हैं, राष्ट्रीय एकीकरण नेशनल एण्टीग्रेशन डिपार्टमेंट इसमें अन्तर्जातीय विवाह जो करते हैं उसमें 1। हजार रुपये इस विवाह के प्रोत्साहन के लिए सरकार दे रही है । एक ओर समाज में समरसता लाने के लिए 1। हजार रुपये सरकार पुरस्कार दे रही है तो सरकार का दायित्व यह बनता है कि जहां ऐसे अन्तर्जातीय विवाह वयस्क लड़के, लड़कियां अपनी मर्जी से कर रहे हैं उससे उसके परिवार के लोग सहमत हैं या नहीं । आज ऐसे परिवारों में जाति भावना प्रबल है । क्या सरकार ने अब तक ऐसे कोई प्रयास किये हैं कि जहां जो लड़के-लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं । उनके परिवार वालों की राय जानने की कोशिश की है । कहीं उनके मन में कोई आक्रोश तो पैदा नहीं हो रहा है । इसके लिए सामाजिक अध्ययनों के आधार पर समाजविद् से अध्ययन कराके ही इस अन्तर्जातीय विवाह के ऊपर 1। हजार रुपये का पुरस्कार की बात करनी चाहिए थी । एक तरफ शराब की बोतल पर खुले आम प्रतिबन्ध और दूसरी तरफ हर दुकान पर शराब बेचने की अनुमति, एक ओर अन्तर्जातीय विवाह पर पुरस्कार तो दूसरी तरफ गोलियों की बौछार, यह विरोधाभास क्यों है ? इस प्रश्न की ग्राह्यता इस बात पर है कि सरकार इस कानून में संशोधन करे और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रयास करे तभी यह कानून सफल हो सकता है । तो मान्यवर, यह जो चार हत्यायें हुई हैं यह सरकार ने की है । "विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनाम" यह भावना पुलिस में निहित बतायी जाती है लेकिन वहीं टूण्डला में पुलिस ने मारा और यहां भी पुलिस ने ही मारा । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे एक कमजोर मुख्य मंत्री हैं और एक कमजोर मुख्य मंत्री से क्या डरना । तो अपराधियों ने सोचा कि इस कमजोर सरकार के रहते सब हो सकता है और दलितों गरीबों की हत्यायें होने लगीं । मुख्य मंत्री जी के बयान से पूरे प्रदेश में कमजोर अनुशासन का मेसेज गया है । कमजोर नियंत्रण का मेसेज गया है । मैं इस सूचना की ग्राह्यता पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि मृतकों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये दिये जायं । धन्यवाद ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बी० आर० वर्मा व अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा नहीं हो रही है । आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें । फिर चर्चा और ग्राह्यता में फर्क क्या रहेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की लड़खड़ाती सरकार और ढुलमुल रवैये का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में पुलिसिया बर्बर अत्याचार बढ़े हैं । गुण्डों के हौसले बुलन्द हुए हैं । विशेष रूप से कमजोर तबके के लोग, पिछड़े, गरीब, दलितों को बहुत ही सुनियोजित षडयंत्र के तहत दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है । मैं इशारा करना चाहता हूं कि जब यहां पर मऊ जनपद के शहादतपुरा गांव में आन्दोलनकारियों पर बर्बर अत्याचार हुए, उसका भी जिक्र यहां पर आया । इसी सदन के सदस्य श्री शिव चरण प्रजापति के साथ पुलिस ने अभद्रता का व्यवहार किया था, वह बात भी यहां पर आई थी, ददू्दू प्रसाद जी के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी, वह बात भी सदन के संज्ञान में आयी । कल मुज़फ्फरनगर में वहां के विधायक श्री जगत सिंह, सांसद श्री मुनव्वर हुसैन तथा श्री संजय चौहान के साथ तथा कुछ पूर्व विधायकों के साथ पुलिस ने बर्बरता पूर्वक अत्याचार किया और कल वह सदन के संज्ञान में भी आया परन्तु इन सब पर सरकार का ढुलमुल रवैया रहा, जिसके कारण पुलिस दिन प्रति दिन निरंकुश होती चली जा रही है । उत्तर प्रदेश में जो गुण्डे और माफिया हैं, उनके आपसी सांठ-गांठ से गरीबों पर अत्याचार बढ़े हैं । इसी का दुष्परिणाम है कि टूण्डला में अभी-अभी 4 दलितों की हत्यायें होती हैं और साक्षी के रूप में राम प्रकाश की भी हत्या होती है ।

अभी इस काण्ड की आग बुझ भी नहीं पायी थी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर जांच बैठायी थी और सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने के आदेश दिये थे और यह भी आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके उनको 5 लाख रुपये राहत दिलाने का काम करूंगा, हरदोई में 4 दलितों की सामूहिक हत्या कर दी जाती है और एक व्यक्ति घायलावस्था में अस्पताल में दम तोड़ देता है । चाहे वह बसईपुर कांड में 4 दलितों की हत्या का मामला हो, चाहे हरदोई में बगियापुर में राकेश कुमार, पुत्तूलाल, रुस्तमलाल तथा राकेश कुमार की हत्या का मामला हो, इनके साथ ही विजय पाल की भी मृत्यु हो जाती है, यह बड़े दुख का विषय है कि जब कुछ परिवारों की सामूहिक हत्यायें हुई हों और मातम मनाया जा रहा हो तो यहां पर कुछ मंत्री इतने संवेदनहीन हैं कि उनको हंसी सूझ रही है । इस अवसर पर जब उन्हें मरहम लगाना चाहिए था, वह उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं । यही संदेश जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण पुलिस तंत्र का हौसला बढ़ गया, गुण्डों का हौसला बढ़ गया, माफियाओं का हौसला बढ़ गया और अपराध भी बढ़ने लग गये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी इसी लखनऊ में एक दरोगा और एक पुलिस कर्मी पर फायरिंग होती है, अपराधियों द्वारा । आज अपराधी निरंकुश हो गये हैं और पुलिस तंत्र निरंकुश हो गया है, गुण्डे भी निरंकुश हो गये हैं । आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है । इसके बीच सरकार आड़े आती है और सरकार दोषी है । एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम को निष्प्रभावी करने के लिये अध्यादेश जारी करते हैं उससे दलितों पर उत्पीड़न करने वालों का हौसला बढ़ता है, लाठी चलाने वालों, कट्टा चलाने वाले गुण्डों का हौसला बढ़ता है ।

आज दलितों की हत्याये की जा रही हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । इसी के साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की यह घोषणा कि मैं कमजोर मुख्य मंत्री हूं । मेरे से किसी का नुकसान नहीं हो सकता है । इसका भी सन्देश पूरे उत्तर प्रदेश में गलत गया कि यह तो कमजोर मुख्य मंत्री हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं किसी का बाल बांका नहीं कर सकता हूं । इससे गुण्डों और माफियाओं के हौसले और बुलन्द हुए हैं । अपराध करने वाले लोगों के हौसले और बुलन्द हुए हैं । पुलिस कर्मी ने भी देखा कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है तो वह भी और निरंकुश हो गया । इसके साथ मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सहारनपुर में 4 मई को दो महिलाओं के साथ जो कि दलित थीं, उनके पिता व पति के सामने बलात्कार किया गया ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि लखनऊ में आये दिन रोज खबरों में होता है कि फलां युवती के साथ फलां पासी जाति की महिला के साथ बलात्कार हुआ । इस तरह की घटनायें आये दिन समाचार-पत्र में पढ़ने को मिलती हैं । आज जो इस तरीके से गिरती हुई कानून व्यवस्था है । वह एक चिन्ता का विषय है । आज इस गिरती हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये सरकार की जवाबदेही है, इसके लिये सरकार जिम्मेदार है । विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार उल्मूलन के लिये यहां पर बात कही और उसका कड़ाई से काम करना शुरू किया । उसी तरह से उनको यहां पर आकर कहना चाहिए कि हम अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये गुण्डों और माफियाओं पर अंकुश लगायेंगे और अपराध के लिये दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही करेंगे और उन्हें जेल में डालेंगे । जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी अपना इस तरह का वक्तव्य देकर प्रदेश में अपना संदेश देंगे हम समझते हैं कि उस दिन अपराध पर नियंत्रण लगेगा । इसलिये हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में होगा थोड़े दिन पहले की बात है हरदोई जिले के अकरोली में वहां पर बहादुर, केशव, रामकुमार, सीताराम, सन्तोष, राम नरेश, कमलेश लाल यादव, गुरू, बिन्दा, मुन्ना, मुन्नी लाल, रौदन 14 लोग और 2 पिछड़ी जाति के निरपराध और निर्दोष व्यक्ति एक हफ्ते से लगातार थाने में लाक अप में बन्द हैं क्योंकि इन्होंने एक पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत की थी ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी तरह से 19 वर्षीय अवध बिहारी उर्फ गुड्डू पासी अपनी बहन के यहां जा रहा था पुलिस ने दिन दहाड़े 11 बजे उसे गोली मार दी क्योंकि उसने देखा था कि वहां के खुशीराम को पुलिस ने मुठभेड़ में मारते हुए देखा था । गवाह न रहे इसलिये उसको मार दिया जबकि वह अपनी बहन के यहां नाते रिश्तेदारी में जा रहा था । गुड्डू पासी था इसलिये उसको मार दिया वहां पर अगर कोई और होता तो न मारा जाता । दलितों पर उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुंच गया है । गुण्डा माफियाओं द्वारा दलितों पर इस तरह का अत्याचार सरकार की शह पर हो रहा है । सरकार की कहीं न कहीं मिली भगत है । उत्तर प्रदेश में जो यह गुण्डों और माफियाओं का जंगल राज है इसके लिये यह सरकार जवाबदेह है क्योंकि सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखे ।

(इस समय 2 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस घटना में जो मृतक के आश्रित हैं उनको पांच-पांच लाख रुपया मुआवजा दिलाया जाय। मान्यवर, साथ ही साथ हरदोई में अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन टूण्डला में जो घटना हुई है उसमें अपराधियों के खिलाफ, पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज करके अपराधियों को पुलिस कर्मियों की तत्काल गिरफ्तार किया जाय। मैं यह भी चाहता हूं कि टूण्डला काण्ड में दोषी लोगों को तत्काल निलम्बित किया जाय जिससे कि जांच प्रभावित न हो सके। मान्यवर, हरदोई में दलित सामूहिक हत्या काण्ड में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय और उन्हें निलम्बित किया जाय। चूंकि इस हादसे के एक महीना पूर्व राम नाथ सिंह की लड़की प्रिया सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस घटना की आशंका से सचेत कर दिया था और लिखा था कि हमारे पति, बाप और भाई को जान से मारने की धमकी मिली है इसलिए उनकी सुरक्षा की जाय लेकिन पुलिस अधीक्षक ने उसके पति के परिवार वालों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप 4-5 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, इसलिये हरदोई के पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलम्बित किया जाय। इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं यह भी मांग करता हूं कि इस घटना में मृतक के परिवार वालों को सशस्त्र लाइसेंस शासन के विशेष अनुग्रह पर दिये जायं जिससे आगे उनकी सुरक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के सारे कार्यों को रोक कर इस पर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बहुत ही विस्तार से कुछ विषयों को लेकर माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे। माननीय आर० के० चौधरी जी ने शुरुआत किया और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री स्वामी प्रसाद जी ने समापन किया। मान्यवर, मैं अपने विचार संक्षेप में रखना चाहता हूं। मान्यवर, मुख्य घटना का उल्लेख हरदोई का हुआ, साथ ही सारे प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा गया कि पूरे प्रदेश में दलितों का दमन चल रहा है और सरकार उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं एक अपील करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में चाहते हैं कि सारे प्रदेश में शांति बनी रहे तो हमारे विचार में एक समरसता पूरे प्रदेश में होनी चाहिए या कुछ घटनाओं को रख कर यह प्रयास करें कि जातीय संघर्ष चल रहा है और घटनायें हो रही हैं। तो मान्यवर, पूरे प्रदेश में 83 जनपद हैं और यदि दो-तीन जनपदों का उल्लेख करके ऐसा वातावरण बनायेंगे तो शायद उसका प्रभाव उसकी शान्ति व्यवस्था पर होगा हमारी पार्टी का प्रयास रहा है हमारी सरकार का बराबर प्रयास रहा है कि सारे प्रदेश में समरसता का माहौल रहे। शान्ति व्यवस्था बनी रहे। कानून व्यवस्था के बारे में पाल साहब बड़ा जानते थे। वह चले गये पहला सत्र ऐसा है जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता है उनकी पीड़ा से मुझे सहानुभूति है उनको कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। जब कोई विशेष मुद्दा नहीं मिल रहा है तो सामान्य मुद्दे को उठाया जाता है वहीं टूण्डला से हरदोई, हरदोई से टुण्डला, थोड़ा आगे बढ़े तो कांघला फिर वही हरदोई से टूण्डला, टूण्डला से हरदोई। मेरे पास पांच वर्ष के आंकड़े हैं डकैती की घटनायें 1996 में हुई थीं 1,019 और 1999 में डकैती की घटनायें हुई 642। लूट की घटनायें 1996 में हुई 4,246 और 1999 में हुई हैं लूट की घटनायें 3.272. हत्या की घटनायें 1996 में हुई हैं 8,149 और 1999 में हत्या की घटनायें हुई हैं 7,557. तो कहने का मतलब यह है कि कमी आई है। कानून व्यवस्था में जितनी घटनायें होती हैं चाहे लूट की घटनायें हों, चाहे डकैती की घटनायें हों चाहे हत्या की घटनायें हों इन आंकड़ों को देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें बराबर कमी आयी है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार पहली सरकार है जिसने कहा है कि कोई केस बिना पंजीकृत के नहीं छोड़ा जायेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उसमें दलित हत्या दलित उत्पीड़न और दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के आंकड़े प्रस्तुत कर दें।

श्री हुकुम सिंह–

बलात्कार 1996 में 1,576 हुए हैं और 1999 में 1,369 हुए हैं । आप चाहें तो इसके आंकड़े अलग ला देंगे । लेकिन मैंने देखा है निश्चित रूप से कमी आयी है । इसकी प्रशंसा में इन्होंने कुछ नहीं कहा सारे प्रदेश में जातीय संघर्ष की कोई घटना नहीं हुई । एक युग आपने देखा कोई जनपद कोई नगर नहीं बचा जहां तनाव न हुआ हो । संघर्ष न हुआ हो उस वक्त वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं थी इसेका अनुमान लगा लें किसकी सरकार थी, खासतौर पर इस बात पर बल देना चाहता हूं हमारी सरकार की यह अच्छी उपलब्धि है हमारी सरकार में समरसता बनी रहे इसका पूरा प्रयास किया है जितेने प्रमुख त्योहार हुए सारे प्रदेश में ईद, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, ईदुलफितर, बारहवफात रहा हो, सारे त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए वरना इस प्रदेश में आपने देखा है महीनों मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ में कर्फ्यू रहा है । आज सारा प्रदेश में शान्ति से रह रहा है । अगर आप भी दो शब्दों में प्रशंसा कर देते तो संतुष्टि हो जाती । हरदोई की एक दुखद घटना है । यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । पहले एक बात को ठीक कर दूं . एक माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे, इस समय यहां नहीं हैं, हरदोई के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी कि पांचवां जो घायल था, श्री पाल, उसकी मृत्यु हो गयी है । मैंने इसकी जानकारी प्राप्त की तो यह आया कि वह के० जी० एम० सी० में लखनऊ में दाखिल है और ठीक हालत में है । माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि वह सदन की गरिमा रखे तथा जो भी जानकारी वह देते हैं उसको पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद दें । वे वातावरण को दूषित करने का प्रयास न करें । निश्चित ही यह दुखद घटना है । यह केवल दो परिवारों का मामला है, तीसरा बीच में नहीं है और न ही सरकार बीच में है । इसमें एक ए० पी० का कांस्टेबिल है उसका नाम राम नाथ सिंह है । यह दोनों परिवार आमने सामने रहते हैं । इसमें यह बात सही है कि उसकी इकलौती बेटी थी, दो बेटे भी उसके हैं । बेटी बी० एस० सी० में पढ़ रही थी । वह घर से चली गयी और घर से जाने के बाद जो जानकारी आयी है, रामनाथ सिंह गिरफ्तार भी हुआ है उसका बयान आ गया है ।

एफ० आई० आर० में यह कहा गया है कि पूनम सिंह उम्र 24 वर्ष को मेरा भतीजा ब्रजराज पुत्र श्री रूस्तम लाल राजी से भगा कर ले गया है और उसने पूनम से कोर्ट मैरिज कर ली है । इसमें तसदीक की गयी । जैसा कि बताया गया कि शाहजहांपुर में कोर्ट मैरिज कर ली थी तो जानकारी प्राप्त की । ए० डी० एम० का पत्र है जिसमें यह लिखा है कि सारे महीने के मैरिज रजिस्टर हमने देख लिये हैं । बृजराज एवं पूनम सिंह ग्राम मंजरेतर, जिला हरदोई का परस्पर विवाह सम्पन्न नहीं हुआ है । दूसरी बात यह आयी चौधरी साहब ने उल्लेख किया और माननीय सदस्यों ने इसमें बल दिया कि जब सुरक्षा की मांग कर ली गयी थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गयी । यह तो शासन की जिम्मेदारी है । चिन्ता होना स्वाभाविक है । जो पत्र आपने पढ़ा है उसमें क्या लिखा है । उसमें लिखा हुआ है कि प्रिया सिंह, दोनों में देख लें । एफ० आई० आर० में है पूनम और इसमें है, जो सुरक्षा की मांग की जा रही है प्रिया सिंह ।

श्री शिव प्रसाद–

मान्यवर, पूनम उसका घरेलू नाम है । वैसे नाम प्रिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

यह प्रकरण आया था इसलिये मैंने कहा । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह हो सकता है कि उसका घरेलू नाम हो । जो एप्लीकेशन दी गयी है उसमें प्रिया सिंह है । जो पता दिया गया उस पते पर पुलिस जाती रही वहां पर प्रिया सिंह नाम का कोई प्राणी नहीं मिला । बृजराज उस नाम का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं रहता है यह रिपोर्ट मेरे पास है मान्यवर, हमने विस्तार से जानकारी करने का प्रयास किया लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रयास किया गया जहां पर वे पी० एच० डी० कर रहे हैं और

ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि सम्पर्क करके पता तो करें कि जान को कोई खतरा तो नहीं है। मान्यवर, जो कालेज में एड्रेस था जो एफ० आई० आर० में आया कहीं प्रिया नाम आया है अब यह भी बात आई कि दोनों एक ही नाम हैं या अलग-अलग हैं यह जांच का विषय है अगर यह बात जानकारी में आती है तो निश्चित रूप से जांच में फर्क पड़ेगा। अभी मौर्या जी ने कहा कि एस० पी० को निलम्बित किया जाना चाहिए जैसे ही रिपोर्ट हुई तुरन्त कार्रवाई हुई गिरफ्तारी हुई। मान्यवर, जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने बयान लिया रामनाथ का उसमें है —

"अभियुक्त रामनाथ सिंह ने यह भी अवगत कराया कि घटना के दिन दिनांक 7 मई, 2000 को वह अपने मकान के सामने कुर्सी डाले बैठा था कि पूर्वाह्न में मृतक परिवार के लगभग 10 व्यक्ति, कुछ मोटर साइकिल पर तथा कुछ पैदल, उसके घर के सामने से निकले तथा मृतक राकेश ने व्यंगात्मक तथा उच्च स्वर में कहा कि यह देखो ससुर जी का मकान है और ससुर जी बैठे हैं। रामनाथ सिंह ने अपने को बहुत ही लज्जित व अपमानित महसूस किया उसके उपरान्त मृतक राकेश अपने घर की छत पर चढ़कर तथा अपने हाथ में तमंचा लेकर छींटाकशी करने लगा। अभियुक्त तथा मृतकगण के मकान के बीच लगभग 100 मीटर का फासला है। दोनों मकानों के बीच कोई निर्मित मकान न होने के कारण सारे क्रियाकलाप देखे जा सकते हैं इन सब कारणों से वह अपने आप पर काबू नहीं रख सका तथा अपनी पुत्री को एक अनुसूचित जाति द्वारा भगा ले जाने से पहले से ही अपमानित एवं लज्जित होने के कारण क्रोध से भर उठा तथा अपनी लाइसेंसी बन्दूक लेकर मृतक के मकान की ओर भागा और एक के बाद एक फायर करके रुस्तम लाल पुत्र सुक्खा तथा राकेश पुत्र रुस्तम लाल को मौके पर मार दिया पुत्तूलाल पुत्र भिखारी की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी तथा विजयपाल पुत्र दिब्बा की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

आप सुन लें। पुलिस ने तुरन्त कार्रवाई की और गिरफ्तार कर लिया। अब उसको रिमाण्ड पर लेने के बाद उसका लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद कर लिया। जांच चल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चार लोगों की अकारण एक गलत मानसिकता की वजह से अपनी जान खोनी पड़ी। हम आप एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करें तो यह बातें न हों. इन मुद्दों को उठाकर अतिरंजित करके दरार बढ़ाने का प्रयास करते हैं पाटने का काम नहीं करते हैं। मान्यवर, इसमें कठोर कार्यवाही की जायेगी। नियमानुसार जो प्राविधान हैं वह सहायता दी जा रही है। यह कार्य-स्थगन नहीं बनता इसको निरस्त किया जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो कुछ पढ़ रहे थे शायद वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस बयान को नहीं पढ़ रहे थे अगर आप अपना विवेक इस्तेमाल कर के पढ़ते तो शायद आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आता। अगर बचाव में हम लोग इस तरह खड़े होंगे कि प्रिया नाम है, प्रियंका नाम है या दूसरा नाम है या वह दूसरी थी, वह नहीं मिली, यह जो लड़का है बृजकिशोर मान्यवर, उसके पिता का नाम लिखा हुआ है जो घर है उसका मकान नं० 217 कौशल पुरी लिखा हुआ है आप कहते हैं कि न लड़का रहता है न लड़की रहती है। पुलिस ने कह दिया और आपने मान लिया और सदन को सूचित कर दिया और सदन में बेजा प्रोवोकेशन का मामला बनाया इसको इस तरह से प्रस्तुत करने का असर यह हो रहा है कि आज अनुसूचित जाति के लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस सदन में कहने से पहले जो भी हम पढ़ें या कहें उसमें अपना विवेक भी इस्तेमाल कर लें तो ठीक रहे इस सदन में कहने से संदेश क्या जायेगा। नम्बर एक–यह चिट्ठी उसमें लिखी थी प्रिया सिंह ने, यह चिट्ठी लिखी थी या नहीं ? लिखी थी, और लिखने के बाद आपके पुलिस का वर्जन आ गया कि यहां पर पुलिस बराबर जाती रही है

यहां पर बृजकिशोर पुत्र श्री रूस्तम लाल इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता है । नहीं रहता तो हत्या कैसे हो गई है ?

जो सदन में आप प्रोवोंकेशन की बात कह रहे हैं वह फैजाबाद के अस्पताल में भर्ती था या नहीं और वहां से आया कि नहीं और तीसरा जैसे शादी वहां नहीं हुई इस पत्र में साफ लिखा है कि 26 जनवरी को आर्य समाज मंदिर लखनऊ में यह शादी हुई । आप पता करने कि लखनऊ में शादी यह हुई कि नहीं हुई यह स्वयं लड़की कह रही है । आप उसको तलाश रहे हैं शाहजहांपुर में जाकर जहां उसकी शादी नहीं हुई । इसलिए मान्यवर, जो भी पुलिस प्रशासन का वर्जन आता है उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि क्या गलत है और क्या सही है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे तथ्य आपके सामने आ जायेगें मैं जानना चाहता हूं कि यह हत्या हुई है इसमें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यह चिट्ठी पहले दी गई थी तो क्या पुलिस कर्मी आपकी निगाह में दोषी बनते हैं या नहीं जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान कराई जिसके नाते चार-चार लोगों की हत्या हो गई और एक जीवन-मृत्यु के बीच में झूल रहा है । तो यह जो लोग दोषी हैं इनकी लापरवाही आपको नजर आती है या नहीं आती अगर नहीं आती है तो इस पर जांच करा लें तो यह चिट्ठी और सारे तथ्य आपके सामने आ जायेगें । ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए कि नहीं अगर आप नहीं करना चाहते हैं आपको अच्छा लगता है कि ठीक हो रही है तो उन अपराधियों को भी छोड़ दीजिए । होने दीजिए हत्याएं । यह स्थिति कब बनी थी पंजाब की । मान्यवर, वहां का दलित उठ गया तो आज पंजाब जल रहा है कश्मीर जल रहा है उत्तर प्रदेश भी जलने लगेगा । अगर हम लोग अपराधियों के संरक्षण के लिए खड़े होगें । तो मेरा कहना है कि इस प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की है आपकी कुछ ज्यादा ही है । लेकिन आपने कहा कि अमन चैन है मान्यवर, प्रदेश जल रहा है आपका बनारस, मऊ, आजमगढ़, बलिया, टूण्डला, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर सब जल रहा है । अगर यह सब अच्छा है तो कोई बात नहीं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी । मान्यवर, मेरी मांग है कि जो लोग मरे हैं, उनको 5-5 लाख रुपया आप देने की कृपा करें और जो चिट्ठी लिखने के बाद पुलिसकर्मियों की लापरवाही नजर आती है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें । जो उनके परिवार के लोग बचे हैं, वह न मार दिये जायें, यह स्वाभाविक सा लगता है, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी कर लेता है, तो जैसी हमारे समाज की व्यवस्था है, उसके हिसाब से निश्चित तौर से गुस्सा होना स्वाभाविक है, इसलिये ऐसे लोगों की हिफाजत करने के लिये कार्यवाही करने की कृपा करें । यदि वह शस्त्र लाइसेंस चाहते हैं तो उन्हें वह भी देने की कृपा करें । इस तरह की एक और घटना का जिक्र माननीय चौधरी साहब तथा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, घटना सहारनपुर की है, जहां पर दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, उसमें भी प्रेम प्रसंग की बात कही गई है, जबकि उनके परिवार का लेना देना नहीं है, रिश्तेदार की लड़की को कोई ले गया था, इस घटना में भी पीड़ित परिवार को आप आर्थिक सहयोग देने की कृपा करें, यही मेरा अनुरोध है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुख्य रूप से पत्र का उल्लेख किया गया है कि पत्र लिखने के बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई और इसके दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाय । मैनें काफी गहराई से छानबीन की । यह पत्र ऐसे ही नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था । इसमें लिखा है प्रिया सिंह पत्नी बृज बहादुर, इसमें जो एड्रेस है और जहां वह रहते हैं, दोनों में बहुत भिन्नता है । इस एड्रेस पर वह लोग उपलब्ध नहीं हुये, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एड्रेस की बात नहीं है, मैं दोबारा इस बात का

परीक्षण कराऊंगा और यदि कोई कोताही बरती गई है तो निश्चित तौर से कार्यवाही की जायेगी । आर्थिक सहायता और शस्त्र लाइसेंस की बात कही गई, उसका नियम है, जो नियमानुसार है, वह दे दिया गया है और जो नहीं दिया गया है, वह सुनिश्चित कर लेगें । सुरक्षा के लिये हम व्यवस्था करेगें ताकि उनकी जान को खतरा न हो ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

ढ़ाई बजे से बजट लेने की बात तय हो चुकी है । ग्राह्यता पर सभी ने विचार भी प्रकट कर दिये हैं, शासन का उत्तर भी आ गया है ।

(श्री ददू प्रसाद के खड़े होने पर)

चाहें आप बोल लें या फिर आपके नेता बोल लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस तरह की जो दर्दनाक घटनायें है, उसको हम लोग सरकार के संज्ञान में इसलिये लाना चाहते हैं कि सरकार उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही तत्काल करेगी, जिससे आगे आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा करता हूं कि वह कठोरतम कार्यवाही करते हुये, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का काम करेगें । लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री कभी भी अपने को संसदीय कार्य मंत्री नहीं समझते, अपनी जवाबदेही नहीं समझते । बंधुवा मजदूर की तरह बनी बनाई, लीपापोती करने की बात हमेशा करते चले आये हैं । आपने जब स्वीकार किया कि प्रिया सिंह ने पत्र भेजा था, आपने जब स्वीकार किया कि उसके पत्र में यह एड्रेस था, मकान कौशल पुरी 217. थाना कोतवाली, सदर हरदोई और यह भी उसमें कहा है कि 26-1-2000 को फलां-फलां मोहल्ले में शादी की और लगातार उसके पति को, उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही थी । इस परिप्रेक्ष्य में उसने पुलिस अधीक्षक को मान्यवर, पुलिस अधीक्षक, हरदोई को, जिलाधिकारी, हरदोई को, उससे ऊंचे सभी अधिकारियों को पत्र दिया यहां तक कि महामहिम राज्यपाल जी को दिया । पुलिस अधीक्षक चूंकि उस जनपद के उच्चाधिकारी हैं उसकी जवाबदेही बनती है कि महिला को, उसके पति को, उसके परिवार को किसी प्रकार की कोई चोट न पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करते । लेकिन खेद है, महीनों पहले इस घटना की जानकारी देने के बाद भी और उसने इस पत्र में सीधे-सीधे लिखा था कि मेरे पिता रामनाथ सिंह और भाई अंकित सिंह मेरे निवास पर आकर अपनी लाइसेंसी बन्दूक व अन्य हथियारों से कातिलाना हमला करने और मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी । इस प्रकार का अनुरोध करने के बाद भी पुलिस अधीक्षक हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा । नतीजा यह हुआ कि 5-5 सामूहिक हत्यायें हो गयीं, 4 मौके पर हो गयी, एक घायल अवस्था में मर गया ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की ढुलमुल रवैया को छोड़ करके उस पुलिस अधीक्षक को और वहां की स्थानीय पुलिस को जो थानेदार और जो सहयोगी पुलिसकर्मी लोग हैं, उनको तत्काल निलम्बित करें जिससे इस पुलिस महकमे में यह सन्देश जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, तभी अपराध रुकेंगे । इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई भी सदस्य इस प्रकार की हिंसा में मरता है तो जैसा मायावती जी ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में 2 लाख रुपये देने की व्यवस्था तो सुनिश्चित कर ही दी थी लेकिन जब पुलिस कर्मियों की गलती से ये घटनाएं होती हैं और मान्यवर, यही सरकार कभी-कभी किसी के मरने पर 10-10 लाख 20-20 लाख देती है तो क्या ये चमार हैं, क्या ये दलित हैं इसलिए पैसा नहीं दिया जायेगा ? हम मांग करते हैं, वह

अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे, वह नौजवान थे, इसलिए उनका परिवार भुखमरी की कगार पर न जाये । इसलिए मान्यवर, चाहे वह टुण्डला के हों चाहे हरदोई के हों उनको 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की जाए क्योंकि इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि हम मुख्य मंत्री से बात करके घोषणा करेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हरदोई के पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित थानें की पुलिस को निलम्बित किया जाए और मृतक परिवार को 5 लाख रुपये की राहत तुरन्त पहुंचाई जाए, इसकी घोषणा मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से सुनना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं नें यही कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने जो टिप्पणी की है बंधुवा मजदूर की। बंधुवा मजदूर की परिभाषा आप से ज्यादा कौन जान सकता है, मेरी तो आपके साथ सहानुभूति है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बी० आर० वर्मा, श्री लालजी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इसे अग्राह्य करते हुए निरस्त करता हूं । दूसरी सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री संजय गर्ग, श्री स्वामी ओइमवेश और श्री परवेज़ हलीम खां की है, इसे स्थगित करता हूं । तीसरी सूचना श्री मुन्ना चौहान की है, स्थगित । चौथी सूचना श्री उदयराज यादव की है स्थगित की जाती है । पांचवीं सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री अम्बरीष कुमार की है, कल के लिए स्थगित । छठी सूचना श्री राम सिंह सैनी की है कल के लिए स्थगित । सातवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, डा० अम्मार रिजवी और श्री राम नरेश यादव जी की है, कल के लिए स्थगित और आठवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की है, कल के लिए स्थगित ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं नहीं ली गयीं, अतः अस्वीकृत हुईं । श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल, दूसरी सूंचना श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री बाबू लाल, श्री प्रदीप कुमार, श्री राजपाल सिंह , श्री वीरेन्द्र सिंह.....

(श्री ददू प्रसाद व अन्य सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री राम प्यारे सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राजेन्द्र यादव, श्री लालमणि प्रसाद एवं श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की सूचना अस्वीकृत हुईं ।

श्री ददू प्रसाद–

[(सदन के वेल से––जो लोग मारे गये हैं उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय ।)

(इसी बीच सदन में नारे लगाये गये ।)]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने आसन पर चलें यह दुराग्रह ठीक नहीं है ।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक सीटों में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि तथा श्री राम नरेश यादव द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको स्थगित कर रहा हूं, बजट के बाद इस पर चर्चा करा लेंगे । आप लोग कृपया अपने आसन पर जायं । आप लोग अपने आसन पर जायं, यह दुराग्रह ठीक नहीं है ।

(सदस्यों के अपने आसन पर न जाने व नारे लगाते रहने पर ।)

मैं सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण अधिष्ठाता ने 2 बजकर 42 मिनट पर 3 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया ।)

(3 बजे डिप्टी मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3.20 बजे तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिये हैं । 3 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।)

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैंने हरदोई में दलितों की हत्या के संदर्भ में सरकार से मांग की थी कि मृतकों के परिवारों को पांच लाख रुपया अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाय और इस घटना की जानकारी महीनों पूर्व संबंधित थाने और पुलिस अधीक्षक को थी, अगर इसमें समय रहते कार्यवाही हो जाती तो मृतकों की हत्या न हुई होती । इसमें जो पुलिस अधीक्षक और हरदोई थाने के सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को दण्डित किया जाय और साथ ही साथ जो मृतक परिवार है उस परिवार की सुरक्षा करते हुए शस्त्र लाइसेन्स मुहैया कराया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मौर्या जी ने यहां तीन बिन्दु उठाये थे जिनमें कार्यवाही हो रही है । पहला बिन्दु था कि मृतक परिवार को शस्त्र लाइसेंस दिया जाय तो वे आवेदन-पत्र दे दें उन्हें लाइसेंस दे दिया जायेगा । सहायता बढ़ाने की बात कही गयी तो हमारे यहां नियम बने हैं उनके अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गयी है और बढ़ाने के लिए मुख्य मंत्री जी से वार्ता करनी पड़ेगी । तीसरी बात है पुलिस कार्यवाही की तो आप स्वयं जानते हैं कि पुलिस ने कितनी तत्परता से कार्य किया है । तुरन्त ही दोषी को गिरफ्तार किया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस मामले पर संवेदनशील नहीं है । सरकार के इस रवैये को देखते हुए हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(नारे लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गये ।)

(विरोध स्वरूप श्री रामजग ने भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,57,59,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये ऊर्जा सुधार विधेयक में अपनी सहमति परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दी। इस बात के लिये भी प्रशंसा करता हूं कि ऊर्जा सुधार विधेयक 14 जनवरी को लागू किया गया जिसके लिए विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल की उसमें भी राजनीतिक दलों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस विधेयक का समर्थन किया। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक लोगों ने कुछ अलग बयान दिये हों। आम जनता इसके पक्ष में थी इसी कारण हड़ताली कर्मचारियों को पीछे हटना पड़ा। आरोप लगाये जाते हैं कि विश्व बैंक उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् को तुड़वा रही है। लेकिन वह कोई ज्यादा सहायता नहीं करेगा, अब वह भ्रान्ति भी दूर हो गयी है। विश्व बैंक ने 600 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में लगाने की अपनी स्वीकृति दे दी है। मान्यवर, ऊर्जा की स्थिति की संक्षेप में समीक्षा रखना चाहता हूं। आज जो नेशनल कंजम्पसन है वह 319 यूनिट के करीब है और उत्तर प्रदेश में 204 यूनिट प्रति व्यक्ति है। हम कितने पीछे हैं। महाराष्ट्र में 500 यूनिट और गुजरात में 608 यूनिट है। जब तक ऊर्जा क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रति व्यक्ति की आमदनी नहीं बढ़ सकती और प्रदेश की विकास दर भी नहीं बढ़ सकती है और न ही प्रदेश का विकास हो सकता है। इस समय हमारे पास कनेक्टड लोड 13,994 मेगावाट का है परन्तु हमारे पास लगभग 5 हजार के ऊपर है जिसकी वजह से हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में कोई धन खर्च नहीं किया गया और न ही कोई पावर प्लान्ट लगाये गये। पीक आवर में तो 15 प्रतिशत और जनरल रोटीन आवर में 8 प्रतिशत की मांग बढ़ती चली जा रही है यदि धीरे-धीरे यही स्थिति रही, तो एक दिन उत्तर प्रदेश अंधेरे की तरफ चला जायेगा।

आज हमारा प्लांट लोड फैक्टर 49 प्रतिशत है जबकि नेशनल प्लांट लोड फैक्टर 70 परसेन्ट औसतन है। लाइनलास जो 23 से 26 प्रतिशत दिखाया जाता था जिसे राज्य विद्युत परिषद् दिखाता था, और शेष को गांव में बिजली की खपत दिखा देता था जिसके कारण हम विद्युत चोरी का अंदाजा नहीं लगा पाते थे परन्तु जब से विद्युत परिषद् को तीन निगमों में बांटा गया है तो वस्तुस्थिति हमारे सामने आ गयी है हमने नियामक आयोग के समक्ष इस वर्ष यह दाखिल किया है कि हमारा लाइनलास 41.5 प्रतिशत है। हमने इसे स्वयं स्वीकार किया है। महानगरों में तो यह 41 परसेन्ट से भी ज्यादा है। हमने यह इसलिये किया ताकि हम अपने में सुधार कर सकें और अपने कल्चर को बदल सकें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से गुणवत्ता आयेगी। यू० पी० की विकास दर 3 से साढ़े तीन प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 6 से 7 प्रतिशत है। अगर हम चाहें ऊर्जा की उत्तर प्रदेश में आपूर्ति हो, तो हमें 1000 मेगावाट की तुरन्त आवश्यकता है। जिस पर कम से कम 4 हजार से 5 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट आयेगा।

सन् 2011 तक उत्तर प्रदेश को 14,500 मेगावाट की आवश्यकता होगी जिस पर 70 हजार करोड़ रुपया चाहिए। इसी कारण हमने निगम बनाया। निगम को बने हुए अभी साढ़े तीन महीने हुआ है, विधान सभा में यह बात कही गयी कि निगम बनने के बाद कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं हो

पायेगी । माननीय श्री राम जग जी ने तो आरोप ही लगा दिया कि हम पूंजीपतियों को बेंच दे रहे हैं । शायद वह कलकत्ता को नहीं देखे होंगे या हो सकता है बाद में गये होंगे, जो स्थिति है हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों के हितों का आश्वासन हमने जो दिया था आज तक उसका पालन कर रहे हैं । 25/26 तारीख की रात में जो उनसे समझौता हुआ था उसका 90 प्रतिशत हम पालन कर चुके हैं । सबसे ज्यादा कर्मचारियों का जो प्राविडेंड फण्ड और ग्रेच्युटी का 4 हजार करोड़ रुपया जमा था जिसे उन्होंने खर्च कर लिया था हमने वायदा किया था कि जब हम निगमीकरण करेंगे तो एक ट्रस्ट बनायेंगे और उस ट्रस्ट में प्राविडेंट फण्ड तथा ग्रेच्युटी के पैसे को जमा करके उस धन की सुरक्षा करेंगे । मान्यवर, हमको आज बताते हुए खुशी हो रही है कि नया ट्रस्ट बना दिया है इसमें तीन मेम्बर उनके कर्मचारी यूनियन के भी रख रहे हैं । इसमें 100 करोड़ रुपये रख दिया है । 50 करोड़ रुपये से अधिक आया था उसको भी रख दिया है । यह हमारा कमिटमेंट है कि जितना पी० एफ० कटा है उसको दिलवायेंगे । हम सदन में वायदा करते हैं कि यू० पी० पावर कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि उन कर्मचारियों का रुपया अदा करे । श्रीमन्, हमने टाण्डा की कैपेसिटी देखी और उसका अपने बकाये के एवज में एन० टी० पी० सी० को दे दिया ।

(व्यवधान)

यह दो सरकारों के बीच में है इसको दिया है बेचा नहीं है । हमारी तापीय इनस्टाल्ड कैपेसिटी 3909 मेगावाट है जलीय 1530 मेगावाट है केन्द्रीय अंश 2809 मेगावाट मिलना चाहिए । हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं धन के अभाव में । हमारी डिमान्ड 5800–6000 के बीच में है । हम पीक आवर में जितना लेना है नहीं ले पाते हैं । लोग कहते हैं कि आप इस को कहीं डबल करें और कहीं रात की कटौती से मुक्त कर दें । हम इसको उपलब्धता और मांग के अनुपात के अनुसार ही बांटते हैं और प्रयास करते हैं कि सही अनुपात में बांटें । श्रीमन्, राज्य विद्युत परिषद् के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया था कि कोई भी संस्था राज्य विद्युत परिषद् को धन देने के लिये तैयार नहीं थी । आर० ई० का पैसा हमारे पास नहीं था वह हम नहीं दे पाये तो आर० ई० की योजनायें रुक गयीं । एल० आई० सी० का कर्जा हमारे ऊपर था उसको पैसा नहीं दिया तो उन्होंने कर्जा देना बन्द कर दिया । हमारी बैलेंस शीट जो थी वह इतनी घाटे की हो गई कि उस बैलेंस शीट पर इस देश की या विश्व की कोई संस्था एक भी पैसा देने को राजी नहीं थी । विकट स्थिति थी कि हम क्या करें । राज्य सरकार कहती थी कि हम फर्स्ट चार्ज पर गारन्टी देंगे । हमारे राजस्व और वसूली में जो अन्तर था उससे हम एम० एल० सी० नहीं खोल सकते थे । धन का इन्तजाम नहीं कर सकते थे ।

हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन थर्मल, हाइड्रो तीनों को राज्य सरकार ने यह छूट दी एक साल के लिए काउन्टर गारन्टी का जो वो देते थे उसमें कि हम एक साल में अपनी परफौरमेंस दिखा सकें । श्रीमन्, हमने भारत सरकार के साथ एम० ओ० यू० साइन किया 25 फरवरी को । भारत सरकार में प्रधान मंत्री जी की मौजूदगी में माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के बीच समझौता हुआ उसमें चूंकि उत्तर प्रदेश रिफौर्म में थर्ड स्टेट था । यह सोचा गया कि यह उत्तर प्रदेश से शुरू नहीं होगा तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है वह नहीं लाया जा सकता । एम० ओ० यू० से पैसा देने की बात कहीं गयी है ।

विश्व बैंक ने जो हमारी योजनाएं स्वीकार की हैं वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । पारेषण कार्य पर 367 करोड़ रुपये की योजना स्वीकार की है । सब स्टेशन के सुदृढ़ीकरण के लिये 157 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है । लखनऊ शहर की विद्युत प्रणाली सुधार के लिए 102 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गयी है औद्योगिक एवं अन्य उपभोक्ताओं के परिसरों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने के लिये 249.64 करोड़ की योजना बनायी है टैक्नीकल असिस्टेंटस के लिए 35.62 करोड़

रुपये की योजना बनाई है । इस तरीके से एक शुरुआत हुई है परिवर्तन के लिए । इस प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में धन की उपलब्धता और उस धन के माध्यम से एक क्रान्तिकारी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । इसके बाद भारत सरकार से जो एम० ओ० यू० साइन हुआ है उससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के माध्यम से हम खर्च करने जा रहे हैं । श्रीमन्, उसमें दो हजार करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकार किया है जिससे ओबरा, पनकी, आनपारा-सी आदि योजनाओं का नवीनीकरण किया जायेगा । मान्यवर, जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए 3 सौ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है । इंसी तरह पारेषण लाइन हेतु 7 सौ करोड़ रुपया देने का वायदा किया है । श्रीमन्, आनपारा–सी योजना जिस पर विवाद भी हुआ, केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकार किया और पब्लिक सेक्टर में आनपारा–सी योजना लगाने जा रहे हैं। एम० ओ० यू० पर समीक्षा होने जा रही है और बाधाओं को दूर कर लिया जायेगा । इस प्रकार एक हजार मेगावाट की योजना के लिए 35 सौ करोड़ रुपया स्वीकृत करेंगे और यह ऋण दिसम्बर, 2000 तक मिल जायेगा ।

श्रीमन्, इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मनेरीभाली और लखवार व्यासी योजना जो पब्लिक सेक्टर में थी भारत सरकार से ज्वाइन्ट वेंचर पर लगाने का निर्णय लिया है । इन योजनाओं की जल्दी हम शुरुआत करने जा रहे हैं ।

श्रीमन्, इसी तरीके से हम आपके माध्यम से सदन के सम्मुख कह सकते हैं कि मात्र साढ़े तीन महीनों में इन तीन निगमों के बनाने का जो हमने प्रयास किया है उसकी इस सदन को सराहना करनी चाहिए । श्रीमन्, हमने जो तापीय निगम बनाया है उसका प्लांट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से ऊपर हो गया है । आनपारा–बी का लोड फैक्टर 90 प्रतिशत है । इस वर्ष आनपारा में प्लांट लोड फैक्टर मार्च, अप्रैल में 50 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है । इस समय 2500 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है जिसे 2900 मेगावाट तक पहुंचायेंगे । श्रीमन्, हमने ओबरा के नवीनीकरण का निर्णय लिया है और अन्तिम चरण में 12 में से 10 यूनिटें इस समय कार्य कर रही यह बहुत बड़ा परिवर्तन है ।

श्रीमन्, तीनों निगमों की जिम्मेदारी अलग-अलग हो गयी है । पावर कारपोरेशन को हमने प्रथम प्राथमिकता पर लिया है जिससे 2001 तक सभी जिलों और तहसीलों मुख्यालयों पर हम इलेक्ट्रिक मीटरिंग करने जा रहे हैं जिस पर ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च हो रहा है । श्रीमन्, 3300 के० वी० के विद्युत गृह हैं जिन पर 157 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी गयी है । इसके साथ ही साथ ट्रांसमीशन प्रणाली के शुद्धीकरण के लिए 367 करोड़ रुपये की योजना बनायी है । श्रीमन्, हमें अपेक्षित रेवेन्यू वसूली से नहीं मिल रहा है । लेकिन आप देखें पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत रेवेन्यू इस वर्ष बढ़ा है, इसके आंकड़े देखें तो पिछले वर्ष फरवरी में 353 करोड़ रुपया वसूल किया गया था जब कि इस वर्ष 463 करोड़ रुपया वसूला गया है । मार्च में एक हजार करोड़ रुपया वसूला गया था जबकि पिछले वर्ष मार्च में 816 करोड़ रुपया वसूला गया था । श्रीमन्, निजी क्षेत्र में भी परियोजना का फाइनेंशियल क्लोजर होने जा रहा है इस महीने के अन्त में या उस महीने की शुरुआत में उसका उद्घाटन होगा । निजी क्षेत्र की जो परियोजनायें हैं उसमें श्रीनगर रोजा ऐसी परियोजनायें हैं जिनके बारे में अमेरिका के राजदूत आये थे उन्होंने भी श्रीनगर परियोजना में अपनी रुचि जाहिर की वह चाहते हैं इसको जल्दी उत्तर प्रदेश में चालू किया जाए । हम चाहते हैं इसमें जल्दी क्लीयरेंस हो । इसी तरह से 567 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्टर है । मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त ऊर्जा फाइनेंशियल क्लोजर करायेंगे ताकि निजी क्षेत्र की परियोजनायें कार्य कर सकें । श्रीमन्, यह बात आई कि वर्ल्ड बैंक के दबाव में काम कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने आई० सी० आई० सी० आई० को लीगल एडवाइजर रखा है । कटौती का प्रस्ताव शायद रेवती रमण सिंह जी रखेंगे । आई० सी० आई० सी० आई० ने

रिपोर्ट बनायी है नौ साल की योजना बनायी है उसमें लिखा है ऊर्जा क्षेत्र में कितना रुपया खर्चा करेंगे इसका कितने वर्षों में क्या परिणाम आयेगा ।

इस वर्ष उनकी रिपोर्ट के अनुसार हम हाइडिल ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 262 अगले वर्ष 751 उसके अगले वर्ष 1157 और उसके अगले वर्ष 2,057, उसके अगले वर्ष 2,124 उसके अगले वर्ष 2436 तो इस तरह से हर साल बढ़ता जाएगा उन्होंने जो धन की उपलब्धता पर रिपोर्ट दी है उसमें जो प्रगति की अपेक्षा की है उसमें हम विश्वास दिलाते हैं, प्रदेश को विश्वास दिलाते हैं कि हम उसके अनुरूप चलेंगे । लाइन लास के बारे में कुछ चीजें शुरू की हैं हमने विजीलेंस का नये तरीके से गठन किया है । पहले जांच रेड आदि कार्य के लिए एक ही व्यक्ति काम करता था अब एक सघन दस्ता रेड के लिए बनाया है सामाजिक परिस्थितियां हैं कहीं पर विद्युत चोरी को रोकने में कमजोर पा रहे थे क्योंकि प्रदेश को हम दंगामुक्त रखना चाहते हैं हम यह नहीं चाहते हैं कि दो समाजों के बीच झगड़ा हो लेकिन आज भी ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में हैं हम यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से विद्युत चोरी रोकी जा सके । हम लोगों ने तय किया है कि यू० पी० पावर कारपोरेशन बने तो सभी चीफ इंजीनियर एम० ओ० यू० पर साइन करेंगे । हम तुमको बिजली देंगे । और उस बिजली का पैसा लेंगे । हमने यह व्यवस्था की है कि हर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एम० ओ० यू० साइन करें और जितनी बिजली दे उतना पैसा ले । हम इसको इस बजट में लागू करने जा रहे हैं । यह भी तय किया है कि जो अच्छे काम करेंगे हम उनको पुरस्कृत करेंगे और जो खराब काम करेंगे उनको हम दण्डित करेंगे । जैसा कि मुख्य मंत्री जी नें भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया है, हमने भी यह तय किया है कि जो जांच चल रही है तीन महीने के अन्दर निर्णय लें । जो अति भ्रष्ट हैं उनको सेवा से निष्कासित किया जाय और जो अन्य लोग हैं उनको सही रास्ते पर ला सकें । इसमें हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है और बिना उनके सहयोग से कोई कार्य नहीं हो सकता है ।

एक सदस्य–

सहयोग देंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हम भी विरोध पक्ष में रहे हैं और काफी समय रहे । हमने भी विरोध किया लेकिन केवल विरोध करने के लिये नहीं किया । आप विरोध करें यह आपका अधिकार है लेकिन अपनी बातों को सुनाने के लिए रचनात्मक विरोध करेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा और केवल विरोध करने के लिए करेंगे तो अच्छा नहीं होगा । मैंने सभी सदस्यों को बराबर की श्रेणी में रखा है । इसीलिए मैंने पिछले दो सालों में पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिये देने की बात कही थी । जो भी पांच गांव आप अपने आप कहेंगे उसको हम ऊर्जीकृत करेंगे । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । आज विचार करने के बाद हो सकता है कि हम कुछ और घोषणा करेंगे । मान्यवर, मैंने पिछले वर्ष भी यह कहा था कि राजस्व वसूली में क्या-क्या करना चाहिए इसका सुझाव मांगा था, क्या कमियां हमारी हैं यह बतायें और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं वह भी बतायें । इसमें हम आपका सहयोग लेना चाहते हैं । आज ऐवरेज वसूली सवा चार हजार से साढ़े चार हजार के है और खर्चा है 650 सौ करोड़ का है तो इस अन्तर को दूर करने के लिए जब तक राजस्व की वसूली में जोर नहीं देंगे तब तक इसका परिणाम सामने नहीं आयेगा । हम यह चाहते हैं कि जन सहयोग मिले । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आज बाजारों में 7 बजे मार्केट बन्द हो जाय तो इससे दो सौ मेगावाट की बिजली की बचत होगी और इसी बचत को हम पीक आवर में निश्चित रूप से गांव में देंगे जिससे विकास होगा । तो इसमें हमको एक जन सहयोग बनाना होगा । हम मीटर रीडिंग और बिलों के वितरण में कैसे सुधार लायें इसमें सोचना है । जो डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा है वह कर्जे के रूप में है उस पैसे को सिस्टम डेवलेप करने में कर दें । अगर सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे तो यह सिस्टम फेल हो जायेगा । इसलिए उसको मजबूत बनायें । मैं यह चाहूंगा कि निधि से भी

सिस्टम को डेवलेप करने के लिये पैसा दें। बहुत से साथियों ने कहा कि ग्राम विद्युतीकरण से देते हैं तो इससे घाटा होता है। मान्यवर, गांव में विद्युतीकरण में पांच लाख रुपया मिलता है। हमने कहा कि हमें 25 कनेक्शन मिलने चाहिए लेकिन वह नहीं मिल रहा है। हमने यह कहा है कि जिन गांवों को 25 कनेक्शन मिलेंगे उसमें ही विद्युतीकरण किया जायेगा। हम विद्युत चोरी के रोकथाम के उपाय भी चाहते हैं आप लोग शिकायत करते हैं कि तार की चोरी बहुत बढ़ी है अगर इसमें भी समाज में चेतना पैदा नहीं करेंगे गांव के लोगों में चेतना नहीं पैदा करेंगे तो भले ही हम गांवों का विद्युतीकरण करते जायें गांवों को ज्यादा लाभ होने वाला है नहीं। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तारों की चोरी की रफ्तार कम नहीं देखी। हम चाहते हैं कि आप रचनात्मक सुझाव दें और कटाक्ष भी मीठा करें ताकि आपस में प्रगाढ़ता बनी रहे। न मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से नाराज हूं न व्यक्तिगत आरोप लगाता हूं। एक-दूसरे पर कटाक्ष न करते हुए सुझाव अच्छे आयेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छे आयेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके सुझाव आमंत्रित करता हूं।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, पूरे सदन ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी की बातों को गौर से सुना हमें उम्मीद थी कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी यह बताने का काम करेंगे कि प्रदेश में जो बिजली की कमी है वह कब तक पूरी हो जायेगी ? कब प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलेगी ? प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनेगा कि प्रदेश में उद्योग लगें। मान्यवर, प्रदेश में उद्योग केन्द्र में हमारी ग्रोथ रेट 3 प्रतिशत है। भारत सरकार की 5.6 प्रतिशत है। वे कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल 7 प्रतिशत तक ले जायें। मान्यवर, इस प्रदेश से देश से गरीबी तभी दूर होगी जब 8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत ग्रोथ रेट हो। मान्यवर, इस प्रदेश में कोई उद्योग लगाने क्यों आयेगा आपके पास बिजली नहीं है आप जिस गति से चल रहे हैं। 20 साल में भी बिजली की कटौती आप खत्म नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, आज प्रदेश या देश में उद्योग वहां लगते हैं जहां पर बिजली, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था ठीक हो लेकिन मुझे कहने में हिचक नहीं है कि आज प्रदेश में यह सब विपरीत है। मान्यवर, आपने यह बातें ऐसे बताईं, मुझे स्मरण है नरेश जी आपको स्मरण हो या न हो पहले इलेक्ट्रिसिटी विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार के एक विभाग के रूप में काम करता था। 1957 में एक एक्ट बनाया गया उसमें यह प्राविधान करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् बनाया गया। आज आपने तीन निगम की बात कही हैं। मुझे स्मरण है कि 1957 में भी यह बात कही गयी थीं चूंकि ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है। इसलिए जिस गति से उसका विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पा रहा है। आज वही सब बातें आप दोहरा रहे हैं। आपने एक निगम के बजाए तीन निगम बना दिया आपने कहा था कि ऐसी सुचारु रूप से कार्यवाही होगी प्रदेश आगे बढ़ेगा अभी मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया, भारत सरकार से कर्ज लिया और उसमें भी आपकों कर्जा मिल गया और इसलिए मिल गया कि आपने उन शर्तों को मान लिया है और मानकर उनके कहे हुए रास्ते पर चले गये। अगर आप सोचिए तो उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस तरह का काम कर दिया है कि पूरे देश में कीर्तिमान बन गया हो। आपने सभी प्रदेशों में आन्ध्र प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में और एक दो प्रदेश में किया है और जब आपने कर दिया संयोग से दिल्ली में, भारत सरकार ने आपके भाजपा के लोग हैं उनके गठबन्धन की सरकार वहां भी है और यहां भी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात का मुझे अफसोस होता है कि दिल्ली में आपकी सरकार और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार एक भी बड़ी परियोजना पर काउन्टर गारन्टी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दी । अगर दिया होता तो आज आपके यहां 2000–3000 और 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती, लेकिन दुर्भाग्य यह है इस प्रदेश का कि फास्ट ट्रेक मंजूरी काउन्टर गारन्टी उत्तर प्रदेश को नहीं दिया आपने कहा कि आनपारा सी परियोजना बहुत सालों से लम्बित है, किन कारणों से नहीं लग पाई आनपारा सी । जापान लगाने को तैयार था उसका शर्तनामा भी मान लिया था लेकिन किन परिस्थितियों में जापान से नहीं बनवाया, आनपारा "ए", "बी" जापान ने ही निर्मित किया था लेकिन "सी" में मामला फंस गया क्यों फंस गया यह जानकारी आपको है आपकी सरकार जाने लेकिन उसकी वजह से 4 साल का विलम्ब हो गया और उसको अब पूरा नहीं कर पायेंगे । एक आनपारा न लगवाकर मनेरी भाली श्रीनगर दो-दो, चार-चार सौ मेगावाट की लगाकर बिजली की कमी को दूर कर देंगे यह असम्भव बात है । जो बड़ी परियोजना थी 2400 मेगावाट की टिहरी परियोजना उसका फस्ट फेज तैयार होगा 2002 में । वह न आपको मालूम है और न भारत सरकार को अगर यह परियोजना तैयार होती तो उत्तर प्रदेश के एक लाख पैंतीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती और 2400 मेगावाट बिजली तत्काल मिल जाती तो इससे पीक आवर में जो बिजली की कटौती करनी पड़ती है वह तुरन्त बन्द हो जाती । यहां से आपको तुरन्त बिजली मिल सकती है । जैसे पंजाब के लिये भांखड़ा नंगल परियोजना है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लिये टिहरी । लेकिन दुर्भाग्य है कि वह आपकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, 2400 मेगावाट की यह परियोजना है और 2002 में आप मात्र 400 मेगावाट पैदा कर पायेंगे, आप विचार करें, आप सुझाव की बात कहते हैं, हम लोग समालोचना करते हैं, लेकिन उसका कुछ असर तो हो, उसका असर दिखाई पड़े, पारदर्शिता दिखाई पड़े, गुणवत्ता दिखाई पड़े, तो एक नहीं, पूरा सदन एकमत होकर कटौती का सवाल ही नहीं आये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ।

मान्यवर, यह भी एक संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी 1991 में रही तो हमारा जो सबसे अल्ट्रामार्डन पावर हाउस था, तापीय विद्युत गृह ऊंचाहार का, वह बेच दिया गया, आप कहते हैं कि दे दिया गया, आप दान क्या कर रहे हो, आप तो विश्व बैंक से भिक्षाटन कर रहे हो, भारत सरकार से भिक्षाटन कर रहे हो । वास्तविकता यह थी कि विद्युत का बकाया था, इसलिए बेच दिया था उन्होंने कटौती कर ली । इसी प्रकार टांडा जो सबसे आधुनिक विद्युत गृह था, उसको भी आपने बेच दिया, नीलाम कर दिया । टांडा में बिजली 1.80 पैसे में पैदा होती थी और अब एन० टी० पी० सी० से 5.40 पैसे में खरीदी जा रही है । आपने कह दिया, हमने दे दिया, सब आप दे दोगे तो उत्तर प्रदेश में बचेगा क्या । आप कहते हैं हमें राष्ट्रीय शेयर मिल जायेगा, शेयर से काम नहीं चलेगा, आप को हर हाल में कटौती को खत्म करने के लिये बिजली खरीदनी पड़ेगी, अगर ऐसे ही हो जायेगा तो फिर उत्तर प्रदेश को बिजली लगाने की ज़रूरत ही नहीं है । राष्ट्रीय शेयर मिलता जाय, उसी से काम चलता जाय। मुझे जो खबर है, उसके अनुसार अब ओबरा की बारी है । ऊंचाहार बेचा, टांडा बेचा और अब ओबरा को बेचने जा रहे हो । एन० टी० पी० सी० की पूरी-पूरी मंशा है कि हम ओबरा को भी ले लें । पैसा आप ले रहे हो । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अखबार में पढ़ने को किसी दिन मिलेगा कि ओबरा जो हमारा सबसे बड़ा विद्युत गृह है, उसको भी ले लिया ।

मान्यवर, अभी कुछ बातें, कुछ तथ्य आपने सदन के सामने रखे । मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, आपके इतना विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला है । आपकी 4.544 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है, थर्मल पावर की और जल विद्युत की 1494.35 मेगावाट । यदि इस सबको मिला लें तो लगभग 6 हजार मेगावाट बैठता है । जबकि महाराष्ट्र ऐसे प्रदेश में 10 हजार मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता है । उत्तर प्रदेश की आबादी और महाराष्ट्र की आबादी की तुलना कर लें तो आपको पता लग जायेगा कि आप कहां खड़े हो ? मान्यवर, इतना ही नहीं, आपका प्रयास और

अन्य प्रदेशों के प्रयास में आप देखें तो आप एकदम पीछे की लाइन में खड़े हैं, नीचे से दूसरे-तीसरे स्थान पर । आपका भी तीन, साढ़े तीन साल का कार्यकाल रहा है, इतने दिन में कोई ऐसा काम कर पाये, इस विघटन के अलावा कोई ऐसा काम कर दिया हो जो कि इस प्रदेश को आगे ले जाने में सहायक होता । आप स्वयं कह रहे हैं कि 49 फीसदी किया है, कहा कि अभी 50 फीसदी हो गया, आपका प्लान्ट लोड फैक्टर है । मान्यवर, आपका जब से यह कारपोरेशन बना है, तीन कारपोरेशन बनाये हैं, तब से तो कोई प्रगति होनी चाहिए थी । आपने अपनी ही पुस्तिका में लिखा है कि यह 2003 तक प्लान्ट लोड फैक्टर हम 53 प्रतिशत ले जायेंगे, 53 प्रतिशत । जरा गलती देखें, 49. 50. 53 और अभी आपने स्वयं कहा कि राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत का है । मान्यवर, उसी के साथ-साथ अगर यह देख लें कि और प्रदेशों की क्या स्थिति है तो जरा उत्तर प्रदेश का आंकलन करने में सभी सम्मानित सदस्यों को आसानी होगी ।

मान्यवर, प्रति व्यक्ति खपत उत्तर प्रदेश में जैसा आपने स्वयं बताया 207 मेगावाट है और महाराष्ट्र 545, पंजाब का 760. गुजरात का 671, हरियाणा का 503 इसी से अन्दाज कर लें कि उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है । विकसित प्रदेशों के मुकाबले में 207 मेगावाट । यह एक इन्डीकेटर होता है, यह इन्डीकेटर है, प्रदेश में हमारी औसत आमदनी कितनी बढ़ रही है, यहां के लोगों में खुशहाली कितनी है, इस बात का इन्डीकेटर है । कहां मान्यवर, 760 और कहां 207 तीन गुने से ज्यादा फर्क है । मान्यवर, आपने कौन सा काम किया, यह जो गैप है, इसको आप कितने दिनों में खत्म कर देंगे और उनकी बराबरी में पहुंच जायेंगे, शायद आप हमारा ज्ञानवर्धन किये होते लेकिन यह बताने का काम किया नहीं। मान्यवर, इसी तरह से आप देखें प्लान्ट लोड फैक्टर जो इस बात को बताता है कि हमारे उत्पादन में और अन्य प्रदेशों के उत्पादन में हम कहां पर हैं । हमारी क्या स्थिति है । आपने स्वयं बताया कि हम 49.1 परसेन्ट अभी कर रहे हैं, 50 इस महीने हो गया है, 2003 तक आप 53 प्रतिशत कर पायेंगे.। वहीं अगर आप देखें आन्ध्र प्रदेश 78.31 प्रतिशत, गुजरात 63.87 प्रतिशत, महाराष्ट्र 68.71 प्रतिशत, राजस्थान 75.71 प्रतिशत, तमिलनाडु 72.31 प्रतिशत, तो मान्यवर, आप कहां हैं । 70 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत आप बता रहे हैं तो आखिर हमारा प्रदेश 60 प्रतिशत से ऊपर जायेगा, यह कहीं आपने बजट भाषण में इस सदन को बताने का कष्ट नहीं किया और न ही अपने बयान में बताया कि आपने जो विघटन किया है, तीन निगम आपने बना दिये, उनका क्रियाकलाप कैसा होगा ? कब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे, यह भी बताने का काम नहीं किया है । मान्यवर, इसी तरह ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने मान्यवर, यह काम शुरू किया, एक अच्छा काम शुरू किया है । मान्यवर, ऐसा नहीं है कि आपने ही यह काम शुरू किया हो, पहले भी यह काम हुआ है, विगत वर्षों में यह काम बन्द हो गया था, आपने शुरू किया है । ऐसा नहीं है कि इसके पहले यह कार्य किसी ने नहीं किया था, जरा रिकार्ड उठाकर देख लें तो पता चलेगा कि किन लोगों ने यह काम पहले किया है इससे आपका भी ज्ञानवर्धन होगा और सदन का भी ज्ञानवर्धन होगा । नये प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । आपकी पुस्तिका जो छपी है उसमें विद्युतीकरण का प्रतिशत 76.8 है । जिस गांव में एक ट्यूबवेल है उसको आपने विद्युतीकृत मान लिया है । मात्र 62 हजार गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण किया गया है । अगर इसी गति से आपने यह कार्य किया तो आने वाले 30–40 सालों में आप उत्तर प्रदेश के पूरे गांवों को विद्युतीकरण कर सकेंगे । आपने कोई योजना बनायी है कि 5–6–8 साल में कितने समय में सारे गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे । जहां पर एक बल्ब लगा है उसको भी आपने विद्युतीकृत मान लिया है । आप अन्य राज्यों को देख लें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब में 100 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

आपने हर साल 4 हजार या साढ़े 3 हजार गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। इस तरह काम करने से 21वीं सदी बीत जायेगी गांवों को बिजली मुहैय्या नहीं हो सकेगी। आपने प्रदेश में एक विद्युत नियामक आयोग बनाया है और उसको यह अधिकार दिया है कि वह विद्युत दरें तय करे। पहले यह कार्य राज्य विद्युत परिषद् सरकार की सलाह पर करता था। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी बढ़ोत्तरी हुई है बिना मीटर के घरेलू बिजली में 53.85 प्रतिशत घरेलू बिजली मीटर सहित में 40 प्रतिशत, कामर्शियल में बिना मीटर सहित 50 प्रतिशत, कामर्शियल में मीटर के साथ 26 प्रतिशत। इंडस्ट्रियल रोलिंग मिल और आर्कफरनेस में 16 प्रतिशत, बड़े उद्योग में 15 प्रतिशत, पब्लिक वाटर वर्क्स में 22 फीसदी, निजी नलकूप में 37.50 फीसदी कृषि राजकीय नलकूप में 35 फीसदी, विश्व बैंक नलकूप 35 फीसदी, पम्प नहरों पर 25 फीसदी और पब्लिक लाइटिंग पर 71 फीसदी। मान्यवर, नरेश जी क्या आपको किसान ही मिला है सबसे ज्यादा बिजली का रेट बढ़ाने के लिए। क्या केवल घरेलू बिजली जो जलाते हैं उन्हीं पर रेट बढ़ाया है। आर्क फरनेस और रोलिंग मिल वाले जो सबसे ज्यादा बिजली की खपत करते हैं उनका मात्र 16 फीसदी बढ़ाया नलकूप का आपने 37 फीसदी बढ़ा दिया। 16 और 37 दो गुने से ज्यादा किसानों का बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से स्टेट ट्यूबवेल और विश्व बैंक के ट्यूबवेल और पम्प नहरों का आपने 25 प्रतिशत बढ़ा दिया, पब्लिक वाटर वर्क्स पर आपने 22 फीसदी बढ़ा दिया। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि यह जो रेट बढ़ाये नियामक आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का भी ख्याल रखेगी या बड़े लोगों का ही ख्याल रखेगी ? यह 16 करोड़ की जनता में मात्र 2-3 फीसदी आते हैं क्या नियामक आयोग और आपका निगम उन्हीं के लिये काम करेंगे या फिर 16 क़रोड़ जनता के लिये भी उत्तरदायी हैं ? यह जो रेट्स मैंने आपको बताये हैं यही रेट इस बात को साबित करते हैं कि आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं है, उन बड़े उद्योगों के खिलाफ, रोलिंग मिल के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की या विद्युत दर बढ़ाने की।

आपने कामर्शियल रेट नया निकाला है। गांवों में जो गुमटी भी लगाये हैं जिनकी छोटी सी दुकान है उनसे भी कामर्शियल रेट वसूल कर रहे हैं जो सुबह से शाम तक मुश्किल से 25 रुपया कमाते हैं। मैंने माना कि शहरों में बड़ी-बड़ी दुकानों से कामर्शियल रेट लेना चाहिए लेकिन आप गुमटी वाले से 5×4 फीट की जिसकी दुकान है उससे भी कामर्शियल रेट वसूल कर रहे हैं। यह कहां की समझदारी है। यह मेरी समझ में नहीं आता है। सी० ए० जी० ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर 13 हजार करोड़ की देनदारी जो उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य विद्युत परिषद् का है उसको अगर उत्तर प्रदेश की सरकार दे दे तो राज्य विद्युत परिषद् फायदे में आ जाय। अब वही 13 हजार करोड़ आप विश्व बैंक से ले रहे हैं, कहीं भारत सरकार से ले रहे हैं, क्या गारन्टी है कि जिनसे आप पैसा ले रहे हैं उन्हें वापस भी कर पायेंगे ? जिस हिसाब से आपका रेवेन्यू का कलेक्शन है उस हिसाब से आप वापस नहीं कर पायेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा मैंने स्मरण दिलाया कि जब तक आमूल-चूल परिवर्तन इच्छाशक्ति, पारदर्शिता यह आपका स्वावलम्बन नहीं बनेगा तब तक यह निगम कुछ कर नहीं पायेगा। ये जो आपने तीनों निगम के एम० डी० और चेयरमैन बनाये हैं, ये तीनों आदमी उस फील्ड के नहीं हैं। जो जनरेशन के एम० डी० हैं वह कभी जनरेशन में नहीं रहे हैं, जल विद्युत के जो एम० डी० हैं वह कभी जल विद्युत में नहीं रहे हैं। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो पावर कारपोरेशन के एम० डी० हैं वह कभी पावर कारपोरेशन में नहीं रहे। ऐसे लोगों को आपने क्यों बना दिया जिसको उस क्षेत्र में अनुभव न हो ? यह बात समझ में नहीं आती है। अभी विद्युत परिषद् खत्म करने पर विश्व बैंक से कर्ज लेने की बात बताई। मैं एक पत्र की प्रतिलिपि आपकी आज्ञा से भेज रहा हूं। यह हरीश चन्द्र गुप्ता प्रमुख सचिव, ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन का पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है। तारीख 9 फरवरी, 2000 सेवा में अतुंल चतुर्वेदी प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन महोदय मुझे यह

कहने की अपेक्षा की गयी है कि माननीय ऊर्जा मंत्री, उ० प्र० शासन ने राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऊर्जा हेतु किये जाने वाले ऋण के संबंध में इच्छा की है। विश्व बैंक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को जो कर्ज दे रहा है उस कर्ज में जो उन्होंने शर्तें लगाई हैं उसके अन्तर्गत जो भी सामान खरीदा जा सकेगा उनकी शर्तों पर ही खरीदा जा सकेगा। यानी विश्वबैंक की ही शर्तों पर खरीदा जा सकेगा इस प्रकार अन्तिम निर्णय भी उन्हीं के द्वारा किया जायेगा इससे ऐसा अनुभव हो रहा है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को विश्व बैंक के अन्तर्गत उन्हीं की इकाई के रूप में काम करना पड़ेगा। इस निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन को निम्नलिखित टेंडर के नाम दिये हैं उपरोक्त टेंडर में जो शर्तें हैं उनके अनुसार अपने देश की कोई कम्पनी उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकेगी। और विश्व बैंक अपनी इच्छानुसार विदेश की उन फर्मों को कार्य दे सकेगी जिससे उनके सम्पर्क बने हुए हैं। यह विदेशी कम्पनी इलेक्ट्रानिक मीटर तथा अन्य सामान की मानकों के अनुसार सप्लाई करेगी तथा भविष्य में उनकी क्या गारण्टी होगी इसकी कोई गारण्टी नहीं है। यह ठीक है कि विश्व बैंक को ऊर्जा सुधार में कम ब्याज पर सहायता देने की रुचि है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व बैंक ने उ० प्र० पावर कारपोरेशन तथा उत्तर प्रदेश सरकार को चलाने का दायित्व ले लिया है। मैं इन विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे इस पर आपत्ति है कि विश्व बैंक के साथ बैठकों में यह निर्णय लिया गया है इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गयी आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के संबंध में बिन्दुवार आख्या 9-2-2000 तक शासन को उपलब्ध कराने की कृपा करें। यह पत्र स्पष्ट कर देता है और इस सदन में हम लोगों ने सवाल पूछा था वित्त मंत्री जी से क्या विश्वबैंक से कर्ज ले रहे हैं और वह किन शर्तों पर ऋण ले रहे हैं उन्होंने कहा कोई शर्त नहीं है भारत सरकार जाने। मैंने जो संदेह व्यक्त किया था उसकी इस पत्र से पुष्टि हो जाती है। कारपोरेशन जो आपने बनाये हैं इनकी कोई स्वायत्तता नहीं है। यह कारपोरेशन विश्वबैंक के इशारे पर चलेंगे वह जो डिक्टेशन देंगे उन्हीं के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। यह पत्र मेरा नहीं है यह इनके प्रमुख सचिव का पत्र है जिसको तत्कालीन चेयरमैन के नाम से उन्होंने लिखा। तो मान्यवर, यही हालत होनी है तो बिस्मिल्ला ही.....। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो आपने कारपोरेशन बनाया है उससे क्या फायदा होना है? स्वायत्तता की बात इससे पहले भी कही गई थी। थोड़े से और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्होंने जो विवरण दिया है, उसको देखें आप तो उत्तर प्रदेश में इस समय 76 लाख 97 हजार विद्युत कनेक्शन दे रखे हैं यानी इनके कन्ज्यूमर हैं 77 लाख और आबादी है 16 करोड़। इसका अर्थ यह है कि हम एक करोड़ लोगों को भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इससे यह सोचने की बात है कि हमारा प्रदेश आगे नहीं पीछे की ओर जा रहा है। मात्र अप्रैल, 99 तक 276.96 करोड़ रुपये की वसूली हुई और अप्रैल इस वर्ष तक मात्र 299.36 करोड़ का रेवेन्यू एकत्र कर पाये आप। तो कितना इजाफा हुआ? अगर इसी तरह से रेवेन्यू कलेक्शन होता रहा तो यह प्रदेश कहां जायेगा?

विद्युत परिषद् सरकार की सहमति से वेलफेयर का काम करता था, प्राइवेट नलकूपों का उच्चीकरण करने का काम करता था लेकिन कारपोरेशन ने निश्चित कर दिया है कि रेवेन्यू इतना मिलेगा या इतना पैसा मिलेगा तभी हम गांवों का विद्युतीकरण करेंगे। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो गांव विद्युतीकृत हो गये हैं वहां अपने इंजीनियर्स को भेजें और कहें कि हमको इतना रेवेन्यू का कलेक्शन चाहिए। लेकिन आप साल में 5-5 6-6 बार इंजीनियर्स का ट्रांसफर करें और कहें कि कारपोरेशन जाने तो कैसे चलेगा। मैं भी रहा, माननीय प्रमोद जी भी रहे हैं लेकिन साल में कहीं एक ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर हो जाता था। जो हाई पावर कमेटी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनी थी उसकी संस्तुतियां मैं पढ़ना चाहता हूं और इसकी कापी मैं आपको भिजवा दूंगा। मिस्टर पी० के० कौल, एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया कमेटी वाज कान्स्टीट्यूटेड इन जनवरी ९८. सब्सिटेड इट्स रिपोर्ट मे, 1999. द पोलिटिकल एण्ड हाई लेबल इण्टरफेयरेन्स इज प्राइमरिली

रेस्पॉन्सिबिल फॉर द डिस्मल स्टेट ऑफ एफेयर्स एण्ड प्रोब्लम्स इन यूपीएसईबी। इण्टरफेयरेन्स स्टार्टस फ्राम सेलेक्शन एण्ड पोस्टिंग ऑफ चेयरमैन यूपीएसईबी। इस तरह से उन्होंने कुछ प्वाइन्ट्स दिये हैं। उन्होंने कहा है–आटोनामी आफ दि बोर्ड इज आन पेपर बट नोट इन प्रेक्टिस, दि पावर मिनिस्टर एण्ड पावर सेक्रेट्री, गवर्नमेंट आफ यू० पी० एक्सरसाइज रियल पावर ट्रीटिंग चेयरमैन ऐज के टूल। चेयरमैन हैज एडाप्टेड, पोलिसी आफ एपीजमेंट दन सरेन्डिंग पावर आफ डिसक्रीसन ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशन्स एण्ड अदर पर्सनल मैटर्स। ट्रांसफर हैज बिकम ए इण्डस्ट्री। डिसआनेस्ट एण्ड कान्सियस आफिसर्स आर हरेस्ड एण्ड पोस्टेड आन इनसेग्निफिकेन्ट पोस्ट्स। लार्ज एण्ड हैवी कंज्यूमर्स आर गेटिंग फेवर्स इवन इफ इट कोज्ड हैमेज टु दि इन्ट्रेस्ट्स आफ दि बोर्ड फाइनेन्सियली आर टैक्नीकली।

उन्होंने कहा है कि निगम पेपर पर है और वह प्रैक्टिस में लागू नहीं हो पाया है।

श्री अधिष्ठाता–

हिन्दी भी कर दें और यह भी बता दें कि रिपोर्ट कब की है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जनवरी, 1998 में कमेटी बनाई गई थी और मई, 1999 की रिपोर्ट है। मैं हिन्दी में ही अनुवाद कर रहा हूं। पावर मिनिस्टर और पावर सेक्रेटरी के पास पूरे अधिकार हैं और चेयरमैन को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चेयरमैन अपने सारे अधिकार सरेन्डर करता है ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रोन्नति तथा अन्य मामलों में। स्थानान्तरण एक उद्योग बन गया है। बेईमान आफिसर्स को प्रोन्नति दी गयी है और हर तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। जिन आफिसर का काम अच्छा है उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं दी गयी है। जो बड़े उद्योग घराने हैं, उनको प्राथमिकता दी गयी है। उनके इन्ट्रेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं किया गया है, जिससे बोर्ड को आर्थिक और टेक्नीकल नुकसान उठाना पड़ा। नो एक्शन अगेन्स्ट डिफाल्टर एण्ड करप्ट आफिसर। बेईमान आफिसरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो बकायेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। एक नाम है सोमानी स्टील्स का। उस पर 32 करोड़ कुछ लाख रुपये बकाया हैं और बिजली चोरी में भी वो पकड़े गये लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आप यह कह सकते हैं कि कोर्ट से उन्होंने स्थगन ले लिया। उसका कोई मतलब नहीं है अगर चाहें तो इसके बावजूद भी उनको सबक सिखा सकते हैं। इसीलिये लोग कहते हैं कि उन्नाव में 24 घंटे बिजली दी जाती है। कहां तक सत्य है मैं नहीं जानता। इसी तरह आपने कहा कि लाइन लौस 40 प्रतिशत है। हम लोग बार-बार यह बात कहते रहे हैं। दो बार पिछली बार भी कहा आपके बजट पर। आपने कभी माना नहीं। अगर 60 प्रतिशत बिजली उत्पादन होगा। 100 में से 60 प्रतिशत होगा, 40 प्रतिशत नहीं होगा। उसमें भी हमारा उत्पादन 50 प्रतिशत हम मान लें तो कितना होगा। जितनी हमारी उत्पादन क्षमता है, उसका मात्र 30 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को मिल पायेगी। यह बतायें मान्यवर, यह प्रदेश कहां जायेगा ? 30 प्रतिशत बिजली उपलब्ध हो रही है, 40 प्रतिशत लाइन लौस में चली जा रही है। 50 फीसदी उत्पादन है मात्र 30 फीसदी बेचते हैं तो उपभोक्ता कहां जायेंगे। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे और कब तक पूरा करेंगे ? यह बात अगर सदन को बतायेंगे तो मान्यवर, उससे सदन के तमाम माननीय सदस्यों को यह पता चल सकेगा।

इसी तरह से मैं आपके संज्ञान में कुछ चीजें और लाना चाहता हूं। मान्यवर, क्या आप यह बता पायेंगे कि आने वाले दिनों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम जो आपकी सरकार से इस साल व्यवस्था तो हो गयी है लेकिन अन्य सालों में इसका पैसा कहां से आयेगा। जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य हो सके। निजी नलकूप लग सकें, सरकारी नलकूपों का ऊर्जीकरण हो सके। होगा तो क्या रेट

होगा ? जिस तरह से नियामक आयोग ने किया है क्या उसी के आधार पर होगा और मान्यवर, उत्पादन, पारेषण और वितरण पहले भी तीन अलग-अलग कारपोरेशन भले न रहे हों लेकिन 3 मेम्बर अलग-अलग थे। यह कारपोरेशन बना देने से क्या लाभ होगा। इसका क्या फायदा होगा जो राज्य विद्युत परिषद् के 3 मेम्बर के रहते नहीं हो पाया ।यह भी बताने का कष्ट करेंगे। विघटन और निजीकरण की प्रक्रिया में 6 हजार करोड़ खर्च होगा। यह जनता के धन का सीधा-सीधा दुरुपयोग ही मैं कहूंगा। 6 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे और पायेंगे क्या ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। जो सरकारी विभाग अभी बिजली की देनदारी नहीं दे पा रहे हैं जिसमें आपका यह जल संस्थान है, सिंचाई विभाग, पब्लिक लाइटनिंग है, नगर महापालिका है। इनसे आप कैसे वसूली कर लेंगे। आपने इनका रेट भी बढ़ा दिया है इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी कर दी है। जब यह पुराने रेट पर नहीं दे पा रहे हैं तो बढ़े हुए रेट पर कैसे दे पायेंगे। इसका भी खुलासा करने का कष्ट करें। मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण दलित बस्ती ऊर्जीकरण यह वेलफेयर काम हैं जिनके बारे में निगम ने कहा है कि हम घाटे में यह काम नहीं करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी पूर्ति भविष्य में आप कैसे करेंगे, इस सम्बन्ध में मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे ?

मान्यवर, इसी तरह से आप देखें कि आज प्रदेश में बिजली की स्थिति जटिल होती जा रही है। जो आपने प्रयोग किया है क्या वह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा में सफल हुआ है ? यदि हां, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में यह प्रयोग किया था या उड़ीसा में किया था तो उसका भी उल्लेख करते हुए मंत्री जी बतायेंगे कि इससे वहां क्या स्थिति बन रही है ?

मान्यवर, जहां तक हमें मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश में सात महीनों के अन्दर निगम को सब्सिडी न मिलने से 2074 करोड़ रुपये का वाटा हो चुका है। तो क्या आपके निगम को घाटा नहीं होगा इसकी क्या गारन्टी है ? हरियाणा में स्वयं मुख्य मंत्री, श्री चौटाला ने कहा है कि हम राज्य विद्युत परिषद् को बनाने जा रहे हैं और निगम को बन्द करने जा रहे हैं चूंकि यह प्रयोग वहां विफल हो चुका है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि विगत सात वर्षों में 6065 मेगावाट बिजली बनाने का काम निजी क्षेत्रों को सौंपा गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या एक भी मेगावाट विद्युत का उत्पादन निजी क्षेत्र से हो पाया है। हमें नहीं मालूम है कि एक भी मेगावाट का उत्पादन हुआ हो। जब सात वर्षों में उत्पादन नहीं हो पाया है तो भविष्य में उत्पादन की क्या गारन्टी है ?

मान्यवर, रोजा तथा अन्य योजनाओं के बारे में मंत्री जी ने बताया और कहा कि इनका पी० पी० ए० हो चुका है, मैं बताना चाहता हूं कि वह कागज में ही रहेगा कि धरती पर भी आयेगा। मान्यवर, इलाहाबाद में प्रतापपुर योजना के लिये अमेरिका के श्री मलकानी 10 हजार करोड़ रुपया इस योजना पर लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार तैयार नहीं हो पा रही है, मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से प्रदेश सरकार तैयार नहीं हो पा रही है ?

मान्यवर, एक प्रश्न प्रदेश की जनता के सामने यह है कि इस प्रदेश में बिजली का उत्पादन आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि प्रति यूनिट का क्या रेट होगा और किस रेट पर आप बिजली सप्लाई करेंगे और आज की वर्तमान दरों से कितनी वृद्धि होगी ? इसे भी मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ एक एक्यूरेट मीटर कम्पनी है जिसे आपने मीटर बनाने का काम किया है। इस कम्पनी के बारे में हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस कम्पनी के खिलाफ शिकायतें हैं कि यह कम्पनी थर्ड किस्म का माल बनाती है जबकि कम्पनी को भुगतान सही समय पर किया जाता है। मान्यवर, जहां तक मुझे याद है, श्री रंगनाथ मिश्र, तत्कालीन राज्य मंत्री, विद्युत थे तो उन्होंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था। एक्यूरेट मीटर

कम्पनी को यह काम न दिया जाए आज भी उसको बन्द नहीं किया गया है । वह चालू है । उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । ट्रांसमीशन के टेण्डर में 42 कम्पनियों को 42 प्रतिशत रेट बढ़ाकर टेण्डर दिये गये जबकि 72 कम्पनियों को उसी रेट पर टेण्डर दिये गये । पोल की मैंने 30–35 फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगह लगवाई । पहले पोल बाहर से आते थे, तो किसी को तो 50 हजार पोल, किसी को 25 हजार पोल और किसी को कोई पोल का आर्डर नहीं दिया गया । मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । जब आप जवाब देंगे तो फिर बोलना होगा तब कुछ और तथ्य रख लेंगे । जो तथ्य रखे हैं उनको सदन के माननीय सदस्यों ने शान्तिपूर्वक सुना । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, विकास की दुल्हन विद्युत प्रकाश में ही पूरी गति और गौरव के साथ चलती है, गरिमा के साथ चलनी है । दुर्भाग्य रहा है विक्रास की दुल्हन के पैर ऊर्जा की स्थिति ठीक न होने के कारण प्रदेश में लड़खड़ा रहे हैं । कभी संदेह रहता है कि उसके विकास की दुल्हन गरिमा दुबारा लौटा पायेंगे या नहीं ? इसका कारण क्या है ? पिछली सरकारों ने इस बात की चिन्ता नहीं की कि विकास की पहली शर्त है विद्युत की आपूर्ति, उद्योग क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र के लिये भी । इस प्रकार की होनी चाहिए जो आदर्श हो । आज कटौती के प्रस्ताव पर माननीय रेवती रमण सिंह जी ने विद्वतापूर्ण बात कही । मगर कष्ट का विषय रहा है कि कोई अपने ऊपर दोष लेने के लिये तैयार नहीं है । एक के बाद एक सरकारें आती रहीं । इस प्रदेश में विद्युत का उत्पादन बढ़े, लाइन लासेज कम हो, तार कटने कम हों, भ्रष्टाचारी अधिकारी दण्डित हों । यह कल्पना किसी ने नहीं की । इसका अपराध किस-किस के सिर मढ़ा जाए । मान्यवर, कहना चाहता हूं पहली बार सरकार ने यह अनुभव किया कि राज्य विद्युत परिषद् के रूप में जो सफेद हाथी है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था, साहसपूर्वक इस सरकार ने उसको तीन भागों में बांट दिया । इतनी बड़ी हड़ताल, ऐसी हड़ताल जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है कि यह नियंत्रित भी की जा सकती है उसको नियंत्रित किया गया, मैं साधुवाद देना चाहता हूं जिस कठोरता के साथ इस हड़ताल को समाप्त कराया गया ।

(मेजें थपथपाई गईं)

मेरे मन में एक बात आती है, दिल्ली से तुगलकाबाद और तुगलकाबाद से दिल्ली वाली स्थिति पैदा न हो। इस बात का ऊर्जा मंत्री जी ध्यान रखें । तीन निगम, जिस उद्देश्य जिस कारण से बने हैं सबकी जिम्मेदारी अलग-अलग कर दें । उत्पादन की जिम्मेदारी अलग, पारेषण की अलग और वितरण की अलग, एक-एक अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाये । इसका पालन होगा तो बहुत अच्छी शुरुआत ऊर्जा के क्षेत्र में होने जा रही है । मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर न लगाये । जब तक 25-30 साल पुराने तारों को नहीं बदलेंगे उच्चीकरण नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा । मैं आपको यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि उत्पादन के बिना पारेषण का कोई अर्थ नहीं और पारेषण के बिना वितरण का कोई अर्थ नहीं है । इसलिए अपने संसाधन हैं तो बढ़ाइये अगर नहीं है तो निजी क्षेत्र में दें और जितनी जल्दी हो सके दें । पावर प्लान्ट लगाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है, मेरी अपनी जानकारी है नौकरशाही के कारण बैठ जाते हैं अगर आप नौकरशाह पर नियंत्रण करेंगे तो श्रेयस्कर होगा । उपभोक्ताओं के बारे में भी दो-तीन बिन्दुओं पर सुझाव देना चाहूंगा । जब मेरी उम्र कम थी, किशोरावस्था की रही होगी तो उस समय मीटर रीडर आते थे और प्रत्येक माह आते थे और रीडिंग ले जाते थे लेकिन आज क्या हो रहा है । एक साल के बिजली के बिल भेज दिये जाते हैं जो कि एक मध्यम वर्ग के उपभोक्ता को एक साथ पेमेन्ट करने में मुश्किल होती है । तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें सुधार लायें । मीटर रीडिंग प्रत्येक माह हो और उसका बिल आये । जो बिलिंग हो रही है ऊंची बिलिंग करके जो बन्द कमरे में सौदेबाजी हो रही है यह प्रक्रिया 20–25 साल से चली आ रही है उसको बन्द करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आज अवर अभियन्ताओं की भारी कमी है और जब तक यह नहीं होंगे, क्योंकि स्पाट पर काम करने वाले वहीं हैं, इसलिए जितनी आवश्यकता है बिना किसी प्रकार की कंजूसी किये जनहित में इनकी नियुक्ति की जाय। मान्यवर, आज लाइनमैन बड़ी संख्या में रिटायर हो रहे हैं और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जब सीढ़ी पर चढ़ता है तो पहले वह मांग करता है कि कुछ दीजिये। तो आप लाइनमैनों की संख्या को बढ़ाइये। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जब तक उसकी पक्की नौकरी की चिन्ता समाप्त नहीं होगी तब तक वह काम नहीं करेगा। श्रीमन्, अक्षम अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता रहा है यह सही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसको तोड़ें। जो व्यक्ति जिस पद के योग्य है उस उचित व्यक्ति को ही पद दिया जाय। अगर यह होता है तो मैं समझता हूं कि यह सारी व्यवस्था सुधर जायेगी। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। कई स्थानों पर अवर अभियन्ताओं की रियासत शताब्दियों से कायम है। बीस-बीस सालों से वह चल रहे हैं, धंधे पाल रखे हैं। एस० ई० तक की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। तो मैं चाहूंगा कि पांच वर्ष से अधिक जिनको हो गये हैं, अवर अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं को। उनको कम से कम 500 किलोमीटर दूर भेजिये। जो यह मिली भगत कर रहे हैं, उसको समाप्त करें।

राजस्व वसूली के बारे में कहना चाहूंगा। जो प्रयोग हुआ था, मेरा भी सुझाव था, भूतपूर्व सैनिकों को न्याय पंचायत स्तर पर वसूली का काम दे दीजिये। उन्हें कांट्रेक्ट बेसिस पर रखें। उन्हें कमीशन दें। जितनी राजस्व वह एकत्र करें आप अपने अधिकारियों से सलाह कर लें। 10 से 15 प्रतिशत वसूली का हिस्सा दें। मैं तो यह समझता हूं कि एक भूतपूर्व सैनिक औसत व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करता है। मान्यवर, एक नयी परम्परा चालू हुई है। घरों में बिजली विभाग वाले अधिकारी घुस जाते हैं और प्वाइन्ट्स गिनने लगते हैं अरे एक समय में चलेगा तो एक ही। अगर 10 प्लग लगे हैं तो उस हिसाब से लोड निर्धारित करते हैं। इन छापों के पीछे मंशा रहती है कि 25 किलोमीटर बढ़ना चाहिए हम 5 किलोवाट ही बढ़ा रहे हैं इतना खर्च कर लो। अगर आवश्यक हो तो इलेक्ट्रिसिटी रुल्स में परिवर्तन करें। मान्यवर, तार चोरी चिन्ता का विषय है, पूरे क्षेत्र के किसानों और तमाम जनता को बिजली से वंचित कर देना यह जघन्य अपराध है इसमें कठोर दण्ड का प्राविधान करें ताकि ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जा सके। मान्यवर, सब-स्टेशन पर मीटर की बात थी, आपने लगाये भी हैं। बहुत स्थानों पर वह जानबूझकर खराब कर दिये गये हैं। अगर लगाया है तो मेन्टेन करने की जिम्मेदारी भी किसी की है, यह उत्तरदायित्व का निर्धारण करें।

हमने इतना उत्पादन किया, इतना वितरण के लिये दे रहे हैं, इतना पैसा चाहिए यह अच्छी बात है अगर कठोरता से इस नियम का पालन करा लें तो प्रदेश में क्रांति आ जायेगी। हर सरकार कहती है कि हम निजी क्षेत्र में प्लांट लगवा रहे हैं। आनपारा बी० सी० की बात आती है। मान्यवर, इस विभाग का नेतृत्व आज सुयोग्य हाथों में है। इस सरकार के रहते रहते अगर विद्युत उत्पादन में सुधार हो गया तो बहुत सफलता मिलेगी। मान्यवर, हमें बिजली चाहिए, बिजली का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, भ्रष्टाचार को भी दूर करेंगे। लोगों का उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे। जितनी संख्या में लोग चाहिए। उनकी पूर्ति करेंगे ईमानदार लोगों को आप प्रश्रय देंगे। इसी के साथ मैं बजट प्रस्तावों का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मुझे आपने कुंवर रेवती रमण सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने द्वारा ही अपनी बड़ाई करने का जो जोरदार अभियान चलाया, निश्चित रूप से वास्तविकता अलग है। निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना आज विकास के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम हर व्यक्ति को चाहे वह उद्योग हो, व्यापारिक संगठन हो, गांव में रहने वाले लोग हों, विद्युत उपलब्ध नहीं करा पावेंगे तो यह कल्पना कि हम विकास के रास्ते पर प्रदेश को ले जायेंगे, यह असंभव सी है। मान्यवर, परिषद् का विघटन करके 3 भागों में दायित्व निर्धारित किया गया है। मान्यवर, आज पावर कारपोरेशन के माध्यम से विद्युत वितरण का काम किया जा रहा है। उत्पादन निगम के माध्यम से उत्पादन करने का काम किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायें कि 15-1-2000 के उपरान्त उत्पादन निगम और पावर कारपोरेशन ने कितने रुपये मूल्य की विद्युत दी और कितने रुपये उत्पादन निगम को देने का काम किया और दूसरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे ऊपर अपनी देनदारियां हो गयी थीं जिसके कारण मजबूरी में हमें टाण्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को एन टी पी सी के हाथों बेचना पड़ा। माननीय मंत्री जी यह उत्तर भाषण में बताने का काम करें कि टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट को एन टी पी सी को देने के पहले उसके ऊपर कितने रुपये का कर्ज था और टाण्डा को देने के बाद इन 4-5 महीनों में अब कितना बकाया रह गया है ?

मान्यवर, टाण्डा हमारी एक अच्छी इकाई थी, उसमें सुधार की आवश्यकता थी, उसमें ऐसे जनरल मैनेजर की आवश्यकता थी जो उसका उत्पादन बढ़ा सकते थे लेकिन ऐसे काम न करके राजनीतिक कारणों से ऐसे-ऐसे जनरल मैनेजर को रखा गया, जो अच्छा काम करने वाले थे उनको मिनटों में हटाकर ऐसे लोगों को रखा गया जो केवल तेल के आधार पर अधिक तेल की खपत दिखाकर फर्जी उत्पादन दिखाने का काम कर रहे थे। मान्यवर, इसी तरह से टाण्डा प्रोजेक्ट को बेचने का काम किया गया तो निश्चित रूप से उसमें भी वहां के क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया गया। जब टाण्डा प्रोजेक्ट लगाया गया था तो एक समझौता हुआ था कि वहां के जिन काश्तकारों की जमीन ली जा रही है उनको नौकरी देने का काम किया जायेगा। आज लगातार 1980 के बाद से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहे लेकिन इसका निर्धारण नहीं किया गया और उन किसानों को निराशा हाथ लगी। उस प्रोजेक्ट को 1020 करोड़ में बेचने की बात हुई थी लेकिन पता नहीं किन कारणों से 1000 करोड़ में बेच दिया गया। मैं तीन साल से लगातार मंत्री जी का बजट भाषण सुन रहा हूं। उसमें लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है कि हम उत्पादन बढ़ानें का प्रयास कर रहे हैं, इतने मेगावाट बिजली की आवश्यकता है और इसको बढ़ाने के लिये यह-यह काम कर रहे हैं। श्रीनगर में जो व्यक्तिगत क्षेत्र में उत्पादन करने की बात है, उसके समझौते का जिक्र किया जाता है लेकिन क्या कारण है कि तीन साल से यह जिक्र करने के बाद न आनापारा "सी" का, न श्रीनगर का, न मनेरी भाली का काम चालू हो पाया, एक भी यूनिट का उत्पादन नहीं हो पाया लेकिन यह जरूर हुआ कि 440 मेगावाट के उत्पादन का प्रोजेक्ट जिसमें 200 करोड़ रुपया लगा हुआ था उसको एक हजार करोड़ में बेचने का काम किया गया है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 600 करोड़ का खर्च है और 400 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है तो यह जो 200 करोड़ का गैप हो रहा है यह निश्चित रूप से पूरा नहीं कर पायेंगे और इसलिये नहीं कर पायेंगे क्योंकि इस विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। जो लोग भ्रष्ट हैं, उनको प्राइम पोस्टिंग देने का काम किया जाता है, जिसके कारण यह स्थिति आई। टांडा परियोजना को बेचने के बाद लगभग 4 महीने बीत गये, जो वहां के कर्मचारी थे, जिनको एन० टी० पी० सी० ने नहीं लिया था, उनको वहीं पर बैठाकर वेतन दिया जा रहा है, उनकी कहां पोस्टिंग की जायेगी, आज तक निर्धारित करने का काम नहीं किया गया। इन 4 महीनों में एक हजार कर्मचारियों की पोस्टिंग कहां होगी, यह निर्धारण ऊर्जा विभाग नहीं कर सका है, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुधारने की दिशा में यह कोई पहल कर पायेंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण बजट है और अधिकांश माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस पर हमारे विचार आयें । मैं चाहूंगा कि सभी के थोड़े-थोड़े विचार आ जायें, अपनी बात को सभी लोग कह लें । इसलिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि स्वयं अनुशासन बनाते हुए निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत अपनी बात को समाप्त कर दें और माननीय वर्मा जी, आप तो बहुत अनुभवी और अच्छे सदस्य हैं, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे तो उसके बाद सारी व्यवस्था ठीक रहेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप दलों की संख्या के आधार पर समय निर्धारित कर दें तो सभी लोग स्वयं अनुशासन में अपनी बात समाप्त कर देंगे, कोई एक बोलेगा, कोई दो बोलेगा, कोई 6 बोलेगा । मान्यवर, मैं ऐसे क्षेत्र से हूं, जहां हमारा पावर प्रोजेक्ट था, उसको बेच दिया गया । हमारे किसानों के साथ ज्यादती करने का काम किया गया है । नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनको नौकरी नहीं दी गयी । उत्पादन की दृष्टि से, उपभोक्ता की दृष्टि से, मैं ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित हूं, जहां हजारों पावर लूम बुनकर लोगों को सस्ता कपड़ा मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि टांडा में पावरलूम बुनकर की 50 हजार यूनिटें कार्य कर रही हैं और उसमें बड़ी ज्यादती इस विभाग द्वारा की गयी है, वहीं बगल में आजमगढ़ जिला है वहां पावरलूम की जो यूनिटें हैं, टांडा एक क्षेत्र है वह चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, आजमगढ़ की तुलना में अधिक एल० एम० वी० 60 के अन्तर्गत विद्युत मूल्य का उनसे वसूल किया जाता रहा है जो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और उसमें संशोधन करने का काम नहीं किया गया । जबकि महाराष्ट्र में फिक्स रेट पर 170–175 प्रति किलोवाट के आधार पर विद्युत मूल्य लिया जा रहा है । इस तरह से इस प्रदेश के बुनकरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार नहीं किया जा रहा है, मान्यवर, भ्रष्टाचार के आधार पर उनसे फर्जी मूल्य वसूला जा रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वह इस मामले को देखें और उसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं, आजमगढ़ में जो मूल्य लिया जा रहा है, और टाण्डा क्षेत्र में जो मूल्य लिया जाता रहा है, उस असमानता के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं । उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करें । मान्यवर, इसी प्रकार टाण्डा प्रोजेक्ट की बात आती है, वहां के किसानों से जमीन ली गयी । उनसे कहा गया था कि नौकरी देंगे, आज तक उनको नौकरी देने का काम नहीं किया गया । जब हम आवाज उठाते हैं तो सरकार का जवाब आता है कि हमारे पास पद नहीं हैं, अभी 600 श्रमिक रखे जा रहे हैं अगर 600 श्रमिक रखे जा सकते हैं तो टाण्डा पावर प्रोजेक्ट के लिये जितनी जमीनें ली गयी थी, उनको नौकरी देने का काम करना चाहिए, उनको नौकरी देने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है ? मान्यवर, विद्युत मूल्य वसूली का जो सवाल है.....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक-दो सुझाव देकर मैं समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि तार की चोर के बारे में आप अपने सुझाव दीजिए । माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिजली

वसूली के बारे में सुझाव दीजिए । मैं कहना चाहता हूं कि तार की चोरी होती, पुलिस के कर्मी कार्यवाही नहीं करते, हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती । माननीय मंत्री जी गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बात को सुनिश्चित करें कि इसमें पुलिस कर्मी तुरन्त कार्यवाही करें । अगर एक बार एक अच्छी कार्यवाही हो जायेगी तो दूसरी जगह ऐसा नहीं होगा लेकिन रिपोर्ट लिखाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो चोरों का हौसला बढ़ता है । इसी तरह वसूली के बारे में जो सरकारी विभाग हैं, जो तमाम अन्य विभाग हैं जो बड़े-बड़े बकायेदार हैं जब उनसे वसूली नहीं होगी तो छोटे लोगों से वसूल पाना सम्भव नहीं होगा । इसलिये इस दिशा में पहल करें, बड़े बकायेदारों से वसूली का पहले काम करें तो अच्छी वसूली हो सकेगी, साथ ही साथ जो विद्युत उपलब्ध है उसकी आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करेंगे तो हमें अधिक मूल्य देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी । यदि हमें जनरेटर लगाने पड़ेगे, अन्य साधन रखने पड़ेंगे तो वसूली में निश्चित रूप से दिक्कत आयेगी, यदि ऐसा करने का काम करेंगे तो यह निश्चित रूप से सराहनीय काम होगा ।

इसी तरह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें प्राइज पोस्टिंग देने का काम न करें, 5 साल से ज्यादा एक अवर अभियन्ता नहीं रहने पाये । मैं एक और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा । आज अनुसूचित जाति का जो कोटा है, उत्पादन निगम में तो 60% अनुसूचित जाति का लेकिन पावर कारपोरेशन में केवल 4-5 अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ता हैं, यह जो गैप है, उसको समायोजित करने का काम नहीं किया गया तो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होने का काम होगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो निश्चित रूप से इस बात को कहने का काम करें और इन बातों को ध्यान में रखने का काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, आपने एक ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मान्यवर,मैं ऊर्जा के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी आर्थिक कंगाली के होते हुए भी प्रत्येक विधान सभा और विधान परिषद् सदस्य को 5-5 गांव प्रति वर्ष में विद्युतीकरण के लिए दिये । जैसा माननीय कुंवर साहब ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह गांव नहीं दिये जा रहे थे और उसके बाद ऐसी स्थिति में ऐसा निर्णय लिया गया है जो वास्तव में गांव में अंधेरे को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके लिये मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं । मान्यवर, यह जो परिषद् की कंगाली की हालत हुई है इसमें अब तक जो सरकारें रही हैं उनका बड़ा योगदान रहा है । उनके कुप्रबन्धन के कारण और बिजली की चोरी को न रोकने के कारण विद्युत परिषद् की हालत खराब हुई है और इस सरकार को पहले की सरकारों के कार्यों का खामियाजा उठाना पड़ रहा है । हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और बोर्ड को 3 निगमों में बांटने का काम किया है । इससे निश्चित रूप से सुधार की तरफ कदम बढ़े है।

श्री नवाब सिंह नागर–

अगला कदम सरकार का निजीकरण की तरफ है । परन्तु हम जो निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उसमें हमें फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है । हमारे यहां ग्रेटर नोएडा में निर्जीकरण का काम शुरू किया गया है । 1996 में विद्युत परिषद् ने नोएडा पावर कम्पनी जो गोयनका की कम्पनी है, उसके साथ अनुबंध किया है । इसके जो गुण दोष हमारे सामने आये हैं और कुछ जो आने वाले हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

नोएडा पावर कम्पनी की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बहुत अच्छी है । 5 मिनट में बिजली यदि खराब होती है तो वह ठीक कर दी जाती है । अगर किसी को कनेक्शन की आवश्यकता है तो

वहां का कर्मचारी फार्म लेकर पहुंचता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ कनेक्शन दे देता है जबकि राज्य विद्युत परिषद् में कनेक्शन लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अब मैं गांवों को बिजली देने के संबंध में कहना चाहता हूं। गांवों की बहुत बुरी हालत है। कहा जाता है कि 10–12 घंटे वहां पर बिजली दी जाती है लेकिन 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। अगर गांव में किसी ने या कुछ लोगों ने बिजली का बिल अदा नहीं किया है तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। 28-4-2000 को रामपुर–फतेहपुर गांव में पूरे गांव की बिजली काट दी गयी। जब इसके कारणों का पता किया गया तो पता चला कि कुछ लोगों ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया था। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि नोयडा पावर कम्पनी ने यह आश्वासन दिया था कि वह अपना उत्पादन आरम्भ करेगी लेकिन 5 साल होने के बाद भी उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह उत्पादन शुरू नहीं करेंगे उसका कारण यह है कि उत्पादन केन्द्र की लागत 400 करोड़ रुपये आयेगी। इतने रुपये के ब्याज से ही आज का उनका खर्च चल रहा है। अनुमान है कि वह 2 करोड़ रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं और विद्युत परिषद् का पैसा अदा नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अभी रेट फिक्सेशन नहीं हुआ है। इसके लिये सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथारिटी जिसके चेयरमैन बेग थे, उन्होंने रेट का फिक्सेशन किया। 6 महीने पहले उनकी रिपोर्ट आयी है। जिसके अनुसार 102 करोड़ रुपया विद्युत परिषद् का उन पर बकाया है। इस निर्णय के खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट को गयी। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन जे० एल० बजाज को मामला रिफर किया। मुझे मालूम है कि यदि निर्णय कंपनी के खिलाफ हुआ तो कम्पनी सुप्रीम कोर्ट में जायेगी और वहां यदि उसके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो जो ढाई सौ करोड़ रुपयों का बकाया है वह उसको लेकर भाग जायेगी और बोर्ड उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और केवल 10-20 करोड़ रुपयों की जो उनकी सम्पत्ति है उस पर ही केवल कब्जा कर सकते हैं। तो मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कहीं ऐसा न हो कि ऐसे निजीकरण के बाद और अधिक कंगाली की तरफ हम बढ़ जांय। मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि जो 5 गांव प्रत्येक विधायक को दिये गये थे, हमारे क्षेत्र के दो-तीन गांव में अभी समान नहीं पहुंचा है। गाजियाबाद के जो अधिशासी व अधीक्षण अभियंता हैं, ऐसा सुना गया है कि वह बिना पैसे के सामान नहीं दे रहे हैं। इसको दिखवा लें और सामान उपलब्ध करा दें। मैं पुनः इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री कौकब हमीद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं एक नियम की बात कह रहा हूं। समाजवादी पाटी सबसे बड़ा दल है। पहले यहां से बुलवाना चाहिए लेकिन आपने अनदेखी कर दिया, फिर अनदेखी कर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

बाबूराम जी, आप बैठें। कौकब हमीद साहब को मैने बुला लिया है।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैंने पूरा बजट पढ़ा और माननीय मंत्री जी को गौर से सुना। यह सही है कि एक बोर्ड खत्म किया और पूरे बोर्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 अलग-अलग जिम्मेदारी सौंप दी, आपने अलग-अलग चेयरमैन या जी० एम० बना दिये मगर कहीं आपने इस बजट में यह बताने की कोशिश नहीं की कि इन 3 हिस्सों में बांटने के बाद और इस वर्ष के आखिर में और 2001 मार्च के आखिर में इससे कितना मुनाफा हो जायेगा, जो अभी तक नुकसान हो रहा था। कोई भी प्रदेश जब तक अधूरा है, उसकी तरक्की अधूरी है जब तक वहां विद्युत का उत्पादन सही नहीं हो पाता और विद्युत वितरण पूरी तरह से नहीं कर पाता। मान्यवर, लखवाड़ व्यासी और मनाली भाली परियोजनायें जो अधूरी पड़ी हैं उनका क्या होगा ? उनको कैसे पूरा करेगें यह आपने नहीं बताया कि हम वर्ल्ड बैंक, इण्टरनेशनल मानीटरिंग फण्ड,

गवर्नमेंट आफ इण्डिया या पावर कारपोरेशन कौन आपको पैसा दे रहा है ? वह कैसे पूरी होगी ? इस सूरत में क्या शक्ल बनेगी, पैसा आप लगायेंगे कल को उत्तरांचल बन जायेगा जिसका प्रस्ताव पारित हो चुका है । तो उनकी मांग यह होगी कि यह हमारे पास रहे । क्या उसके बाद हम उत्तर प्रदेश को इतनी विद्युत दे सकेंगे यह बताने की कोशिश नहीं की । यह प्रदेश 75 फीसदी किसानों का प्रदेश है । यह सरकार चीख-चीखकर कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, उनके लिये कुछ करना चाहते हैं । पूरे बजट में औरं मंत्री जी की तकरीर के अन्दर कहीं नहीं बताया कि हर साल कोई न कोई घोषणा हो जाया करती थी कि हम इतने घंटे बिजली देंगे ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर)

श्री कौकब हमीद–

यह कहीं-नहीं आया कि हम किसानों को इतने घण्टे बिजली देंगे । मान्यवर, मैं अपने दल से अकेला बोल रहा हूं । कोई भी सूरत नहीं बनती आप यहां बजट रखे हैं लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं किया कि कितने घंटे बिजली देंगे । इस समय थ्रेसरिंग चल रही है, उसमें कितने घंटे बिजली देंगे, सब स्टेशन का क्या करेंगे जो ओवर लोडेड चल रहे हैं उनमें क्या व्यवस्था करेंगे । फीडर तक बिजली नहीं जाती है, कहीं तार कट गये उनको जोड़ा नहीं जाता है । इस बारे में कोई जिक्र नहीं है कि कितने घंटे एवरेज बिजली दे रहे हैं । आपके ट्रांसफार्मर जो खराब हो जाते हैं, जो जल जाते हैं, ओवर लोड की वजह से फुंक जाते हैं, उनको कितने दिनों में ठीक करायेंगे, पहले 74 घंटे का वायदा था ठीक करने का लेकिन 74 घंटे क्या 74 हफ्ते और 74 दिन हो जाते हैं ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता है । प्राइवेट ट्यूबवेल के कनेक्शन इस सरकार ने बन्द कर दिये हैं । एंक जनवरी 2000 से । इस पूरे प्रदेश के अन्दर 7 लाख 85 हजार 427 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं और जनसंख्या 17 करोड़ है जिसमें 12-13 करोड़ आदमी गांवों में रहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने प्राइवेट कनेक्शन ट्यूबवेल को देना क्यों बन्द कर दिया । आपने दो तीन कारपोरेशन बना दिये लेकिन किसानों को बिजली देने की जिम्मेदारी आपकी है। सरकार तय करे कि कितनी सब्सिडी देगी हम विद्युत विभाग का बजट डिस्कस कर रहे हैं, पावर कारपोरेशन का नहीं । यह आप तय करें कि सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे तो कितनी देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

आनपारा सी का बड़ा जिक्र हुआ है । आनापारा सी के ऊपर आपने तीन बजट यहां रखे हैं। तीनों में कहा कि आनपारा सी लगा रहे हैं, आज तक क्यों नहीं लगाया गया । इसके बारे में बाकायदा वक्तव्य आना चाहिए कि आनपारा सी क्यों नहीं लगाने जा रहे हैं । टिहरी डैम की बात हुई । टिहरी डैम बनेगा कि नहीं उसकी जो परियोजनाएं बनी थी कि इतने साल के अन्दर इतनी बिजली पैदा करेंगे, इतना पैसा देंगे, उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई, यह बजट में आना चाहिए । मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि–

अपने समय में क्या थे कौन जानता नहीं ।
आपके हमारे कार्यों में समानता नहीं ।।
हम तो गड़े मुर्दे उखाड़ना न चाहते ।
बिन कहे ये दिल है कि मानता नहीं ।।

आदत पड़ी है इस लिये अनर्गल प्रलाप कर रहे ।
आरोप निराधार अनाप सनाप कर रहे ।
श्रीमन् ये देखि सकइ न पराइ विभूति ।
बस इसलिये ये विधवा विलाप कर रहे ॥
सरकार की उपलब्धियां इन्हें भाती नहीं हैं ।
हल्ला यहां मचाते घर पर नींद आती नहीं है ॥
आंखों से देखते हैं मगर मानते नहीं ।
पहले से भरा फितूर दिमाग से जाती नहीं है ॥
बिजली तो मानव जीवन का है अंग बन गया ।
बिजली के बिना जीवन तो बदरंग बन गया ।
बिजली बनी मजबूरी और जरूरी आजकल ।
हर ढंग से जीवन का अभिन्न अंग बन गया ॥
पुनर्गठन करके ऊर्जा में कर रहे सुधार हैं ।
बिजली मिले भरपूर सबको मेरा विचार है ॥
निन्यानवें में नयी ऊर्जा नीति बनाकर ।
ऐतिहासिक निर्णय ले लिया मेरी सरकार है ।
हर विधान सभा में ऊर्जीकृत पांच गांव कर रहे ।
बिजली कमी को दूर का प्रस्ताव कर रहे ॥
तैंतीस बटे ग्यारह के०वी० विद्युत उपकेन्द्र ।
सरकार दिया फिर भी ये कांव-कांव कर रहे ।
ऊर्जा सुधार में परिवर्तन क्रान्तिकारी बजट में ।
सुविधा सहित बहाल कर्मचारी बजट में ॥
छः सौ करोड़ रुपया विश्व बैंक से लाये ।
सारी व्यवस्था चुस्त है सरकारी बजट में ॥
गांवों का विद्युतीकरण भी धुआंधार हो रहा ।
लाभान्वित यहां उद्योग और व्यापार हो रहा ।
परिषद् खत्म किया और तीन निगमों में बांटा ।
विद्युत आपूर्ति ठीक सब प्रकार हो रहा ॥
मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं :—
सुरियांवा को जोड़ने का जो प्रयास हुआ था ।
खम्भे गड़े दस वर्ष से जो पास हुआ था ॥
तैंतीस के० वी० लाइन को बिछाने की बात थी ।
भदोही जुटेगा जल्द यह विश्वास हुआ था ।

मोढ़ को तहसील स्तर दर्जा प्रदान कीजिए ।
सुरियांवा की क्षमता वृद्धि भी श्रीमान कीजिए ।।
इस वर्ष भी हो विद्युतीकरण हर क्षेत्र में ।
हम सब को पांच ग्राम का विधान कीजिए ।।
बिजली आपूर्ति कर रहे पूरे प्रदेश को ।
भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते पूरे परिवेश को ।।
ऊर्जा के क्षेत्र में हो आत्मनिर्भर हम सभी ।
बधाई है बार-बार श्रीयुत नरेश को ।।
बिजली के क्षेत्र हैं में काम नेक कर रहे ।
चोरी भी रोकने के लिये चेक कर रहे ।।
बिजली गली-गली मिले हटे बेकली ।
श्री लल्लू विक्रमा और विवेक कर रहे ।।
हम तो समझ रहे हैं आप विद्वान बड़े हैं ।
जनता की लड़ाई भी हमेशा ही लड़े हैं ।।
लेकिन हैं ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गये ।
शायद इसी कारण से कटौती पर अड़े रहे ।।
ऊर्जा को मुक्त करना चाहते है क्षरण से ।
कृत संकल्प हैं प्रयासरत हम कहते परण से ।
बिजली का महत्व देखकर कटौती न करें ।
आग्रह है मेरी श्रीयुत कुंवर रेवती रमण से ।।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सिविल लाइन पावर हाउस भदोही की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है । उसकी जांच कराकर अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था करें । कालीन उद्योग के विकास के लिए चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कृपा करें । भदोही से सुरियांवा जोड़ने के लिए 33 के०वी० लिंक लाइन 10 वर्षों से निर्माणाधीन है, शीघ्र पूर्ण कराने की व्यवस्था करें । विद्युत उपकेन्द्र मोढ़ को तहसील स्तर का दर्जा प्रदान करने की कृपा करें । भदोही से सटा हुआ ग्राम मूसी लाटपुर को नगर फीडर से जोड़ना आवश्यक है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट परं बोलने का अवसर दिया । धन्यवाद । मैंने मंत्री जी का बजट भाषण ध्यान से सुना । मैंने सोचा कि मंत्री जी विद्युत संकट से उबारने के लिए कोई नई योजना लेकर आयेंगे और इस संकट से निजात दिलायेंगे । इस पूरे बजट भाषण में कोई नई चीज नहीं दिखायी दे रही है । जगह-जगह पर लिखा मिलता है कि उत्तर प्रदेश को हम उद्योग प्रदेश बनायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन को बढ़ाये बिना आप कैसे उत्तर-प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे । प्रदेश की विकास दर घटती जा रही है और कोई नये उद्योग आ नहीं रहे हैं और प्रदेश में बिजली का उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है । प्रदेश में जो स्थापित क्षमता है वह 6048 मेगावाट है

और हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर 49 प्रतिशत है, लगभग 3 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में जितने भी परिषद् हैं या निगम हैं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्लान्ट लोड फैक्टर सबसे कम है। एन० टी० पी० सी० का 73 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में आप उद्योग प्रदेश कैसे बनायेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति की ओर है, एक भी मेगावाट जनरेशन हेतु आपने एक भी संयंत्र नहीं लगाया। जितनी विद्युत उत्पादन की आवश्यकता है उसके अनुरूप आप विद्युत उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं। एक भी थर्मल पावर या हाइड्रो पावर आपने लगाये नहीं। ऐसे में प्रदेश की विकास दर कैसे बढ़ेगी और उद्यमी कैसे यहां आयेंगे ? जब तक ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। सबसे दयनीय स्थिति प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की है।

महाराष्ट्रा में प्रति व्यक्ति 545 यूनिट है, पंजाब में 760. गुजरात में 671, हरियाणा में 503 और उत्तर प्रदेश में मात्र 207 यूनिट प्रति व्यक्ति है। यदि विद्युत उत्पादन ही नहीं होगा तो आपूर्ति कहां से करेंगे। शहरी क्षेत्र में विद्युत कटौती किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में 4 घण्टे भी बिजली नहीं पहुंच पाती। कटाई और मड़ाई के समय बिजली आप दे नहीं पाते और किसान माथा पकड़ कर बैठा रहता है और सिंचाई के वक्त भी जब उसे बिजली की आवश्यकता होती है तो आप बिजली दे नहीं पाते हैं। अब आपने कहा कि हमने विद्युत परिषद् को तीन निगमों में बांट दिया है। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता जिससे प्रदेश के बिजली उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती तो हमें कोई शिकायत नहीं होती। जितने राज्यों ने विद्युत परिषद् को तोड़ कर अपने यहां निगम स्थापित किये हैं उन प्रान्तों को भी देखने की आवश्यकता थी।

उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह किया गया परन्तु वहां यह विफल रहे जिसके कारण राजस्व घाटे में भी बढ़ोत्तरी हुई और विद्युत उत्पादन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या नित नये-नये प्रयोग कर हम इस प्रदेश को एक प्रयोगशाला बना देंगे। स्थिति यह है कि निजी क्षेत्र की ओर बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। पिछले सात साल में 6065 मेगावाट के उद्योग लगाने हेतु लेटर आफ इन्डेन्ट जारी किये गये थे लेकिन एक भी आगे नहीं आया जबकि आपने 16 परसेन्ट गारन्टी और काउन्टर गारन्टी देने की बात कही, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के तहत आप 3 प्रतिशत का मुनाफा राज्य विद्युत परिषद् को देने को तैयार नहीं हैं। इसलिए आज आवश्यकता यह है कि कैसे इस समस्या को दूर किया जाय और कैसे इसमें सुधार लाया जाय जिससे प्रदेश का विकास और उसकी विकास दर बढ़ सके। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हम विद्युत उत्पादन को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई विद्युत का संयंत्र हम नहीं लगा पाये। टिहरी परियोजना है, मनेरी परियोजना है। आज सब ये अधूरी पड़ी हैं दिवास्वप्न बना हुआ है। हर बार हर बजट में सुनते हैं कि यह 2005 में चालू कर दी जायेगी। टिहरी योजना के बारे में सुनते हैं कि वह 2003 में चालू हो जायेगी। मान्यवर, कब तक इन घोषणाओं के ऊपर प्रदेश की जनता को विश्वास करना पड़ेगा। यदि यह विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं तो कोई नया उद्यमी यहां उद्योग लगाने के लिये आने वाला नहीं है। पिछले 3 सालों से इनकी सरकार है। एक भी नया उद्योग 100 करोड़ रुपये का कोई स्थापित नहीं हुआ है। इन्होंने तमाम प्रचार किया। इनके तमाम अधिकारी और मंत्री विदेश भ्रमण के लिये गये और यह कहा कि यहां हमारे प्रदेश में नये उद्योग लगेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों से एक भी लेटर आफ इनडेंट जारी नहीं हुआ। कोई भी उद्यमी यहां उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं हुआ। उद्योग की आवश्यकता विद्युत है और कोई उद्योग बिना विद्युत के नहीं चल सकता है। आज यह बड़ी दयनीय स्थिति है और यह एक चिन्ता का विषय भी है। माननीय मंत्री जी

ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है । मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश को ऊर्जा के संकट से मुक्त करायें ।

आज हमारे प्रदेश की आबादी 16 करोड़ की है । उसी आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम किया जाय । प्रदेश में विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया जाय । उद्योग की धुरी ऊर्जा है और यदि आज आप ऊर्जा का उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं तो उद्योग नहीं लगेंगे तो विकास की दर कैसे ऊंची होगी, आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं होगा । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसमें न तो कोई इच्छा शक्ति है, न प्रदेश के विद्युत संकट के निवारण की कोई कार्य योजना उसमें दिखाई दी है। जो मंत्री जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन इसलिये भी कर रहा हूं क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति पर न तो भरोसा है, न ही इनकी नीयत पर कि यह प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ा सकेंगे । मैं तो कहना चाहता हूं कि जो बजट की मांग की है वह बहुत कम है अगर इन्हे कुबेर का सारा खजाना भी दे दिया जाय तो भी यह प्रदेश को ऊर्जा संकट से निजात दिलाने का काम नहीं कर पायेंगे । मैं माननीय मंत्री जीं द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह जो विद्युत विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज विद्युत की आवश्यक आवश्यकता है । आज के इस भौतिकवाद युग में झुग्गी झोपड़ी से लेकर कुटीर उद्योग धन्धे सब बिजली पर निर्भर हैं । ऐसी विषम परिस्थिति में जहां बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई उपभोक्ता संख्या और घटते हुए उत्पादन को दृष्टि में रखकर जो कदम उठाया गया है, वह साहसिक है, उसके लिये यह धन्यवाद के पात्र हैं । इन्होंने जो व्यवस्था दी है, निगम को तीन भागों में बांटकर एक नई परम्परा कायम की है यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी है । जिस क्षेत्र के अभियंता हैं उसको उस क्षेत्र का काम देकर इस व्यवस्था के माध्यम से एक नया कदम उठाया है इससे विकास की कड़ी में नया मार्ग मिलेगा जिसके लिये भी मैं इन्हें साधुवाद देना चाहता हूं । इन्होंने ओबरा और आनपारा में विद्युत उत्पादन की बढ़ोत्तरी के लिये साहसिक कदम उठाया है जिससे नई व्यवस्था बिजली के लिये मिलेगी । पुनर्गठन और नई ऊर्जा नीति के माध्यम से जो व्यवस्था दी है वह भी एक साहसिक कदम है । विश्व बैंक के सहयोग से बिजली में नई दिशा लाने का जो प्रयास यह कर रहे हैं, वह भी इनकी इच्छा शक्ति का द्योतक है ।

मैं कुछ सुझावों को देना चाहता हूं और वहीं कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । ग्रामीण अंचलों में जहां लोग कृषि से लेकर उद्योग धन्धों तक में बिजली पर निर्भर करते हैं, वहां उनको आप नाम मात्र को जो 10 घंटे की बिजली सप्लाई कर रहे हैं वह कुल मिलाकर कभी 4 घंटे और कभी 5 घंटे मिलती है, वह भी टुकड़ों-टुकड़ों में । यदि बिजली की आपूर्ति उन्हें पूरी एक साथ कर दी जाय तो उसका लाभ मिल सकता है । सायंकालीन कटौती में एक फेज में लाईन दे दी जाय, छात्रों को, दुकानदारों को, झोपड़ी झुग्गी वालों को कुछ राहत मिल सकती है । यह भी कहा कि किस तरह से हम राजस्व की वसूली कर सकते हैं । बिजली का बिल जमा करने के लिये लोगों को लम्बी कतार में लगना पड़ता है । लोग घण्टों परेशान होते हैं । मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में तहसील स्तर से न्याय पंचायत स्तर तक बिजली बिल प्रति माह देने की व्यवस्था कर दी जाय अथवा कैम्प लगा कर बिजली देयों की वसूली की जाय तो अच्छा होगा इससे लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और आय में भी वृद्धि होगी । मान्यवर, अब मैं बिजली चोरी के संबंध में कहना चाहता हूं कि गांवों में लोग कटिया लगाकर बिजली की चोरी कर रहे हैं । गांवों में बिजली कम रेट पर देने की व्यवस्था की गयी है । इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र कालीन उद्योग क्षेत्र है जहां से दो करोड़ विदेशी मुद्रा की आय होती है। यदि वहां 24 घण्टे बिजली दी जाय तो एक तरफ उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा आयेगी। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में 11/330 मेगावाट विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए शिलान्यास किया गया। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण वहां विद्युत केन्द्र की स्थापना की व्यवस्था आज तक नहीं की जा सकी है जबकि इसके संबंध में कई बार मंत्री जी से कहा जा चुका है इसलिए हमारे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए, धन देकर उसे चलाने का प्रयास करें।

मान्यवर, गांवों में सामूहिक नलकूप की व्यवस्था की गयी है। उसमें बिजली के रेट जो लिये जा रहे हैं, वह सामान्य रेट से अधिक हैं और इन्डस्ट्रियल रेट लिये जा रहे हैं जिन्हें गरीब किसान देने में असमर्थ हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां सामान्य रेट लिये जायं।

मान्यवर, गांवों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं चूंकि वे घटिया किस्म के होते हैं। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि ट्रांसफार्मर निर्माण करने वाली कम्पनी पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, जहां व्यक्तिगत तौर पर बिजली की सप्लाई की जा रही है, वहां मैं चाहता हूं कि भदोही में तहसील स्तर पर बिजली की आपूर्ति की जाय जिससे ग्रामीण अंचलों में गरीब लोगों को भी बिजली मिल सके। मैं यह भी चाहता हूं कि 10 घंटे बिजली आपूर्ति की जो व्यवस्था है वह सुनिश्चित की जाय जिससे ग्रामीण अंचलों में किसानों को निश्चित रूप से अधिकतम बिजली आवश्यकतानुसार मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उसके विषय में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, अभी मंत्री जी ने जिन नीतियों के आधार पर इस विद्युत बोर्ड का विघटन करके एक नयी व्यवस्था जो यहां कायम किया है उसके संबंध में मैं जहां तक समझता हूं कि इस नयी व्यवस्था का आधार यह है कि विद्युत क्षेत्र में अधिक से अधिक निजी क्षेत्र को विदेशी या देशी जो कम्पनियां हैं, उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकें जिससे वे विद्युत क्षेत्र में निवेश कर सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब निजी क्षेत्र का निवेश होगा तो निवेशकों को आप क्या रियायतें और सुविधायें देंगे तथा उस निवेश के कानून में क्या परिवर्तन करेंगे। साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र में योजना की अवधि क्या है? मान्यवर, यह भी जानना चाहता हूं कि जो निजी क्षेत्र का निवेश होगा तो उसका कहीं उद्देश्य केवल लाभ कमाना तो नहीं होगा? आज विद्युत मूल्य निर्धारित कर रहे हैं उनका आधार केवल लाभ होगा अथवा उत्तर प्रदेश के लोगों की क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से विद्युत क्रय कर सकते हैं। मूल्य तय करने का वह आधार क्या होगा? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी सदन में उत्तर दें मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो नई विद्युत नीति इस प्रदेश में आयी है वह निवेश हितकर है, इससे पहले जो विद्युत नीति थी वह उपभोक्ता के हित की थी, उपभोक्ता हितकर थी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब सदन में खड़े होकर अपना वक्तव्य दे रहे थे तो आजादी के बाद जो भी इस देश में उपलब्धियां हुई माननीय मंत्री जी ने उन सारी उपलब्धियों को निगेट कर दिया कि 50 वर्षों में कोई उपलब्धि नहीं हुई। मान्यवर, 1947 में जब देश आजाद हुआ मात्र 1362 मेगावाट बिजली का पूरे देश में उत्पादन होता था अब इस देश में 86 हजार मेगावाट बिजली 1998 तक उत्पादित हो रही थी। इस देश की व्यवस्था के कारण, इंजीनियरों की व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ। 1947 से लेकर 1998 तक 1300 से 86 हजार मेगावाट तक उत्पादन पहुंच गया।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर आजादी के बाद विद्युत नीति बनाई गई, उसमें पहले उद्देश्य यह था कि बिजली का उपयोग सिंचाई के लिये कर सकें, इतनी सिंचाई करें कि देश को फूड सिक्योरिटी मिल सके और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सकें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक बिन्दु यह था कि उद्योगों को आसान मूल्यों पर बिजली दें, ताकि वह प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ सकें। यह कल्पना थी कि वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य समाजवादी गणराज्य की परिकल्पना में जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं जिनके पास हिम्मत नहीं है कि बिजली का भुगतान कर सकें। हम अपने दायित्वों के अन्तर्गत उनको बिजली देने का काम करें जिनके दिल में उम्मीद थी कि हमारी झोपड़ी में भी चिराग जलेगा यह भी इस राज्य का दायित्व था कि उनकी झोपड़ियों में बिजली पहुंचाने का काम करें। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि विद्युत पारेषण विद्युत उत्पादन में ही नहीं विद्युत इरेक्शन भी कर सकें उद्योग में, रेल यातायात और संचार में भी वृद्धि विद्युत के माध्यम से कर सकें। मैं मंत्री जी के भाषण को सुन रहा था उनके भाषण में कहीं उल्लेख नहीं था कि किसानों को विद्युत देने, जो मेहनत करते हैं और जिन्होंने हिन्दुस्तान के स्वाभिमान को जिन्दा रखा है उनको बिजली देने की क्या योजना है ? सब्सिडाइज योजना का उल्लेख नहीं हुआ। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी की बात कह रहे थे। केन्द्र सरकार मदद देने जा रही है। ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी होनी चाहिए थी वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रही है, जिसका परिणाम यह है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन लक्ष्यों की कमी करनी पड़ेगी। मैं विद्युत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्री जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जितना निजी क्षेत्र का जोर देना चाहिए वह नहीं दे रहे हैं ? केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता दी जायेगी यह विचारणीय प्रश्न है। किसान ट्यूबवेल के कनेक्शन लगाना चाहता है पिछले साढ़े तीन महीने से जब से नई व्यवस्था लागू हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार यह फैसला नहीं कर सकी कि ट्यूबवेल के कनेक्शन पर कितनी सब्सिडी देगी और इसका नुकसान उस गरीब किसान को उठाना पड़ रहा है जिसे विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कई विद्युत परियोजनाएं लगाने की बात कही। रुड़की यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था जिसका विषय था "प्लानिंग आफ स्माल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स" इसमें जो विशेषज्ञ देश से आये थे उन्होंने कहा कि यह ऐसा प्रदेश है जहां माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्ट्स लगाये जा सकते हैं। मान्यवर, नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। जब हम वहां से आते हैं तो बीच में इतने जलप्रपात मिलते हैं कि माइक्रो हाइडिल प्रोजेक्ट्स लगाये जा सकते हैं और उनसे विद्युत पैदा की जा सकती है। जहां आप तापीय विद्युत गृह लगा रहे हैं अगर जल उत्पादन के क्षेत्र में नयी योजनायें लगाने का काम करेंगे तो जो वायु प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, उससे हम बच सकेंगे। इसकी इन्स्टाल कास्ट शुरू में ज्यादा हो सकती है लेकिन जो रनिंग कास्ट होगी वह कम होगी और प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि जो बिन्दु मैंने उठाये हैं, माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो उसका भी ध्यान रखेंगे और उसका जवाब देंगे। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त और बजट का समर्थन करते हुए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् को भंग करके तीन निगमों का गठन किया। इसके पीछे जो उद्देश्य शासन का था, जो मंशा है, उसके लिये मैं अपनी सरकार और ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हड़ताल से जिस दृढ़ता के साथ सामना किया उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आशा आपने जनता के मन में जगायी है, तीन निगम बनाकर हड़ताल को दबाकर उस आशा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपकी है । कहीं गफलत में ऐसी गलती न हो जाय जिससे बात को सुनना पड़े । आपने जो कर्मचारियों को वायदा किया था फण्ड बनाकर, ट्रस्ट बनाकर रखेंगे उसके लिये आपने 100 करोड़ रुपये की किश्त जमा की है, जो वायदा किया था, उसकी पूर्ति की है, उसके लिये मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा । जो आपने यह कहा कि निगम बनाकर कर्मचारियों का कोई अहित नहीं होगा, उसके लिये भी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, यह पहली सरकार आयी है जिसने विद्युत का उत्पादन बढ़ाने पर चिन्ता व्यक्त की है । मैं दोनों पक्षों को बहुत ध्यान से सुन रहा था । बार-बार चन्द बिजलीघरों का नाम लेकर चिन्ता जतायी लेकिन इस सरकार ने बिजली घरों की स्थापना और उत्पादन में जो सार्थक पहल की है उसके लिये ये बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, जहां सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रयास किया है, ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए कोशिश की है, शहरी क्षेत्रों में बहुत से भाग ऐसे हैं जिनमें विद्युत की व्यवस्था आवश्यकता पर निर्भर है । जिस प्रकार से पांच ग्राम प्रति विधायक की सुविधा आपने पिछले वर्ष कायम की, शहरी क्षेत्र के 5 वार्डों में 15 लाख काम करने की सुविधा है । तो एक वार्ड में लगभग पांच लाख का है, अगर पांच वार्ड हैं तो इसे 25 लाख कर दें । इस पर आप विचार करें । मान्यवर, विद्युत की चोरी रोकी जानी चाहिए । जो छापे मारे जा रहे हैं घरेलू उपभोक्ताओं के यहां प्वाइंट गिनने के नाम पर फिर मोलभाव का कार्य शुरू होता है मान्यवर, इससे सरकार की छवि प्रभावित होती है इस पर ध्यान देना होगा । मान्यवर, मेरठ में 220 के० वी० ए० का बिजलीघर शताब्दी नगर में बनाने की बात है, प्राधिकरण भी तैयार है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मोदीपुरम्, रामलीला मैदान, नौचन्दी, बच्चा पार्क आदि स्थानों पर बिजलीघरों में ओवर लोड चल रहा है । मान्यवर, पिछले वर्ष हमारे और अमित अग्रवाल जी के आग्रह पर आपने छोट-छोटे पैकेज मेरठ महानगर में शुरू किये थे लेकिन जब लेबर कम्पोनेंट के प्रस्ताव लखनऊ आते हैं तो भुगतान न देने के कारण इन स्वीकृत पैकेजों के लिये सामग्री तो मिल गयी है लेकिन इन कामों को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है । काम हो तो भुगतान हो जाय तो तरक्की हो सकेगी । मान्यवर, प्रणाली सुधार की बाबत परामर्शदाता की नियुक्ति की बात जुलाई, 1999 में हुई थी । मान्यवर, वे वार्ता करके प्रमुख उद्योगपतियों, जनप्रतिनिधियों से क्या आवश्यकता है ? मेरठ की जानते तो उनको रिपोर्ट देने में और आगे कार्य होने में आसानी होगी । मान्यवर, विकासपुरी बिजलीघर 33/11 के०वी० ए० की बात है, उसमें मेरठ के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, इसको देखने का काम करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, तीन बार राज्य विद्युत परिषद् में हड़ताल हुई । इसमें मेरठ क्षेत्र के अप्रेन्टिसों ने आपातकालीन सेवायें देकर काम किया है । इनको हर बार आश्वासन दिया जाता है कि हम सेवायोजित करेंगे । मान्यवर, इसमें भूपराम शर्मा, रमेश पाल गुप्ता, राजीव कुमार शर्मा, जगदीश चन्द्र,

अतिकुर्रहमान, प्रदीप कौशिक, अरुण यादव, सुशील कुमार, राजेन्द्र सिंह, राजेश चौहान आदि 33 लोगों ने अपने प्रतिवेदन दिये हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आप मंत्री जी को दे दें । अब आप समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इनको विद्युत सेवा आयोग में निर्धारित प्रक्रिया से छूट देकर प्राथमिकता के आधार पर, सेवायोजन देने का कष्ट करें । मान्यवर, अन्तिम बात कहकर समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, 1994-95 में शासन ने यह निर्णय लिया था कि जो मीटर रीडर हैं, उनसे एस० एस० ओ० के कार्य पर लगाने के आदेश किये थे । मान्यवर, उनके वेतन भुगतान का मामला था । वे लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गये थे, माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दिये थे और अन्तिम तौर से यह कह दिया था कि यह परिषद् के आदेश गलत हैं । वह आदेश वापस ले लें । लेकिन मेरठ, बुलन्दशहर और देहरादून के कुछ मीटर रीडर ऐसे हैं जिनको उस समय के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। चेयरमैन के हस्तक्षेप से बुलन्दशहर जनपद के दो खण्डों का भुगतान कर दिया गया । एक खण्ड का भुगतान बाकी है लेकिन मेरठ के किसी भी मीटर रीडर का और देहरादून के लोगों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है । मान्यवर, इसमें मेरठ बुलन्दशहर तथा देहरादून के मीटर रीडरों, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहे हैं, का वेतन भुगतान किये जाने की बात है, उसे करा दें । मान्यवर, कुछ निजीकरण की बात चल रही है, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । लोगों का कहना यह है कि जिन बिजलीघरों का निजीकरण किया जायेगा उनको बुक वैल्यू के आधार पर ट्रांसफर किया जायेगा तो इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी की सम्भावना है । मार्केट वैल्यू के हिसाब से ट्रांसफर किया जायेगा तो इससे लोगों में भ्रम नहीं फैलेगा और सरकार की सही मंशा लोगों के बीच में जा सकेगी । इसके साथ ही जो मैंने सुझाव दिये हैं, अप्रेन्टिसशिप प्राप्त कर्मियों को विद्युत सेवा आयोग की शिथिलता प्रदान करते हुए नौकरी में लिया जाना चाहिए, मीटर रीडर के बकाये का भुगतान और मेरठ में विद्युत आपूर्ति सुधार की मांग करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री आर० के० सिंह पटेल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इनकी नीति और नीयत में बड़ा बुरा हाल है :–

"शाम को कुछ और है सबेरे कुछ और सवाल है,
पूंजीपतियों और सेठियों को किया मालामाल है,
गांव गरीब किसानों को किया खस्ताहाल है ।"

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने बजट में बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की है । मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं । एक तरफ तो आप ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये गांव-गांव में बिजली देने की बात करते हैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, आप भी मान्यवर, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमारे माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा भी उसी क्षेत्र से हैं । मान्यवर, बुन्देलखण्ड ऐसा क्षेत्र है जहां पर बिजली के बिना न तो पानी दे सकते हैं और न दैनिक जीवन चला सकते हैं । उस बुन्देलखण्ड में हमारा जनपद चित्रकूट है। बुन्देलखण्ड विकास निधि से पिछले 98-99 और 99-2000 में लगभग 80 लाख रुपये ऊर्जा विभाग को दिये गये हैं और लगभग 30 गांव के विद्युतीकरण कराने के लिये दिया गया है लेकिन आज तक वह दो वित्तीय वर्ष का पैसा पड़ा हुआ है और एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । एक

प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य अब नहीं कराया जायेगा । एक तरफ यह शासनादेश है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि, विधायक निधि और पूर्वांचल विकास निधि इन निधियों से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य जहां माननीय विधायक प्रस्ताव देंगे, वहां कराया जायेगा और दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री जी के निर्णय का एक पत्र है उन्होंने इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं विधायक निधि से केवल विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु ही धन लिया जायेगा । ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रोत्साहित न किया जायें ।

मान्यवर, यह पत्र माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा सभी अपने अधिकारियों को और अधिशासी अभियन्ता को भेजा गया है । अगर एक तरफ बुन्देलखण्ड विकास निधि की बात है, विधायक निधि की बात है, पूर्वांचल निधि की बात है । जिसमें विधायकों के अधिकार हैं । माननीय मंत्री जी 5 गांव विद्युतीकरण की बात कहे हैं, माननीय मंत्री जी आपके क्षेत्र में भले ही हो गये हों, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक कोई भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया था कि बुन्देलखण्ड विकास निधि, विधायक निधि से विधायकगण अपने क्षेत्रों में प्रस्ताव देकर विद्युतीकरण का कार्य करायेंगे, इस संबंध में मैं एक पत्र देना चाहता हूं, आप उसका संज्ञान ले लें । दूसरी बात कहना चाहता हूं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निजी नलकूपों के लिए, विद्युत कनेक्शन देने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा छूट दी जाती रही है, लेकिन इस सरकार ने वहां के किसानों को दी जा रही इस छूट को समाप्त कर दिया है और ऐसा आदेश किया है कि अब पूरा इस्टीमेट बनाकर जो धनराशि होगी, वह किसान को देनी होगी । पिछले वर्ष 98-99 तथा 99-2000 में जनपद चित्रकूट के गरीब किसानों के पैसे जमा हैं, लाइन आर्डर उनके पास है, लेकिन कनेक्शन नहीं दिये गये, पैसा जमा करने के बाद वह किसान आज भी इन्तजार में हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे किसानों में मैं भी एक हूं, मेरे पिताजी श्री धर्मराज सिंह के नाम से पैसा जमा है, लाइन आर्डर मेरे पास है, यहां नहीं लाया हूं और मुझे भी आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है, जनता मुझसे कहती है कि जब आपको नहीं मिला, तो हमको कनेक्शन कैसे मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, जो छूट की व्यवस्था खत्म कर दी गयी है, उसको पुनः लागू किया जाय । मान्यवर, हमारे यहां विद्युतीकरण कागजों पर किया गया है, पाठा क्षेत्र में बच्चे आज भी जब शहर में जाते हैं तो वहां बल्ब, राड की चकाचौंध देखकर चौंक जाते हैं, इन गांवों में आज भी विद्युतीकरण नहीं है, इनका विद्युतीकरण कराया जाय, इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद ।

* श्री विद्या सागर गुप्ता–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं, वह बधाई के पात्र हैं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

आज से करीब 7-8 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कमेटी में कुछ वर्ष सदस्य के नाते रहा हूं । मीटिंग में जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते थे, वह बहुत ही तोड़-मरोड़ कर किये जाते थे, जितने भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां बजट के प्रस्ताव आते थे, या बताते थे कि यह कमियां हैं, वह कुछ समय में नहीं आती थीं। उस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग के ऊपर पिछले कई साल में जो भार बढ़ता चला गया है, वह आज माननीय मंत्री जी ने कम किया है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश का नारा दिया है, इससे उत्तर प्रदेश के उद्योगों की बल मिलेगा। मान्यवर, बिलिंग सिस्टम के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा एक तो जो बिल पे हो जाते हैं, दे दिये जाते हैं, उनको फिर से जोड़ दिया जाता है,इसके लिये उपभोक्ता बहुत परेशान रहता है। माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर खासतौर से ध्यान दिया जाये, हालांकि कम्प्यूटराइज्ड हो गया है लेकिन जो कम्प्यूटर के बिल आते हैं वह भी गलत आते हैं और उपभोक्ता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लखनऊ के लिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, 1960 में एक 15 मेगावाट का यहां पर बिजली घर लगा था तालकटोरा में, वह करीब 25 साल के बाद बन्द कर दिया गया क्योंकि उसकी क्षमता बहुत कम हो गयी थी, उस वक्त करीब 15 मेगावाट वहां का लोड था लखनऊ का, जो कि आज करीब 70, 80, 100 मेगावाट हो चुका है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लखनऊ के आसपास 100 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लान्ट लगाने का कष्ट करें जिससे लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ-साथ मान्यवर, आज से 5 साल पहले एक प्लान्ट बना था हाइडिल पावर प्लान्ट के 5-5, 7-7 मेगावाट के पावर प्लान्ट पहाड़ी इलाकों में लगाने के लिए, उसके ऊपर कोई खास कार्यवाही नहीं हुई, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहाड़ पर 5-5, 7-7 मेगावाट के पावर प्लान्ट लगाकर बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाये। मान्यवर, जो तीन कारपोरेशन बने हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, मैं चाहूंगा कि पी० एल० एफ०, प्लान्ट लोड फैक्टर हम किसी भी तरीके से यदि 65 परसेंट एक टाइम बाउंड तरीके से कर देंगे तो सारी समस्यायें बिजली की समाप्त हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस बिजली बजट का अनुमोदन करता हूं।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूं। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अभी ऊर्जा का बजट रखा, यह बजट ऐसे समय में माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है जब प्रदेश के अन्दर बिजली का भयानक संकट व्याप्त है। बिजली की कमी के कारण प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। ऐसे समय में हम उम्मीद लगाये बैठे थे कि माननीय मंत्री जी जरूर ऐसी घोषणायें करेंगे जिससे बिजली का संकट दूर होगा, लेकिन अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिससे बिजली संकट दूर होने के आसार नजर आते। माननीय मंत्री जी ने केवल राज्य विद्युत परिषद् का रोना रोया, उसकी जो खस्ताहालत है, उसमें उसका वर्णन है, जो इस पर कर्जा है, उसका वर्णन आया और कहा कि हमने तीन निगम बना दिये हैं और इससे बिजली का संकट दूर हो जायेगा।

मान्यवर, आपने तीन निगम बना दिए, एक हटाकर तीन बना दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कोई उपाय नहीं बताया कि ये तीन निगम किस तरह बिजली का संकट दूर करेंगे, उसमें वही अधिकारी हैं वही सब कुछ है, वही भ्रष्ट अधिकारी हैं, आप कैसे संकट दूर करेंगे। माननीय मंत्री जी आप चाहे जो भाषण दें, चाहे जो घोषणायें करें लेकिन बिजली संकट का समाधान उत्पादन बढ़ने से होगा, उत्पादन बढ़ाने का उपाय सरकार ने किया नहीं, न ही ऐसी कोई घोषणा की। आप गांव में बिजली को देखें। सब कहते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, 74 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है, किसानों के लिए। आपने बिजली महंगी कर दी,

बार-बार बिजली मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि 10 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन सभी लोग जान रहे हैं, चाहे इधर के हों या उधर के सभी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4-5 घण्टे से ज्यादा बिजली आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, यह स्थिति वहां की है जहां सब स्टेशन ठीक हैं, जहां पर सब स्टेशन ओवर लोडेड हैं वहां 4-5 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है क्योंकि वहां पर फीडर में नम्बर वाइज बिजली दी जाती है जिससे कन्ज्यूमर को 1-2 घंटे बिजली मिल पाती है। आप बिजली दे नहीं पाते हैं लेकिन कहते हैं हमें सुझाव दीजिये जिससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ सके। जहां पर ट्रांसफारमर फुंक गये हैं और 3-3 महीने तक बदले नहीं गये हैं, जहां किसान को बिजली मिल नहीं रही है उसकी फसल सूख रही है तो वहां किसान बिजली का बिल क्यों दे। आजकल माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षायें चल रही हैं। 35 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न मिलने के कारण वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक आती हो। बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, किसान फसल सींच नहीं सकते हैं उस पर भी आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल जमा करे तो मंत्री जी इसका उत्तर दें कि बिजली का बिल किसान क्यों जमा करें ?

प्राइवेट ट्यूबवेलों की बात कही गयी, जबसे विद्युत सुधार लागू हुए हैं और जबसे 3 निगम बना दिये गये हैं तो यह आशा की जाती थी कि बिजली के वितरण में सुधार होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने प्राइवेट ट्यूबवेल के कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी जिसका इस्टीमेट पहले से जमा था उसको भी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं तो किसान कैसे फसल की सिंचाई करेगा, कैसे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और कैसे प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर होगा। वह किसान जो खून पसीना बहाकर मेहनत करके फसल पैदा करता है और प्रदेश का पेट भरता है, आप उसी को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल वह जमा करे। आपके बिजलीघर ओवर लोडेड हैं। आपने 10 घंटे बिजली देने की बात कही लेकिन जब बिजली नहीं है और फीडर पर वह नम्बर वाइज सप्लाई की जा रही है तो कन्ज्यूमर को 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती है तो उसी हिसाब से उससे बिजली का बिल लेना चाहिए। आपने यह नहीं बताया कि ओवरलोडिंग को कब तक समाप्त करेंगे और बिजलीघरों की क्षमतावृद्धि कैसे करेंगे। माननीय मंत्री जी, जब उत्तर दें तो इन बातों का जवाब दें। आपने जगह-जगह पर बोर्डों पर लिखवाया है कि उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बनेगा, कैसे बनेगा। हमारे प्रदेश में जब बिजली का कम उत्पादन हो रहा है तो बिना बिजली के कौन सा उद्योग चल सकेगा और कौन सी प्रगति हो सकेगी। जब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तक तब उद्योगों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं अपने क्षेत्र गया था। वहां पर बिजलीघर पर जाकर पता किया तो बताया गया कि एक हफ्ते में 6-7 घंटे बिजली दी जा रही है। अगर आपने 10 घंटे बिजली देने का मानक बनाया है और 5 घंटे दे रहे हैं तो बिजली का बिल किसान से आधा लीजिए। अगर 1 घंटे बिजली दे पाते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से बिजली का बिल लीजिए। आप कह रहे हैं कि पैसे की वसूली के लिये सुझाव दीजिये, मुझे तो दुखी होकर किसानों से कहना पड़ेगा कि बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। जब बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों हम बिजली का बिल जमा करें। गांवों को बिजली मिले, हम चाहते हैं कि गांवों की तरक्की हो और बिजली संकट दूर हो सके लेकिन इसके लिये सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह बिजली का संकट सुधरने की सम्भावना नहीं है। मेरा सुझाव है कि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं। आपके बिजलीघरों के अन्दर 100 मीटर तार नहीं है कि कोई फाल्ट हो जाये तो

बदल दें । आप जले हुए ट्रांसफारमर नहीं बदल पा रहे हैं लेकिन आप अधिकारियों के आय का ब्यौरा ले लें । कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति न हो । जब तक आप भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पायेंगे तब तक कोई सुधार नहीं हो पायेगा । इसी के साथ माननीय कुंवर साहब जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विद्युत जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया । मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, जब कोई भी विभाग निरन्तर घाटे में चल रहा हो और जिस विभाग में 45 प्रतिशत लाइन लासेस हो तो उससे यह अपेक्षा की जाये कि वह जनभावनाओं के अनुरूप सुधार कर पायेगा या जनता की सेवा कर पायेगा । यह नामुमकिन है और शायद इसी के मद्देनजर पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने भी परिषद् के विघटन का प्रस्ताव किया था, योजना बनायी थी परन्तु वे हिम्मत नहीं कर पाये । कर्मचारियों के दबाव में आकर निर्णय नहीं ले सके और वह योजना वहीं की वहीं धरी रह गयी । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाकर विद्युत परिषद् को 3 निगमों में बांटकर एक उत्तरदायी व्यवस्था की है । निश्चित रूप से इससे विद्युत की आपूर्ति में सुधार होगा और आम जनता को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप विद्युत मिल पायेगी । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर किस प्रकार से देश और प्रदेश का विकास हो सके, जनभावनाओं के अनुसार हम नीतियों का नियोजन कर सकें और विद्युत जैसे विभाग चाहे वह उद्योग से सम्बन्धित हो, चाहे कृषि से सम्बन्धित हो, चाहे घरेलू विद्युत की बात हो जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक हम प्रदेश को विकास की ओर नहीं ले जा सकते और उसके लिए मात्र हम यह समझें कि यह सरकार का दायित्व है तो यह उचित नहीं होगा । प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक राजनीतिक दल जब तक सुधार के लिये कमर नहीं कसेंगे इसका अपेक्षित लाभ हमें नहीं मिल पायेगा । मान्यवर, मैं अपनी बात को सीमित करते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि टिहरी बांध योजना हमारे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है । यह प्रदेश के लिये ही महत्वपूर्ण नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है । श्रीमन्, डूब क्षेत्र के जो विस्थापित हैं, उनकी व्यवस्था अभी नहीं हुई है जिससे निर्माण में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि डूब क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन्हें शीघ्र से शीघ्र पुनर्वास की सरकार व्यवस्था करे जिससे टिहरी बांध जल्द से जल्द बन सके । कई माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा कि ऐसे कई सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता हैं जो बीसों साल एक जगह पर जमे हुए हैं, वह बाहर नहीं जाना चाहते ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री हरवंश कपूर–

अगर कहीं जाते भी हैं तो 6 महीने बाद पुनः लौटकर आ जाते हैं अतः स्थानान्तरण नीति इस प्रकार से बनाई जाए कि जो अधिकारी कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक किसी क्षेत्र में न रह सके । माननीय मंत्री जी ने विद्युत योजनाओं के संबंध में कुछ बात कही लेकिन लघु विद्युत निगम के संबंध में शायद वह भूल गये हैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जिस प्रकार से निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री हरवंश कपूर–

उसको दूर करने की आवश्यकता है । मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, अपने प्रदेश के दूरदराज जनपद चमोली में जुमा नामक स्थान पर तीन मेगावाट के विद्युत गृह का निर्माण किया जा रहा था और इस योजना में स्थानीय मजदूरों की आवश्यकता थी और स्थानीय मजदूरों को मजदूरी में लगाया गया । उनकी 5.35 लाख रुपये मजदूरी बनी । बाद में न जाने कहां से लखनऊ की एस० के० ट्रेडिंग कम्पनी वहां आ गयी और उसने मजदूरों की मजदूरी पर अपना अधिकार जमाया । मैं चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरवंश कपूर–

मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं मिली है । दूर दराज के इलाकों में मजदूरों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकरण की जाचं कराई जाए एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाए एवं मजदूरों को मजदूरी दिलाई जाए ।

श्री अफजाल अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र जौनपुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है । यहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है लेकिन यहां विद्युत की कटौती लगातार होती रहती है । इस कटौती के विरोध में वहां के नौजवान रोज आन्दोलन करते हैं । पुराने बिजली के तार गलकर गिरते जा रहे हैं और हम बराबर मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं । मगर कुछ नहीं हुआ अब तक । मैं माननीय रेवती रमण जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मंत्री जी उन बिन्दुओं को मान लें जो कुंवर साहब ने रखे हैं तो आपकी सरकार एक अच्छी सरकार होती । आपके विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा लेकिन आपका विभाग सफेद हाथी की तरह सबको एक साथ रौंध रहा है । हमारे यहां इस कटौती के कारण छात्र पढ़ नहीं सकते, वकील साहेबान बहाना बिजली का बनाते हैं कि लाइट नहीं है । कृपया इस क्षेत्र की ओर ध्यान दें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मै माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ताजमहल की सुरक्षा आवश्यक है । हमारे क्षेत्र गोवर्धन, ब्रज चौरासी कोस यात्रा तथा दीनदयाल जी जन्मस्थल जैसे धार्मिक स्थल हैं । वहां भी विद्युत कटौती की जा रही है जिससे वहां हत्यायें हो रही हैं । अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर बहू बेटियों की इज्जते लूट रहे हैं और बड़ी वारदातें होने की सम्भावना रहती है । हमारे क्षेत्र के 125 गांवों का एक बार 45, एक बार 60 और एक बार 12 गांवों के विद्युतीकरण के आदेश दिये आप मा० मंत्री जी द्वारा दिये गये थे लेकिन आज तक उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है । पांच गांव हमको दिये गये लेकिन उसके लिए आज तक सामान नहीं पहुंचा है कि हम विद्युतीकरण करा सकते । इसके लिये एक करोड़ का प्रोजेक्ट था उसको भी खत्म कर दिया गया । विद्युतीकरण के नाम पर घोटाला चल रहा है । गोड़धाम संत समाज से एक एग्रीमेन्ट हुआ कि नियमित आपूर्ति की जायेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ वह करार भी तोड़ दिया गया । जब लाइट देने के लिए कहते हैं तो वहां यह कहा जाता है कि लाइट देने से उनके सब-स्टेशन ठप्प हो जायेंगे । जाजनपट्टी पर 32 के० वी० ए० का सब स्टेशन स्थापित किया जाय, सौख को चालू किया जाय और गोवर्धन में 32 के० वी० ए० का सब स्टेशन बनाया जाय । ताज ट्रिपोजियम के अन्तर्गत जितने गांव आते हैं, उनका विद्युतीकरण किया

जाय। लगभग 125 गांव/मजरे इसमें आते हैं। माननीय मंत्री जी ने आदेश भी दिया है परन्तु आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। 800 खम्भे जो मेरे अपने क्षेत्र में लगने चाहिए थे, उनको अन्य दूसरे जगहों पर लगा दिया गया जोकि ताज ट्रिपोजियम योजना के अन्तर्गत नहीं आता है। इसकी आप जांच करें और उन खम्भों को मेरे क्षेत्र में लगाया जाय। ताज ट्रिपोजियम के अन्तर्गत जितने गांव व मजरे आते हैं उसमें पूरी बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया है बल्कि एक भाग का किया गया है। यह शासन की नीति भी नहीं है इसलिये पूरी बस्ती का विद्युतीकरण किया जाय। सींख में विद्युत की चोरी बहुत होती है, इस पर कड़ाई से निगरानी रखी जाय और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। खामनी/सतोहा आदि क्षेत्र को विद्युत सब स्टेशन को छटीकरा से जोड़ा जाय, जिससे पूरे क्षेत्र का विद्युतीकरण हो सके। वहां पर ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, इसे देखा जाय। 40 ग्राम विद्युतीकरण की लिस्ट में आ चुके हैं, इसलिये इनके काम को पूरा कराया जाय। बहुत दूर-दूर तक जे० ई० तथा ए०ई० नहीं मिलते हैं, इसे भी देखा जाय। कहना तो मुझे और भी था परन्तु समयाभाव के कारण मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। ऊर्जा विभाग विशुद्ध रूप से एक व्यवसायिक विभाग है। यह कल्याणकारी विभाग कतई नहीं है। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये तथा घरेलू उपयोग के लिए यह विभाग बिजली आपूर्ति करता है और उसके बदले में पूरा पैसा लेता है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि ऊर्जा विभाग में लगातार निकम्मापन बढ़ता जा रहा है। इस विभाग में प्रतिवर्ष घाटा बढ़ता जा रहा है, ऐसा यह व्यवसायिक विभाग है। प्रदेश की जनता को बिजली सप्लाई यह नहीं कर पा रही है। जो उद्योग धन्धे हैं,

होती है और दिनचर्या के जो और काम हैं, वह बिना बिजली के सम्पादित नहीं हो सकते हैं। इस विभाग में मूलभूत सुधार करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नवसृजित जनपद चित्रकूट की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर आज तक आपका कोई भी डिवीजन स्थापित नहीं हो सका है, जिसके कारण वहां की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर बदलना है तो करवी से लेकर जिला मुख्यालय चित्रकूट करवी वहां से 100 किमी० दूर बांदा में आना पड़ेगा। ट्रांसफारमर बदलने के लिये जनपद के एक कोने से दूसरे कोने 150 किमी० दूर जाना पड़ता है। उसके बाद भी कभी-कभी वह महीनों तक नहीं बदले जाते हैं। बहुत ही भ्रष्ट किस्म के इंजीनियर श्री पाल, बी० एन० सिंह और ए० के० सिंह कई वर्षों से वहां लगातार तैनात हैं जो जनता को बेवकूफ बनाकर रुपया ऐंठते हैं। जनता की कोई सेवा नहीं करते हैं। हमने विधायक निधि से, बुन्देलखण्ड निधि से, चित्रकूट में 80 लाख रुपये विद्युतीकरण के लिये दिया है। बहिन मायावती के शासनकाल में 80 लाख रुपये उपकेन्द्र की स्थापना के लिये दिया है और चित्रकूट में लगभग 2 करोड़ रुपया दिया हुआ है और यह निकम्मा विभाग कुछ भी काम नहीं करवा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री दद्दू प्रसाद–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड निधि, पूर्वांचल विकास निधि, विधायक विकास निधि के द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण कराने का काम यह सरकार करे। प्रदेश के जो पिछड़े गांव हैं, अभी भी आधे से ज्यादा विद्युतीकरण से वंचित हैं। हम लोगों ने इनके विद्युतीकरण के लिये धन दिया लेकिन.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। कृपया बैठें।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, इन्होंने एक शासनादेश जारी करके निर्देश जारी कर दिया है। मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इन्होंने जो शासनादेश जारी किया है। उसमें है कि विधायक विकास निधि और बुन्देलखण्ड निधि से ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं कराया जायेगा। मान्यवर, यह शासनादेश जन विरोधी है, पिछड़ा विकास विरोधी है। इसको वापस लें और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये हम लोग जो निधियों से पैसा दे रहे हैं, उससे विद्युतीकरण का काम गांवों में कराया जाय। यह प्रदेश के पिछड़े जनपदों में नितान्त आवश्यक है। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० इन्द्र देव सिंह–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जहां एक ओर विद्युत विभाग 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' श्लोक के शाब्दिक अर्थ को पूरा करता है वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग इसके भावार्थ को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। चाहे ज्ञान का प्रकाश हो, शिक्षा का, चाहे समृद्धि का या विकास का कोई क्षेत्र हो, आज ऊर्जा के द्वारा इन सबकी पूर्ति होना सम्भव हुआ है। इसके बिना इनकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् को 3 भागों में विभक्त किया गया है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से इसका लाभ विभाग को मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। हमारे बड़े भाई समर पाल जी अभी बोल रहे थे। उन्होंने कहा अधिकारी और कर्मचारी वही हैं तो तीन विभाग में बांटने से क्या लाभ होगा। मान्यवर, उद्योग विभाग में दो शब्द आते हैं "डिवीजन आफ लेबर" और एक है "स्पैसिलाइजेशन"। निश्चित रूप से जब किसी बड़े कार्य का श्रम विभाजन किया जाता है तो उससे हर विभाग के अन्दर स्पैसिलाइजेशन पैदा होता है और निश्चित रूप से इफिसिऐंसी बढ़ती है और उसका लाभ मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि तीन विभागों में विभक्त होने के बाद इसकी क्षमता बढ़ेगी और जो अक्षमता का वातावरण छाया हुआ था, वह दूर होगा। मान्यवर, मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से लगातार वह विधायकों के कहने पर पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण करा रहे हैं, यह बहुत बड़ा काम है। मुझे ध्यान है वर्ष 1993-94 में विद्युत विभाग ने ऐसे-ऐसे गांवों का विद्युतीकरण किया। जहां एक-दो मकान ही थे और वे गैर आबाद गांव थे जिससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन आज माननीय विधायकगण 5–10 हजार आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण करा रहे हैं, यह बहुत बड़ा काम है। वास्तव में पात्र ग्रामों का विद्युतीकरण हो रहा है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि नये-नये गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है और गांवों में भी लोग टी० वी० और फ्रिज लगा रहे हैं। इसके साथ ही नये-नये उद्योग लगाये जा रहे हैं अर्थात् विद्युत का उपभोग निरन्तर बढ़ रहा है। इसलिए विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है और मंत्री जी ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया है यह अच्छी बात है। फिर भी और अधिक विद्युत उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडियूस्ड। तो हम इसको संशोधित करें तो यह भी कह सकते हैं कि जो बिजली चोरी से बचायी गयी, वह उत्पादित की गयी, यानी बिजली चोरी रोकना भी उत्पादन करना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 20-20 हजार की आबादी के सेक्टर बना दिये जायं और प्रत्येक सेक्टर में एक इंस्पेक्टर या जे० ई० को जिम्मेदार बना दिया जाय। तहसील स्तर पर छापा मार दल बना दिये जायं और हर महीने प्रत्येक सेंक्टर में कम से कम एक

बार छापा अवश्य मारा जाय और जहां बिजली चोरी पायी जाती है या अवैध कनेक्शन पाया जाता है तो चोरी करने वाले व्यक्ति से तो अर्थदण्ड वसूला ही जाय तथा इसके साथ ही जो वहां सम्बन्धित जे० ई० अथवा इंस्पेक्टर है, उससे भी आर्थिक दण्ड वसूला जाय । जब तक विद्युत विभाग के अधिकारियों को चोरी का जिम्मेदार नहीं बनाया जायेगा तब तक बिजली की चोरी नहीं रुक सकती है ।

मान्यवर, जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनसे आप प्रति यूनिट दूनी दर से चार्ज करें और गरीबी रेखा से नीचे तथा किसान और मजदूर हैं, उनसे प्रति यूनिट आधी दर से तथा शेष लोगों से वर्तमान दर से रेट चार्ज किये जायं, यह मेरा सुझाव है ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मान्यवर, बिजली इलेक्ट्रान के प्रवाह से चलती है इसीलिए इसकी गति बहुत तेज है और तीन लाख कि०मी० प्रति सेकेण्ड इसकी गति है । टी०वी० पर विज्ञापन आता है कि जोर का झटका धीरे से लगे लेकिन विद्युत के बारे में इसका उल्टा है, धीरे का झटका बहुत जोर से लगता है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र के बढ़ापुर कस्बे की यही हालत है क्योंकि लाइनें बहुत पुरानी हो गयी हैं और सम्भवतः देश के आजादी के समय की हैं जिससे दुर्घटनायें होती हैं और लोग मर रहे हैं इसलिए लाइन को बदलने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, हमारे यहां एक कस्बा शेरकोट है जहां सब स्टेशन मंजूर है किन्तु नगरपालिका की जिस जमीन पर वह बिजली घर बनाया जाना है उसके सम्बन्ध में जिला प्रशासन कहता है कि चूंकि बिजली विभाग कामर्शियल विभाग है इसलिए बिजली घर लगाने के लिये नगरपालिका मुफ्त जमीन नहीं देगी । नगरपालिका शेरकोट पर बिजली विभाग का काफी बकाया है । मेरा निवेदन है कि जमीन की कीमत उस बकाये में एडजेस्ट करके सब-स्टेशन स्थापित किया जाय । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मुझे आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

मान्यवर, मंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो मैं समझता था कि प्रदेश की करोड़ों जनता के सामने जो योजना रखी जायेगी उससे किसानों को लाभ मिलेगा लेकिन मंत्री जी ने अपने बजट में किसानों के लिए कोई योजना नहीं रखी है जिससे किसानों का, छात्रों का विकास हो सके । मान्यवर, यह सरकार जो कहती है कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम कर रही है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है । गांव में बिजली सप्लाई की जा रही है । यह कहा जाता है लेकिन गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है । जिससे किसानों को मड़ाई की समस्या है । पूर्वांचल में जबर्दस्त वर्षा हुई जिससे जितने पुराने तार थे, लकड़ी के खम्भे लगाये गये थे वह टूट गये । हम चाहते हैं कि सीमेंट के पोल लगवा दें तो कठिनाई कम हो जायेगी । पूर्वांचल योजना में प्रस्ताव दिया जिला योजना में 1997-98-99-2000 में पूर्वांचल योजना में विधायक निधि में प्रस्ताव दिया लेकिन अधिशासी अभियन्ता, गोण्डा के निकम्मेपन के कारण विद्युतीकरण नहीं हुआ मंत्री जी ने कहा था कि अपनी निधि से पैसा दो तो विद्युतीकरण हो सकता है । पैसा दिया गया गोण्डा में जितने माननीय सदस्य हैं उन्होंने पैसा दिया लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ । मनकापुर में जो बगदर फीडर, मोतीगंज फीडर बड़ी लाइन है वहां सब लकड़ी के खम्भे हैं, जब हल्की फुल्की हवा चलती है तो खम्भे टूट जाते हैं, विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है ।

यह सरकार किसानों की गरीबों की बात करती है लेकिन किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है । राजस्व की जो वसूली होती है किसानों पर अगर दस रुपया भी बकाया होता है तो उनको

लाकर लॉकप में बंद कर देते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं जिन पर करोड़ों का बकाया है उनको सरकार हाथ भी नहीं लगाती है। वह इसलिए क्योंकि वह मिले होते हैं, अधिकारी मिले होते हैं उनसे वसूली नहीं करते हैं। गरीब आदमी को परेशान करते हैं। विद्युत बोर्ड को 1991-92 में 23 सौ करोड़ का घाटा और 1996-97 में 7 हजार करोड़ से अधिक का घाटा हुआ, घाटा कैसे पूरा करेंगे ? बिजली की जो चोरी करते हैं उनको पकड़ने की आवश्यकता है। किसानों को विद्युत आपूर्ति दी जाए। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। साथ ही जो मंत्री जी ने ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में बिजली पूरे समाज की आवश्यकता बन गई है बिना बिजली के कोई कार्य संचालित नहीं हो रहा है जैसा बजट प्रस्तुत हुआ है। उससे माननीय मंत्री जी की नीयत और नीति पर कोई संदेह नहीं है। सरकार चाहती है कि बिजली का उत्पादन अच्छा हो हर जगह शहरों में गांवों में बिजली दे सकें लेकिन बात यह है कि बिजली का व्यय ज्यादा है और उत्पादन कम है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि––

"मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की"

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद के बाद मेरे क्षेत्र उझानी बदायूं में 50 कोल्ड स्टोरेज हैं। बिजली की कमी के कारण अनेकों बार आलू सड़ जाता है, किसानों का इससे बहुत नुकसान होता है। उझानी एक औद्योगिक नगरी है। जहां तरह-तरह के उद्योग लगाये गये हैं वहां ठीक प्रकार से बिजली न आने के कारण उद्योग चौपट हो रहे हैं सबसे अधिक राजस्व उझानी देता है। यहां के उद्योगों को देखते हुए बिजली अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जाए। बदायूं की आबादी लगभग दो लाख है। यहां पर वोल्टेज बहुत डाउन होता है। आज भी नगरपालिका अध्यक्ष का फोन आया था उन्होंने बताया कि दो दिन से नगर में पानी नहीं आ रहा है वोल्टेज की कमी के कारण तो मैं यह चाहूंगा कि जो पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है वोल्टेज की कमी के कारण तो इसको ठीक कराया जाय। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में बिजली कम आ रही है और वोल्टेज कम आने के कारण जो ट्यूबवेल हैं वह चल नहीं पा रहे हैं। इससे किसानों को भारी असुविधा हो रही है। माननीय मंत्री जी ने पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिए दिये थे लेकिन अभी तक इनमें विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण की बात कही है। मैं चाहूंगा कि विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर स्तर के लोग बीस-बीस सालों से एक ही जगह पर पड़े हैं उनको वहां से हटाया जाय। वह लोग वहां के उपभोक्ताओं से संबंध रखे हैं और नाजायज पैसा वसूल रहे हैं। एक की मैंने शिकायत की थी। हालांकि उस समय उसका ट्रांसफर हो गया लेकिन फिर उसका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया और आज भी वह बदायूं में कार्यरत है। उसने दो सालों में भ्रष्टाचार में और बढ़ोत्तरी कर दी है। मैं चाहूंगा कि जो भी सुझाव मैने रखे हैं, उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

अब तक 20 माननीय सदस्य इसमें बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

मेरा अनुरोध सुन लें। इसमें अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें। मैं राम जग जी को पुकार रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी कृपया सहयोग करें । बैठ जायें । मैने राम जग जी का नाम पुकार लिया है ।

* श्री रामजग–

मान्यवर, ऊर्जा विभाग के बजट पर माननीय कुंवर रेवती रमण जी जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मैं यह महसूस कर रहा था कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम लागू करने के बाद कोई एक ऐसा सुधार लाकर किसानों, उद्योगों और अवाम के हित में कोई ऐसी घोषणा करेंगे जिससे उनको धन्यवाद दिया जा सके । लेकिन आपने जिस ढंग से बजट पेश किया है उससे निराशा ही हाथ लगी । आपने विद्युत बोर्ड को तोड़कर तीन निगमों में बांटा है और आपने खर्चा बढ़ाया है, कोई ऐसा सुधार नहीं किया है जो बहुत अच्छा काम किया हो । आपने विश्व बैंक के दबाव में आकर एक बड़े पूंजीपति के दबाव में आकर एक खिलवाड़ सा किया है । इस ऊर्जा सुधार के बाद ग्रामीण अंचलों में विद्युत व्यवस्था खराब हो गयी है वहां बिजली नहीं जा रही है । मान्यवर हरदोई जिले में ही 24 घंटे विद्युत आपूर्ति है । बाकी जिलों में खराब स्थिति है आप ग्रामीण अंचलों में 10 घंटे बिजली की बात करते हैं । आपने वेस्ट बंगाल की बात कही आप सत्तापक्ष और विपक्ष की एक टीम भेज दें वहां और देखें और अगर आप उनके नक्शे कदम पर चले तो काफी सुधार हो सकता है । वे अपने यहां विद्युत उत्पादन करके आसाम को बिजली देते हैं । ग्रामीण अंचलों में 18 घंटे से कम बिजली नहीं देते हैं । आप बाहर से बिजली खरीदते हैं ।

(व्यवधान)

जब से आपने इस विभाग को सम्भाला है, आपने इस विभाग का बंटाधार कर दिया है । आपने अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य को रोक दिया। केन्द्र सरकार की जो मलिन बस्तियों के ऊर्जाकरण की योजना है, वह ठप्प है,वह सब आपकी गलत नीतियों के परिणामस्वरूप है । अनुसूचित जातियों के ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो रहा है । आपने ग्रामीण अंचलों के विधायकों के लिए 5 ग्रामों के ऊर्जीकरण के प्रस्ताव की बात कही है । 2 वर्षों में विद्युतीकरण पूरा नहीं हुआ है । गांवों में गांव वालों से कहा जाता है कि ढुलाई का पैसा दें, गड्ढा खुद खोदें न गांवों में तार गये हैं न खम्भे गड़े हैं । आप राजस्व वसूली में घाटे की बात कहते हैं जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, कार्यालय हैं, उद्योग हैं, उनका लाखों रुपया बकाया है, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे लोग हैं, जिनके उद्योग बंद हैं, उन पर वसूली की कार्यवाही हो रही है, उनका बकाया गिना जा रहा है । मान्यवर, आजमगढ़ में 33 के० वी० उपकेन्द्र की स्थापना के लिए वर्ष 99-2000 में 97 हजार की धनराशि स्वीकृत हुई थी लेकिन आपने कहा कि धनाभाव के कारण इस उपकेन्द्र की स्थापना नहीं कर पायेंगे । मेरा कहना है कि जनहित में इसको पूरा किया जाय। मान्यवर, एक मिनट और दे दें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन का लक्ष्य है, वह मात्र 20 प्रतिशत पूर्ण किया गया है, यह गलत नीति के कारण है । मैं कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर को तोड़कर प्राइवेट सेक्टर में बेचकर आप सुधार नहीं कर सकते हैं । इसलिये इस पर पुनर्विचार करें और जो विद्युत बोर्ड को तोड़ा है उसको पुनः कायम करें। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

दूसरे माननीय सदस्य ने बोलना प्रारम्भ कर दिया है । अब आप समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं लखनऊ के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, लखनऊ में केवल दो 220 के० वी० के उपकेन्द्र लगे हुए हैं, एक चिनहट में और दूसरा सरोजनी नगर में। यह दोनों उपकेन्द्र लखनऊ में विद्युत आपूर्ति के लिए काफी नहीं हैं। मान्यवर, भारत के प्रधान मंत्री के द्वारा लखनऊ में हरदोई रोड पर 220 के० वी० का एक उपकेन्द्र, 132 के० वी० का खुर्रमनगर में, एक उपकेन्द्र तथा 8.33 के० वी० के उपकेन्द्र की आधारशिला रखी थी। यह खेद का विषय है इन सारे उपकेन्द्रों पर कार्य ठप्प है। जल्द से जल्द इसको पूरा कराने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाय, इस पर ध्यान दें। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लखनऊ नगर निगम की गणना के अनुसार लखनऊ में 8 लाख कन्ज्यूमर हैं किन्तु लेसा में 3 लाख कन्ज्यूमर लिस्टेड हैं और 5 लाख कन्ज्यूमर अनधिकृत तरीके से बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो यह 5 लाख लोग नाजायज तरीके से बिजली की चोरी कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान दें। लखनऊ में मीटर रीडिंग के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है, न बिल भेजने की समुचित व्यवस्था है जिसके कारण उपभोक्ताओं को रिबेट फायदा नहीं मिल पाता है इसकी व्यवस्था कराई जाय। चिनहट में जो 220 के० वी० का स्टेशन लगा हुआ है, वह इस समय बन्द पड़ा हुआ है और 10 दिनों से ट्रान्स गोमती में लोग एक-एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। इसलिये इसे ठीक कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, आज हमारे माननीय मंत्री जी 98-99 और 99–2000 में जो विधायकों को 5-5 गांव विद्युतीकरण के लिये दिया इसमें कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष उन्होंने गांव का नाम दे दिया और हम लोगों ने गांव का प्रस्ताव दे दिया लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ और वर्ष 99-2000 में इन्होंने एक आदेश जारी किया कि 5 लाख से ऊपर का व्यय एक गांव पर नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई-कई गांव ऐसे हैं जो बड़ी जनसंख्या के गांव हैं, उनका विद्युतीकरण पांच लाख रुपये में कतई नहीं हो सकता, उनमें कई पुरवे हैं, कई डेरे हैं। उन गांवों का विद्युतीकरण अभिलेखों में दिखा दिया जायेगा कि अमुक गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है, जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं चाहूंगा कि वह यह बतायें कि उनके बचे हुए शेष जो पुरवे हैं, उनको किस स्कीम में आप लेंगे, उनका विद्युतीकरण कब और कैसे किया जायेगा ? मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक ट्रांसफार्मर किसी किसान के ट्यूबवेल पर जाकर लगता है और दूसरे दिन वह ट्रांसफार्मर जल जाता है, मेरे संज्ञान में ऐसे-ऐसे गांव हैं, जहां लगातार 6-6 बार ट्रांसफार्मर जले हैं। एक किसान की स्थिति क्या होगी, इस बात का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं, 6-6 बार आपने भाड़े पर वह कैसे ट्रांसफार्मर को ले जायेगा और उसमें कितना समय खर्च होगा, ऐसे में उसको कितनी बिजली मिलती होगी, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसे कहीं न कहीं यह भी प्रयास होना चाहिए, यह भी आदेश होना चाहिए कि उन किसानों का विद्युत कर वसूली नहीं होगी।

एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा। जो बड़ी घनी आबादी के बाजार हैं, वहां 20-25 साल से पुराने तार लगे हैं, जब कनेक्शन चालू होता है तो वह तार टूट-टूट कर धमाके के साथ गिरते हैं, जिससे दुर्घटनायें होती हैं, न आप इससे अपरिचित हैं, न हम अपरिचित हैं,

इसलिए इन पुराने तारों को बदलने का काम अवश्य होना चाहिए । उन किसानों के दिल से पूछिये जो मौसम की मार झेल रहा है, जहां खराब मौसम चल रहा है, वह मड़ाई के लिये जाते हैं, लाइन है और खलिहान में पहुंचते-पहुंचते विद्युत कट जाती है, उन के मजदूर दिन भर खलिहान में बैठे रहते हैं, उनको पूरे दिन की मजदूरी देनी पड़ती है, उस दर्द को आप समझने का कष्ट करिये । मंत्री जी को आप निर्देशित करिये कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें, जिनसे उनको मड़ाई के समय पर्याप्त विद्युत मिले ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम प्यारे सिंह–

मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । हमारे यहां मुबारकपुर कस्बा है, वह बनारसी साड़ियों के व्यवसाय के लिये जाना जाता है जहां से विदेशों को साड़ियां जाती हैं. वहां पर सारे उद्योग बुनकर बनारसी साड़ी पर आधारित हैं लेकिन आज की तारीख में वह बुनकर रो रहा है, वह पश्चाताप कर रहा है क्योंकि विद्युत अभाव में वह साड़ियां तैयार नहीं कर पा रहे हैं । जो इस कार्य में मजदूर लगे हैं, उनके बच्चे, परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि वहां विद्युत आपूर्ति की 24 घंटे व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

मेजर जगन्न पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं । मैं माननीय ऊर्जा मंत्री श्री नरेश जी द्वारा रखे ऊर्जा बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो पीतल नगरी के नाम से विख्यात है, उसमें 35 प्रतिशत विदेशी मुद्रा वहां पर हैण्डीक्राफ्ट द्वारा अर्जित की जाती है । मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं । वहां फिलहाल कुछ दिन पहले भारी रकम देकर सारे विद्युतीकरण का सुदृढ़ीकरण कराया है । हम लोग आभारी हैं कि हम लोगों को जो 5-5 गांव विधायकों को दिये गये थे, इसके अतिरिक्त वहां पर जो मजरे भी थे उनमें विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, और भी गांव देने का आश्वासन दिया है, 5 गांव और मिलने के बाद पूरा हण्डरेड परसेन्ट विद्युतीकरण वहां हो जायेगा । मान्यवर, मेरा कष्ट यह है मेरा आधा क्षेत्र शहर में है और आधा देहात में है, देहात का कार्य पूरा है, शहर के लिए ये लोग धन आवंटित नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि शहर के लिए भी धन देने का कष्ट करें । हमारे क्षेत्र में लाइन काटकर विद्युत की बहुत चोरी होती है, इसे रोकने का कष्ट करें । जब गन्ने की पेराई होती है तो बिजली ग्रामीण क्षेत्र में हण्डरेड परसेन्ट रहता है और बाद में 5-6 घण्टे रहता है । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक जानकारी करना था कि सदन 12, 1 बजे तक चलना हो तो रात के भोजन का प्रबन्ध कर लें । कल रात 12.00 बजे तक हुआ था ।

* श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय कुंवर साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र महोबा, मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है । हमारी विधान सभा के 15 गांव ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश सीमा के अन्दर आते हैं, ऊर्जा मंत्री जी हमारे पड़ोसी रहे हैं और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राज्य मंत्री जी के भतीजे हैं लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया । माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश सीमा के गांव जो हैं, उनको लाइट होनी चाहिए । मैंने राज्यपाल वोरा जी से अनुरोध किया था, 1995 में कि यह गांव एम० पी० को दे दिये जाए जो अच्छा रहेगा तो मेरे जनपद में विधान सभा क्षेत्र में अंधकार रहता है । माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसका ध्यान दें कि मध्य प्रदेश से मुझे लाइट दिलायें । माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि उद्योग लगाने के लिए व्यापारी आ रहे हैं ।मैं ऊर्जा मंत्री से चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पड़ोसी हैं, कबरई में उद्योग लगे हुए हैं, 50 लगे हुए हैं, वहां 6 घंटे लाइट मिलती है और उद्योग बन्द होने की कगार पर पहुंच गये हैं । वहां पेयजल की समस्या है, चार-चार दिन पानी नहीं मिलता है, आदमी वहां आजिज हो चुका है कि लाइट आ जाये तो पानी आ जाये । यदि लाइट नहीं है तो पानी नहीं आयेगा । बांदा में लाइट हमेशा रहती है और पड़ोस में रहती नहीं है, मंत्री जी वहां ध्यान दें ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह जो सारे सदस्यों ने अपनी पीड़ा सदन के समक्ष रखी है तो आखिर क्या बात है कि हमारे द्वारा प्रसारित गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या बीमारी है । यह मैं बताना चाहता हूं । मुख्य अभियन्ता रेस्पो ने एक सर्कुलर जारी किया है कि उन्हीं रेवेन्यू विलेज का विद्युतीकरण होगा जो 5 लाख रुपया जमा करेंगे और अगर मजरे का विद्युतीकरण होना है तो 2 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा । इसके पीछे एक राज यह छिपा है कि साढ़े 35 प्रतिशत उस बजट में अनावश्यक जोड़ देते हैं जिसको आफीशियल और इस्टेबिलशमेंट चार्ज कहते हैं । माननीय सदस्यगण इस बीमारी से परिचित नहीं हैं । मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बीमारी को खत्म करें और रेवेन्यू विलेज या मजरे जो हैं, उनका विद्युतीकरण कराने की घोषणा करें । आज जो घोषणाओं का लालीपाप मंत्री जी ने दिखाया है और 25-25 कनेक्शन की बाध्यता करने जा रहे हैं तो यह लालीपाप न दिखायें । हर कीमत पर 5 गांवों का विद्युतीकरण करवायें और पिछले जो गांव बाकी हैं, उनका भी विद्युतीकरण करायें । मान्यवर, यह समस्या आपकी भी है, आपने बताया था इसलिये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए मैंने उसको कहा है ।

* श्री सतीश जतारिया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में अधिकतर गरमी का माहौल रहता है, 8 महीने वहां पर गरमी रहती है लेकिन बिजली नहीं मिलती है । मैं अपने झांसी जनपद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मंत्री जी ने कहा था कि 1999-2000 में 5-5 गांवों का विद्युतीकरण होगा वहअभी पूरा नहीं हुआ है । जो सदन में विधायक हैं उनके साथ दोहरी नीति अपनायी जा रही है । जो विपक्ष के विधायक हैं उनके साथ दूसरा व्यवहार किया जाता है और उनके यहां विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि सहायक अभियन्ता और जे० ई० बीस-बीस सालों से एक जगह पर विभाग में जमे हुए हैं । यही बिजली की चोरी करवाते हैं, ऐसे सहायक अभियन्ताओं को हटाया जाय । इसी तरह से जे० ई० ठेकेदारी करते हैं और बिजली के तार की चोरी करवाते हैं और जब तार चोरी हो जाता है तो वह गांव जिनका विद्युतीकरण हुआ था वह वैसे के वैसे रह जाते हैं । ऐसे जे० ई० को हटाया जाय । मान्यवर, आप भी झांसी से विधायक हैं । वहां पर जो खम्भे लगे हैं, उनके नीचे के हिस्से गल गये हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं और गाय, भैंस तथा आदमी दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं । मान्यवर, बबीना विधान सभा क्षेत्र में 33 के० वी० के सब स्टेशन और उपकरण की बात कही गयी थी लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हुई है, उसकी व्यवस्था की जाय । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन पर रेलवे का कोयला आया था, यह 19-4-2000 को आया था लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोयले को 10 दिन खाली नहीं किया गया जिससे 17 लाख रुपये का भुगतान रेलवे को किया गया है, इसके लिये वहां के जी० एम० को हटाया जाय । हमारे जनपद झांसी की विद्युत व्यवस्था ठीक की जाय, इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। बहुत संक्षेप में अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहूंगा । पिछले वित्तीय वर्ष में सिकन्दराबाद में 33 के० वी० ए० का सब स्टेशन बनाया गया । उसके चालू होने से पहले ही उसका 8 किलोमीटर तार चोरों द्वारा काट दिया गया। उसमें सरकार का पैसा वेस्ट हो गया और आज तक वह सब स्टेशन चालू नहीं हो पाया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का पैसा लगा है, उसका लाभ नहीं मिले तो उसके बनने से कोई लाभ नहीं है । जहां तक स्वीकृत गांवों के विद्युतीकरण की बात है । सभी साथियों ने कहा है, मेरे गांव भी विद्युतीकृत नहीं हो पाये हैं । अभी मेरे एक अतारांकित सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि एक ट्रांसफार्मर पर अगर ज्यादा ट्यूबवेल हैं, अगर किसी एक ट्यूबवेल मालिक का बिल भुगतान नहीं हुआ है और बाकी ने कर दिये हैं तो सबका कनेक्शन काट दिया जाता है । माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि यह व्यवस्था पहले से लागू है जिसका बिल जमा है, उसको बिजली मिलेगी । ऐसा नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, स्पष्ट आदेश होना चाहिए । पिछले वित्तीय वर्ष में मैंने कस्बा सिकन्दराबाद में 6 लाख रुपया शहर के लिये अपने विधायक निधि से दिया था कि वहां पर 40 साल से पुरानी लाइनें और खम्भे हैं, एक तो बिजली आती नहीं है अगर आती है तो तार टूट जाते हैं । जो मैंने पैसा दिया आज तक विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्य नहीं किया गया । अगर हम विधायक निधि से कुछ करायें तो उसका मानक तय होना चाहिए कि 2-4 या 6 महीने में कार्य पूरा कर देंगे । एक बात और कहना चाहता था कि अभी मेजर जे० पी० सिंह और एक माननीय सदस्य लखनऊ के बोल रहे थे और शहर के विद्युतीकरण की बात कर रहे थे कि इसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया । मुझे तो लगता है कि वह लोग ऐसे ही खड़े हो गये थे । यह 4 पन्ने की पुस्तिका है, उसको उन्होंने नहीं देखा। शहर क्षेत्र के विधायकों के लिए 15 लाख रुपये इस वर्ष दे दिया है । मैं अभी देख रहा था कि 15 लाख रुपया शहर क्षेत्र के विधायकों को दे दिया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े कस्बे, तहसील हेडक्वार्टर हर विधायक के क्षेत्र में हैं तो तहसील हेडक्वार्टर जहां डेढ़-दो लाख की आबादी के कस्बे हैं, उनके लिये भी यह व्यवस्था होनी चाहिए थी । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग होने वाले विद्युत पर जो रेट ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं, उद्योगों की अपेक्षा । जबकि अगर एक उद्योगपति की ठीक से वसूली कर ली जाये तो पूरे जिले का काम चल जाता है । एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा । मैंने सारी पुस्तिका पढ़ी और देखी । इसमें अकेले लखनऊ शहर के लिये 102 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । एक "इन्वेस्टमेंट स्कीम" बनायी है । शायद उसमें माननीय मंत्री जी के जिले हरदोई को भी ले लिया गया होगा । मान्यवर, यहां जरूरत है तो होनी चाहिए सारे प्रदेश के लोग रहते हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता था कि नेता सदन हमारे कस्बे के रहने वाले हैं वहीं पर पैदा हुए, वहीं पढ़े, वहीं बड़े हुए उनका कार्य क्षेत्र बुलन्दशहर रहा है । सिकन्दराबाद के लिए एक-डेढ़ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए थी । मुझे ऐसा लग रहा था कि नेता सदन जो पूर्व में रहे बजट भी सम्पन्न नहीं होता था जब तक अतरौली व अलीगढ़ का जिक्र न आ जाये । हमारे नेता सदन को इतना कमजोर मान लिया है कि उनके सिकन्दराबाद के लिए एक रुपये की भी व्यवस्था नहीं की है । यह मेरी आपत्ति है । बुलन्दशहर के लिए एक रुपया मंत्री जी ने नहीं दिया है । इसी के साथ मैं कुंवर रेवती रमण सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस बजट पर 29 सदस्य अपने विचार रख चुके हैं । अब शत प्रतिशत सदस्य अपनी बात कहें, यह सम्भव नहीं है । कुंवर साहब आप अपना कटौती भाषण का उत्तर भाषण रखें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

ऊर्जा का महत्वपूर्ण बजट है । यह सही है कि काफी सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे लेकिन अभी कम से कम 10 लोग और हैं जो बोलना चाहते हैं अगर यह हो जाए कि माननीय सदस्य जो बोलना चाहें वह लिखकर मंत्री जी को दे दें और ऊर्जा मंत्री जी उस पर कार्यवाही का आश्वासन दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमें स्वीकार है । हम खुद ही इसको मंगा लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय सदस्यों को आशंका है । इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्यों के पत्र कार्यवाही का पार्ट मानकर दर्ज हो जाएं और उसके बाद ऊर्जा मंत्री जी समुचित कार्यवाही का आश्वासन दे दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैंने खुद खड़े होकर कहा है ।

(व्यवधान के मध्य)

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये सभी सदस्य वैसे तो अपनी बात कह नहीं पाते हैं । बजट के अवसर पर कहने आये हैं । कृपया इनको दो-दो मिनट देकर सुन लिया जाय ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । सभी को शत प्रतिशत रूप से समय नहीं दिया जा सकता । लगभग 75 प्रतिशत लोग बोल चुके हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

साढ़े तीन बजे से बजट शुरू हुआ है । अधिकांश लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये । यह आवश्यक नहीं है कि सत्ता और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाय और फिर समाजवादी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता कुंवर साहब तो बोलेंगे ही वे सभी सदस्यों की बात ऊर्जा मंत्री पर उड़ेल दें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया । किसी भी बजट पर 29 लोग नहीं बोले हैं । यह कहना कि मौका न देना, किसी भी प्रकार से उचित नहीं लगता । कृपया संयम का परिचय दें । हम स्वयं प्रयास कर रहे हैं कि अधिकांश सदस्यों को बोलने का अवसर मिले । मैं अब केवल चार सदस्यों को दो-दो मिनट का समय दे रहा हूं ।

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के नगर कुसमरा में 33 के० वी० ए० का एक सब स्टेशन 1988 से निर्माणाधीन है, जिसकी बाउन्ड्रीवाल और कंट्रोल रूम भी बन गया है, मैंने माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया, परिषद् में भी मैं गया मैंने माननीय मंत्री जी को 5 अप्रैल, 1999 को पत्र भी दिया और मुख्य अभियन्ता रेस्पो का भी पत्र मेरे पास आ गया है कि शासन की ओर से इस पर धन आ गया है और 31 मार्च, 1999 तक इस कार्य को पूरा होना था, मार्च, 2000 भी चला गया है लेकिन आज तक उस पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। मैं इस संबंध में बार-बार निवेदन करता रहा हूं। इस सब स्टेशन के न बनने के कारण किसान लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कुसमरा के सब स्टेशन के निर्माण कार्य को जल्दी पूरा कर इस सब स्टेशन को चालू करवाया जाय ताकि किसानों और लोगों को उसका फायदा मिल सके।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, किसको अवसर देना है और किसे नहीं, यह आपका अधिकार है। परन्तु संसदीय परम्परा यह रही है कि दलीय संख्या के आधार को भी ध्यान में रखा जाता है। समाजवादी पार्टी के तीन माननीय सदस्य लगातार बोल चुके हैं। इसलिये हमारी ओर से भी आप श्री पुष्कर जी को बोलने का मौका दीजिये। फिर आप उधर के तीन लोगों को बुलवा लीजिये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप एक विज्ञ सदस्य हैं। जब आप बोल रहे थे तो क्या उस समय कोई समय सीमा नहीं थी। आपके दल के अधिकांश उपस्थित सदस्य बोल चुके हैं। कृपया करके आप बैठ जायं। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप रिकार्ड देख लीजिये कि कौन कितने समय तक बोला है। यदि हमारा अधिकार नहीं बनता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आपका ध्यान आजमगढ़ जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में बिजली की कटौती हो रही है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ब्लाक तहबरपुर में बहुत कम बिजली आ रही है तथा बनकट और कन्दरापुर फीडर हैं। बिजली 15-15 दिन तक नहीं आती है। हमारे जिले में शहर के आस-पास दो नये सब स्टेशन बन रहे हैं जो कि 97-98. 98-99 में स्वीकृत हुए थे, मगर अभी चालू नहीं हुए।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी है। अब आप समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आजकल गेहूं की मड़ाई का कार्य हो रहा है। गेहूं खेत में पड़ा है और बरसात के कारण भीग भी गया है। आपसे यह निवेदन है कि किसानों के हित में 10–15 घंटे बिजली गांवों में दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, यह जो बजट पुस्तिका है इसके अन्दर कोई नया प्राविधान नहीं है। विभाग के कर्मचारियों की

लापरवाही से बिजली के करेन्ट से जो लोग मर जाते हैं, उनके मुआवजे के भुगतान के लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं है । हमारे यहां 24 मई को एक 28 वर्ष के युवक की मृत्यु हो गयी । इसलिये निवेदन है कि आपके माध्यम से इस तरह से मृत्यु हो जाने पर उनके पारिवारिकजनों को मुआवजे का प्राविधान बजट में किया जाय । आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तीन साल पहले स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत बिजलीकरण हुआ था लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं रखे गये हैं । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

मान्यवर, यह जो विभाग का विघटन हुआ है, उसके अन्दर जो बच्चे हैं, उनका यूनिवर्सिटी से उनका रिजल्ट आ गया है लेकिन साक्षात्कार का कोई प्रोविजन नहीं है जिससे उनके प्रमोशन रुके हुए हैं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग व श्री बाल चन्द्र मिश्र के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह–

यह तीन अधिष्ठाताओं का मामला है । एक वहां पर हैं, दो यहां पर हैं । आप तय कर लें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कल लोक निर्माण विभाग के बजट पर माननीय सदन में माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में अपने विचार प्रकट किये, यह प्रसन्नता की बात है । आज भी विद्युत विभाग का बजट रखा गया है और उस पर कटौती का प्रस्ताव माननीय रेवती रमण सिंह जी जैसे वरिष्ठ विद्वान और अनुभवी सदस्य द्वारा रखा गया है । 30 सदस्यों के ऊपर माननीय सदस्य अपने विचार रख चुके हैं । क्या-रोज-रोज इस सदन में 11 बजकर 60 मिनट मनाये जायेंगे ?

(व्यवधान) (एक सदस्य के 12 बजे कहने पर)

मान्यवर, मेरे अधिकारों की रक्षा करें । वैसे मेरे बिरादरी के बहुत लोग इधर बैठे हैं । आप इसका पटाक्षेप करा दें । प्रश्न उपस्थित कराकर बजट पास करा दें । माननीय सदस्य किसी और दिन अपनी भड़ास निकाल लेंगे ।

(व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें । आप लोग बैठ जायं । मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री गोपाल कृष्ण और अरविन्द गिरि जी आप अपनी बात मंत्री जी को लिखकर दे देंगे और मंत्री जी कृपया आप ध्यान दे देंगे ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मा० अधिष्ठाता महोदय, लगभग 32 माननीय सदस्यों, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री लालजी वर्मा, श्री नवाब सिंह नागर, श्री कौकब हमीद, श्री पूर्णमासी पंकज, डा० अशोक बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री अम्बरीष कुमार, डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी, विद्यासागर गुप्ता, श्री समरपाल सिंह, श्री राम औतार शाक्य, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री पुष्कर जी आदि 32 माननीय सदस्यों ने इस ऊर्जा विभाग के महत्वपूर्ण बजट की चर्चा में भाग लिया । मैं इन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट

करता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये और इसके साथ ही मैं उनको बधाई भी दूंगा भले ही उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया हो लेकिन जो बातें हमने कहीं उसी बात को उन्होंने अपने माध्यम से वहीं बातें उन्होंने दूसरे शब्दों में कहने का काम किया है। मान्यवर, हर क्षेत्र में समस्या है, हर जगह लोग परेशान हैं चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों के क्षेत्र का सवाल हो या मंत्री जी का क्षेत्र हे। मान्यवर, ऊर्जा आज जनजीवन से जुड़ा है और यह इतना बड़ा विभाग है कि आज इतना बहुआयामी विकास के लिये कोई दूसरा विभाग नहीं है। इसलिए ऊर्जा विभाग के महत्व को देखते हुए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी तक जो कार्यकलाप थे उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारे किसान हैं उनके लिये दुनियां के जितने विकसित देश हैं चाहे फ्रांस, चाहे जर्मनी अथवा अमेरिका ही क्यों न हो सब जगह उनको सब्सिडी दी जाती है लेकिन मैंने देखा इसमें अब जो प्राविधान किया जा रहा है उसमें किसानों की सब्सिडी को समाप्त करने का काम किया जा रहा है जब सब्सिडी को समाप्त कर देंगे तो इसका नतीजा होगा, जो किसानों ने हमारे देश में अन्न का संकट था पी० एल० 480 द्वारा अमेरिका से गेहूं आयात कराते थे तब किसानों ने कीर्तिमान स्थापित किया और हमारा देश आज अनाज के निर्यात करने वाले देशों में से एक हो गया है। जब आप जवाब देंगे तो इस बात को आप स्पष्ट करियेगा कि सब्सिडी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी अगर रहेगी तो कितना रहेगी। निजी क्षेत्र को ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करा रहे हैं एक उदाहरण है नोएडा में गोयनका को 93 में लाइसेंस दिया गया उसके बाद समझौता किया गया कि पांच साल के अन्दर वह अपना विद्युत गृह स्थापित करा लेंगे और उसके द्वारा नोएडा को बिजली सप्लाई करेंगे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह समय 1998 बीत गया। 110 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया है उन्होंने आपकी तत्कालीन परिषद् को भी नहीं दिया। जहां तक मुझे सूचना है उन्होंने आपके निगम को भी देने का काम नहीं किया। निजी क्षेत्र में ऐसे ही लगायेंगे पूंजी निवेश करायेंगे तो जैसी योजना है। कानपुर शहर और ग्रेटर नोएडा को पूंजीनिवेश कराना चाहते हैं इसके लिए क्या प्राविधान किया गया है जिससे इस बात की गारन्टी हो सके 16 प्रतिशत की गारन्टी आप दे रहे हैं राज्य विद्युत परिषद् को तीन परिषद् की गारन्टी नहीं दी, इसके बावजूद इस बात की गारन्टी है कि वह पूंजी निवेश करेंगे ही और पूंजीनिवेश करके उस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने का काम करेंगे। इन क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात है।

मैंने एक बात कही है जो बिजली के तार काटे जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए यह संक्रमण रुकना चाहिए यह पूरे प्रदेश में है और प्रोफेशनल तौर पर है। जो इस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से सम्पादित करते हैं इसके दो उपाय हैं एक तो यह कि ऐसे लोगों के ऊपर एन० एस० ए० लगाया जाए इससे कम का प्राविधान न हो। पुलिस क्षेत्र में अगर एक बार से ज्यादा बार चोरी होती है तो वहां के एस० ओ० के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हो, प्रभावी कार्यवाही का मतलब यह है कि उसको निलम्बित किया जाना चाहिए इसमें पहल करें तो काफी सफलता मिलेगी। बिजली की वसूली में एक पैमाना बनाना पड़ेगा ताकि जो सरकारी विभागों में बकाया है लगभग दो हजार करोड़ का बकाया है इनसे वसूली कैसे करेंगे जो टैरिफ बढ़ाया है उससे तो बकाया और ज्यादा बढ़ जाएगी वसूली के लिये अलग से तय करना पड़ेगा ताकि वसूली समय से हो सके। एक बड़े बकायेदार हैं एक छोटे किसान हैं और एक घरेलू बिजली चलाने डोमेस्टिक हैं। उसमें मेरी राय है कि आप जगह-जगह कैम्प लगायें। उसमें जो बिल जमा कर दें, पहले भी छूट की सुविधा थी अब भी है उनको छूट देने का काम करें और जो पैसा आयेगा, जो आप नये निगम बना रहे हैं उसको काफी लाभ उससे मिलेगा। तीसरी बात जो इंजीनियर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं मिलना चाहिए तथा जिन इंजीनियर का काम अच्छा है उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना चाहिए। एक सुझाव मेरा यह भी है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को एक जिले में तीन साल रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश को आगे आप ले जाना चाहते हैं, इसकी तरक्की चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि

इस प्रदेश को "तमसो मा ज्योतिर्गमय" जो अंधेरा छाया हुआ है उसको समाप्त करके उजाले की ओर ले जायें। मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य पूरनपुर के कुछ सुझाव हैं मैं उनको माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वे इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं कुंवर रेवती रमण सिंह सहित अन्य उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने विचार अपने सुझाव इस सदन के माध्यम से ऊर्जा विभाग को दिये। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं जो सदस्य बोले हैं या जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने लिखकर अपने सुझाव दिये हैं, देंगे उनके सुझाव को भी वही महत्व दिया जायेगा जो बोलने वाले सदस्यों को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा कि विद्युत की वसूली रेवेन्यू की बढ़ोत्तरी के लिये निर्णय लिया है यू० पी०पावर कारपोरेशन चीफ जोनल इंजीनियर से एम० ओ० यू० साइन करायेगा और वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से साइन करायेगा। इस व्यवस्था को हम लागू करने जा रहे हैं। इसके लागू होने के बाद जो विद्युत का लाइन लास है जो चोरी होती है उसमें रोक लगेगी। हमने टार्गेट रखा है, जो हमने विश्व बैंक को टैरिफ दिया है वह पांच प्रतिशत लाइन लॉस कम करना पांच प्रतिशत रेवेन्यू की बढ़ोत्तरी का दिया है जबकि फाइनेंशियल में एक प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ाना तथा एक प्रतिशत लाइन लॉस को कम करने का था। मान्यवर, कुछ घोषणायें करना चाहता हूं। 5-5 गांवों के विद्युतीकरण की योजना हम विगत वर्ष से दे रहे हैं इसमें कुछ सदस्यों ने कहा कि हमने उसमें बंधन लगा दिया है। देखने में आया है कि गांव का विद्युतीकरण करने के बाद एक भी कनेक्शन नहीं लिया जाता है कटिया लगाकर कार्य होता है। अब हम उन्हीं गांवों का ऊर्जीकरण करेंगे जहां कम से कम 25 कनेक्शन आ जायें। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इस वर्ष घोषणा करते हैं कि दोनों सदनों के सभी सम्मानित सदस्यों को, जिन गांवों का नाम देंगे, 5-5 गांवों को फिर से विद्युतीकरण देंगे (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) शहरी क्षेत्र के विधायकों को यद्यपि 15 लाख रु० के कार्यों की संस्तुति की व्यवस्था है उसे बढ़ाकर 20-20 लाख रु० देंगे उनका काम करने के लिये जो वे संस्तुति देंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जो आधे शहर में हैं आधे गांव में हैं। इसमें आप सभी के लिये या तो 20 लाख रु० की राशि तय कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिये तो मंत्री जी बैठ जाते हैं और अनुमति देते हैं तो सदस्य पूछ सकते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ट्यूबवेल के कनेक्शन की बात उठी। यह सही है कि जो पिछले वर्ष लक्ष्य था कम लक्ष्य लिया गया। 15 हजार करना था, 11.704 कर पाये इसके बाद रोक दिया। इस बार 10 हजार ट्यूबवेल के कनेक्शन की घोषणा कर रहे हैं और धनराशि जारी कर रहे हैं। मान्यवर, बहुत क्षेत्रों में लम्बी लाइने हैं। इसमें 33 के०वी०ए० सब स्टेशन की बात थी इस सरकार ने निर्णय लिया है कि 90 33 के०वी०ए० के स्टेशन इस वर्ष बनायेंगे माननीय सदस्यों के अनुरोध पर, उसमें प्राथमिकता ली है जो अधूरे पड़े हुए हैं उसके साथ ही नये पर काम शुरू करेंगे। बहुत से सदस्य इस बात को कह रहे थे कि लाईट एण्ड फैन का कनेक्टिंग लोड है, उसके केलक्यूकेशन की बात थी, जो बोर्ड का पुराना तरीका था उसमें जितने भी

बल्ब फ्लग लगे थे उनके आधार पर गिने जाते थे स्थिति यह है कि आज एक इंजीनियर अगर चाहे तो किसी को भी चोर बना सकता है उस पर जुर्माना कर सकता है । हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है । इसलिये घोषणा कर रहे हैं कि इसका सरलीकरण करेंगे अभी फाइनल शेप नहीं दे पाये हैं । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह बात आयी कि बिजली के बिल को कम ज्यादा किया जाता है समय पर बिल नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर छूट का लाभ नहीं मिल पाता है । यह तय किया गया कि अब हर जिले में विद्युत अदालत का गठन किया जायेगा इस पांच सदस्यीय अदालत को जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें जो एस०आई० होगा अध्यक्ष होगा अधिशाषी अभियंता सदस्य सचिव होगा वहां जो लेखाधिकारी होंगे सदस्य होंगे या वही लेखाकार होंगे । इसके साथ ही 2 गैर सरकारी सदस्य उसमें रखे जायेंगे 15 तारीख तक उपभोक्ता उसमें अपनी शिकायत दे देंगे और अंतिम रविवार को माह की अदालत लगेगी जिससे समस्याओं का निराकरण हो सकेगा । इसमें हमने एल० एम० वी० 1,2.5.6 चार श्रेणी के उपभोक्ताओं को लिया है । मान्यवर, हाई पावर कमेटी की बात उठायी माननीय कुंवर साहब ने, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विद्युत लोक अदालत का गठन किया जायेगा जो कि प्रदेश स्तर पर लगेगी, एरिया जो हमारे चार है लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और देहरादून ये 4 अदालते महीने में लगा करेंगी । इसमें एक माननीय हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को अध्यक्ष और मुख्य अभियन्ता वाणिज्य को मेम्बर बनायेंगे, जो बड़ी शिकायते हैं, हाई पावर कमेटी की बात कही गयी है, तो उनकी जांच और उनके निस्तारण के लिये दावा किया जायेगा जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह दबाव में किया गया है । माननीय वर्मा जी बुनकरों की बात उठाते हैं । अधिभार बुनकरों पर लगा हुआ है क्योंकि बहुत दिनों से बिल उन्होंने जमा नहीं किया है, किसानों को 31 मई तक छूट दी थी कि जो भी किसान 31 मई तक बिल दे देंगे उन्हें 50 प्रतिशत सरचार्ज पर छूट देंगे यही छूट हमने बुनकरों को देने की घोषणा करी है, यह 30 जून 2000 तक लागू रहेगी । इस बीच जो बुनकर बकाया की धनराशि दे देंगे तो उन्हें 50 प्रतिशत सरचार्ज का माफ कर दिया जायेगा ।

श्रीमन्, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने एक बात उठाई किसानों को सब्सिडी देने की, हमने जो टेरिफ को भेजा है नियामक आयोग के सामने, जो अखबारों में पब्लिश होने जा रहा है जिसमें आपत्ति देने का अधिकार सभी को है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 8 करोड़ रुपये सब्सिडी, यह हमने दिया है कि 5 प्रतिशत लाइनलास कम करेगें । 500 करोड़ रुपये और 5 प्रतिशत वसूली लक्ष्य का 500 करोड़ तो 1800 करोड़ रुपये राज्य सरकार की छूट के साथ यह टेरिफ दायर किया गया है उसके बाद राज्य सरकार को यह अधिकार है कि किस वर्ग को अधिक छूट दें । किसानों को इस हिसाब से पी०टी०डब्लू० 40 रुपया है वह बढ़कर 55 रुपया हो गया, लाइट और फैन का ग्रामीण अंचल में 52 रुपये था वह बढ़कर 80 रुपये हुआ है यह हमने दायर किया है इस पर और छूट देने का अधिकार है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो हमने कर दिया है उसको नियामक आयोग मान ही ले । यह नियामक आयोग क्या दर तय करेगा उसके बाद तय करगें कि और क्या सब्सिडी देनी है । श्रीमन् भारत सरकार द्वारा काउन्टर ग़ारन्टी की बात उठायी तो अब भारत सरकार कोई काउन्टर गारन्टी नहीं देती है । अब आई० पी० पी० एस० रूल्स द्वारा सरकार को गारन्टी का अधिकार है । टाण्डा की कास्ट के बारे में बात कही गयी टाण्डा में 3.29 पैसे प्रतियूनिट थी, सरचार्ज जोड़ लीजिए तो 2.00 और हो गया । 3.29 पैसे की जगह जो हमने साइन किया है वह 3.73 पैसा प्रतियूनिट खरीदेगें तो 4-5 रुपये में खरीदेंगे ऐसी बात नहीं है । जहां तक आपने हाई पावर कमेटी की बात कही, हाई पावर कमेटी में बड़े पॉलीटिकल इन्टरफियरेंस की बात कही, तमाम सजेशन भी दिये, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन की बात कही गयी थी । अगर हम हाई पावर कमेटी को मानक मान लें, तो यह कहां उचित है ? यदि हाई पावर कमेटी इस प्रदेश के कोने में गई होती, किसानों के पास, राजनीतिक लोगों की स्थिति को उसने थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद रिपोर्ट देते वक्त उन्हें भी लगता कि रिपोर्ट सही नहीं है । यहां यह भी कहा गया कि इंजीनियर को ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बना दिया गया है । मैं बताना चाहूंगा कि यह

सरकार पहली सरकार है, जिसने निर्णय लिया है कि यदि किसी इंजीनियर के खिलाफ 3 इंटेग्रिटी डाउट है, या जिसकी एक बार वेतन रोका गया हो, उसको वर्किंग पोस्ट पर नहीं रखेगें, यह पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में हुआ है, हमने पारदर्शिता रखी है, यह सही है कि हम पर राजनीतिक जोर पड़ता है, इसे आप भी जानते हैं। इस बार यह भी निर्णय लिया गया है कि इंजीनियर की पोस्टिंग उसकी मर्जी से नहीं होगी। जहां उसकी जरूरत है, वहां पोस्टिंग होगी। पहले जो जिद होती थी कि हम इस पोस्ट पर ही रहेगें, इसके अलावा कहीं नहीं जायेगें, इस बार वह जिद नहीं मानी जायेगी।

आपने सोमानी स्टील्स वाली बात उठायी। यह ठीक है कि सोमानी स्टील्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कठघरे में खड़ा कर लिया और सोमानी स्टील को जो कनेक्शन दिया गया था, उस वक्त हम ऊर्जा मंत्री नहीं थे, हमसे पहले वाले ऊर्जा मंत्री थे या फिर गवर्नर रिजीम था। दोनों तरह की बातें आती हैं। हजारों-करोड़ों खर्च हो गये होगें, और विवाद के कारण बंद कर दिया जाय, इससे उत्तर प्रदेश के उद्योगों को धक्का लगता है। हमारे विद्युत परिषद् के लोग मानते हैं कि टैरिंग करके कनेक्शन दिया गया था, वह सही दिया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इस मारे कनेक्शन नहीं जुड़ा और वह उद्योग बंद है। लोगों ने कहा शायद इसीलिये उन्नाव में बिजली कटौती जारी है। उन्नाव के विधायक नये हैं, आप उनसे पूछ लीजियेगा। अगर कहीं विद्युत कटौती होती है तो वह किसी उद्योगपति के कारण किसी जिले की बिजली जा रही हो, ऐसा नहीं है। 6 लाख फर्नेसेस प्रतिमाह देते थे, अब हम लोगों ने साढ़े 18 लाख किया है, यह 3 टाइम बढ़ाया है।

मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसके समय में लेटेस्ट इलेक्ट्रानिक मीटरिंग चालू की गयी है। हम विद्युत चोरी को रोकेंगे, यह अब 41 प्रतिशत पर आ गयी है, पहले 50 तक चली गयी थी। यह विश्वास रखिये कि कोई भी विद्युत चोरी इस सरकार के हाथों बच नहीं पायेगा। किसी को भी हमने चोरी करने के लिये बढ़ावा दिया हो, ऐसा भी नहीं है। हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री विवेक सिंह बैठे हैं, यह तो सिम्बल हो गये हैं, इनको देखकर लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं कि मीटर देखने वाले आ गये हैं। हम लोगों ने जागरूकता पैदा की है। लोगों के अन्दर ऐसी नीयत होनी चाहिए कि हमको बिजली का बिल देना है, इसके लिये हमने सघन अभियान चलाया है। अब इस बजट के बाद हम इसे और तेज करेंगे, बकायेदारों की बिजली काटेंगे जो लोग चोरी कर रहे हैं, उनके लिये बिजली चोरी रोकने के लिये नया ऐक्ट बना रहे हैं, जिसको जल्द ही सदन में लायेंगे। जैसा कि हमारे साथियों ने आशंका व्यक्त की है, 3 निगम बनाये हैं, तो निगमों का कार्य अच्छा न हो। वह आशंका आपकी माइनस में नहीं जायेगी, बल्कि पाजिटिव रहेगी। यह ठीक है कि हमने वर्ल्ड बैंक को पत्र लिखा लेकिन मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं तब तक ऊर्जा मंत्री रहना स्वीकार करूंगा, जब तक इस प्रदेश के हितों को नुकसान नहीं होगा। और मैंने पत्र में यही शब्द लिखे थे कि मैं इस देश का प्रथम नागरिक हूं, उसके बाद किसी विभाग का मंत्री हूं। विश्व बैंक की शर्तों को मैंने देखा, मैंने बैठकर डिस्कशन किया इस पत्र के बाद जो सारे मानक हमारे विद्युत परिषद् ने बनाये थे यह जरूर है डी० डब्लू० टी० में दस्तखत करने के बाद हम बंधे हैं जो हमें वीडिंग देनी पड़ेगी वह इन्टरनेशनल वीडिंग देनी पड़ेगी, सब मानकों को देखने के बाद ही हमने स्वीकार किया है, कहीं भी शंका है आप लिखकर भेज देंगे, कोई भी सत्य पाया जायेगा, मैं कोई समझौता नहीं करने वाला हूं। मेरा मानना है कि पहले देश का नागरिक हूं हमारे लिए जरूरी है। मान्यवर, टिहरी प्रोजेक्ट की बात उठी, 2002 टिहरी प्रोजेक्ट-दो प्रथम चरण चलाने की बात है, सेकेन्ड गेट बन्द हो रहा है लेकिन कुछ विस्थापितों को हटाने के लिये और कुछ लोगों के आन्दोलन के मारे यह प्रोजेक्ट लगातार डिले हो रहा है। हमने उत्तरांचल के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से बात की थी। हमने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है, हम लोग टिहरी जायेंगे और वहां के प्रतिनिधियों से बैठकर इसका समाधान निकालेंगे यह इस प्रदेश के लिए चलना बहुत जरूरी है डिले होने से इसकी लागत बढ़ गयी है, शेयर हम नहीं दे पाये इससे उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी घटेगा। मैं फिर कह रहा हूं

ओबरा की बात उठी, हम उसे किसी को नहीं देने जा रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूं कि ओबरा न बिकने जा रहा है न देने जा रहे हैं, ओबरा का हम नवीनीकरण करने जा रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा आपने पिछली बार भी टाण्डा के बारे में कहा था आपने कहा था कि हम टाण्डा को कतई नहीं बेचेंगे। आप कहते हैं और सदन मान भी लेता है लेकिन बाद में क्या होता है, विचारणीय है, उस पर विचार करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं आश्वासन दे रहा हूं इस वर्ष नवीनीकरण शुरू हो जायेगा, 12-14 सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, तब शंका का समाधान हो जायेगा, जब काम शुरू हो जायेगा। आपने परचेज में कुछ आरोप लगायें हैं. ट्रांसफार्मर रिपेयर में आरोप लगाये कि कुछ को कम में दे दिया गया और कुछ को अधिक में दिया गया। यह बात पिछले बजट में भी उठी थी। हमारे बोर्ड की सी एस पी सी है जिसमें बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और शासन के लोग बैठते हैं और एक-एक बिन्दु पर एक-एक चीज पर निर्णय होता है और देखा जाता है कि सामान की गुणवत्ता क्या है। सप्लाई की क्या पोजीशन है इन चीजों को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाता है। जहां तक पोल की बात कही गयी यह सत्य है कि जितने पोलों की जरूरत है उतने उत्तर प्रदेश में बन ही नहीं रहे हैं। जितने पोल ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये चाहिए उतने उत्तर प्रदेश में बन ही नहीं रहे हैं। इसलिये जो इंडस्ट्री बना रही हैं वह जितने पोल बना सकती है वह बनाकर हमें दे दें। मान्यवर, निजीकरण की बात कही गयी है, आपने कहा है कि 16 प्रतिशत प्राफिट की गारंटी कैसे लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज निजीकरण इसलिये कर रहे हैं जिससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण मिले। हमने एम० ओ० यू० में कहा है कि हम निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करेंगे, हमने कर्मचारियों नेताओं से कहा है कि हम जनता के हित में निर्णय लेंगे और निजीकरण में पारदर्शिता रखेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने कहा कि निजीकरण में बुक वैल्यू पर बेच देंगे हमने टांडा को बुक वैल्यू पर नहीं दिया है। कितना खर्च आता है, हमने सब्सिडी पर देने की बात कही है। हम बैंक के इक्विटी शेयर के अनुसार 16 परसेंट की गारन्टी लेंगे। टोटल पैसे पर 16 परसेंट की गारन्टी लेंगे। कैपिटल पर ब्याज से ज्यादा देने की बात हमने नहीं कही है। ऐसा नहीं है कि निजीकरण के बाद दाम ज्यादा बढ़ जायेंगे, ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र को मुनाफा कमवाना सरकार का काम रह गया है। पारदर्शिता को कायम रखते हुए निजीकरण किया जायेगा। इसीलिये हमने केस्को बनाया है उसको अपना सिस्टर कंर्सन बनाकर काम शुरू करेंगे और बाद में निजीकरण पर उसको ले जायेंगे। उसके लिये बिडिंग हुई है और टाटा कंसलटेंसी जैसी कम्पनियां भी आयी हैं। आप लोग कहते हैं कि बाम्बे जैसी बिजली की सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कानपुर के जितने लोग हैं उन्होंने हमसे कहा कि इतनी देरी क्यों कर रहे हैं निजीकरण जल्दी करिये। निजीकरण जनता चाहती है उसके सामने दर की समस्या नहीं है उसको 24 घंटे बिजली चाहिए इसलिये निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मान्यवर, एन० सी० पी० एल० की बात उठायी गयी कि उसमें बहुत विवाद है। जब यह हुआ था तो उस समय गवर्नर रूल था। जल्दी जल्दी में समझौता हुआ था उसमें ऐसी स्थिति आयी कि उसका पालन नहीं हो सका। उन्होंने जो पावर स्टेशन लगाने की बात कही थी वह किन शर्तों पर लगेगा इसका जिक्र नहीं है। माननीय कल्याण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और तय हुआ था कि एन० सी० पी० एल० के साथ एक एम० ओ० यू० साइन किया जायेगा दूसरा कंडीशन के साथ साइन करेंगे। इसी बीच बेग कमेटी बनी। बेग कमेटी ने दिसम्बर, 1999 में निर्णय दिया है। 5-12-99 को बेग

अवार्ड आया 1.63 पैसे का तय हुआ था 1.66 का । वह हमें 1.39 दे रहे थे । उन पर 88 करोड़ रुपया निकल रहा था हमने कहा कि हमारा रुपया दीजिये । वह माननीय उच्च न्यायालय गये, उच्च न्यायालय ने स्थगन करके कहा कि नियामक आयोग को भेज दें वह इसकी दर को तय करे । सरकार की ओर से लॉ-ओपिनियन आयी कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है । ऐसा नहीं है कि जो पैसा निकलेगा उसको नहीं लेंगे । यह निजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी अगर हम इस निजीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही इसको तोड़ देंगे तो इस प्रक्रिया में लोग नहीं आयेंगे । जब जो फाइनल स्टेटमेंट होगा वह हम छोड़ देंगे ऐसा नहीं है । यह विश्वास मानिये एक-एक पैसे की वसूली कर लेंगे । सरकार की शक्ति के आगे उनकी शक्ति क्या काम करेगी ? यह तो आप भी समझ सकते हैं ।

निजी क्षेत्र का पावर स्टेशन लगाने की बात यहां माननीय सदस्यों ने उठायी, यह पूछा कि उनकी क्या स्थिति है ? परतापुर की बात आयी, रोमा मल्कानी जी की बात की गयी । मान्यवर, 2 हजार मेगावाट के पावर स्टेशन लगाने की कास्ट 8 हजार करोड़ रुपये आती है । रोमा मल्कानी जी आयीं, माननीय कल्याण सिंह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई उन्होंने हमसे कुछ शर्तें तय की, उन्होंने 7 महीने का समय मांगा, हमने 12 महीने का समय दिया । फाइनल एसाइन्मेंट कहां पर करेंगे इसका कोई जिक्र नहीं आता था रुपये की बात आयी तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक हमारे लिए राजी हो गया है लेकिन वर्ल्ड बैंक में इसका कोई जिक्र नहीं था । वह किसी प्रकार से भी नहीं बना सकती थी, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे रद्द किया । हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि मेगा प्रोजेक्ट में लेकर इसे लगवा दें । हमारे 3 प्रोजेक्ट विष्णु प्रयाग, श्रीनगर एवं रोजा हैं जिस समय मैंने बजट रखा था उस समय मैंने जिक्र किया था । आदरणीय प्रधान मंत्री जी से सरकार ने अनुरोध किया है कि इस महीने के अन्त में या अगले महीने के शुरुआत में विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट का श्रीगणेश कर दिया जाय, वह फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, रुपया भी मिल गया है । रोजा प्रोजेक्ट भी अन्तिम चरण में है । कोल लिमिटेड की बात थी वहां से क्लीयर हो गया है । रेलवे की बात है आई० सी० आई० सी० आई० के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव वार्ता के लिए खुद जा रहे हैं । रेलवे के लिए बात कर रहे हैं । इस प्रकार दूसरा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है । तीसरा श्रीनगर प्रोजेक्ट की जो बात है श्रीनगर का सी०ई०–क्लीरेन्स नहीं हुआ है । 2500 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट कास्ट थी । उस कास्ट पर अगर स्वीकार कर लेते तो विद्युत दर 3.60 रुपये आती । हमने आपत्ति की कि इतना कास्ट हम नहीं स्वीकार करेंगे । सी० ई० अन्तिम चरण में है । उसे हम 18 से 19 सौ करोड़ के बीच ले जा रहे हैं । हमने तो कास्ट घटवायी है । सरकार के ऊपर बहुत दबाव था लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया । इसकी सारी फारमिलटीज पूरी हो गयी है । जहां तक लघु विद्युत की बात आयी कि छोटे-छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं लेकिन सवाल है कि उसकी बिजली कहां ले जायं, उस एरियर में बांटते हैं तो जो घाटा है वह बढ़ता चला जायेगा । वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार से एम० ओ० यू० किया और 370 करोड़ रुपया उत्तरांचल में पारेषण लाइनों के लिए रखा क्योंकि जब तक पारेषण लाइनें नहीं होंगी तो उसे ग्रिड में कैसे ले जायेंगे ? अगर डायरेक्ट दे देंगे तो बड़ा घाटा हो जाएगा एवं जिस उद्देश्य के लिये इसका गठन किया गया उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पारदर्शिता पर संतुष्ट होंगे । कार्य प्रणाली पर भी संतुष्ट होंगे यह ठीक है कि नेता के डर से प्रस्ताव वापस कुंवर साहब न लें क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा लेकिन मन से आप संतुष्ट हैं । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि कुंवर साहब अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । आप सबके बहुमूल्य सुझाव जो आये हैं उनको संकलित करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, टांडा अम्बेडकर नगर में ग्रामीण क्षेत्र के जो पावर लूम बुनकर हैं उनसे एल० एम० सी० 6-0 के हिसाब से वसूली की गयी है जबकि आजमगढ़ से एल० एम० सी०–1 के हिसाब से लिया

जा रहा है । जो असमानता अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के बीच है उसको दूर करने की कृपा करेंगे। दूसरी बात टांडा प्रोजेक्ट के जो विस्थापित हैं उनको नौकरी देने का प्रस्ताव विचाराधीन है उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मंत्री जी ने अभी कहा कि प्वाइंट गिनने के नाम पर शहरी उपभोक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जायेगा । तो जब तक कार्य योजना बने तब तक छापा मारने वाले अधिकारियों से कह दें कि वह 10–20 दिन छापा मारना बन्द कर दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो सवाल उठाया है इस संबंध में मैंने विजीलेंस वालों से कह दिया है कि जब तक निर्णय न हो जाय किसी के यहां छापा न मारें ।

श्री लालजी वर्मा ने जो बुनकरों के संबंध में कहा है बुनकरों के लिए 4 कि० फेस पर कामर्शियल दर पर 3 फेस पर व्यवस्था कर दिया है । इसके आदेश जारी कर दिये हैं । अगर उनकी बिल न देने की नीयत हो तो इस संबंध में किसी की बात नहीं मानेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 10-10 साल से अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के पद पर एक जगह जमे हुए हैं उनको आप हटाने की कार्यवाही करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, नगरीय क्षेत्र के लिए मंत्री जी 20 लाख रुपये या पांच वार्ड का दें ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । कृपया स्पष्टीकरण दिलवा दें । यथा नाम तथा गुण नरेश जी । घोषणा कर देते तो दोनों बातें साफ हो जातीं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रेवती रमण जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, ऊर्जा मंत्री जी ने यह कोशिश जरूर की है कि हमारे कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है लेकिन कुछ बिन्दुओं को हमारे सही माना है जैसे उदारीकरण के चलते वर्ल्ड बैंक के दबाव में डब्लू० टी० ओ० के दबाव में इनको बहुत से काम जो देश हित में नहीं हैं उनको न चाहते हुए भी मानना और करना पड़ रहा है । उन्होंने कबूल किया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैंने ऐसा तो नहीं कहा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि कुंवर साहब और मंत्री जी आपस में बैठ कर तय कर लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इन्होंने कहा डब्लू० टी० ओ० का मेम्बर होने के नाते हमारे हाथ बंध गये हैं हम चाहते हुए भी भारत के उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनकी मदद नहीं कर सकते । इन्होंने यह भी कहा कि सब्सिडी नियामक आयोग ने इनके प्रस्ताव किये जाने पर कितनी सब्सिडी दी ।

(शोर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, ये इतने बेताब हो गये हैं । अभी 9 बजे हैं तब भी जल्दी है । आखिर हम कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं कुछ कहेंगे नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें । कृपया शान्त रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, किसानों को सब्सिडी देने के बारे में यह कबूल किया कि यह हमारे हाथ में नहीं है। 15 हजार ट्यूबवेल के सापेक्ष 11 हजार का ऊर्जीकरण किया गया है और इस साल 10 हजार करेंगे और आने वाले समय में एक भी ट्यूबवेल का ऊर्जीकरण नहीं किया जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मैं चाहूंगा कि जो बातें हमने यहां पर कही हैं उनको मानने का कार्य मंत्री जी करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 09—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,57,59,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलाने तथा जाली नोटों के प्रचलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आई० एस० आई० की गतिविधियां अपना पांव पसार रही हैं–मान्यवर, चर्चा जारी रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10-5-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री अजय कुमार पोइया जी की मथुरा के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी ।

दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में डिपार्टमेन्टल स्टोरों तथा केमिस्टों की दुकानों से बीयर बिक्री किये जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

तीसरी सूचना श्री गोरखनाथ नाथ पांडेय की जनपद संत रविदास नगर में ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में विधि विभाग (लॉ सेक्शन) खोले जाने के सम्बन्ध में । वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

चौथी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर में विकास खण्ड सरकोनी में सरकोनी निधि न बने होने के कारण हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

पांचवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश में इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराने का दायित्व आई० ई० टी०, सीतापुर रोड, लखनऊ के निदेशक श्री ए० के० खरे को सौंपे जाने से परीक्षा की शुचिता पर लग रहे प्रश्नचिन्ह के सम्बन्ध में । वक्तव्य हेतु स्वीकृत तथा

छठी सूचना श्री अकबर हुसैन की जनपद मुरादाबाद में कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत आवासित झोजा जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :—

(1) श्री भीम प्रसाद सोनकर — जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत रजबहों पर टूटी पुलियों का निर्माण तथा पतली पुलियों को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश में सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत नियमों के विरुद्ध सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रभारी बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री पूर्णमासी पंकज — पूर्वी उत्तर प्रदेश के विन्ध्यांचल मण्डल में कोई भी विश्वविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(4) श्री राम चन्द्र यादव — प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा विभाग में मनमानी कार्यशैली अपनाये जाने, खासकर दलित वर्ग की उपेक्षा व न्यायसंगत मामलों को अनायास लम्बित किये जाने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री रूप चौधरी — जनपद गाजियाबाद के लोनी व आस पास के क्षेत्रों में बंगलादेशी नागरिकों के बस जाने से उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में ।

(6) श्री रामवीर उपाध्याय — ताज ट्रिपोजियम के अन्तर्गत लभ्य समस्त सुविधाओं को जनपद हाथरस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री इन्द्रजीत सरोज — कुम्भ मेला–2000 के अन्तर्गत इलाहाबाद में हो रहे सुन्दरीकरण एवं मरम्मत का कार्य प्रीतम नगर एवं सुलेमसराय में न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(8) श्री रामविशुन आजाद — जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड छपिया में होने वाले मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :—

(1) श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा — जनपद पिथौरागढ़ की मनुस्यारी तहसील अन्तर्गत पंचजुली के लिये अश्व मार्ग का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री विनोद मणि — जनपद लखनऊ के थाना चिनहट अन्तर्गत स्मृति गेस्ट हाउस के गोदाम में हुई गैस सिलेण्डर लूटने की घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जन्मेजय सिंह — लंखनऊ नगर स्थित बंदरियाबाग कैबिनेटगंज पश्चिम की राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी में समुचित जलापूर्ति न होने से अध्यासियों को हो रही कठिनाई के संबंध में।

(4) श्री बनारसी दास चांदना — पुलिस लाइन इलाहाबाद में तैनात मृतक आश्रित को शैक्षिक योग्यता के आधार पर तृतीय श्रेणी/लिपिक संवर्ग में नियुक्त न करने के संबंध में।

(5) श्री बिन्दु लाल — जनपद बलरामपुर में करमाहना व पैगापुर बांधों के टूटे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री आर० के० चौधरी — जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा गौरैया घाट सेतु पहुंच मार्ग हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामाधार सिंह — जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत राठ, उरई मार्ग को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राम जग — आजमगढ़ जिले में ठेकमा ब्लाक अन्तर्गत जमुबावां एवं हरिश्चन्दपुर तालों की जल निकासी हेतु ड्रेनों की खुदाई तथा एक पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

(9) श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद–दिल्ली सीमा पर श्री राम प्रकाश गोयल को जनता की भूमि अवैध रूप से दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद — जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुरवा के सचिव द्वारा स्वर्ण जयन्ती रोज़गार योजना के लाभार्थियों से अवैधानिक ढंग से धन वसूले जाने के संम्बन्ध में।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री संजय गर्ग, श्री राम पाल, श्री प्रदीप कुमार, श्री राम प्यारे सिंह, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री ओमकार सिंह यादव, श्री विजय पाल सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री उदय राज यादव, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री सौलत अली एडवोकेट और श्री जगदीश नारायण राय।

प्रदेश में यू० जी० सी० द्वारा पी० एच० डी० धारकों को "नेट" परीक्षा में छूट प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश निर्गत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रवक्ता पद.....

[की अर्हताओं के सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचना 1998 में इस बात का उल्लेख है कि विश्वविद्यालयों को यह विकल्प होगा कि पी० एच० डी० धारक अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने की छूट दे सकता है या नेट को अनिवार्य या वांछनीय अर्हता के रूप में रखे।

मार्च, 2000 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय को पुनरीक्षित कर नेट अर्हता को पुनः अनिवार्य कर दिया है। अतः अब विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर चयन के लिए नेट से छूट दिया जाना सम्भव नहीं है।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आयोग की प्रति उपलब्ध करा सकेंगे तो अच्छा होगा। मैं इसकी आवश्यकता महसूस कर रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा हजारों मजदूरों को बन्धक बनाकर उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्रम राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

[प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी/वेतन आदि का नियंत्रण न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के संगत प्राविधानों के अधीन निर्धारित एवं समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से उनका पुनरीक्षण किया जाता है। प्रदेश में ईंट भट्ठों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में शासकीय अधिसूचना 1334/36-3-1044(एम० डब्लू)-75, दिनांक 8 अगस्त, 1990 के अधीन स्वीकृत है, जिसके पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना संख्या–419/36-3-2000-1044(एम० डब्लू)/75 टी० सी०, दिनांक 22 मार्च, 2000 द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं।

सर्वश्री शिव नारायण, श्री श्यामकरण, श्री ओंकार तथा श्री विनोद पुत्र श्री काशीराम दिनांक 4-11-99 से मे० शिवम् ब्रिक फील्ड, गौरी सज्जन, भोगनीपुर कानपुर देहात पर ईंट पथाई का कार्य करने आये तथा दिनांक 26-12-1999 तक उक्त भट्ठे पर कार्य किया। इन श्रमिकों को ईंट पथाई के लिये जो भूमि आवंटित की गयी थी उसकी मिट्टी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वे अपेक्षानुसार ईंट नहीं बना पाते थे। इन श्रमिकों ने उपर्युक्त कार्य अवधि में लगभग 67 हजार ईंटों की पथाई की जिसकी मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं हो पायी है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर वेतन

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत निरीक्षण करते हुए निरीक्षण टिप्पणी ज़ारी कर दी गयी है। सेवायोजकों से उत्तर प्राप्त होते ही विधिक कार्यवाही की जायेगी।

सर्वश्री शिव नारायण, श्री श्यामकरण, श्री ओंकार तथा श्री विनोद अपनी इच्छानुसार उक्त ईंट भट्ठे को छोड़कर जी० एस० ईंट उद्योग, उझियानी बकेवर, जिला इटावा कार्य करने आये। ईंट भट्ठा मालिक व श्रमिकों के साथ सम्पन्न समझौते के अनुसार ईंट भट्ठा मालिक द्वारा क्रमशः श्रमिक श्री शिवनारायण को रुपये 10,000/- श्री श्यामकरण को रु० 10,000/- श्री ओंकार को रु० 8,000/- और श्री विनोद को 10,000/- अग्रिम के रूप में दिया गया था। श्रमिकों को कार्य करने पर 15 दिन की खुराकी दी जाती थी। उक्त चारों श्रमिक सगे भाई हैं। स्थलीय जांच के दौरान ग्राम प्रधान व श्रमिकों के परिवारजनों ने बताया कि श्रमिकों को बंधुआ श्रमिक नहीं रखा जाता है। भट्ठा मालिक अपने वाहनों से श्रमिकों को ले जाते हैं और कार्य समाप्त होने पर अपने वाहन से ही उनके निवास स्थान पर छोड़ जाते हैं।

श्रीमती ममता के जलने के प्रकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री विनोद अपने भाई श्री शिवनरायण की ईंट पथाई के कार्य में मदद करता रहता था, जिससे उसकी पत्नी ममता उससे झगड़ा करती रहती थी। घटना के दिन दिनांक 6-3-2000 को श्री विनोद की पत्नी ममता व श्री शिव नरायण में काफी झगड़ा हुआ था, जिसके फलस्वरूप ममता ने गुस्से में आकर समीप के लाही के खेतों में जाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस घटना की जांच थाना–बकेवर, इटावा पुलिस ने की तथा इसका विवरण जी० डी० में रपट संख्या–20 समय 11.00 बजे दिनांक 6 मार्च, 2000 में दिया गया है। भट्ठे पर उपस्थित लोगों के बयान व पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम हेतु इटावा भेजा गया। पोस्टमार्टम के पश्चात् ममता के पति व अन्य परिवार जनों को उसकी लाश दे दी गयी, जिसका उल्लेख जी० डी० की रपट संख्या–35 समय 18.30 दिनांक 6-3-2000 थाना बकेवर, इटावा में किया गया है। इसके पश्चात् इन लोगों द्वारा ही लाश को ट्रैक्टर में रखकर यमुना नदी के किनारे लाकर पानी में बहा दिया गया। इसके पश्चात् उपर्युक्त श्रमिकगण अपनी पत्नियों और बच्चों सहित दिनांक 11-3-2000 को उरई आये और तब से उरई में मजदूरी कर रहे हैं।

मे० जी० एस० ब्रिक फील्ड, उझियानी, इटावा द्वारा उक्त श्रमिकों को किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया गया है और सभी श्रमिकों को सामान भी नहीं दिया गया है, जिसकी लिखित सूचना थाना बकेवर, जिला–इटावा को दी गयी है। श्री शिवनरायण पुत्र श्री काशीराम ने अपने एवं अपने तीन भाइयों द्वारा मे० जी० एस० ब्रिकफील्ड, उझियानी, इटावा में किये गये कार्य, भट्ठा मालिक से प्राप्त खर्चा तथा अवशेष धनराशि का विवरण दिया है, जिसे दिलाये जाने के संबंध में उपश्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।]

वाराणसी नगर के मदनपुरा क्षेत्र में पूर्ण क्षमतायुक्त थाना खोलने तथा गलियों में "पिकेट ड्यूटी" सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[वाराणसी जनपद में दशाश्वमेघ थानान्तर्गत मदनपुरा क्षेत्र पूर्व से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है जहां पर वर्ष 1991 व 1992 में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। उक्त के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर वहां एक

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर दी गयी थी । यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सुरक्षा की दृष्टि से यहां की गलियों में पिकेट व्यवस्था करके पिकेट ड्यूटी लगायी जा रही है तथा सतर्क दृष्टि भी रखी जा रही है । इस क्षेत्र में पूर्ण क्षमतायुक्त थाना खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर उनका मानक के अनुसार परीक्षण कराकर तथा मितव्ययिता की दृष्टि से पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।]

जनपद गोण्डा में मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में दर्जीकुआ मनकापुर बभनान मार्ग, मनकापुर उतरौला मार्ग तथा गोण्डा फैजाबाद मार्ग की लम्बाई क्रमशः 62.6 किमी०, 38 किमी० एवं 43 किमी० है । इनमें प्रथम मार्ग प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य दो मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी के हैं । यह सभी मार्ग पुराने जिला परिषद् मार्ग हैं; एक लेन चौड़े हैं और ब्रिक ब्लास्ट सतह पर लेपित हैं । इन पर क्रस्ट की मोटाई मात्र 18 से 20 सेमी० है जबकि इन पर यातायत 1500 कामर्शियल व्हीकल प्रतिदिन से अधिक है जिसके लिए वांछित क्रस्ट लगभग 40 सेमी० होनी चाहिए । क्रस्ट की कमी, एक लेन चौड़ाई एवं यातायात की अधिकता के कारण उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहती हैं । इन मार्गों पर यातायात के सापेक्ष समुचित क्रस्ट प्राप्त करने हेतु सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है । जिसके लिये लगभग 14 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है । अतः उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इन पर दाग मरम्मत एवं नवीनीकरण करके इन्हें यातायात के योग्य रखने का प्रयास किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2000-2001 में इन मार्गों पर दाग मरम्मत हेतु रु० 10,000/- प्रति किमी० की दर से धनराशि अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है तथा दर्जीकुआ मनकापुर बभनान मार्ग के 11 किमी०, मनकापुर उतरौला मार्ग के 6 किमी० एवं गोण्डा फैजाबाद मार्ग के 10 किमी० के नवीनीकरण का लक्ष्य है ।]

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में डाइंट प्लान्टों से निकलने वाले जहरीले पानी से प्रदूषित हो रहे भू-गर्भ जल स्तर को सुरक्षित रखे जाने व जनजीवन को हो रही गम्भीर असुविधाओं के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में कराये गये सर्वेक्षण तथा उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2000 को कराये गये अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में कुल 56 कारपेट डाइंट उद्योग चिन्हित किये गये हैं । जिनमें से 35 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है । दो उद्योगों को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम की धारा–33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है । चार उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र निर्माणाधीन है, 8 उद्योग अपने कारणों से बन्द चल रहे हैं, शेष 7 उद्योग दोषी पाये गये हैं । अधिकांश उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह को शुद्धीकृत कर ड्रेन के माध्यम से अन्ततः वरुणा नदी में निस्तारित किया जाता है । जो 7 उद्योग दोषी पाये गये हैं तथा उत्प्रवाह को

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बिना समुचित शुद्धीकरण के अनियमित ढंग से सड़क पर निस्तारित करते हैं, उनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत समुचित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित करने तथा उत्प्रवाह को नियंत्रित ढंग से निस्तारण हेतु नोटिस दिये गये थे। इन उद्योगों द्वारा दिये गये निर्देशों का समय पर अनुपालन नहीं किया गया है, के विरुद्ध नियमानुसार बन्दी की कार्यवाही प्रस्तावित है।

बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण में उद्योगों के उत्प्रवाह को 200 से 300 फीट बोर के माध्यम से भू-गर्भ में डाले जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। बोर्ड द्वारा उक्त क्षेत्र के भूगर्भ जल के अद्यतन नमूने दिनांक 27-5-99 तथा 3-3-2000 को एकत्र किये गये थे। दिनांक 27-5-99 के नमूने में क्रोमियम की मात्रा नहीं पायी गयी थी; परन्तु दिनांक 3-3-2000 को एकत्रित नमूने में कुछ स्थलों पर क्रोमियम की मात्रा निर्धारित मानक (पेयजल हेतु) से कुछ अधिक पायी गयी थी, अन्य समस्त परिचालक मानकों के अनुरूप पाये गये। क्रोमियम की उक्त बढ़ी हुई मात्रा जिन दोषी उद्योगों के कारण है, उनके विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उक्त क्षेत्र में हैण्ड पम्प के पानी आदि पीने से संक्रामक बीमारियों यथा पीलिया, श्वास रोग, हृदय रोग आदि बीमारियों के फैलने की कोई सूचना पर्यावरण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।]

प्रदेश में विशेषतः जनपद आजमगढ़ में निरन्तर हो रहे अग्निकाण्ड से पीड़ितों को समुचित राजकीय सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम कन्धरापुर में दिनांक 5-4-2000 को अचानक अग्निकाण्ड की घटना घटी थी जिसमें श्री मौता पुत्र इन्द्रासन का आवासीय मकान आंशिक रूप से जल गया था तथा घर में रखी खाद्य सामग्री जल कर नष्ट हो गयी थी। अग्निकाण्ड से प्रभावित गृह स्वामी श्री मौता पुत्र इन्द्रासन को रु० 600 गृह अनुदान तथा रु० 500/- तत्काल अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया। ग्राम मधनापार में दिनांक 27-2-2000 को अग्निकाण्ड की घटना घटी थी, जिसमें 3 व्यक्तियों की आवासीय मड़ई जलकर नष्ट हो गयी। तीनों प्रभावित व्यक्तियों में 1,000/- रु० प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान के रूप में राहत सहायता का वितरण किया गया। विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत अमिलहवा कोई राजस्व ग्राम नहीं है। ग्राम देवारा तुर्कबारा में दिनांक 1-2-2000 को अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई जिसमें 5 व्यक्तियों की सम्पूर्ण आवासीय मड़ई जलकर नष्ट हो गयी तथा एक बड़े पशु व दस छोटे पशुओं को जल जाने के कारण मृत्यु हुई। प्रभावित परिवारों में रु० 1,000 प्रति परिवार की दर से गृह अनुदान एवं तीन परिवारों को रु० 1,500/- की दर से रुपये 4500/- अहेतुक सहायता तथा 4,000 अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किया गया। ग्राम गुलामरसूल (मदरहवा) में दिनांक 2-3-2000 को अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई जिसमें 4 व्यक्तियों की आवासीय मड़ई सम्पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गयी। प्रभावित 4 व्यक्तियों में रु० 1,000 प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान एवं रु० 1,000/- प्रति व्यक्ति की दर से अहेतुक सहायता के रूप में धनराशि का वितरण किया गया है।

इस प्रकार अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों में राहत सहायता का वितरण तत्काल कर दिया गया है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के अन्तर्गत काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में पूर्व से संचालित बी० एड० की कक्षायें बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[बी० एड० की कक्षायें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् जयपुर की अनुमति के बाद संचालित की जा सकती है । काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय जनपद संत रविदास नगर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् जयपुर से बी० एड० की कक्षायें संचालित करने हेतु अनुमति प्राप्त न होने के कारण बी० एड० की कक्षायें बन्द करनी पड़ी जिसके लिए अनुमति प्राप्त करने का प्रकरण विचाराधीन है । अनुमति प्राप्त होने के बाद बी० एड० की कक्षायें प्रारम्भ करने के संबंध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।]

उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा डिप्लोमा-इन-फार्मेसी तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के चयन में कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री दीपलाल भारती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा, श्री दीपलाल भारतीय द्वारा अपने पत्र दिनांक 03-05-2000 में उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा डिप्लोमा-इन-फार्मेसी तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर चयन हेतु दिनांक 13-2-2000 एवं 20-2-2000 को आयोजित लिखित परीक्षा में तथा सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पद पर प्रतिनियुक्ति में कथित धांधली एवं भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें की गयी हैं तथा यह उल्लेख किया गया है कि चयन समिति में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों एवं कम अनुभव वाले व्यक्तियों को रखा गया है । मा० सदस्य द्वारा यह मांग की गयी है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से करायी जाय तथा जांच पूरी होने तक डिप्लोमा-इन-फार्मेसी तथा एक्स-रे टेक्नीशियन परीक्षाओं के परीक्षाफल को स्थगित रखा जाय ।

मा० सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दिनांक 13-2-2000 को आयोजित डिप्लोमा-इन-फार्मेसी तथा 20-2-2000 को आयोजित एक्स-रे टेक्नीशियन की लिखित परीक्षायें शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के अनुसार सम्पन्न करायी गयी हैं,जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी है । इस निमित्त गठित साक्षात्कार समिति द्वारा अभ्यर्थियों के अंकपत्रों/प्रमाण-पत्रों की विधिवत जांच साक्षात्कार के समय की जाती है और इसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है । चयन समिति में सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अतिरक्त एक-एक वरिष्ठ अधिकारी जो पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति, के हैं, को रखा गया है, जो नियमानुसार है। सचिव, फैकल्टी के पद पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में की गयी शिकायतें निराधार हैं ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जांच कराने तथा उक्त परीक्षाओं के परीक्षाफल को स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मथुरा के रमन प्लांटेशन एवं फाइनेन्स कम्पनी लि० द्वारा जालसाजी किये जाने तथा अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मथुरा जनपद में स्थानीय पुलिस द्वारा नियम एवं कानून को ताक में रखकर पुलिस द्वारा शातिरों के हौसले बुलन्द किये जा रहे हैं और पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। रमन प्लांटेशन एवं फाइनेन्स कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपये की जालसाजी की गयी तथा जनता द्वारा थाना गोविन्दनगर में बनवारी लाल गोयल, मिक्की लाल गोयल, नितेश गोयल, श्रीमती सुषमा गोयल, मनीष गोयल, रुची गोयल आदि के विरुद्ध अपराध सं०–86/99. 86ए/99, 86 बी/99. 86सी/99 तथा 86डी/99 विभिन्न धाराओं में कायम है। साक्ष्य हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सभी साक्ष्य उपलब्ध कराये जा चुके हैं परन्तु अभी तक पुलिस ने मुल्जिमों से सांठ-गांठ करके उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा है जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। इसी प्रकार थाना कोतवाली, मथुरा की चौकी कृष्णानगर में उमाशंकर, निवासी बल्देवपुरी, महोली, मथुरा के यहां 4/5 दिसम्बर, 1999 की रात्रि चोरी की घटना की नामजद रिपोर्ट अभियुक्तों के विरुद्ध लिखायी गयी परन्तु अभी तक पुलिस द्वारा मुल्जिमों से धन लेकर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी प्रकार थाना गोवर्धन के कस्बा गोवर्धन के तिरपोलिया बाजार में सर्राफ की दुकान में भारी वजनी तिजोरी को ले जाने वाले दिल्ली के मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय चोरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। थाना बल्देव, जनपद मथुरा में पंजीकृत अपराध सं०–20/99 मुल्जिमों से सांठ-गांठ करके पुलिस द्वारा उक्त वाद के वादी के विरुद्ध इस्तेगासा न्यायालय में चला रखा है। इसलिए आत्म हत्या को हत्या में बदल दिया जाना ऐसे पर्याप्त अनेक उदाहरण हैं। अतः मा० सदस्य द्वारा इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए तथा स्थिति को गम्भीर बताते हुए शासन से इस पर वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार जनपद मथुरा में रमन प्लांटेशन एवं फाइनेंस कम्पनी की स्थापना मथुरा शहर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी स्व० रमन लाल शोरावाला के पुत्र श्री मिक्की लाल गोयल पुत्री रुची गोयल, बनवारी गोयल व नितीश गोयल द्वारा की गयी। निवेशकों द्वारा अपने धन की वापसी हेतु, उक्त संस्था पर दबाव डाला गया, जिससे वह निवेशकों के धन को जालसाजी से हड़प करके मथुरा से पलायन कर गये हैं। जालसाजी व अमानत में खयानत करने के संबंध में, वादी श्री मनोज शास्त्री निवासी श्रीनाथ धाम, वृन्दावन, मथुरा ने थाना वृन्दावन पर मु०अ० सं०–129/99 धारा 419/420/463/467/469/471, दिनांक 31-3-99 को पंजीकृत कराया। इसी प्रकार अन्य निवेशकों द्वारा भी उक्त फर्म के विरुद्ध मु० अ० सं०–86/99, 86ए/99, 86बी/99, 86सी/99 एवं 86डी/99 विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत कराया। विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 द० प्र० सं० की कार्यवाही के बाद दिनांक 15-1-2000 को मफरूरी में आरोप प्रेषित किया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इनाम घोषित किये हैं इसके अतिरिक्त अभियुक्तों की चल सम्पत्ति का पता लगाकर कुर्क करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3—दिनांक 5-12-99 को श्री उमाशंकर सारस्वत, निवासी बल्देवपुरी, महोली रोड, मथुरा ने थाना कोतवाली,मथुरा पर मु० अ० सं०–1098/99 धारा 457/380 भा० दं० वि० का पंजीकृत कराया

कि उनके मकान में कमरे का जंगला व गिरिल तोड़ कर घर में घुस कर नकदी व सामान चुरा लिया गया है । उन्होंने अपना शक कारपेन्टर चन्द्रसेन व उसके हेल्पर पर व्यक्त किया जो एक दिन पूर्व उनके घर काम करने आया था । विवेचना में उक्त कारपेन्टर व हेल्पर से तथा अन्य लोगों से पूछ-ताछ की गयी ।परन्तु घटना से सम्बन्धित तथ्य प्रकाश में नहीं आये । अतः स्थानीय पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं०–112 दिनांक 11-2-2000 को प्रेषित कर दी गयी ।

4—दिनांक 19-11-99 को श्री सुरेश सिंह सिकरवार, निवासी बस स्टैण्ड के बराबर कस्बा व थाना गोवर्धन द्वारा थाना गोवर्धन पर मु०अ०सं०–433/99 धारा 457/380 भा० द० वि० अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । विवेचना से अभियुक्त जगतार, मुखत्यार, दलबीर सिंह, सन्तोष सिंह, अंग्रेज, पीरू तथा उत्तम प्रकाश में आये । अभियुक्त जगतार, मुखत्यार तथा दलवीर सिंह को दिनांक 11-12-99 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों में से जगतार के पास से एक सोने की 25 ग्राम वजनी चेन व एक अदद तमंचा 12 बोर, मुखत्यार सिंह के पास से एक सोने की अंगूठी वजन 10 ग्राम तथा एक अदद तमंचा 303 बोर व अभियुक्त दलवीर सिंह से एक सोने की अंगूठी 05 ग्राम वजन व 04 अदद कारतूस बरामद किये गये जिनके विरुद्ध मु० अ० सं०–444/99 तथा 445/99 एवं 446/99 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करके जेल भेजा गया तथा दिनांक 22-11-99 को उक्त अभियोग में चोरी गयी लोहे की तिजोरी भी चौकी बहादुरपुर, थाना सदर, जिला अलवर, राजस्थान में लावारिश जमा को कब्जे में लेकर थाने पर दाखिल किया गया । दिनांक 6-2-2000 को अभियुक्त अंग्रेज सिंह को जेल किशनगढ़ राजस्थान से पुलिस द्वारा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशानदेही पर उसके मकान से लगभग 20 हजार के जेवरात बरामद हुए तथा अभियुक्त पीरू का वारण्ट भी जेल किशनगढ़ राजस्थान में दाखिल किया गया । अभियुक्त सन्तोष सिंह निवासी कोठी बांस, राजस्थान को दिनांक 22-12-99 को उक्त अभियोग में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा अभियुक्त उत्तम की 82/83 द० प्र० सं० की कार्यवाही 25-4-2000 को की गयी । विवेचना के बाद इस अभियोग में आरोप पत्र सं०–4 दिनांक 7-2-2000 को व आरोप पत्र सं०–4ए दिनांक 25-4-2000 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध किता कर न्यायालय में प्रेषित किया गया । इस प्रकार चोरी का पूरा माल बरामद किया जा चुका है तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।

दिनांक 3-3-99 को वादी श्री रतन लाल, निवासी मनोहरपुर, थाना बल्देव की लिखित सूचना पर उनके पुत्र रामेश्वर जिनकी आयु 20 वर्ष की थी हत्या कर देने के बाबत अभियोग पंजीकृत हुआ जिसमें घनश्याम, महेन्द्र, रज्जो, राजू आदि निवासीगण ग्राम मनोहरपुर, थाना बल्देव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा करायी गयी । अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 द० प्र० सं० की कार्यवाही दिनांक 7-4-99 को की गयी और उसी दिन सभी का चालान मफरूरी में आरोप पत्र सं०–50 प्रेषित किया गया । अभियुक्त घनश्याम, महेन्द्र, राजू के विरुद्ध क्रमशःअपराध सं०–121/99 तथा 122/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किये गये हैं जिसमें मफरूरी में चालान किया गया है । सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इनाम भी घोषित किये गये हैं । इस अभियोग को विवेचना से किसी भी व्यक्ति को झूठा नहीं फंसाया गया है बल्कि साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बहराइच में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था न होने तथा कतिपय स्थानों पर फायर सब स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद बहराइच में जिला मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित है जहां अग्निशमन कार्य हेतु निम्नलिखित उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध है :—

उपकरण		स्टाफ	
(1) मोटर फायर इंजन	01	(1) अग्निशमन अधिकारी	01
(2) जीप टोईंग वेहिकिल	02	(2) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	01
(3) पोर्टेबल पम्प	01	(3) लीडिंग फायर मैन	03
(4) फ्लोट पम्प	02	(4) फायर सर्विस चालक	03
(5) ट्राली	01	(5) फायरमैन अग्निशमन	18

2—जनपद की तहसील नानपारा एवं कैसरगंज में प्रतिवर्ष 1 मार्च से 30 जून की अवधि में सीजनल अग्निशमन व्यवस्था की जाती है ।

3—मिहीपुरवा क्षेत्र की अग्निशमन आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतया नानपारा के सीजनल अग्निशमन केन्द्र के माध्यम से कराई जाती है और आवश्यकता पड़ने पर जनपद मुख्यालय स्थित अग्निशमन केन्द्र तथा सीमावर्ती जनपद खीरी के धौरहरा अग्निशमन केन्द्र की सहायता भी ली जा सकती है ।

4—सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत जनपद बहराइच में फायर ब्रिगेड की 4 और गाड़ियां दिया जाना तथा कैसरगंज, नानपारा और मिहीपुरवा में 1-1 सब स्टेशन अलग से खोला जाना सम्भव नहीं है ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 10 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 283 विधान सभा (608)—2000–813 (डी०टी०पी०) ।